



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA  
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा  
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक  
का  
राज्य के राजस्व पर प्रतिवेदन  
मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष हेतु



छत्तीसगढ़ शासन  
वर्ष 2026 का प्रतिवेदन संख्या— 01  
(निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा— सिविल)

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक  
का

राज्य के राजस्व पर प्रतिवेदन  
मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष हेतु

छत्तीसगढ़ शासन

वर्ष 2026 का प्रतिवेदन संख्या— 01

## विषय सूची

विषय	संदर्भ	
	कंडिका क्र.	पृष्ठ क्र.
<i>प्राक्कथन</i>		vii
<i>विहंगावलोकन</i>		ix
<b>अध्याय 1 – परिचय</b>		
इस प्रतिवेदन के विषय में	1.1	1
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	1.2	1
लेखापरीक्षा का प्राधिकार	1.3	7
बकाया राजस्व का विश्लेषण	1.4	7
लेखापरीक्षा के प्रति शासन/विभागों की प्रतिक्रिया	1.5	8
अभिस्वीकृति	1.6	10
<b>अध्याय 2 – निष्पादन लेखापरीक्षा</b>		
<b>राज्य कर (जीएसटी) विभाग</b>		
“वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल प्रणाली” पर निष्पादन लेखापरीक्षा	2	11
<b>अध्याय 3 – अनुपालन लेखापरीक्षा</b>		
<b>राज्य कर (जीएसटी) विभाग</b>		
“वस्तु एवं सेवा कर भुगतान एवं विवरणियों के दाखिल करने पर विभाग की निगरानी चरण-II” पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा	3	41

## परिशिष्ट

परिशिष्ट क्र.	विषय	संदर्भ	
		कड़िका क्र.	पृष्ठ क्र.
2.1	मुख्य समस्या क्षेत्र	2.8	69
2.2	विसंगति की प्रकृति: अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने के कारण कार्यक्षेत्र सीमित होना	2.10.1	70
2.3	विसंगति की प्रकृति: अपात्र करदाताओं का कंपोजिशन योजना के अंतर्गत बने रहना	2.11.1.1	74
2.4	विसंगति की प्रकृति: निरस्त करदाताओं द्वारा ई-वे बिल बनाना	2.11.1.2	75
2.5	विसंगति की प्रकृति: समान/समरूप बीजक के आधार पर एकाधिक ई-वे बिल बनाना	2.11.1.3	76
2.6	विसंगति की प्रकृति: शून्य विवरणी दाखिल करने वाले करदाताओं द्वारा ई-वे बिल बनाना	2.11.1.5	77
2.7	विसंगति की प्रकृति: जीएसटी विवरणी दाखिल न करने वालों द्वारा ई-वे बिल बनाना	2.11.1.6	78
2.8	विसंगति की प्रकृति: केपीए द्वारा चिन्हित करदाताओं द्वारा कर देयता का निर्वहन न करना	2.11.2.1	79
2.9	विसंगति की प्रकृति: केपीए द्वारा चिन्हित करदाताओं द्वारा अयोग्य आईटीसी का लाभ उठाना	2.11.2.2	82
2.10	विसंगति की प्रकृति: जोखिमपूर्ण वाहनों के विरुद्ध ई-वे बिल बनाना—गलत आईटीसी का संभावित पारित होना	2.11.2.3	84
2.11	विसंगतियों की प्रकृति: वाहनों के अवरोधन में विचलन पाया जाना	2.13.1	85
2.12	विसंगति की प्रकृति: कर एवं शास्ति के समायोजन में विलंब	2.13.2.1	86
2.13	विसंगति की प्रकृति: वाहन की जांच के दौरान वसूले गए कर एवं शास्ति की कटौती सुनिश्चित किए बिना वाहनों को छोड़ देना	2.13.2.2	88

2.14	विसंगति की प्रकृति: रोके गए वाहनों पर कर और शास्ति का कम आरोपण	2.13.2.3	89
3.1	विभिन्न श्रेणी की लेखपरीक्षा के नमूनों के आवंटन को दर्शाने वाला विवरण	3.5(iii)	90
3.2	2020-21 के दौरान विवरणी दाखिल नहीं करने वालों/देर से दाखिल करने वालों का विवरण	3.8.1	115
3.3	कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज का अनारोपण दर्शाने वाला विवरण (2020-21)	3.8.1	116
3.4	2020-21 के दौरान जारी किए गए एएसएमटी-10/कारण बताओ सूचनाओं का विवरण	3.8.2	117
3.5	2020-21 के दौरान पंजीयन निरस्तीकरण और अंतिम विवरणी (जीएसटीआर 10) दाखिल नहीं किए जाने का विवरण	3.8.3(अ)	118
3.6	करदाताओं के आवेदनों पर विलंबित पंजीयन निरस्तीकरण का विवरण	3.8.3(ब)	119
3.7	करदाताओं के आंकड़ों का विश्लेषण दर्शाने वाला विवरण	3.9	120
3.8	करदाताओं के आंकड़ों का विश्लेषण दर्शाने वाला विवरण	3.9.1	121
3.9	जिन प्रकरणों में लेखापरीक्षा के दौरान राशि की वसूली की गई का विवरण	3.9.1	124
3.10	जिन प्रकरणों में लेखापरीक्षा के दौरान कारण बताओ सूचनाएँ जारी की गई, को दर्शाने वाला विवरण	3.9.1	126
3.11	जिन प्रकरणों में करदाताओं को एएसएमटी-10 सूचनाएँ जारी की गई, को दर्शाने वाला विवरण	3.9.1	132
3.12	ऐसे प्रकरणों का विवरण जिनमें उत्तरों में कोई विशिष्ट स्पष्टीकरण नहीं दिया गया	3.9.2.1	133
3.13	ऐसे प्रकरणों की जानकारी जिनमें विस्तृत लेखापरीक्षा वर्ष 2018-21 हेतु करदाता द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए, को दर्शाने वाला विवरण	3.10	134
3.14	ऐसे प्रकरणों की जानकारी जिनमें करदाता द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया गया, को दर्शाने वाला विवरण	3.11(अ)	141

3.15	अवधि 2018–21 के दौरान अधिक आगत कर क्रेडिट का उपभोग दर्शाने वाला विवरण (ग्रेनुलर अभिलेख अप्राप्त)	3.12(ए)(I)	143
3.16	अवधि 2018 से 21 के दौरान अतिरिक्त आगत कर क्रेडिट दर्शाने वाला विवरण (ग्रेनुलर अभिलेख प्राप्त)	3.12(ए)(II)	144
3.17	अवधि 2018 से 21 के दौरान जीएसटीआर-9 के टेबल 8डी में असंगत आगत कर क्रेडिट दर्शाने वाला विवरण (ग्रेनुलर अभिलेख अप्राप्त)	3.12(बी)(I)	145
3.18	अवधि 2018 से 21 के दौरान जीएसटीआर-9 के टेबल 8डी में असंगत आगत कर क्रेडिट दर्शाने वाला विवरण (ग्रेनुलर अभिलेख प्राप्त)	3.12(बी)(II)	148
3.19	अवधि 2018–21 के दौरान आरसीएम में अतिरिक्त आगत कर क्रेडिट दर्शाने वाला विवरण (ग्रेनुलर अभिलेख अप्राप्त)	3.12(सी)(I)	149
3.20	अवधि 2018 से 21 के दौरान आरसीएम में अतिरिक्त आगत कर क्रेडिट दर्शाने वाला विवरण (ग्रेनुलर अभिलेख प्राप्त)	3.12(सी)(II)	150
3.21	अवधि 2018–21 के दौरान जीएसटीआर-9 के टेबल 6जे में असमायोजित आगत कर क्रेडिट दर्शाने वाला विवरण (ग्रेनुलर अभिलेख अप्राप्त)	3.12(डी)(I)	151
3.22	अवधि 2018 से 21 के दौरान जीएसटीआर-9 के टेबल 6जे में असमायोजित आगत कर क्रेडिट दर्शाने वाला विवरण (ग्रेनुलर अभिलेख प्राप्त)	3.12(डी)(II)	153
3.23	नियम 42 के तहत अवधि 2018 से 21 के दौरान निरंक/छूट आपूर्ति के संदर्भ में कम/निरंक आगत कर क्रेडिट रिवर्सल को दर्शाने वाला विवरण (ग्रेनुलर अभिलेख अप्राप्त)	3.12(इ)	154
3.23 (अ)	नियम 43 के तहत अवधि 2018 से 21 के दौरान निरंक/छूट आपूर्ति के संदर्भ में कम/निरंक आगत कर क्रेडिट रिवर्सल को दर्शाने वाला विवरण (ग्रेनुलर अभिलेख अप्राप्त)	3.12(इ)	156

3.24	अवधि 2018 से 21 के दौरान जीएसटीआर 9सी के टेबल 12 एफ में असमायोजित आगत कर क्रेडिट दर्शाने वाला विवरण (ग्रेनुलर अभिलेख अप्राप्त)	3.12(एफ)(I)	157
3.24 (अ)	अवधि 2018 से 21 के दौरान जीएसटीआर 9सी के टेबल 12 एफ में असमायोजित आगत कर क्रेडिट दर्शाने वाला विवरण (ग्रेनुलर अभिलेख प्राप्त)	3.12(एफ)(II)	159
3.25	अवधि 2018–21 के दौरान कर का कम/नहीं भुगतान दर्शाने वाला विवरण (ग्रेनुलर अभिलेख अप्राप्त)	3.13(ए)(I)	160
3.26	अवधि 2018–21 के दौरान कर का कम/नहीं भुगतान दर्शाने वाला विवरण (ग्रेनुलर अभिलेख प्राप्त)	3.13(ए)(II)	161
3.27	अवधि 2018–21 के दौरान जीएसटीआर 9सी के टेबल 5 आर में असमायोजित कुल टर्नओवर दर्शाने वाला विवरण (ग्रेनुलर अभिलेख अप्राप्त)	3.13(बी)	162
3.28	अवधि 2018–21 के दौरान जीएसटीआर 9सी के टेबल 7 जी में असमायोजित कर योग्य टर्नओवर दर्शाने वाला विवरण (ग्रेनुलर अभिलेख अप्राप्त)	3.13(सी)	163
3.29	अवधि 2018–21 के दौरान जीएसटीआर 9सी के टेबल 9 आर में असमायोजित कर भुगतान दर्शाने वाला विवरण (ग्रेनुलर अभिलेख अप्राप्त)	3.13(डी)	164

## प्राक्कथन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष का यह प्रतिवेदन तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में छत्तीसगढ़ शासन के राज्य कर विभाग (वस्तु एवं सेवा कर) के निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में उन मामलों को उल्लेखित किया गया है जो वर्ष 2022-23 की अवधि के दौरान किए गए नमूना लेखापरीक्षा के समय ध्यान में आए, साथ ही वे पूर्ववर्ती अवधि में ध्यान में आए थे परंतु जिन्हें पिछले प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किया जा सका, शामिल है। अवधि 2022-23 के बाद के प्रकरणों को जहां आवश्यक हो, सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा का कार्य भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप किया गया है।

## विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में तीन अध्याय हैं जिनमें "वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक वे-बिल प्रणाली" पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा और "वस्तु एवं सेवा कर भुगतान एवं रिटर्न दाखिल करने पर विभाग की निगरानी" पर विषय विशिष्ट अनुपालन (एसएससीए) लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल हैं।

### अध्याय 1

इस अध्याय में लेखा परीक्षा की योजना और सीमा के साथ-साथ विभागों के राजस्व पर एक संक्षिप्त विश्लेषण और लेखा परीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन/लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पर शासन की प्रतिक्रिया प्रस्तुत की गई है।

वर्ष 2022-23 के लिए छत्तीसगढ़ शासन की कुल प्राप्तियां ₹ 93,877.13 करोड़ थीं। राज्य शासन द्वारा संग्रहित राजस्व ₹ 48,370.54 करोड़ था। जिसमें ₹ 33,122.30 करोड़ का कर राजस्व और ₹ 15,248.24 करोड़ का कर-भिन्न राजस्व शामिल था। भारत सरकार से प्राप्तियां ₹ 45,506.59 करोड़ थीं (विभाज्य संघीय करों की राज्यों की हिस्सेदारी ₹ 32,358.26 करोड़ और अनुदान ₹ 13,148.32 करोड़)। इस प्रकार राज्य शासन का अपना योगदान कुल राजस्व का 52 प्रतिशत था।

#### (कंडिका 1.2)

राजस्व की बकाया राशि ₹ 8,585.80 करोड़ राज्य के छः विभागों (खनन, आबकारी, परिवहन, विद्युत, पंजीकरण और बिक्री कर, व्यापार आदि) में लंबित थी। कुल बकाया राशि में से ₹ 4,371.29 करोड़ पांच साल से अधिक समय से लंबित थे। चार विभागों अर्थात् वन, लोक निर्माण, भू-राजस्व और जल संसाधनों ने कोई जवाब नहीं दिये इसलिए राजस्व की बकाया राशि के बारे में जानकारी रिपोर्ट में शामिल नहीं की जा सकी।

#### (कंडिका 1.4)

लोक लेखा समिति (पीएसी) ने 221 कंडिकाओं पर चर्चा की एवं 141 कंडिकाओं पर अनुशंसा दी गई। कार्रवाई किए जाने के नोट (एटीएन) 75 कंडिकाओं के संबंध में प्राप्त नहीं हुए हैं।

#### (कंडिका 1.5.1)

31 मार्च 2023 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) के विश्लेषण में पाया गया कि 1994-95 और 2022-23 के बीच जारी 2,377 नि.प्र. से संबंधित 10,401 कंडिकाएं अप्रैल 2024 के अंत तक लंबित थीं। 2022-23 के दौरान जारी 92 नि.प्र. में से कार्यालयों के प्रमुखों से 43 नि.प्र. (46.74 प्रतिशत) के संबंध में पहली प्रतिक्रिया तक लेखापरीक्षा को नहीं मिली।

#### (कंडिका 1.5.2)

## अध्याय 2

यह अध्याय “वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक-वे-बिल प्रणाली” पर निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से संबंधित है। इस अध्याय में प्रस्तुत लेखा परीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों का सारांश नीचे दिया गया है:

### “वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक-वे-बिल प्रणाली” पर निष्पादन लेखापरीक्षा

लेखा परीक्षा में ई-वे बिल प्रणाली के कामन पोर्टल में कमियां देखी गईं। ई-वे बिल प्रणाली ने कंपोजिट करदाता को अंतर-राज्यीय व्यापार हेतु, निरस्त किये गये करदाताओं को, जोखिमपूर्ण वाहनों/दो-पहिया वाहनों से किये गये लेन-देन हेतु, निरंक विवरणी भरने वाले करदाताओं तथा विवरणी नहीं भरने वाले कर दाताओं को ई-वे बिल तैयार करने की अनुमति दी। इस प्रणाली ने समान/एक जैसे चालान के लिए एक से अधिक ई-वे बिल तैयार करने की भी अनुमति दी।

(कांडिका 2.11.1)

लेखा परीक्षा में अधिनियम/नियम के प्रावधानों के अनुपालन न होने के 29 प्रकरण पाए गए, जिनमें कर देयता का निर्वहन न करना (20 प्रकरण), अयोग्य आईटीसी का लाभ लेना (चार प्रकरण) तथा आईटीसी का गलत हस्तांतरण (पांच प्रकरण) में ₹ 20.34 करोड़ का संभावित कर प्रभाव शामिल था।

(कांडिका 2.11.2)

लेखा परीक्षा ने 2018-19 से 2021-22 तक की अवधि में 30 वृत्तों के 1,719 करदाताओं के जोखिम आधारित नमूने (मूल लेखा परीक्षा नमूना को छोड़कर) के ई-वे बिल आंकड़ों का विश्लेषण किया और पाया गया कि ई-वे बिल प्रणाली में कंपोजिट करदाताओं द्वारा अंतर-राज्यीय ई-वे बिल के बनाने, निर्धारित सीमा से अधिक कारोबार करने वाले कंपोजिट करदाताओं द्वारा ई-वे बिल बनाने, जीएसटी विवरणी दाखिल नहीं करने वालों द्वारा ई-वे बिल बनाने, निरस्त किये गये करदाताओं द्वारा ई-वे बिल बनाने तथा एक ही चालान पर डुप्लीकेट ई-वे बिल बनाने की अनुमति दी।

(कांडिका 2.11.5)

लेखा परीक्षा ने प्रवर्तन इकाई द्वारा विश्लेषणात्मक प्रतिवेदनो के उपयोग की प्रभावशीलता की जांच करने एवं आंकड़ों के विश्लेषण में पाया गया कि 2018-19 से 2021-22 की अवधि में बाह्य आपूर्ति के लिए राज्य में 25 ई-वे बिल बिना पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा अथवा उनके नाम से बनाये गये, जिनका मूल्यांकन योग्य राशि ₹ 34.77 करोड़ रुपये था। इनमें से प्रत्येक ई-वे बिल का मूल्यांकन योग्य राशि मूल्य ₹ 40 लाख से अधिक था।

(कांडिका 2.12.2.1)

लेखा परीक्षा में ई-वे बिल कामन पोर्टल पर तैयार की गई विश्लेषणात्मक प्रतिवेदनों के उपयोग में भी कमियां पायी गईं। लेखापरीक्षा ने देखा कि पांच चयनित करदाताओं के प्रकरणों में बाह्य आपूर्ति के लिए जून 2021, अगस्त 2021 और मार्च 2022 में 143 ई-वे बिल बनाये गये, जिनका मूल्यांकन योग्य राशि ₹ 16.33 करोड़ था जिसके लिए बी-1 प्रतिवेदन के अनुसार ई-वे बिलों में दर्ज वाहनों की कोई वास्तविक आवाजाही दर्ज नहीं थी। लेखा परीक्षा में समस्त करदाताओं के इन ई-वे बिलों में उल्लिखित देयको एवं उससे संबंधित जीएसटीआर-1 विवरणी का जांच किया गया एवं पाया गया कि बिना

वस्तुओं की वास्तविक आवाजाही के ही ₹ 2.94 करोड़ का अनियमित आईटीसी हस्तांतरित की गई।

(कंडिका 2.12.2.2)

लेखा परीक्षा ने विभाग में कर चोरी रोकथाम उपायों की प्रभावशीलता की भी जांच की एवं पाया कि ई-वे बिल प्रावधानों को लागू करने में विभाग की रोकथाम/प्रवर्तन गतिविधियां पर्याप्त नहीं थी। इसके लिए आयुक्त कार्यालय, रायपुर में दर्ज 603 प्रकरणों में से 50 प्रकरणों की जांच की गई जिसमें से 30 प्रकरणों में विभाग द्वारा वाहनों की रोकथाम के दौरान वसूल किये गये कर और जुर्माने के समायोजन में 8 से लेकर 1981 दिनों की देरी पाई गई।

(कंडिका 2.13)

**अनुशांसाएँ:**

1. ई-वे बिल प्रणाली में आवश्यक सत्यापन नियंत्रण को शामिल करने की आवश्यकता है:
  - अंतर-राज्यीय बाह्य आपूर्ति से ई-वे बिल बनाने के लिए समग्र लेवी योजना करदाता को रोकना;
  - निरस्त किए गए करदाताओं द्वारा ई-वे बिल बनाने पर प्रतिबंध;
  - कई ई-वे बिल बनाने में समान/समरूप बीजक के उपयोग पर रोकथाम;
  - माल के परिवहन के लिए वाहन डेटाबेस के माध्यम से उपयुक्त वाहन विवरण के सत्यापन के बाद ही ई-वे बिल बनाना सुनिश्चित करना;
  - उन करदाताओं के लिए ई-वे बिल बनाने की सुविधाओं को अवरुद्ध करें जिन्होंने निर्धारित अवधि के लिए विवरणी दाखिल नहीं किया है।
2. विभाग निम्न कार्य कर सकता है:
  - सीबीआईसी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अभिलेखों को समय पर प्रस्तुत करने के लिए अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश करें;
  - ई-वे बिल के सत्यापन एवं एक ही पैन पर उनके पंजीकरण किये गये करदाताओं के विवरणियों की जांच हेतु दिशा-निर्देश जारी करें;
  - करदाताओं द्वारा कर अनुपालन में कमियों का पता लगाने के लिए एनआईसी द्वारा तैयार ई-वे बिल की विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन का उपयोग करें और विवरणी की जांच में उपयोग के लिए क्षेत्राधिकार अधिकारियों के साथ साझा करें;
  - माल की आवाजाही के बिना आईटीसी हस्तांतरित होने के प्रकरणों को रोकने के लिए जीएसटीएन सामान्य पोर्टल के साथ एनआईसी ई-वे बिल तंत्र के विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन मॉड्यूल की मैपिंग करने पर विचार करें;
  - वाहनों की अवरोधन के दौरान एकत्र किए गए कर और शास्ति सही थे और क्या उन्हें समायोजित किया गया था, यह सुनिश्चित करने के लिए दर्ज किए गए शेष प्रकरणों को सत्यापित करें।

(कंडिका 2.15)

### अध्याय 3

यह अध्याय "जीएसटी भुगतान एवं विवरणियों के दाखिल करने पर विभाग की निगरानी चरण-II" पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से संबन्धित है। इस अध्याय में दर्शाए गए लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्षों का सारांश निम्नलिखित है:

**“जीएसटी भुगतान एवं विवरणियों के दाखिल करने पर विभाग की निगरानी चरण- II”  
नामक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा**

जीएसटी भुगतान एवं विवरणियों के दाखिल करने पर विभाग की निगरानी नामक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा विवरणियों के दाखिले एवं कर के भुगतान और विभाग के अन्य निगरानी वाले कार्यों के निरीक्षण की पर्याप्तता एवं अनुपालन की सीमा के मूल्यांकन के उद्देश्य से की गई थी।

यह विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) मुख्य रूप से डेटा विश्लेषण पर आधारित थी जिसने जोखिम क्षेत्रों, संभावित खतरों एवं कुछ प्रकरणों में 2018-21 के लिए दाखिल किए गए जीएसटी विवरणियों में नियम आधारित विचलनों एवं तार्किक विसंगतियों को इंगित किया है। यह एसएससीए राज्य कर विभाग छत्तीसगढ़ के निगरानी वाले कार्यों के मूल्यांकन को दो स्तरों पर करने हेतु यथा वैश्विक डेटा क्वेरीज के माध्यम से डेटा स्तर पर और वृत्तों एवं जीएसटी विवरणियों की गहन विस्तृत लेखापरीक्षा के माध्यम से कार्यान्वयन स्तर पर जिसमें करदाताओं के अभिलेखों का मूल्यांकन किया गया। अतः लेखापरीक्षा के नमूनों में 10 वृत्त, वैश्विक क्वेरीज के माध्यम से चयनित 641 प्रकरणों जिनमें 17 पैमानों में मूल्यों की विसंगतियां थी और जीएसटी विवरणियों की विस्तृत लेखापरीक्षा हेतु 2018-21 के लिए चयनित 70 करदाता शामिल थे।

लेखापरीक्षा द्वारा पहचाने गए उच्च मूल्य वाले 641 विसंगतियों वाले प्रकरणों में विभाग ने सभी में उत्तर प्रस्तुत किया। इनमें से 184 प्रकरण जो कुल का 28.71 प्रतिशत हैं, उनमें ₹ 297.36 करोड़ के राजस्व निहितार्थ के साथ अनुपालन कमियाँ सामने आईं। विभाग ₹ 2.46 करोड़ की वसूली कर चुका है। अतिरिक्त आईटीसी लिए जाने, आपूर्तिकर्ता के कर जमा नहीं करने के बावजूद आईटीसी लिए जाने और कर देयता का निर्वहन नहीं करने और जीएसटीआर 3बी का दाखिला नहीं करने से संबन्धित अपेक्षाकृत उच्च दर पर अनुपालन की कमियाँ देखी गईं। जबकि आंकड़ा प्रविष्टि त्रुटियाँ 6.71 प्रतिशत प्रकरणों में विसंगतियों का कारण बनीं और 7.33 प्रतिशत प्रकरणों में विभाग ने सक्रिय कार्यवाई कर ली है।

जीएसटी विवरणियों की विस्तृत लेखापरीक्षा ने भी गैर-अनुपालन की घटनाओं को निर्दिष्ट किया। प्रारम्भ में 70 करदाताओं (210 प्रकरण) के नमूने में से 37 प्रकरणों में आवश्यक अभिलेख जैसे वित्तीय विवरण, जीएसटीआर 2ए एवं अन्य अपेक्षित आधारभूत अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके चलते लेखापरीक्षा का दायरा काफी सीमित हो गया। ये प्रकरण उपभोग किये गए आईटीसी एवं कर भुगतान में पहचानी गई विसंगतियों के कारण ₹ 429.62 करोड़ राशि के संभवित जोखिम को दर्शाते हैं। 33 करदाताओं की विवरणियाँ/ग्रेनुलर अभिलेखों की लेखापरीक्षा की गई और लेखापरीक्षा ने ₹ 79.18 करोड़ के राजस्व निहितार्थ के साथ 23 अनुपालन कमियाँ पायीं गईं। विभाग ₹ 41.87 करोड़ राशि की वसूली कर चुका है। इनके मुख्य कारणकारी कारक अपात्र/अतिरिक्त आईटीसी का उपभोग, आईटीसी का शून्य/कम रिवर्सल, कर का कम भुगतान एवं ब्याज का शून्य/कम भुगतान थे।

ऐसे प्रकरणों में जिनमें उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया उनके समयबाधित होने से पहले विभाग को सुधारात्मक उपाय जरूर शुरू करने चाहिए। एक व्यवस्थित दृष्टिकोण से विभाग को विवरणियों के दाखिल करने, करदाता अनुपालन, पंजीयन निरस्तीकरण एवं त्रुटिकर्ताओं से बकाया की वसूली पर प्रभावी निगरानी स्थापित करने और उसे बनाए रखने के लिए वृत्तों में संस्थागत तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है।

अनुशंसाएँ:

- विभाग अनिर्वहित कर देयता की जाँच हेतु अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पंजीयन रद्द करने और उस पर की गई कार्यवाई की स्थिति की निगरानी कर सकता है।
- विभाग प्रकरणों के समयबाधित होने से पहले एक निश्चित समयावधि में संपरीक्षा की प्रक्रिया को सुनिश्चित कर सकता है।
- विभाग जीएसटीएन के परामर्श से डेटा प्रविष्टि त्रुटियों को रोकने, करदाता अनुपालन बढ़ाने और बेहतर जाँच की सुविधा हेतु जीएसटी विवरणियों में सत्यापन नियंत्रण लागू कर सकता है। विभाग विसंगतियों का पता लगाने हेतु उपयुक्त एल्गोरिद्म का भी उपयोग कर सकता है।
- लेखापरीक्षा को ग्रेनूलर अभिलेख प्रदान करने के लिए राज्य कर विभाग को क्षेत्रीय संरचनाओं को आवश्यक निर्देश जारी करने की जरूरत है।

(कंडिका 3)

# अध्याय 1

---

परिचय

---

## अध्याय 1

### परिचय

#### 1.1 इस प्रतिवेदन के विषय में

यह अध्याय वर्ष 2022-23 के दौरान छत्तीसगढ़ शासन (छ.ग.शा.) के राजस्व प्राप्तियों का अवलोकन प्रस्तुत करता है, 2018-19 से 2022-23 तक की पांच वर्षों की अवधि में प्राप्तियों का विश्लेषण करता है, और 31 मार्च 2023 तक लंबित राजस्व कर के बकाया का विवरण प्रस्तुत करता है। निरीक्षण प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के माध्यम से लेखापरीक्षा द्वारा प्राप्त निष्कर्षों पर राज्य सरकार की प्रतिक्रिया पर भी चर्चा की गयी है।

अध्याय 2 एवं अध्याय 3 में राज्य कर विभाग (जीएसटी) के लेखापरीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रेक्षणों का वर्णन किया गया है।

#### 1.2 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

अर्जित राजस्व (कर एव कर भिन्न), वर्ष 2022-23 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश का निवल आगम एवं सहायता अनुदान जो भारत सरकार से प्राप्त हुए, का सारांश एवं राज्य शासन के पिछले चार वर्षों के आंकड़े **तालिका 1.1** में वर्णित है:

तालिका 1.1—राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)


स.क.	विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1.	राज्य शासन द्वारा संग्रहित राजस्व					
	स्वयं का कर राजस्व	21,427.26	22,117.85	22,889.20	27,083.73	33,122.30
	विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि का प्रतिशत	7.70	3.22	3.49	18.33	22.30
	कर भिन्न राजस्व	7,703.02	7,933.77	7,136.95	13,851.21	15,248.24
	विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि का प्रतिशत	21.49	3.00	-10.04	94.08	10.09
योग	29,130.28	30,051.62	30,026.15	40,934.93	48,370.54	
2.	भारत सरकारों से प्राप्तियों					
	विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के हिस्सा का निवल आगम	23,458.69	20,205.84	20,337.54	28,570.79	32,358.26
	सहायता अनुदान	12,505.96	13,611.24	12,812.49	10,146.30	13,148.32
योग	35,964.65	33,817.08	33,150.03	38,717.09	45,506.59	
3.	राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियाँ (1+2)	65,094.93	63,868.70	63,176.18	79,652.03	93,877.13
4.	1 का 3 से प्रतिशत	45	47	48	51	52

(स्रोत: छत्तीसगढ़ शासन के सम्बंधित वर्ष के वित्त लेखे)

- राज्य के स्वयं के राजस्व कर में 2018-23 के दौरान बढ़ती प्रवृत्ति दिखाई दी एवं 2022-23 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में 22.30 प्रतिशत की वृद्धि हुई।


- राज्य के कर भिन्न राजस्व में 2018-20 और 2021-23 के दौरान पिछले वर्षों की तुलना में वृद्धि देखी गई, सिवाय 2020-21 के। हालांकि, 2022-23 में पिछले वर्ष की तुलना में 10.09 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई, जो मुख्यतः वानिकी तथा वन्य प्राणी विभाग एवं जल संसाधन विभाग की राजस्व वृद्धि के कारण थी।
- वर्ष 2022-23 के दौरान 52 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियाँ राज्य के स्वयं के स्रोत से प्राप्त हुई जिसमें कर एवं कर भिन्न राजस्व शामिल है। इस दौरान राज्य के संघीय करों एवं शुल्कों तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान का कुल राजस्व में 48 प्रतिशत का योगदान रहा।

राज्य के राजस्व प्राप्तियों के विभिन्न विच्छेदों का चित्रमय प्रदर्शन **चार्ट 1.1** में दर्शाया गया है



### 1.2.1 स्वयं का राजस्व कर

वर्ष 2022-23 के लिए कर राजस्व के विभिन्न विच्छेदों का चित्रमय प्रदर्शन **चार्ट 1.2** में दर्शाया गया है।



अवधि 2018-23 के बजट अनुमान (ब.अ.) एवं संगृहित स्वयं के कर राजस्व की वास्तविक प्राप्तियाँ तालिका 1.2 में दी गई हैं:

तालिका 1.2-शासन द्वारा संग्रहित स्वयं के कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	वर्ष 2022-23 में 2021-22 की तुलना में वास्तविक के अंतर का प्रतिशत
बिक्री व्यापार आदि पर कर	ब.अ.	3,718.42	3,788.30	4,144.86	4,356.89	4,929.32	(+)20.76
	वास्तविक	4,087.72	3,931.37	4,236.04	5,341.10	6,450.02	
राज्य वस्तु एवं सेवा कर <sup>1</sup>	ब.अ.	5,006.65	8,201.70	10,700.92	9,337.61	11,064.45	(+)19.13
	वास्तविक	8,203.41	7,894.82	7,925.01	9,483.48	11,298.13	
राज्य उत्पाद शुल्क	ब.अ.	4,355.00	5,000.00	5,199.72	5,500.00	5,499.99	(+)32.82
	वास्तविक	4,489.03	4,952.36	4,635.80	5,106.61	6,782.70	
विद्युत कर तथा शुल्क	ब.अ.	1,850.00	2,090.00	2,200.00	2,450.00	2,850.00	(+)29.65
	वास्तविक	1,790.27	1,837.00	2,341.41	2,836.05	3,676.97	
स्टाम्प तथा पंजीयन शुल्क	ब.अ.	1,790.00	1,550.00	1,705.00	1,650.00	2,000.00	(+)14.56
	वास्तविक	1,108.46	1,634.63	1,584.94	1,945.36	2,228.63	
माल तथा यात्री कर	ब.अ.	5.63	0.00	3.00	4.17	4.72	(+)24.41
	वास्तविक	54.51	40.51	79.83	47.90	59.59	
वाहन कर	ब.अ.	1,500.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,700.00	(+)27.99
	वास्तविक	1,204.85	1,274.85	1,148.07	1,372.51	1,756.62	
भू-राजस्व	ब.अ.	660.00	700.00	600.00	850.00	950.00	(-)8.57
	वास्तविक	487.57	551.50	937.71	949.94	868.56	
अन्य कर राजस्व <sup>2</sup>	ब.अ.	0.00	0.00	1.5	1.34	1.51	(+)33.33
	वास्तविक	1.44	0.81	0.39	0.78	1.04	
योग	ब.अ.	18,885.70	22,930.00	26,155.00	25,750.01	29,000.00	(+)22.30
	वास्तविक	21,427.26	22,117.85	22,889.20	27,083.73	33,122.26	

(स्रोत: छत्तीसगढ़ शासन के सम्बंधित वर्ष के वित्त लेखे और छत्तीसगढ़ शासन की बजट पुस्तिका के अनुसार बजट अनुमान)

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है की भू-राजस्व के अतर्गत प्राप्तियाँ, राज्य शासन के 2018-20 एवं 2022-23 बजट के अपेक्षित अनुमानों के अनुरूप नहीं रहे लेकिन 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान बजट से अधिक रहे। राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस. जी.एस.टी.) के अतर्गत प्राप्तियाँ बजट अनुमानों 2019-21 से कम रहे लेकिन 2018-19 एवं 2021-23 के दौरान के बजट अनुमानों से अधिक रहे। राज्य वस्तु एवं सेवा कर

1 राज्य वस्तु एवं सेवा कर 01 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर जैसे की केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, औषधीय और शौचालय तैयारी अधिनियम के तहत लगाया गया उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क (सी.वी.डी.), सीमा शुल्क का विशेष अतिरिक्त शुल्क (एस.ए.डी.), राज्य अप्रत्यक्ष कर जैसे की मूल्य संवर्धित कर, केंद्रीय बिक्री कर, मनोरंजन कर एवं कय कर को राज्य वस्तु एवं सेवा कर में शामिल किया गया है।

2 'अन्य' में सम्मिलित वर्ष 2022-23 के दौरान निम्नलिखित राजस्व मदों में वास्तविक प्राप्तियाँ होटल प्राप्ति कर (₹ 62.60 लाख/ब.अ.-₹ 134.90 लाख); आय तथा व्यय पर अन्य कर (₹ 41.5 लाख/ब. अ.-₹ 15.8 लाख); एवं वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क (₹ 0.33 लाख/ब.अ.-₹ 0.50 लाख)।

2018-23 के दौरान राज्य के कर राजस्व का एकल सबसे बड़ा स्रोत रहा। माल तथा यात्री कर 2018-23 के दौरान बजट अनुमान से अधिक रहा जबकि वाहन कर 2018-22 के दौरान अपेक्षित अनुमानों के अनुरूप नहीं रहा लेकिन 2022-23 में बजट अनुमानों से अधिक रहा।

सम्बंधित विभागों द्वारा 2022-23 के राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में भिन्नता के निम्नलिखित कारण बताये गए।

**बिक्री, व्यापार आदि पर कर :** पेट्रोलियम पदार्थ की खपत बढ़ने के कारण 2022-23 के दौरान बिक्री व्यापार आदि पर कर की प्राप्ति 2021-22 की तुलना में 20.76 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

**राज्य वस्तु एवं सेवा कर :** वर्ष 2021-22 की तुलना में 2022-23 में एस.जी.एस.टी. की प्राप्ति में 19.13 प्रतिशत की वृद्धि मुख्यतः करदाताओं की संख्या में वृद्धि एवं अप्रयुक्त आगत कर क्रेडिट की वापसी के कारण हुई।

**राज्य उत्पाद शुल्क :** राज्य उत्पाद शुल्क से राजस्व की 32.82 प्रतिशत की वृद्धि मुख्यतः छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा अवैध मदिरा पर नियंत्रण एवं मदिरा दुकानों के कुशल प्रबंधन के कारण हुई।

**विद्युत कर तथा शुल्क :** पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व कर में 29.65 प्रतिशत की 2022-23 में वृद्धि उद्योग से बकाया वसूलियों की प्राप्ति एवं सभी श्रेणियों में विद्युत टैरिफ की वृद्धि के कारण हुई।

**वाहन कर :** इस मद में 2022-23 के दौरान 27.99 प्रतिशत की वृद्धि मुख्यतः वाहनों के पंजीकरण की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि के कारण हुई।


**माल तथा यात्री कर :** माल तथा यात्री कर 2022-23 में 24 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वृद्धि लंबित बकाया प्राप्त होने के कारण हुई।

**स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क :** कर राजस्व 2022-23 में 14.56 प्रतिशत की वृद्धि दस्तावेजों के पंजीकरण की संख्या पिछले वर्ष 2021-22 की तुलना में अधिक रहने से हुई।

**भू-राजस्व :** पिछले वर्ष 2021-22 की तुलना में 2022-23 में 8.57 प्रतिशत की कमी मुख्यतः सर्वेक्षण एवं निपटान के मामले में कम प्राप्ति के कारण हुई।

### 1.2.2 कर-भिन्न राजस्व

वर्ष 2022-23 के कर-भिन्न राजस्व का विच्छेद चार्ट 1.3 में दर्शाया गया है:



अवधि 2018-23 के दौरान उदग्रहित कर भिन्न राजस्व का विवरण तालिका 1.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.3-शासन द्वारा उदग्रहित कर भिन्न राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2022-23 में 2021-22 की तुलना में अंतर का प्रतिशत
अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	ब.अ.	6,000.00	6,500.00	6,670.00	6,600.00	13,000.0	(+) <b>5.17</b>
	वास्तविक	6,110.24	6,195.73	5,538.49	1,2305.39	12,941.33	
वानिकी तथा वन्य प्राणी	ब.अ.	600.00	600.00	700.00	700.00	500.00	(+) <b>146.77</b>
	वास्तविक	236.73	249.37	277.08	346.90	856.03	
ब्याज प्राप्ति	ब.अ.	132.93	126.83	194.49	314.83	262.66	(+) <b>45.51</b>
	वास्तविक	189.55	232.41	89.77	137.96	200.74	
वृहद सिंचाई	ब.अ.	738.89	791.67	749.94	688.08	688.08	(-) <b>1.27</b>
	वास्तविक	521.81	437.04	445.91	418.17	412.88	
लघु सिंचाई	ब.अ.	302.76	324.39	330.42	317.26	317.26	(+) <b>121.81</b>
	वास्तविक	164.06	287.54	232.72	140.60	311.86	
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	ब.अ.	45.99	44.73	62.10	91.12	99.89	(-) <b>25.79</b>
	वास्तविक	52.86	88.88	95.75	101.53	75.35	
लोक निर्माण कार्य	ब.अ.	43.00	50.00	95.83	54.25	72.59	(-) <b>31.88</b>
	वास्तविक	73.57	45.98	32.23	22.43	15.28	
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	ब.अ.	42.82	28.41	47.34	44.12	51.21	(+) <b>27.96</b>
	वास्तविक	42.10	35.75	35.67	32.91	42.11	

अन्य सामाजिक सेवाएं	ब.अ.	30.00	20.50	11.01	12.69	13.79	(+)239.62
	वास्तविक	8.12	16.73	16.02	7.42	25.20	
शिक्षा, खेल कूद, कला तथा संस्कृति	ब.अ.	28.03	21.20	16.09	22.78	27.90	(-)31.41
	वास्तविक	14.04	14.83	18.63	42.03	28.83	
अन्य कर भिन्न प्राप्तियाँ	ब.अ.	205.58	317.27	337.38	404.82	466.62	(+)14.46
	वास्तविक	289.94	329.51	354.68	295.83 <sup>3</sup>	338.60	
योग	ब.अ.	8,170.00	8,825.00	9,214.60	9,249.95	15,500.00	(+)10.12
	वास्तविक	7,703.02	7,933.77	7,136.95	13,851.17	15,248.21	

(स्रोत: छत्तीसगढ़ शासन के वर्ष 2022-23 वित्त लेखे और छत्तीसगढ़ शासन के वर्ष 2022-23 की बजट पुस्तिका अनुसार बजट अनुमान)

संबंधित विभागों द्वारा 2022-23 के दौरान विगत वर्ष की तुलना में बजट अनुमान एवं वास्तविक प्राप्तियों में अंतर एवं कुछ मामलों में प्राप्तियों में कमी के निम्नलिखित कारण बताये गए।

**अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग:** पिछले वर्ष की तुलना में 5.17 प्रतिशत की वृद्धि मुख्यतः खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2021 के अनुसार लोहा अयस्क पर राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा देय रॉयल्टी की अतिरिक्त राशि (150 प्रतिशत) के कारण हुई।

**वानिकी तथा वन्य प्राणी:** 2022-23 में प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 146.77 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण निर्धारित तिथियों पर लकड़ी की नीलामी से वन उपज की समय पर बिक्री, वन क्षेत्रों में खनिजों और वन उपज के परिवहन के लिए ट्रांजिट पास शुल्क को ₹ 15 से बढ़ाकर ₹ 57 करना और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 18 नवंबर 2022 के आदेशों के अनुसार लंबित खनिज ट्रांजिट पास शुल्क की वसूली थी।

**लघु सिंचाई:** इस मद के तहत प्राप्तियों में 2022-23 में 121.81 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण सतह पर उपलब्ध जल और भूजल से प्राप्तियों में वृद्धि थी।

**लोक निर्माण:** इस शीर्ष के तहत प्राप्तियों में 2022-23 में 31.88 प्रतिशत की कमी आई। प्राप्तियों में कमी का कारण विभाग से मांगा गया। बार-बार अनुस्मारक (अप्रैल 2024, जुलाई 2024, अगस्त 2024 और अक्टूबर 2024) के बावजूद, दिसंबर 2024 तक जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

<sup>3</sup> अन्य कर-भिन्न प्राप्तियों में वर्ष 2022-23 में निम्न मदों में वास्तविक प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं: लाभांश तथा लाभ (₹ 6.20 करोड़); लोक सेवा आयोग (₹ 1.83 करोड़); पुलिस (₹ 47.34 करोड़); जल (₹ 4.27 करोड़); लेखन सामग्री तथा मुद्रण (₹ 3.17 करोड़); पेशन तथा अन्य सेवा निवृत्त लाभों के संबंध में अंशदान और वसूली (₹ 22.17 करोड़); विविध सामान्य सेवायें (₹ 83.45 करोड़); परिवार कल्याण (₹ 0.02 करोड़); जल पूर्ति तथा सफाई (₹ 1.36 करोड़); आवास (₹ 5.36 करोड़); नगर विकास (₹ 31.65 करोड़); सूचना एवं प्रचार (₹ 0.22 करोड़); श्रम तथा रोजगार (₹ 34.92 करोड़); सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण (₹ 9.30 करोड़); फसल कृषि कर्म (₹ 22.56 करोड़); पशुपालन (₹ 6.36 करोड़); मछली पालन (₹ 6.36 करोड़); खाद्य भण्डारण तथा भंडागारण (₹ 1.03 करोड़); सहकारिता (₹ 2.23 करोड़); अन्य कृषि कार्यक्रम (₹ 1.70 करोड़); अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम (₹ 5.98 करोड़); माध्यम सिंचाई (₹ 6.25 करोड़); ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग (₹ 2.70 करोड़); उद्योग (₹ 13.13 करोड़); नगर विमानन (₹ 0.00 करोड़); सड़क तथा पुल (₹ 1.18 करोड़); एवं अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं (₹ 17.83 करोड़)।

**शिक्षा, खेल कूद, कला एवं संस्कृति:** इस मद के तहत पिछले वर्ष की तुलना में 2022–23 के दौरान राजस्व में 31.41 प्रतिशत की कमी आई, जिसका मुख्य कारण सरकारी स्कूलों की प्राप्तियों में कमी थी।

**अन्य कर भिन्न प्राप्तियाँ:** कर भिन्न प्राप्तियों में 2022–23 में 15.98 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण लाभांश और लाभ, पुलिस, विविध सामान्य सेवाएं, श्रम और रोजगार, शहरी विकास, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, और आवास के तहत राजस्व में वृद्धि थी।

### 1.3 लेखा परीक्षा का प्राधिकार

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) के लेखापरीक्षा प्राधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 से 151 एवं नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 (डीपीसी अधिनियम) से व्युत्पन्न होते हैं। नियंत्रक महालेखापरीक्षक सरकार की प्राप्तियों को डीपीसी अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत लेखापरीक्षा करते हैं।

### 1.4 बकाया राजस्व का विश्लेषण

31 मार्च 2023 की स्थिति में छः विभागों<sup>4</sup> का बकाया राजस्व ₹ 8,585.80 करोड़ था जिसमें ₹ 4,371.29 करोड़ (50.91 प्रतिशत) पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया था, जैसा कि तालिका 1.4 में वर्णन किया गया है।

तालिका 1.4—बकाया राजस्व 31 मार्च 2023 की स्थिति में

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	राजस्व शीर्ष	कुल बकाया राशि	पाँच वर्ष से अधिक समय से बकाया राशि	बकाया प्रकरणों के संबंध में विभाग का उत्तर
1.	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	0.77	0.77	विभाग ने कहा है कि खनन अधिकारियों को विशेष अभियान द्वारा बकाया वसूलने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त सचिव खनिज साधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की समीक्षा बैठक में जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि अत्यंत पुराने बकाया राशि के अपलेखन के लिए प्रस्ताव भेजें।
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	56.45	55.28	144 प्रकरणों में राजस्व वसूली प्रमाणपत्र (आर आर सी) जारी किया गया; 28 प्रकरण न्यायालय में लंबित हैं; 22 मामलों में न्यायालय से स्थगन आदेश एवं 13 प्रकरण अन्य में लंबित तथा 67 प्रकरणों में चूक कर्ताओं का चल/अचल सम्पत्ती का विवरण उपलब्ध नहीं था।
3.	वाहन कर	76.46	58.41	वाहनों में तकनीकी खराबी एवं वाहनों के गैर संचालन से कर का भुगतान निश्चित अवधि में नहीं किए जाने से उत्पन्न ब्याज/शास्ति के कारण बकाया सृजित हुई।
4.	विद्युत कर तथा शुल्क	4,545.80	2,129.56	बकाया राजस्व के लिए उपभोक्ताओं को समयबद्ध तरीके से मांग पत्र जारी किए जा रहे हैं। जिन प्रकरणों में वसूली नहीं की जा रही है उन मामलों को सम्बंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में राजस्व वसूली प्रमाणपत्र पंजीबद्ध किया जा रहा है। वर्तमान में सात प्रकरण न्यायालय में लंबित हैं; 19

<sup>4</sup> खनिज साधन; राज्य उत्पाद शुल्क; विद्युत; स्टाम्प तथा पंजीकरण और राज्य कर विभाग।

				प्रकरणों में न्यायालय से स्थगन के आदेश तथा 51 प्रकरण 'अन्य' के अंतर्गत लंबित है।
5.	स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	69.01	54.44	1039 प्रकरणों में राजस्व वसूली प्रमाणपत्र (आर आर सी) जारी किया गया; 109 प्रकरण न्यायालय में लंबित है; 15 मामलों में न्यायालय से स्थगन आदेश एवं दो प्रकरणों में चूक कर्ताओं के चल/अचल सम्पत्ती का विवरण उपलब्ध नहीं है।
6.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	3,837.39	2,072.83	50,198 प्रकरणों में राजस्व वसूली प्रमाणपत्र (आर आर सी) जारी किया गया; ₹ 324.75 करोड़ के प्रकरण न्यायालय में लंबित है; ₹ 1,188.87 करोड़ के मामलों में न्यायालय से स्थगन आदेश; ₹ 418.56 करोड़ के प्रकरणों में चूक कर्ताओं के चल/अचल सम्पत्ती का विवरण उपलब्ध नहीं है।
<b>योग</b>		<b>8,585.80</b>	<b>4,371.29</b>	

(स्रोत: संबंधित विभागों द्वारा जानकारी प्रदाय की गई)

कुछ विभागों, जैसे वन, लोक निर्माण, भू-राजस्व और जल संसाधन, से 31 मार्च 2023 तक बकाया राजस्व की जानकारी लंबित है।

हितधारकों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए रिपोर्ट के प्रारूप और गुणवत्ता में सुधार के हमारे प्रयास में, इस कार्यालय ने राज्य के आठ प्रमुख राजस्व विभागों, जैसे राज्य कर, खनिज साधन, आबकारी, स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण, परिवहन, वन, ऊर्जा और भू-राजस्व से लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व) पर सुझाव मांगे (अगस्त 2025) गये थे। इसके अतिरिक्त विभिन्न स्तरों पर लंबित मामलों का आकलन करने के लिए, जिलेवार/क्षेत्रवार/वृत्तवार राजस्व बकाया का भी अनुरोध किया गया। परंतु केवल खनिज साधन विभाग के द्वारा राजस्व बकाया का जिलावार विवरण प्रदान किया गया एवं अन्य सात विभागों ने आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं की। यह मामला राजस्व विभागों के सचिवों/विभागाध्यक्षों के संज्ञान में भी लाया गया।

उपरोक्त आंकड़ों के अभाव में, प्रत्येक विभाग का जिलेवार/क्षेत्रवार/वृत्तवार विश्लेषण नहीं किया जा सका।

राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सूचना/जानकारी विभागाध्यक्षों के पास आसानी से उपलब्ध हो तथा समय पर लेखापरीक्षा को भी उपलब्ध हो।

## 1.5 लेखापरीक्षा के प्रति शासन/विभागों की प्रतिक्रिया

### 1.5.1 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुसरण सारांश स्थिति

वित्त विभाग द्वारा जारी किये गए निर्देशानुसार, लेखापरीक्षा विधानसभा पटल पर प्रस्तुत होने की तिथि से तीन माह के अन्दर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल कंडिकाओं के व्याख्यात्मक उत्तर (विभागीय टिप्पणी) सभी विभागों को छत्तीसगढ़ के विधानसभा के सचिवालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) के समाप्ति वर्ष 31 मार्च 1999 से 31 मार्च 2021 की 556 कंडिकाओं जिनमें निष्पादन लेखापरीक्षाएँ सम्मिलित है, को राज्य विधानसभा में मार्च 1999 एवं जुलाई 2023 के मध्य प्रस्तुत किया गया।

लोक लेखा समिति द्वारा 1998-99 से 2020-21 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बंधित 227 चुनिंदा कंडिकाओं में से 221 कंडिकाओं पर चर्चा की गई एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के 141 कंडिकाओं पर अनुशंसा दी गयी। परन्तु अप्रैल 2024 की स्थिति में लोक लेखा समिति द्वारा 1998-99 एवं 2020-21 के मध्य दिए गये 75 अनुशंसाओं पर कार्यवाही

टीप प्राप्त नहीं हुए। वर्ष 2022-23 के दौरान लोक लेखा समिति में राजस्व प्रतिवेदनों के 16 कंडिकाओं पर चर्चा की गई।

### 1.5.2 बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

शासकीय विभागों एवं कार्यालयों के लेखापरीक्षा समाप्ति उपरान्त संबंधित कार्यालय प्रमुख को निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किया जाता है तथा उसकी प्रति संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को प्रेषित की जाती है, ताकि उस पर सुधारात्मक कार्यवाही एवं निगरानी की जा सके। गंभीर वित्तीय अनियमिततायें विभाग के प्रमुख और शासन को प्रतिवेदित की जाती हैं।

31 मार्च 2023 तक की जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों के विश्लेषण में पाया गया कि 1994-95 एवं 2022-23 के मध्य जारी 2377 निरीक्षण प्रतिवेदनों की 10,401 कंडिकायें अप्रैल 2024 के अंत तक बकाया थे। विभागवार लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं प्रेक्षणों का विवरण तालिका 1.5 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.5-विभागवार लंबित निरीक्षणों की स्थिति

स. क.	विभाग का नाम	राजस्व की प्रकृति	नि. प्र. का प्रकार	बकाया नि. प्र. की संख्या 2022-23	बकाया लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की संख्या 2022-23
1	स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण	स्टाम्प शुल्क तथा पंजीयन शुल्क	राजस्व	271	835
			व्यय	13	58
2	परिवहन	वाहन कर	राजस्व	209	1,530
			व्यय	69	148
3	वन	वानिकी तथा वन्य प्राणी	राजस्व	1	3
			व्यय	24	1,671
4	राज्य कर विभाग	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	राजस्व	550	3,645
			व्यय	80	117
5	खनिज साधन	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	राजस्व	200	904
			व्यय	77	322
6	आबकारी	राज्य उत्पाद	राजस्व	234	448
			व्यय	41	75
7	भू-राजस्व	भू-राजस्व	राजस्व	599	1,894
			व्यय	50	126
8	ऊर्जा	विद्युत कर तथा शुल्क	राजस्व	25	100
			व्यय	10	23
9	अन्य कर विभाग	अन्य प्राप्तियाँ	राजस्व	288	1,042
			व्यय	1	10
राजस्व				2,377	10,401
व्यय				365	2,550
योग				2,742	12,951

वर्ष 2022-23 के दौरान जारी किये गये 92 निरीक्षण प्रतिवेदनों में से 43<sup>5</sup> निरीक्षण प्रतिवेदनों (46.74 प्रतिशत) के प्रथम उत्तर लेखापरीक्षा को कार्यालय प्रमुख से प्राप्त नहीं हुए हैं।

निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर कार्यवाई न किये जाने से इन प्रतिवेदनों में बताई गई गंभीर वित्तीय अनियमितताओं को जारी रखने का खतरा होता है। इसके साथ ही, इससे शासन प्रक्रिया में आंतरिक नियंत्रणों का कमजोर होना, सार्वजनिक वस्तुओं/सेवाओं की असंगत और अप्रभावी आपूर्ति, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और सार्वजनिक खजाने को नुकसान, होने की संभावना भी बढ़ जाती है।

### 1.5.3 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

शासन द्वारा लेखापरीक्षा समिति की स्थापना निरीक्षण प्रतिवेदन और निरीक्षण प्रतिवेदनों की कंडिकाओं के निराकरण की प्रगति की निगरानी और प्रगति को त्वरित करने के लिए किया जाना है। वर्ष 2022-23 के दौरान शासन द्वारा कोई भी लेखापरीक्षा समिति बैठक आयोजित नहीं की गई।

#### अनुशंसा:

राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर त्वरित और उपर्युक्त प्रतिक्रिया दी जाए, साथ ही उन व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाई की जाए जिनके द्वारा निर्धारित समय सीमा पर निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है।

## 1.6 अभिस्वीकृति

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), छत्तीसगढ़ द्वारा लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान राज्य शासन के अधिकारियों तथा विभिन्न अन्य विभागों द्वारा प्रदत्त सहयोग एवं सहायता के लिए आभार व्यक्त करता है।

<sup>5</sup> वन-20; खनिज साधन-14; परिवहन-5; राज्य आबकारी-1; एवं स्टाम्प तथा पंजीयन-3।

## अध्याय 2

---

निष्पादन लेखापरीक्षा

---

## अध्याय 2

### निष्पादन लेखापरीक्षा

#### राज्य कर (जीएसटी) विभाग

#### 2 “वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल प्रणाली” पर निष्पादन लेखापरीक्षा

##### कार्यकारी सारांश

वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत ई-वे बिल प्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा, ई-वे बिल प्रणाली शासन के राजस्व हितों की रक्षा में प्रभावी है और विभाग की ई-वे बिल प्रावधानों के प्रवर्तन में निवारक/प्रवर्तन संबंधी गतिविधियाँ कुशल एवं प्रभावी हैं, के आकलन के लिए किया गया था। लेखापरीक्षा के दौरान, ई-वे बिल प्रणाली के कॉमन पोर्टल में कमियाँ पाई गईं। ई-वे बिल प्रणाली कॉम्पोजिट करदाताओं को उनकी अंतर्राज्यीय व्यापारिक लेन-देन के लिए ई-वे बिल बनाने, निरस्त किए गए करदाताओं द्वारा ई-वे बिल बनाने, जोखिमयुक्त वाहनों/दो-पहिया वाहनों के माध्यम से किए गए लेन-देन के लिए ई-वे बिल बनाने, निरंक विवरणी (रिटर्न) जमा करने वाले करदाताओं द्वारा ई-वे बिल बनाने, तथा जीएसटी विवरणी जमा न करने वाले करदाताओं द्वारा ई-वे बिल बनाने की अनुमति शामिल है। प्रणाली ने समान/समरूप बीजक के लिए एक से अधिक ई-वे बिल बनाने की भी अनुमति दी। लेखापरीक्षा ने आगे 29 मामलों में अधिनियम/नियम के प्रावधानों के अनुपालन न होने का अवलोकन किया, जिनमें कर देयता का निर्वहन न करने के (20 प्रकरण), अयोग्य इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के लाभ लेने के (चार प्रकरण), तथा आईटीसी के गलत हस्तांतरण के (पाँच प्रकरण) शामिल हैं, जिनका संभावित कर प्रभाव ₹ 20.34 करोड़ है।

पाँच करदाताओं ने जून 2021, अगस्त 2021 और मार्च 2022 के महीनों में ₹ 16.33 करोड़ के आंकलन योग्य मूल्य वाली बाह्य आपूर्तियों के लिए 143 ई-वे बिल बनाये, जिनके विरुद्ध बी-1 प्रतिवेदन अनुसार वाहन का परिवहन दर्ज नहीं था, परंतु सभी बीजकों को जीएसटीआर-1 विवरणी में दर्शाया गया, जिसके परिणामस्वरूप अनियमित इनपुट टैक्स क्रेडिट का हस्तांतरण हुआ। राज्य में 2018-19 से 2021-22 की अवधि के दौरान ₹ 34.77 करोड़ के आंकलन योग्य मूल्य वाली बाह्य आपूर्तियों के लिए 25 ई-वे बिल अपंजीकृत व्यक्तियों द्वारा या उनकी ओर से बनाये गए। चयनित 50 दर्ज ई-वे बिल प्रकरणों में से 30 प्रकरणों में, विभाग द्वारा वाहनों की रोकथाम के दौरान वसूल किए गए कर और शास्ति का समायोजन में 8 दिन से 1981 दिन तक विलंब पाई गई तथा दो प्रकरणों में रोके गए वाहनों से कम कर और शास्ति की वसूली की गई।

#### 2.1 परिचय

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) 01 जुलाई 2017 से लागू किया गया है, जिसमें ‘एक राष्ट्र एक कर’ की परिकल्पना पर आधारित अप्रत्यक्ष करों की एक विस्तृत श्रृंखला समाहित है। जीएसटी व्यवस्था का एक उद्देश्य, प्रक्रियात्मक देरी को कम करके वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही दक्षता में सुधार करना था। इलेक्ट्रॉनिक वे बिल (ई-वे बिल) जीएसटी-पूर्व व्यवस्थाओं में भी मौजूद थे, जिसमें वस्तुओं की आवाजाही को मैनुअल रूप से संचालित (राजस्व) चेक पोस्टों के माध्यम से नियंत्रित किया जाता था। किसी राज्य में प्रवेश करने वाले वस्तु पर ‘प्रवेश कर’ लगाया जाता था, जिसे अब जीएसटी में समाहित कर लिया गया

है। ई-वे बिल<sup>1</sup> को कर प्रशासन के सरकारी निगरानी मॉडल से करदाता द्वारा स्व-प्रत्ययन मॉडल में बदलाव के रूप में परिकल्पित किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया के स्वचालन और मानकीकरण का उद्देश्य कर चोरी को रोकना और जीएसटी संग्रह को बढ़ाना था। ई-वे बिल को गैर-व्यापार बाधाओं को समाप्त करने और पारगमन समय को कम कर आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता बढ़ाने के लिए भी डिजाइन किया गया है।


ई-वे बिल को 01 अप्रैल 2018 से ₹ 50,000 से अधिक मूल्य वाले सभी अंतर-राज्यीय माल के आवाजाही के लिए लागू किया गया। राज्य शासन द्वारा 01 जून 2018 से राज्य के भीतर माल की आंतरिक आवाजाही के लिए निर्धारित सीमा<sup>2</sup> से अधिक मूल्य वाले माल हेतु ई-वे बिल को अनिवार्य कर दिया गया। माल के कंसाइनमेंट से संबंधित जानकारी माल की आवाजाही से पहले प्रस्तुत की जानी होती है, और यह ई-वे बिल आपूर्ति से संबंधित हो या किसी अन्य कारण से हो, दोनों ही स्थितियों में जारी किया जाना आवश्यक है। ई-वे बिल के कार्यान्वयन से संबंधित प्रावधान छत्तीसगढ़ जीएसटी अधिनियम, 2017 (सीजीजीएसटी अधिनियम) की धारा 68 तथा छत्तीसगढ़ जीएसटी नियम, 2017 (सीजीजीएसटी नियम) के नियम 138 (समय-समय पर संशोधित किए गए हैं) में निहित हैं।

## 2.2 विभाग की संगठनात्मक संरचना

छत्तीसगढ़ शासन का राज्य कर-जीएसटी विभाग राज्य भर में राज्य प्रशासित करदाताओं के लिए जीएसटी लागू करने वाला सर्वोच्च इकाई है। विभाग का नेतृत्व शासन स्तर पर सचिव द्वारा किया जाता है। आयुक्त विभाग का प्रमुख होता है, और उनकी सहायता के लिए मुख्यालय स्तर पर प्रशासनिक नियंत्रण एक विशेष आयुक्त<sup>3</sup>, तीन अतिरिक्त आयुक्त, वृत्त कार्यालयों के प्रशासनिक नियंत्रण, कर निर्धारण, प्रकरणों की निगरानी और निपटान के लिए संभागीय कार्यालयों में पाँच संयुक्त आयुक्त<sup>4</sup> और 30 वृत्त कार्यालयों<sup>5</sup> में सहायक आयुक्त का सहयोग प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त, कर चोरी की रोकथाम के लिए संयुक्त आयुक्त (प्रवर्तन) के नेतृत्व में दो संभागीय कार्यालय (प्रवर्तन) और संभाग में अपील प्रकरणों के निपटान के लिए संयुक्त आयुक्त (अपील) के नेतृत्व में तीन संभागीय कार्यालय (अपील) हैं। विभाग का संगठनात्मक चार्ट नीचे चार्ट-2.1 में दिया गया है:

- 1 ई-वे बिल (प्रपत्र जीएसटी ई-वे बिल 01) माल की आवाजाही के लिए आवश्यक एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है। ई-वे बिल के भाग-अ में आपूर्तिकर्ता, प्राप्तकर्ता, आपूर्ति का स्थान, दस्तावेज, नामकरण की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली (एचएसएन), मान का मूल्य आदि का विवरण शामिल है, जबकि भाग-ब में परिवहन/वाहन का विवरण है।
- 2 छत्तीसगढ़ में 1 जून 2018 से राज्यंतर्गत आवाजाही सीमा ₹ 50,000 है।
- 3 बिलासपुर।
- 4 संभाग 1 एवं 2 बिलासपुर, संभाग 1 एवं 2 रायपुर एवं दुर्ग।
- 5 अंबिकापुर, भाटापारा, धमतरी, जांजगीर, कवर्धा, महासमुंद, मनेन्द्रगढ़, राजनांदगांव, वृत्त 1 से 3 बिलासपुर, वृत्त 1 से 4 दुर्ग, वृत्त 1 एवं 2 जगदलपुर, वृत्त 1 एवं 2 कोरबा, वृत्त 1 एवं 2 रायगढ़, और वृत्त 1 से 9 रायपुर।

चार्ट-2.1 : विभाग का संगठनात्मक संरचना



ई-वे बिल (आपूर्ति के लिए प्रभावी) को सामान्य करदाताओं द्वारा जीएसटीआर-1 विवरणी<sup>6</sup> तथा कंपोजिट करदाता<sup>7</sup> द्वारा जीएसटीआर-4/जीएसटी-सीएमपी-08 विवरणी<sup>8</sup> के अंतर्गत आमतौर पर दर्शाए जाते हैं, और सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 61 के तहत वृत्त अधिकारियों द्वारा सत्यापित किया जाना आवश्यक है।

### 2.3 ई-वे बिल के लिए प्रयुक्त सूचना प्रणाली

ई-वे बिल कॉमन पोर्टल ([www-ewaybillgst.gov.in](http://www-ewaybillgst.gov.in)) का प्रबंधन कर्नाटक स्थित राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा किया जाता है। फरवरी 2020 में, ई-वे बिल पोर्टल को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वाहन प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है ताकि ई-वे बिल बनाने के समय वाहन पंजीकरण संख्या को सत्यापित किया जा सके। 01 जनवरी 2021 से फास्टैग प्रणाली को ई-वे बिल प्रणाली के साथ एकीकृत कर दिया गया है। ई-वे बिल कॉमन पोर्टल पर, ई-वे बिल बनाना, विस्तार, निरस्तीकरण और अस्वीकृति के उद्देश्य से करदाताओं का एक बार पंजीकरण आवश्यक है। उपयुक्त अधिकारी ई-वे बिल पोर्टल का उपयोग दो माध्यमों से कर सकते हैं:— (i) वेब ब्राउजर के माध्यम से ई-वे बिल कॉमन पोर्टल में दिए गए क्रेडेंशियल लॉगिन का उपयोग करके लॉग इन करना या (ii) जीएसटी ई-वे बिल प्रणाली मोबाइल ऐप में लॉगिन करना। उपयुक्त अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों में ई-वे बिलों का सत्यापन, ई-वे बिलों का अनब्लॉक<sup>9</sup> करना, एमआईएस प्रतिवेदन देखना और उन तक पहुंच प्राप्त करना आदि शामिल हैं, ताकि करदाता द्वारा दर्शाए गए कर योग्य टर्नओवर के सापेक्ष में कर योग्य वस्तुओं की आवाजाही की निगरानी की जा सके।

6 मासिक विवरणी में सामान्य करदाता द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली बाह्य आपूर्ति का विवरण होता है।  
 7 कंपोजिशन योजना के तहत करदाता द्वारा विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर लागू नियमित जीएसटी दरों के बजाय अपने टर्नओवर के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में जीएसटी का भुगतान करते हैं।  
 8 त्रैमासिक विवरणी में कंपोजिट करदाता द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली बाह्य आपूर्ति का विवरण होता है।  
 9 करदाता द्वारा डिफॉल्ट अवधि के लिए विवरणी दाखिल करने की स्थिति में क्षेत्राधिकार वाले अधिकारी द्वारा ई-वे बिल उत्पादन सुविधा को अनब्लॉक किया जा सकता है।

## 2.4 ई-वे बिल प्रणाली में शामिल प्रक्रियाएं

ई-वे बिल सिस्टम में विभिन्न प्रक्रियाएं शामिल हैं जैसे पोर्टल में आवश्यक व्यक्तियों का नामांकन, ई-वे बिल बनाना, विस्तार, तैयार ई-वे बिल को निरस्त करना और अस्वीकार करना, जिनकी चर्चा निम्नलिखित कंडिकाओं में की गई है।

### 2.4.1 पोर्टल में पंजीयन

जीएसटी पंजीकृत व्यक्तियों, परिवहनकर्ता और अपंजीकृत व्यक्तियों/नागरिकों को ई-वे बिल बनाने के लिए आवश्यक विवरण जैसे राज्य, जीएसटीआईएन, वैधानिक नाम, पैन, मोबाइल नंबर, आदि प्रदान करके ई-वे बिल पोर्टल में खुद को नामांकित करना आवश्यक है। अपंजीकृत परिवहनकर्ताओं, जो अपने ग्राहकों के लिए माल की आवाजाही करते हैं, को ई-वे बिल पोर्टल पर पंजीयन कराना होगा और 15 अंकों की विशिष्ट परिवहनकर्ता आईडी प्राप्त करनी होगी।

### 2.4.2 ई-वे बिल बनाना

ई-वे बिल को फॉर्म जीएसटी ई-वे बिल-01 के भाग-ए में विवरण प्रस्तुत करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से तैयार किया जा सकता है (1) प्रेषक द्वारा, या (2) प्रेषक द्वारा प्राधिकरण के प्रकरण में परिवहनकर्ता द्वारा या यदि प्रेषक एक अपंजीकृत व्यक्ति है, या (3) प्राप्तकर्ता द्वारा। फॉर्म जीएसटी ई-वे बिल-01 के भाग-बी को परिवहनकर्ता द्वारा परिवहन से संबंधित जानकारी प्रदान करके अद्यतन किया जाना है। एकाधिक कंसाइनमेंट के लिए बनाये गये एकाधिक ई-वे बिल के प्रकरण में समेकित ई-वे बिल को फॉर्म जीएसटी ई-वे बिल-02 में तैयार किया जा सकता है, लेकिन एक ही वाहन में परिवहन किया गया हो।

### 2.4.3 ई-वे बिल की वैधता

ई-वे बिल की वैधता उसकी दूरी और माल के प्रकार पर निर्भर करती है, जिसे परिवहन किया जाना है। वैधता की गणना उस दिनांक से की जाती है जिस दिन ई-वे बिल बनाया जाता गया हो (प्रासंगिक दिनांक), और यह वैधता की अवधि उस दिन की मध्यरात्रि तक मानी जाती है जो ई-वे बिल की बनाई गई तारीख के तुरंत अगले दिन समाप्त होती है।

### 2.4.4 ई-वे बिल का विस्तार

वैधता उन परिस्थितियों में बढ़ाई जा सकती है, जिनमें माल को वैधता अवधि समाप्त होने के समय से आठ घंटे के भीतर परिवहन नहीं किया जा सकता है।

### 2.4.5 ई-वे बिल को निरस्त करना

जहां ई-वे बिल सीजीजीएसटी नियम, 2017 के तहत तैयार किया गया है, लेकिन माल का परिवहन नहीं किया गया है या ई-वे बिल में दिए गए विवरण के अनुसार परिवहन नहीं किया गया है, तो इसे तैयारकर्ता द्वारा तैयार करने के 24 घंटे के भीतर सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से निरस्त किया जा सकता है। हालांकि, ऐसे ई-वे बिल को निरस्त नहीं किया जा सकता है जिसे नियम 138बी के प्रावधानों के अनुसार पारगमन में सत्यापित किया गया है।

### 2.4.6 ई-वे बिल की अस्वीकृति

तैयार ई-वे बिल का विवरण आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचित किया जाएगा, और मालवाहक को परिवहन किए जा रहे माल की अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति को संप्रेषित करना आवश्यक है। यदि मालवाहक उक्त प्रेषण के 72 घंटे या माल की डिलीवरी के समय जो भी पहले हो, के भीतर अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति को संप्रेषित नहीं करता है, तो ई-वे बिल को स्वीकार किया गया माना जाएगा।

## 2.5 लेखापरीक्षा उद्देश्य

जीएसटी के तहत ई-वे बिल प्रणाली पर यह निष्पादन लेखापरीक्षा यह पता लगाने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी कि क्या:

- (i) ई-वे बिल प्रणाली/तंत्र शासन के राजस्व हितों की रक्षा करने में प्रभावी है।
- (ii) ई-वे बिल प्रावधानों को लागू करने में विभाग की निवारक/प्रवर्तन गतिविधियाँ कुशल और प्रभावी हैं।

## 2.6 लेखापरीक्षा मानदंड

जीएसटी के तहत ई-वे बिल प्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त किए गए हैं:

- सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 10, 17, 25, 29, 37, 39, 44, 68, 73, 74, 129, 130, आदि।
- सीजीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 59, 60, 61, 62, 80, 138, आदि।
- जीएसटी परिषद द्वारा अधिकृत अधिसूचनाएं/ परिपत्र/ निर्देश और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) और राज्य कर-जीएसटी विभाग (एसटीडी), छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी किए गए, और
- एनआईसी, सीबीआईसी और एसटीडी द्वारा जारी किए गए परामर्श/मानक संचालन प्रक्रियाएं।

## 2.7 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली

ई-वे बिल पोर्टल में पंजीकृत व्यक्तियों के 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2022 की अवधि से संबंधित ई-वे बिल लेनदेन को शामिल किया गया। लेखापरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षा उद्देश्यों के संदर्भ में जीएसटी व्यवस्था में ई-वे बिल प्रणाली के समग्र प्रदर्शन का परीक्षण किया गया। लेखापरीक्षा अवधि के लिए ई-वे बिल के डेटा (तैयार) को वस्तु और सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) से निकाला गया है और उसका विश्लेषण किया गया है। इस लेखापरीक्षा के लिए केवल सड़क मार्ग से वाहनों की आवाजाही पर विचार किया गया और रेलवे/हवाई मार्ग से माल की आवाजाही को इस लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र से बाहर रखा गया।

लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र में ई-वे बिल के संदर्भ में विभाग के निवारक/प्रवर्तन कार्यों का मूल्यांकन भी शामिल था, जैसे वाहनों को रोकना, दस्तावेजों का सत्यापन, माल का निरीक्षण और उस पर की गई कार्रवाई।

28 मार्च 2023 को सचिव, राज्य कर-जीएसटी विभाग, छत्तीसगढ़ के साथ प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्य, नमूना चयन, लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई। लेखापरीक्षा अप्रैल से दिसंबर 2023 के मध्य किया गया था। निष्पादन लेखापरीक्षा की मसौदा प्रतिवेदन 26 जून 2024 को शासन को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजी गई थी, साथ ही लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा करने के लिए एक बर्हिगमन सम्मेलन आयोजित करने का अनुरोध किया गया था, जिन्हें प्रतिवेदन में शामिल किया गया था। शासन का उत्तर 18 अक्टूबर 2024 को प्राप्त हुआ और बर्हिगमन सम्मेलन 05 दिसंबर 2024 को आयोजित की गई। शासन के उत्तर और टिप्पणियों को प्रासंगिक कांडिका में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

## 2.8 लेखापरीक्षा नमूनाकरण

इस निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए एक समस्या-केंद्रित दृष्टिकोण का प्रयास किया गया है क्योंकि जीएसटी के तहत ई-वे बिल बनाने की सीमा के अधीन किसी भी माल की आवाजाही से पहले की आवश्यक शर्त है। लेखापरीक्षा उद्देश्य-1 के लिए चिन्हित किये गए प्रमुख समस्या क्षेत्रों (केपीए)/जोखिम आयामों के आधार पर विकसित किए गए थे। शासन के

लिए राजस्व प्राप्ति में बाधा डालने वाले केपीए **परिशिष्ट-2.1** में दिए गए हैं। पांच वृत्तों<sup>10</sup> के 30 करदाताओं के कुल 80 प्रकरणों को नमूने के रूप में लिया गया। नमूनों का चयन भारत-जोखिम दृष्टिकोण के आधार पर किया गया था। इसके अलावा, पांच वृत्तों<sup>11</sup> के छह ई-वे बिल का एक नमूना भी चुना गया है जिसमें पांच प्रेषक शामिल हैं, जिनके पास समान स्थायी खाता संख्या (पैन) वाले प्राप्तकर्ताओं के साथ लेनदेन थे और एक प्राप्तकर्ता जिसने एक समान पैन वाले प्रेषक के साथ लेनदेन किया था।

इसके अलावा, राज्य क्षेत्राधिकार में आने वाले करदाताओं के संबंध में ई-वे बिल से संबंधित डेटाबेस से पांच केपीए (**कंडिका 2.11.5** की **तालिका-2.8** में दर्शाए गए) पर आधारित नमूनों का एक बड़ा सेट भी चुना गया था।

लेखापरीक्षा उद्देश्य-2 ने प्रवर्तन/निवारक गतिविधियों से जुड़ी समस्याओं का मूल्यांकन किया, जैसे परिचालन तैयारी, कर चोरी विरोधी उपायों की प्रभावशीलता और विभागांतर्गत और अंतर-विभागीय समन्वय। लेखापरीक्षा उद्देश्य-2 के लिए, राज्य में मौजूद एक निवारक इकाई को लिया गया था। इसके अलावा, विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए स्तरीकृत विधि (उनके द्वारा सत्यापित प्रकरणों के राशि के आधार पर) द्वारा निवारक इकाई से 603 में से 50 प्रकरणों को नमूने के रूप में लिया गया। इसके अलावा, 12 अपंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं द्वारा तैयार अतिरिक्त 25 ई-वे बिल जिनका कर योग्य मूल्य ₹ 40 लाख (छत्तीसगढ़ के लिए उच्चतम पंजीकरण सीमा) से अधिक है, का भी चयन किया गया ताकि विभाग द्वारा अपंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं के संबंध में माल की आवाजाही की निगरानी की पुष्टि और सत्यापन किया जा सके और उन्हें पंजीकृत करने के लिए कार्रवाई शुरू की जा सके।

## 2.9 ई-वे बिल आंकड़ों की प्रवृत्ति

लेखा परीक्षा अवधि (2018-19 से 2021-22) के दौरान राज्याधिकार के करदाताओं द्वारा कुल 95.92 लाख ई-वे बिल ₹ 4,73,042.64 करोड़ के मूल्य के लिए उत्पन्न किए गए, जिनमें से 0.06 लाख ई-वे बिल ₹ 487.96 करोड़ के लिए निरस्त किए गए। इसके अतिरिक्त, ₹ 2.76 लाख ई-वे बिलों की वैधता बढ़ाई गई और ₹ 0.02 लाख ई-वे बिलों को प्राप्तकर्ताओं द्वारा अस्वीकृत किया गया। राज्य में 2018-19 से 2021-22 की अवधि के दौरान ई-वे बिलों के सृजन, विस्तार, निरस्तीकरण और अस्वीकृति के संदर्भ में समग्र प्रवृत्ति **तालिका-2.1** में दी गई है तथा नीचे चित्रात्मक प्रस्तुति में दर्शाई गई है।

तालिका 2.1-2018-19 से 2021-22 के दौरान ई-वे बिल का उपयोग

(₹ करोड़ में)


वर्ष	ई-वे बिल बनाना		ई-वे बिल का विस्तार		ई-वे बिल का निरस्तीकरण		ई-वे बिल की अस्वीकृति	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2018-19	23,88,254	1,00,588.01	10,821	400.28	2,942	178.59	1,065	60.61
2019-20	22,98,079	1,00,836.91	47,660	1,686.67	1,290	108.81	503	29.66
2020-21	23,52,737	1,10,110.40	69,358	2,508.72	1,077	98.25	392	26.57
2021-22	25,53,075	1,61,507.32	1,48,377	8,217.54	1,077	102.31	203	18.18
<b>योग</b>	<b>95,92,145</b>	<b>4,73,042.64</b>	<b>2,76,216</b>	<b>12,813.21</b>	<b>6,386</b>	<b>487.96</b>	<b>2163</b>	<b>135.02</b>

(स्रोत: जीएसटीएन द्वारा उपलब्ध डेटा)

<sup>10</sup> वृत्त-3, 5, 7, 8 और 9 (रायपुर)।

<sup>11</sup> अंबिकापुर, वृत्त-2 (बिलासपुर), वृत्त-1 (दुर्ग), वृत्त-9 (रायपुर) और राजनांदगांव।

चार्ट-2.2: 2018-19 से 2021-22 के दौरान तैयार ई-वे बिल के परिवहन का माध्यम



(स्रोत: जीएसटीएन द्वारा उपलब्ध डेटा)

## 2.10 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा उद्देश्य-1 से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों को दो व्यापक परिप्रेक्ष्यों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात् प्रणालीगत मुद्दे और अनुपालन मुद्दे। प्रणालीगत मुद्दों का उद्देश्य ई-वे बिल प्रणाली की पर्याप्तता और प्रभावशीलता से संबंधित कमियों को सामने लाना है, जबकि अनुपालन मुद्दे अधिनियम/नियमों/आदेशों आदि के विचलन से संबंधित हैं। लेखापरीक्षा उद्देश्य-2 से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों में विभाग की निवारक/प्रवर्तन गतिविधियों की प्रभावशीलता पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल हैं। विश्लेषण के परिणाम नीचे दिए गए हैं:

### 2.10.1 अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण कार्यक्षेत्र की सीमा

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) के डीपीसी अधिनियम 1971 की धारा 16 में प्राप्तियों के लेखापरीक्षा के संबंध में सीएजी के लेखापरीक्षा अधिदेश को निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, सीएजी के डीपीसी अधिनियम 1971 की धारा 18(2) कार्यालयों विभागों पर सूचना के अनुरोधों का यथासंभव पूर्ण रूप से और सभी उपयुक्त गति के साथ अनुपालन करने का वैधानिक कर्तव्य लगाती है।

इस संबंध में, सीबीआईसी के अध्यक्ष ने बोर्ड के डीओ पत्र एफ.सं.232/विविध डीएपी/2018-सीएक्स-7, दिनांक 26 अप्रैल 2018 के माध्यम से केंद्रीय जीएसटी कार्यालयों के प्रधान मुख्य आयुक्तों/मुख्य आयुक्तों को पूर्ण और व्यापक जानकारी प्राप्त करके और प्रदान करके लेखापरीक्षा के दौरान सीएजी के साथ सहयोग करने के संबंध में निर्देश भी जारी किए हैं। हालाँकि, छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा अभी तक इस प्रकार के निर्देश जारी किया जाना शेष है।

इस निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने आयुक्त कार्यालय रायपुर के तहत नौ चयनित वृत्तों को 2018-19 से 2021-22 की अवधि के लिए ई-वे बिल और जीएसटी विवरणी से संबंधित जानकारी और अभिलेख की मांग की गई। इसके अलावा, करदाताओं द्वारा तैयार आवक/जावक ई-वे बिल की सूची, ई-वे बिल से संबंधित बीजक, ट्रक/लॉरी रसीदें, ई-वे बिल से संबंधित अवधि के लिए वार्षिक खाते/लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, बीजक के साथ खरीद, बिक्री विवरण, स्टॉक सूची, जीएसटीआर-2ए/2बी की प्रति, आदि जैसे चयनित करदाताओं के अतिरिक्त अभिलेख भी मांगे गए ताकि जीएसटी का उपयुक्त निर्वहन, आईटीसी का लाभ, आनुपातिक आवक/जावक आपूर्ति अनुपात आदि पहलुओं की जांच की जा सके।

मांग और अनुवर्ती कार्रवाई के बावजूद, अधिकार क्षेत्र वाले वृत्तों ने चयनित 36 करदाताओं में से 32 करदाताओं से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए।

**अभिलेख प्रस्तुत न करना:** वृत्तवार अभिलेख का प्रस्तुत न करना निम्नलिखित **तालिका-2.2** में संक्षेपित है। अभिलेख प्रस्तुत न करना की प्रकरण-वार सूची **परिशिष्ट-2.2** में दी गई है।

तालिका 2.2—अभिलेख प्रस्तुत न करना

स. क्र.	वृत्त	नमूना	प्रस्तुत न करना	अभिलेख प्रस्तुत न करने का प्रतिशत
		करदाता की संख्या	करदाता की संख्या	
1	वृत्त-3, रायपुर	12	11	92
2	वृत्त-5, रायपुर	09	08	89
3	वृत्त-7, रायपुर	03	03	100
4	वृत्त-8, रायपुर	05	05	100
5	वृत्त-9, रायपुर	02	02	100
6	वृत्त-1, दुर्ग	01	01	100
7	वृत्त-2, बिलासपुर	02	01	50
8	वृत्त राजनांदगांव	01	01	100
9	वृत्त अंबिकापुर	01	0	0
<b>योग</b>		<b>36</b>	<b>32</b>	<b>89</b>

इस प्रकार, विभाग ने 89 प्रतिशत नमूनों से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए और इनका लेखापरीक्षा केवल जीएसटीएन/ई-वे बिल पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर किया गया। अभिलेखों का प्रस्तुत न किया जाना/आंशिक प्रस्तुतिकरण लेखापरीक्षा की निर्बाध पहुंच में बाधक रहा और लेखापरीक्षा प्रक्रिया को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया।

इंगित किये जाने पर (जून 2024) शासन ने कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया।

बर्हिगमन सम्मेलन (दिसंबर 2024) के दौरान सचिव ने कहा कि अभिलेख प्रस्तुत किए जाएंगे।

**अनुशंसा क्रमांक 1:** विभाग सीबीआईसी द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप अभिलेख समय पर प्रस्तुत करने के लिए अपने क्षेत्रीय संरचनाओं को निर्देश जारी कर सकती है।

शासन के राजस्व हितों की रक्षा के लिए ई-वे बिल तंत्र की प्रभावशीलता से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्ष।

### 2.11 मूल लेखापरीक्षा निष्कर्ष

करदाताओं के कर अनुपालन की जांच के लिए ई-वे बिल को आधार बनाया गया। चयनित 80 ई-वे बिल में से, प्रत्येक केपीए के अंतर्गत लेखापरीक्षा निष्कर्षों के धनराशि के संदर्भ में शीर्ष पांच प्रकरण नीचे **तालिका-2.3** में दिए गए हैं:

तालिका 2.3—धनराशि के संदर्भ में शीर्ष पांच प्रकरण

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	जीएसटीआईएन	वृत्त	समाहित कर राशि	समाहित केपीए की संख्या
1.	22XXXXXXXXXXXXZH	रायपुर-3	9.83	1
2.	22XXXXXXXXXXXXZG	रायपुर-3	2.31	5
3.	22XXXXXXXXXXXXZP	रायपुर-5	1.69	2
4.	22XXXXXXXXXXXXZC	रायपुर-3	1.15	4
5.	22XXXXXXXXXXXXZF	रायपुर-8	1.12	3

लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए प्रणालीगत मुद्दों पर प्रत्येक केपीए के अंतर्गत कंडिका 2.11.1.1 से 2.11.1.6 में चर्चा की गई है, ताकि पहचाने गए जोखिमों के प्रभाव को उजागर किया जा सके और सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अनुशंसा की जा सकें। राजस्व प्रभाव वाले मूल लेखापरीक्षा के परिणाम कंडिका 2.11.2.1 से 2.11.2.2 में दिए गए हैं, साथ ही विभाग द्वारा अलग-अलग प्रकरणों में आगे की कार्रवाई करने के लिए प्रकरणवार विवरण भी दिए गए हैं।

### 2.11.1 प्रणालीगत मुद्दे

लेखापरीक्षा ने यह पता लगाने का प्रयास किया कि क्या मौजूदा प्रणालियाँ और नियंत्रण ई-वे बिल प्रणाली से संबंधित सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त थे। इस संबंध में की गई टिप्पणियों की चर्चा निम्नलिखित कंडिकाओं में गई है:

#### 2.11.1.1 अपात्र करदाताओं का कंपोजिशन योजना के अंतर्गत जारी रहना

सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 10 (1) के अनुसार, एक पंजीकृत व्यक्ति जिसका पिछले वित्तीय वर्ष में कुल टर्नओवर निर्धारित सीमा<sup>12</sup> से अधिक नहीं था, वह कंपोजिशन योजना के तहत कर का भुगतान करने का विकल्प चुन सकता है। सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 10(3) के अनुसार, पंजीकृत व्यक्ति द्वारा कंपोजिशन योजना के लिए लिया गया विकल्प उस दिन से समाप्त हो जाएगा, जिस दिन किसी वित्तीय वर्ष के दौरान उसका कुल टर्नओवर निर्दिष्ट सीमा से अधिक हो जाता है। हालांकि, सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 10(2)(सी) में प्रावधान है कि यदि कोई करदाता माल की किसी अंतर-राज्यीय बाह्य आपूर्ति में लगा हुआ है, तो वह कंपोजिशन योजना का विकल्प चुनने के लिए पात्र नहीं होगा।

सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 61 के अनुसार करदाताओं द्वारा दाखिल किए गए विभिन्न विवरणी की जांच उपयुक्त अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए ताकि विवरणी की सत्यता की पुष्टि की जा सके और विवरणी में दर्शाई गई किसी भी विसंगति या असंगतता पर उपयुक्त कार्यवाई की जा सके। इस उद्देश्य के लिए नामित उपयुक्त अधिकारी वृत्त अधिकारी होता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 द्वारा कंपोजिट करदाताओं द्वारा अंतर-राज्यीय जावक आपूर्ति पर रोक लगाने के बावजूद, ई-वे बिल प्रणाली कंपोजिट करदाताओं द्वारा अंतर-राज्यीय आपूर्ति के लिए ई-वे बिल तैयार करने को नहीं रोक सकी।

<sup>12</sup> कंपोजिशन योजना के लिए पात्र बनने हेतु प्रति वर्ष निर्धारित सीमा 01 अप्रैल 2018 से 31 जनवरी 2019 के बीच की अवधि के लिए एक करोड़ रुपये तथा उसके बाद ₹ 1.5 करोड़ थी।

यह देखा गया कि दो वृत्तों<sup>13</sup> के दो कंपोजिट करदाताओं ने दो ई-वे बिल के माध्यम से वस्तुओं की अंतर-राज्यीय जावक आपूर्ति की थी। इस प्रकार, ई-वे बिल प्रणाली इन समग्र करदाताओं द्वारा अंतर-राज्यीय आपूर्ति के लिए ई-वे बिल तैयार करने को रोकने में विफल रही। हालांकि, आगे सत्यापन पर पाया गया कि एक करदाता (जीएसटीआईएन 22XXXXXXXXXXZL) का पंजीकरण 01 अक्टूबर 2019 को उपयुक्त अधिकारी द्वारा स्वतः निरस्त कर दिया गया था, जबकि दूसरा करदाता निरंतर कंपोजिट योजना के अंतर्गत थे। इनका विवरण **परिशिष्ट-2.3** में दिया गया है। कर प्रभाव की चर्चा **कंडिका 2.11.2** में की गई है।

इंगित किये जाने पर (जून 2024) शासन ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2024) कि एक प्रकरण (जीएसटीआईएन 22XXXXXXXXXXZ3) में ₹ 0.17 करोड़ (ब्याज और शास्ति सहित) का डीआरसी-07 जारी किया गया, और दूसरे प्रकरण (जीएसटीआईएन 22XXXXXXXXXXZL) में उत्तर दिया गया कि करदाता एक कंपोजिट डीलर था और माल की वापसी के लिए ई-वे बिल तैयार किया गया था। हालांकि उत्तर के साथ, क्रय वापसी का सबूत जैसे क्रय देयक, क्रेडिट नोट/डेबिट नोट प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

बर्हिगमन सम्मेलन (दिसंबर 2024) के दौरान, सचिव ने कहा कि निराकृत प्रकरणों से संबंधित वांछित अभिलेख जो आगे नहीं बढ़ाये जा रहे हैं, अविलंब प्रदान किए जाएंगे। आगे कहा गया कि अन्य प्रकरणों की नवीनतम स्थिति प्रस्तुत की जाएगी।

#### एक उदाहरणात्मक प्रकरण का विवरण नीचे दिया गया है:

वृत्त-3, रायपुर के अंतर्गत पंजीकृत एक करदाता (जीएसटीआईएन 22XXXXXXXXXXZ3) ने अंतर-राज्यीय जावक आपूर्तियों के लिए अक्टूबर 2018 में ₹ 2.90 लाख का एक ई-वे बिल तैयार किया था, हालांकि करदाता सितंबर 2017 से आज तक कंपोजिशन योजना के अंतर्गत थे। इस प्रकार, करदाता अक्टूबर 2018 से सामान्य दर पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था, हालांकि वह निरंतर कंपोजिशन योजना के अंतर्गत थे।

अनुशंसा क्रमांक 2: अंतर-राज्यीय जावक आपूर्ति के लिए ई-वे बिल तैयार करने हेतु कंपोजिट लेवी योजना करदाता को रोकने के लिए ई-वे बिल प्रणाली में आवश्यक सत्यापन नियंत्रण को शामिल किया जाना चाहिए।

#### 2.11.1.2 निरस्त करदाताओं द्वारा ई-वे बिल बनाना

सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 63 के अनुसार जहां एक कर योग्य व्यक्ति जिसका पंजीकरण निरस्त कर दिया गया है, लेकिन जो कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था, उपयुक्त अधिकारी अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार ऐसे कर योग्य व्यक्ति की कर देयता का आकलन करने के लिए आगे बढ़ सकता है। एक निरस्त करदाता ई-वे बिल तैयार नहीं कर सकता है, क्योंकि वह विवरणी दाखिल किए बिना आईटीसी हस्तांतरित कर देगा, जिसके परिणामस्वरूप कर का भुगतान नहीं होगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि ई-वे बिल पोर्टल ने निरस्त करदाता द्वारा ई-वे बिल तैयार करने की अनुमति दी थी। यह देखा गया कि, तीन वृत्तों<sup>14</sup> के सात करदाताओं ने जीएसटी पंजीकरण निरस्त होने की प्रभावी तिथि के बाद 55 ई-वे बिल बनाये थे। इसके अलावा, चार करदाता जिन्होंने बाह्य आपूर्ति की थी, उन्होंने अपनी कर देयता का निर्वहन नहीं किया था। हालांकि, विभाग ने अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत कर देयता का आकलन नहीं किया और इस प्रकार शासन के राजस्व हितों की रक्षा नहीं की जा सकी। इनका विवरण **परिशिष्ट-2.4** में दिया गया है। कर प्रभाव पर **कंडिका 2.11.2** में चर्चा की गई है।

<sup>13</sup> वृत्त-3 और 5 (रायपुर)।

<sup>14</sup> वृत्त-3, 5 और 8 (रायपुर)।

इसे इंगित किये जाने पर (जून 2024) शासन ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2024) कि छह प्रकरणों में ₹ 18.61 करोड़ (ब्याज और शास्ति सहित) के डीआरसी-07/डीआरसी-01 जारी किए गए हैं और शेष एक प्रकरण में एएसएमटी-10 जारी किया गया है।

बर्हिगमन सम्मेलन (दिसंबर 2024) के दौरान सचिव ने कहा कि प्रकरणों की नवीनतम स्थिति प्रस्तुत की जाएगी।

**एक उदाहरणात्मक प्रकरण का विवरण नीचे दिया गया है:**

वृत्त-8, रायपुर के अंतर्गत पंजीकृत एक करदाता (जीएसटीआईएन 22XXXXXXXXXXZF) ने जनवरी और फरवरी 2019 के दौरान ₹ 38.86 लाख के दो ई-वे बिल बनाए थे, लेकिन 25 जनवरी 2019 से उपयुक्त अधिकारी द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए उनका पंजीकरण निरस्त कर दिया गया। इस प्रकार, ई-वे बिल पंजीकरण निरस्त करने की प्रभावी तिथि के बाद बनाए गए थे।

**अनुशंसा क्रमांक 3: निरस्त किए गए करदाताओं द्वारा ई-वे बिल बनाने पर रोक लगाने के लिए ई-वे बिल प्रणाली में आवश्यक सत्यापन नियंत्रण को शामिल किया जाना चाहिए।**

### 2.11.1.3 समान/समरूप बीजक पर एकाधिक ई-वे बिल का बनाना

सीजीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 46 (बी) के अनुसार पंजीकृत व्यक्ति द्वारा एक कर बीजक जारी किया जाएगा जिसमें लगातार सरल संख्या होगा, जो सोलह अक्षरों से अधिक नहीं होगा, जो एक वित्तीय वर्ष के लिए अद्वितीय होगा। एनआईसी द्वारा जारी उपयोगकर्ता मैनुअल के पैरा 5-1 के अनुसार, ई-वे बिल बनाते समय करदाता को माल से संबंधित विशिष्ट दस्तावेज संख्या दर्ज करना आवश्यक है। बीजक संख्या आपूर्ति से संबंधित कंसाइनमेंट के संबंध में विशिष्ट अभिलेख संख्या है। इसलिए, प्रत्येक बीजक के लिए केवल एक ई-वे बिल बनाया जाना है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि समान या समरूप बीजक का उपयोग करके कई ई-वे बिल के निर्माण को प्रतिबंधित करने के लिए ई-वे बिल सामान्य पोर्टल में सत्यापन नियंत्रण की कमी थी। यह देखा गया कि चार वृत्तों<sup>15</sup> से संबंधित पांच करदाताओं ने समान/समरूप बीजक के आधार पर माल की आवाजाही के लिए 10 ई-वे बिल तैयार किए थे। इस प्रकार, ई-वे बिल मॉड्यूल समान/समरूप बीजक के आधार पर कई ई-वे बिल तैयार करने का पता नहीं लगा सकी। इनका विवरण **परिशिष्ट-2.5** में दिया गया है। कर प्रभाव की चर्चा **कंडिका 2.11.2** में की गई है।

इंगित किये जाने पर (जून 2024) शासन ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2024) कि दो प्रकरणों में ₹ 0.08 करोड़ (ब्याज और शास्ति सहित) का डीआरसी-01 जारी किया गया और एक प्रकरण (जीएसटीआईएन 22XXXXXXXXXXZV) में उत्तर दिया गया कि प्रणाली में त्रुटि के कारण दो ई-वे बिल उत्पन्न हुए थे। शेष दो प्रकरणों (जीएसटीआईएन 22XXXXXXXXXXZW और 22XXXXXXXXXXZ9) में डीआरसी-05 (कार्यवाही बंद करने की सूचना) जारी की गई है। हालाँकि, उत्तर के साथ सहायक अभिलेख/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए।

बर्हिगमन सम्मेलन (दिसंबर 2024) के दौरान, सचिव ने कहा कि निराकृत प्रकरणों से संबंधित वांछित अभिलेख जो आगे नहीं बढ़ाये जा रहे हैं, अविलंब प्रदान किए जाएंगे। आगे कहा कि अन्य प्रकरणों की नवीनतम स्थिति प्रस्तुत की जाएगी।

**एक उदाहरणात्मक प्रकरण का विवरण नीचे दिया गया है:**

<sup>15</sup> वृत्त-5, 7, 8 और 9 (रायपुर)।

वृत्त-5, रायपुर के अंतर्गत पंजीकृत एक करदाता (जीएसटीआईएन 22XXXXXXXXXXZ9) ने अंतर-राज्यीय बाह्य आपूर्तियों के लिए एक बीजक का उपयोग करके अगस्त और सितंबर 2018 में ₹ 29.88 लाख के दो ई-वे बिल तैयार किए थे।

**अनुशंसा क्रमांक 4: कई ई-वे बिल तैयार करने में समान/समरूप बीजक के उपयोग को रोकने के लिए ई-वे बिल प्रणाली में आवश्यक सत्यापन नियंत्रण को शामिल किया जाना चाहिए।**

**2.11.1.4 जोखिम भरे वाहनों/दो-पहिया वाहनों के माध्यम से किए गए लेनदेन के लिए ई-वे बिल बनाना।**

सीजीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 138(2) के अनुसार, जहां माल को पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्रेषक के रूप में, चाहे अपने स्वयं के वाहन में या किराए के या सार्वजनिक वाहन से, सड़क मार्ग से परिवहन किया जाता है, उक्त व्यक्ति फॉर्म जीएसटी ई-वे बिल-01 के भाग बी में जानकारी प्रस्तुत करने के बाद सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से फॉर्म जीएसटी ई-वे बिल-01 में ई-वे बिल तैयार करेगा। जहां माल को सड़क मार्ग से परिवहन के लिए परिवहनकर्ता को सौंप दिया जाता है, पंजीकृत व्यक्ति परिवहनकर्ता से संबंधित जानकारी सामान्य पोर्टल पर प्रस्तुत करेगा और फॉर्म जीएसटी ई-वे बिल-01 के भाग ए में पंजीकृत व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर परिवहनकर्ता द्वारा उक्त पोर्टल पर ई-वे बिल तैयार किया जाएगा। ई-वे बिल-01 के भाग-बी में वाहन संख्या प्रदान करना आवश्यक है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ई-वे बिल प्रणाली ई-वे बिल को वाहन सॉफ्टवेयर के साथ एकीकृत करने के बावजूद वाहन पोर्टल/एम-परिवहन ऐप के अनुसार दो-पहिया और अन्य जोखिम भरे वाहनों<sup>16</sup> के नंबरों का पता नहीं लगा सकी, जिसके कारण जोखिम भरे वाहनों से संबंधित ई-वे बिल का बनाना अवरुद्ध नहीं किया जा सका।

यह देखा गया कि तीन वृत्तों<sup>17</sup> के नौ करदाताओं से संबंधित ₹ 3.24 करोड़ के मूल्यांकन योग्य मूल्य वाले नौ ई-वे बिल लेनदेन दो-पहिया/जोखिम भरे वाहनों द्वारा किए गए थे। इसके अलावा, चार करदाताओं ने जीएसटीआर-1 विवरणी में संबंधित बाह्य आपूर्ति शामिल नहीं किया था। इसके अलावा, पांच करदाताओं ने अपने जीएसटीआर-1 विवरणी में बाह्य आपूर्ति की सूचना दी थी और अपने प्राप्तकर्ताओं को इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) दिया था, जैसा कि नीचे तालिका-2.4 में विस्तृत है। कर प्रभाव की चर्चा कंडिका 2.11.2 में की गई है।

**तालिका 2.4-जोखिम भरे वाहनों/दो-पहिया वाहनों के साथ किए गए लेनदेन के लिए बनाये ई-वे बिल**

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	जीएसटीआईएन	वृत्त	ई-वे बिल क्रं/दिनांक	निर्धारण हेतु राशि	वाहन की प्रकृति
1.	22XXXXXXXXXXZV	रायपुर-5	861062323542 / 28 / 07 / 2019	1,18,64,238	दोपहिया
2.	22XXXXXXXXXXZS	रायपुर-5	831183989831 / 13 / 10 / 2021	1,47,03,334	दोपहिया
3.	22XXXXXXXXXXZH	रायपुर-3	891183695077 / 11 / 10 / 2021	5,65,652	चोरी हुई
4.	22XXXXXXXXXXZM	रायपुर-3	861016217262 / 23 / 08 / 2018	1,21,250	स्कैप
5.	22XXXXXXXXXXZL	रायपुर-9	891129659657 / 11 / 12 / 2020	98,048	स्कैप
6.	22XXXXXXXXXXZM	रायपुर-3	851123098656 / 01 / 11 / 2020	7,30,514	समर्पित

<sup>16</sup> जोखिमपूर्ण वाहन: चोरी, समर्पित, निरस्त और स्कैप वाहन।

<sup>17</sup> वृत्त-3, 5 और 9 (रायपुर)।

7.	22XXXXXXXXXXXXXZM	रायपुर-3	811072389191 / 10 / 10 / 2019	22,92,675	समर्पित
8.	22XXXXXXXXXXXXXZP	रायपुर-5	841137960702 / 27 / 01 / 2021	13,06,280	निरस्त
9.	22XXXXXXXXXXXXXZQ	रायपुर-3	891088786236 / 31 / 01 / 2020	7,40,480	निरस्त
योग				<b>3,24,22,471</b>	

इंगित किये जाने पर (जून 2024), शासन ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2024) कि पांच प्रकरणों में ₹ 10.30 करोड़ (ब्याज और शास्ति सहित) के डीआरसी-07 / डीआरसी-01 जारी किए गए हैं, तीन प्रकरणों में एएसएमटी-10 जारी किए गए हैं और शेष एक प्रकरण में उत्तर दिया गया है कि करदाता ने लेनदेन के संबंध में कर बीजक / बिल्टी प्रस्तुत की है। उत्तर में लेखापरीक्षा जांच के उस बिंदु पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि माल का परिवहन दोपहिया वाहन के माध्यम से कैसे किया गया।

बर्हिगमन सम्मेलन (दिसंबर 2024) के दौरान, सचिव ने बताया कि प्रकरण की जांच की जाएगी और लेखापरीक्षा को स्थिति से अवगत कराया जाएगा।

**एक उदाहरणात्मक प्रकरण का विवरण नीचे दिया गया है:**

वृत्त-5, रायपुर के अंतर्गत पंजीकृत एक करदाता (जीएसटीआईएन 22XXXXXXXXXXXXXZV) ने अंतर-राज्यीय जावक आपूर्ति को प्रभावित करने के लिए 28 / 07 / 2019 को ₹ 1.19 करोड़ के लिए ई-वे बिल नंबर 861062323542 बनाया था। वाहन पोर्टल / एम-परिवहन ऐप पर ई-वे बिल में उल्लिखित वाहन नंबर की जांच करने पर पाया गया कि वाहन की श्रेणी मोटर-साइकिल / स्कूटर थी। इसके अलावा, करदाता ने इस लेनदेन की सूचना जीएसटीआर-1 विवरणी में दी थी। इसलिए, पूरी संभावना है कि करदाता ने माल की आवाजाही के बिना ₹ 0.21 करोड़ का आईटीसी पास किया हो, जिसकी जांच की जानी चाहिए।

अनुशंसा क्रमांक 5: माल के परिवहन के लिए वाहन डेटाबेस के माध्यम से उपयुक्त वाहन विवरणों के सत्यापन के बाद ही ई-वे बिल का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए ई-वे बिल प्रणाली में आवश्यक सत्यापन नियंत्रण को शामिल किया जाना चाहिए।

**2.11.1.5 निरंक विवरणी दाखिल करने वाले करदाताओं द्वारा ई-वे बिल का बनाना**

सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 37 के अनुसार, सीजीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 59, नियम 61 और नियम 62 के साथ, कंपोजिट करदाताओं के अलावा प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को कर अवधि के दौरान की गई वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की बाह्य आपूर्ति का विवरण जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत करना होगा और जीएसटीआर-3बी में उस पर कर देयता का निर्वहन करना होगा। जिन करदाताओं ने कंपोजिशन योजना का विकल्प चुना है, उन्हें जीएसटीआर-4 / एसटी-सीएमपी-08 विवरणी में कर का भुगतान करना होगा।

लेखापरीक्षा द्वारा ई-वे बिल और जीएसटीएन पोर्टल के बीच समन्वय में कमजोरी पाई गई क्योंकि उत्तरवर्ती द्वारा निरंक विवरणी जमा करने वाले करदाताओं द्वारा ई-वे बिल बनाने की स्थिति की पहचान नहीं की जा सकी और इस प्रकार करदाताओं द्वारा टर्नओवर में कमी करने का पता नहीं लगा / रोका जा सका।

यह पाया गया कि चार वृत्तों<sup>18</sup> से संबंधित आठ करदाताओं (एक कंपोजिशन करदाता सहित) ने 2018-19 से 2021-22 के दौरान ₹ 0.45 करोड़ के मूल्यांकन योग्य राशि के लिए आठ ई-वे बिल तैयार किए थे, लेकिन उन्होंने संबंधित कर अवधि के लिए निरंक

<sup>18</sup> वृत्त-3, 5, 7 और 8 (रायपुर)।

जीएसटीआर-1/3बी/सीएमपी-08 विवरणी दाखिल किया था। इनका विवरण **परिशिष्ट-2.6** में दिया गया है। कर प्रभाव की चर्चा **कंडिका 2.11.2** में की गई है।

इंगित किये जाने पर (जून 2024), शासन ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2024) कि पांच प्रकरणों में ₹ 0.51 करोड़ (ब्याज और शास्ति सहित) के डीआरसी-07/डीआरसी-01 जारी किए गए हैं, एक प्रकरण में एएसएमटी-10 जारी किया गया है और एक प्रकरण में उत्तर दिया गया है कि प्रणाली त्रुटियों के कारण दो ई-वे बिल उत्पन्न हुए थे। शेष एक प्रकरण में उत्तर दिया गया कि करदाता एक कंपोजिशन डीलर था और माल की वापसी के लिए ई-वे बिल उत्पन्न हुआ था। हालाँकि उत्तर के साथ खरीद विवरणी के प्रमाण जैसे खरीद बिल, क्रेडिट नोट/डेबिट नोट प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

बर्हिगमन सम्मेलन (दिसंबर 2024) के दौरान, सचिव ने कहा कि निराकृत प्रकरण से संबंधित वांछित अभिलेख जो आगे नहीं बढ़ाये जा रहे हैं, अविलंब प्रदान किया जाएगा। आगे कहा गया कि अन्य प्रकरणों की नवीनतम स्थिति प्रस्तुत की जाएगी।

**एक उदाहरणात्मक प्रकरण नीचे विस्तार से बताया गया है:**

वृत्त-5, रायपुर के अंतर्गत पंजीकृत एक करदाता (जीएसटीआईएन 22XXXXXXXXXXZ8) ने जनवरी 2019 के माह में बाह्य आपूर्तियों के लिए ₹ 4.46 लाख के कर मूल्य वाला एक ई-वे बिल बनाया था। हालाँकि, करदाता ने उक्त माह के लिए निरंक जीएसटीआर-1/3बी विवरणी दाखिल किया था।

#### **2.11.1.6 जीएसटी विवरणी जमा न करने वालों द्वारा ई-वे बिल का बनाना**

सीजीजीएसटी नियम, 2017 का नियम 138ई, पंजीकृत व्यक्ति के संबंध में ई-वे बिल बनाने के लिए प्रेषक, प्राप्तकर्ता, परिवहनकर्ता या ई-कॉमर्स ऑपरेटर या कूरियर एजेंसी सहित व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाता है, जिसने निर्धारित लगातार अवधि<sup>19</sup> के लिए संबंधित जीएसटी विवरणी दाखिल नहीं किया है। ई-वे बिल कॉमन पोर्टल पर 01 दिसंबर 2019 से ब्लॉकिंग कार्य क्षमता लागू की गई है।

लेखापरीक्षा ने 01 दिसंबर 2019 के बाद ई-वे बिल बनाने को अवरुद्ध करने और रिटर्न फाईल न करने वालों द्वारा ई-वे बिल बनाने के प्रकरणों में कमियों को देखा। वृत्त-3, रायपुर के चार करदाताओं के प्रकरण में, जो रिटर्न फाईल नहीं करते थे, उन्होंने 2018-19 से 2020-21 के दौरान 45 ई-वे बिल बनाये थे। इनका विवरण **परिशिष्ट-2.7** में दिया गया है। कर प्रभाव की चर्चा **कंडिका 2.11.2** में की गई है।

**एक उदाहरणात्मक प्रकरण का विवरण नीचे दिया गया है:**

वृत्त-3, रायपुर के अंतर्गत पंजीकृत एक करदाता (जीएसटीआईएन 22XXXXXXXXXXZC) ने प्रभावी बाह्य आपूर्ति के लिए 04 दिसंबर 2019 को एक ई-वे बिल (831080342629) तैयार किया था, अर्थात् ई-वे बिल 01 दिसंबर 2019 के बाद बनाया था, यद्यपि उसने लगातार दो कर अवधि के लिए जीएसटी विवरणी दाखिल नहीं किया था।

इंगित किये जाने पर (जून 2024), शासन ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2024) कि सभी चार प्रकरणों में ₹ 6.97 करोड़ (ब्याज और शास्ति सहित) का डीआरसी-07 जारी किया गया है।

बर्हिगमन सम्मेलन (दिसंबर 2024) के दौरान, सचिव ने कहा कि प्रकरणों की अद्यतन स्थिति प्रस्तुत की जाएगी।

<sup>19</sup> सीजीजीएसटी अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत कर का भुगतान करने वाले व्यक्तियों के संबंध में दो लगातार तिमाहियों के लिए प्रपत्र जीएसटी-सीएमपी-08 तथा सामान्य करदाताओं के लिए दो लगातार कर अवधियों के लिए जीएसटीआर-3बी, जैसा भी लागू हो।

अनुशंसा क्रमांक 6: निर्धारित अवधि के लिए विवरणी दाखिल न करने वाले करदाताओं के लिए ई-वे बिल बनाने की सुविधाओं को अवरुद्ध करने के लिए ई-वे बिल प्रणाली में सत्यापन नियंत्रण की समीक्षा की जानी चाहिए और इसे मजबूत बनाया जाना चाहिए।

### 2.11.2 राजस्व प्रभाव वाली कमियाँ (अनुपालन मुद्दे)

लेखापरीक्षा ने कर देयता के निर्वहन नहीं करने (20 प्रकरण), अयोग्य आईटीसी का लाभ उठाने (चार प्रकरण), आईटीसी को गलत तरीके से हस्तांतरित करने (पांच प्रकरण) से संबंधित अधिनियम/नियम के प्रावधानों के अनुपालन नहीं करने के 29 प्रकरणों को देखा, जिसमें ₹ 20.34 करोड़ का संभावित कर प्रभाव शामिल है, जिनकी चर्चा क्रमशः कंडिका 2.11.2.1 से 2.11.2.3 में की गई है। कपीए-वार अवलोकन नीचे तालिका-2.5 में दिए गए हैं:

तालिका 2.5-लेखापरीक्षा का परिणाम

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	प्रमुख समस्या क्षेत्र	पाई गई प्रकरणों की संख्या	संबंधित राशि
1	कंपोजिट करदाताओं द्वारा अंतर-राज्यीय बाह्य ई-वे बिलों बनाने से कर के भुगतान नहीं होना	2	0.17
2	समान/समरूप बीजक पर एकाधिक ई-वे बिल बनाने से कर का भुगतान नहीं होना	5	0.07
3	निरंक जीएसटी विवरणी जमा करने वालों द्वारा ई-वे बिल बनाने से कर के भुगतान नहीं करना	5	0.05
4	जीएसटी विवरणी दाखिल नहीं करने वालों द्वारा ई-वे बिल बनाने से कर का भुगतान नहीं होना	2	2.29
5	निरस्त किए गए करदाताओं द्वारा ई-वे बिल बनाने से कर का भुगतान नहीं होना	3	3.45
6	जोखिमपूर्ण वाहनों में ई-वे बिल बनाने से कर का भुगतान नहीं होना	3	11.52
<b>योग</b>		<b>20</b>	<b>17.55</b>
7	अवैध आईटीसी का लाभ उठाना	4	2.51
8	जोखिमपूर्ण वाहनों के साथ ई-वे बिल बनाने से आईटीसी का गलत पारित होना	5	0.28
<b>महायोग</b>		<b>29</b>	<b>20.34</b>

#### 2.11.2.1 करदाताओं द्वारा कर देयता का निर्वहन न करना

सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 37 के अनुसार, सीजीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 59 और नियम 61 के साथ पठित, कंपोजिट करदाताओं के अलावा प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को कर अवधि के दौरान किए गए माल या सेवाओं या दोनों की बाह्य आपूर्ति का विवरण जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत करना होगा और उस पर कर देयता का निर्वहन जीएसटीआर-3बी में करना होगा। कंपोजिशन योजना का विकल्प चुनने वाले करदाताओं को जीएसटीआर-4/जीएसटी-सीएमपी-08 में कर का भुगतान करना होगा। सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 31 के अनुसार, कर योग्य माल की आपूर्ति करने वाला पंजीकृत व्यक्ति कर बीजक जारी करेगा, जिसमें माल का विवरण, मात्रा और मूल्य, उस पर लगाया गया कर और ऐसे अन्य विवरण, जो निर्धारित किए जा सकते हैं, दर्शाए जाएंगे। सीजीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 138 में प्रावधान है कि ई-वे बिल बनाने के लिए, प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति जो माल की आवाजाही करता है, उसे उक्त माल से संबंधित जानकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान्य पोर्टल पर प्रस्तुत करनी होगी। सीजीजीएसटी की धारा 50(1) अधिनियम, 2017 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति जो कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, लेकिन कर का भुगतान करने में विफल रहता है या उसका कोई हिस्सा जमा

नहीं किया जाता है, उसे ब्याज का भुगतान करना होगा जो 18 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पांच वृत्तों<sup>20</sup> से संबंधित 20 करदाताओं ने 2018-19 से 2021-22 के दौरान बाह्य आपूर्ति करने के लिए 1,789 ई-वे बिल तैयार किए थे, लेकिन उन्होंने अपने जीएसटीआर-1/सीएमपी-08 विवरणी में ₹ 82.07 करोड़ की बाह्य आपूर्ति को शामिल नहीं किया है और इस प्रकार, अपनी कर देयता का निर्वहन नहीं किया। जैसा कि **परिशिष्ट-2.8** में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है। इन प्रकरणों में कर देयता का निर्वहन न करने की राशि ₹ 17.55 करोड़ (ब्याज और शास्ति को छोड़कर) थी।

इंगित किए जाने पर (जून 2024), शासन ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2024) कि 13 प्रकरणों में ₹ 19.94 करोड़ (ब्याज और शास्ति सहित) के डीआरसी-07/डीआरसी-01 जारी किए गए हैं। तीन प्रकरणों में एएसएमटी-10 जारी किया गया है। एक प्रकरण में उत्तर दिया गया कि प्रणाली त्रुटि के कारण दो ई-वे बिल थे। इसके अलावा, दूसरे प्रकरण में उत्तर दिया गया कि करदाता एक कंपोजिशन डीलर था और माल की वापसी के लिए ई-वे बिल बनाया। हालांकि उत्तर के साथ, खरीद विवरणी का सबूत जैसे खरीद बिल, क्रेडिट नोट/डेबिट नोट प्रस्तुत नहीं किया गया था। शेष दो प्रकरणों में डीआरसी-05 (कार्यवाही के समापन की सूचना) जारी किया गया है। हालांकि, उत्तर के साथ अभिलेख/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए।

बर्हिगमन सम्मेलन (दिसंबर 2024) के दौरान, सचिव ने कहा कि निराकृत प्रकरणों से संबंधित वांछित अभिलेख जो आगे नहीं बढ़ाये जा रहे हैं, अविलंब प्रदान किए जाएंगे। आगे कहा कि अन्य प्रकरणों की अद्यतन स्थिति प्रस्तुत की जाएगी।

#### उदाहरणात्मक प्रकरणों का विवरण नीचे दिया गया है:

(i) वृत्त-8, रायपुर से संबंधित एक करदाता (जीएसटीआईएन 22XXXXXXXXXXXXZF) ने बाह्य आपूर्ति को प्रभावित करने के लिए 2018-19 और 2019-20 की अवधि के दौरान ₹ 15.77 करोड़ के कर योग्य मूल्य के साथ 189 ई-वे बिल तैयार किए थे। हालांकि, करदाता द्वारा जनवरी और फरवरी 2019 माह में जीएसटीआर-3बी विवरणी में केवल ₹ 9.53 करोड़ की बाह्य आपूर्ति घोषित की गई थी और करदाता द्वारा ₹ 1.72 करोड़ का कर चुकाया गया था। इसलिए, करदाता ने ₹ 6.24 करोड़ की बाह्य आपूर्ति घोषित नहीं की थी और ₹ 1.12 करोड़ का कर नहीं चुकाया था। करदाता का पंजीकरण 25 जनवरी 2019 से निरस्त कर दिया गया था। इस प्रकार ₹ 1.12 करोड़ की कर देयता थी।

(ii) वृत्त-3, रायपुर के अंतर्गत पंजीकृत एक अन्य करदाता (जीएसटीआईएन 22XXXXXXXX XXXZC) ने नवंबर 2019 से जनवरी 2020 के बीच बाह्य आपूर्ति के लिए ₹ 6.39 करोड़ के मूल्यांकन योग्य राशि के कुल 86 ई-वे बिल तैयार किए। हालांकि, करदाता ने नवंबर 2019 से जनवरी 2020 की अवधि के लिए जीएसटीआर-1/3बी विवरणी दाखिल नहीं किया था और इन लेनदेन पर कर देयता का निर्वहन नहीं किया था। विवरणी दाखिल न करने के कारण करदाता का पंजीकरण 01 नवंबर 2019 से निरस्त कर दिया गया था। इस प्रकार, उनके पास ₹ 1.15 करोड़ (ब्याज को छोड़कर) की कर देयता थी।

हालांकि, उपरोक्त प्रकरणों में यह देखा गया कि निरस्तीकरण आदेश 21 जून 2019 और 21 जनवरी 2020 को जारी किए गए थे इस प्रकार, पूर्वव्यापी आदेश पारित करते समय, उपयुक्त अधिकारी द्वारा, ई-वे बिल और विवरणी के बीच भिन्नता की जांच नहीं की गई थी।

#### 2.11.2.2 अयोग्य आईटीसी का लाभ उठाना

सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 16 के अनुसार प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति अपने व्यवसाय के दौरान या उसे आगे बढ़ाने के लिए उपयोग की जाने वाली या उपयोग किए

<sup>20</sup> वृत्त-3, 5, 7, 8 और 9 (रायपुर)।

जाने वाले माल या सेवाओं या दोनों की किसी भी आपूर्ति पर लगाए गए आईटीसी लेने का हकदार होगा और उक्त राशि ऐसे व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जमा की जाएगी। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 42 को सीजीजीएसटी नियम, 2017 सहपठित नियम 60 अनुसार आईटीसी के मिलान, वापसी और पुनः प्राप्ति का प्रावधान है। जीएसटीआर-2ए खरीद से संबंधित एक गतिशील कर विवरणी है जो जीएसटी पोर्टल द्वारा स्वचालित रूप से तैयार किया जाता है। जब कोई आपूर्तिकर्ता अपना जीएसटीआर-1 विवरणी दाखिल करता है, तो क्यकर्ता द्वारा भुगतान किए गए कर की जानकारी उसके जीएसटीआर-2ए और जीएसटीआर-9 में स्वतः भर जाती है। जीएसटीआर-2ए का मिलान सामान्यतः करदाता द्वारा जीएसटीआर-3बी विवरणी अथवा वार्षिक जीएसटीआर-9 विवरण के माध्यम से प्राप्त किये गये आईटीसी से मेल खाना चाहिए। सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 50(3) में प्रावधान है कि, जो करदाता आईटीसी का अनुचित या अधिक दावा करते हैं, उन्हें जो 24 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा उसी दर से ब्याज देय होगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि दो वृत्तों<sup>21</sup> के चार करदाताओं ने जीएसटीआर-3बी विवरणी के अनुसार ₹ 19.60 करोड़ का आईटीसी प्राप्त किया। हालांकि, लेखापरीक्षा ने करदाताओं के जीएसटीआर-2ए/जीएसटीआर-9 से पाया कि उनके लिए उपलब्ध आईटीसी केवल ₹ 17.09 करोड़ थी। इस प्रकार, इन करदाताओं द्वारा ₹ 2.51 करोड़ की आईटीसी का लाभ लेना उपयुक्त नहीं था और अधिनियम की धारा-50(3) के तहत ₹ 2.51 करोड़ की गलत आईटीसी प्राप्त राशि को ब्याज सहित वसूल किया जाना आवश्यक है। इनका विवरण परिशिष्ट-2.9 और तालिका-2.6 में दिया गया है।

तालिका 2.6-अयोग्य इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ उठाना

स. क्र.	जीएसटीआईएन	वर्ष	जीएसटीआर 2ए अनुसार उपलब्ध आईटीसी [जीएसटीआर 9 के 8(ए) अनुसार]	जीएसटीआर-3बी अनुसार ली गई आईटीसी [जीएसटीआर-9 के 8(बी+सी) अनुसार]	दावा की गई अयोग्य आईटीसी [जीएसटीआर 9 के 8(डी) अनुसार]
1	22XXXXXXXXXXXXZR	2018-19	6,68,05,192	8,45,10,814	1,77,05,622
		2019-20	6,09,83,798	6,51,32,051	41,48,253
2	22XXXXXXXXXXXXZZ	2019-20	1,23,07,036	1,23,40,613	33,577
3	22XXXXXXXXXXXXZN	2019-20	74,96,148	1,03,84,534	28,88,386
4	22XXXXXXXXXXXXZQ	2021-22	2,33,47,675	2,36,68,065	3,20,390
योग			17,09,39,849	19,60,36,077	2,50,96,228

इंगित किये जाने पर (जून 2024) शासन ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2024) कि दो प्रकरणों में ₹ 0.06 करोड़ (ब्याज और शास्ति सहित) के डीआरसी-07/डीआरसी-01 जारी किए गए हैं। वर्ष 2018-19 के लिए एक प्रकरण (जीएसटीआईएन 22XXXXXXXXXXXXZR) में, करदाता द्वारा डीआरसी-03 के माध्यम से ₹ 0.05 करोड़ के अतिरिक्त आईटीसी को उलट दिया गया है और 2019-20 के प्रकरण के लिए एएसएमटी-12 (उत्तर की स्वीकृति का आदेश) जारी किया गया था। शेष एक प्रकरण में (जीएसटीआईएन 22XXXXXXXXXXXXZZ) डीआरसी-05 (कार्यवाही बंद करने की सूचना) जारी की गई थी। हालांकि, उत्तर के साथ कोई सहायक अभिलेख/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

बर्हिगमन सम्मेलन (दिसंबर 2024) के दौरान, सचिव ने कहा कि संबंधित सहायक अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रदान किए जाएंगे।

उदाहरणात्मक प्रकरण नीचे दिया गया है:

<sup>21</sup> वृत्त-3 और 7 (रायपुर)।

वृत्त-3, रायपुर के अंतर्गत पंजीकृत एक करदाता (जीएसटीआईएन 22XXXXXXXXXXXX ZR) ने 2018-19 और 2019-20 के दौरान जीएसटीआर-3बी विवरणी में ₹ 14.97 करोड़ का आईटीसी प्राप्त किया था, लेकिन करदाता के जीएसटीआर-2ए में ₹ 12.78 करोड़ का आईटीसी उपलब्ध था। इस प्रकार, करदाता द्वारा ₹ 2.19 करोड़ की आईटीसी का लाभ लेना उपयुक्त नहीं था और अधिनियम की धारा-50(3) के तहत गलत आईटीसी राशि ₹ 2.19 करोड़ के साथ ब्याज की वसूल की जानी आवश्यक है।

### 2.11.2.3 जोखिम भरे वाहनों के ई-वे बिल बनाना-संभवतः गलत आईटीसी का पारित होना

सीजीजीएसटी अधिनियम की धारा 37 के अनुसार, इनपुट सेवा वितरक, अनिवासी कर योग्य व्यक्ति और धारा 10 या धारा 51 या धारा 52 के प्रावधानों के तहत कर का भुगतान करने वाले व्यक्ति के अलावा प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को कर अवधि के दौरान किए गए माल या सेवाओं या दोनों की बाह्य आपूर्ति का विवरण जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत करना होगा। जीएसटीआर-1 में आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रदान किया गया विवरण जीएसटीआर-2ए में माल के प्राप्तकर्ताओं के लिए स्वचालित रूप से शामिल हो जाएगा, ताकि वे आईटीसी का दावा कर सकें। एनआईसी<sup>22</sup> ने ई-वे बिल पोर्टल के साथ वाहन डेटाबेस को एकीकृत किया था और फास्टैग डेटाबेस के साथ वाहनों की आवाजाही को ट्रैक किया था। एनआईसी द्वारा भी 01 जनवरी 2021 से संबंधित वाहनों की आवाजाही का विवरण (मानचित्र में) स्रोत एवं गंतव्य पिनकोड के आधार पर सभी ई-वे बिलों के उद्गम एवं गंतव्य स्थान को दर्शाता है।

लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि दो वृत्तों<sup>23</sup> से संबंधित पांच करदाताओं ने 2018-19 से 2021-22 की अवधि के दौरान बाह्य आपूर्ति को प्रभावित करने के लिए ₹ 1.56 करोड़ के पांच ई-वे बिल तैयार किए थे, जैसा कि परिशिष्ट-2.10 में विस्तृत है। वाहन पोर्टल/एम-परिवहन ऐप पर ई-वे बिल में उल्लिखित वाहन संख्याओं के सत्यापन पर, यह देखा गया कि वाहन की स्थिति जोखिम भरे वाहनों<sup>24</sup>/दोपहिया वाहन के रूप में उल्लिखित थी। हालांकि, इन करदाताओं द्वारा जमा जीएसटीआर-1 से यह देखा गया कि उन्होंने अपने जीएसटीआर-1 विवरणी में उक्त लेनदेन की सूचना दी थी और इस तरह संभवतः ₹ 0.29 करोड़ का आईटीसी हस्तांतरित किया था, जिसकी जांच करने की आवश्यकता है। यह माल की वास्तविक आवाजाही के बिना आईटीसी के संभावित हस्तांतरित होने की ओर भी इशारा करता है।

इंगित किये जाने पर (जून 2024), शासन ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2024) कि तीन प्रकरणों में डीआरसी-07 ₹ 7.20 करोड़ (ब्याज एवं शास्ति सहित) जारी किया गया है। एक प्रकरण में एसएमटी-10 जारी किया गया है और शेष एक प्रकरण में उत्तर दिया गया है कि करदाता ने लेनदेन के संबंध में कर बीजक/बिल्टी प्रस्तुत की है। हालांकि, उत्तर में लेखापरीक्षा जांच के उस बिंदु पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि माल का परिवहन दोपहिया वाहन के माध्यम से कैसे किया गया।

बर्हिगमन सम्मेलन (दिसंबर 2024) के दौरान, सचिव ने कहा कि निराकृत प्रकरणों से संबंधित वांछित अभिलेख जो आगे नहीं बढ़ाये जा रहे हैं, अविलंब प्रदान किए जाएंगे। आगे कहा गया कि अन्य प्रकरणों की अद्यतन स्थिति प्रस्तुत की जाएगी।

### उदाहरणात्मक प्रकरण नीचे दिया गया है:

रायपुर के वृत्त-3 के अंतर्गत पंजीकृत एक करदाता (जीएसटीआईएन 22XXXXXXXXXXXX XZM) ने 10/10/2019 को ₹ 0.04 करोड़ के कर मूल्य के साथ ₹ 0.23 करोड़ मूल्य के

<sup>22</sup> एनआईसी: राष्ट्रीय सूचना केन्द्र।

<sup>23</sup> वृत्त-3 और 5 (रायपुर)।

<sup>24</sup> ई-वे बिल बनाने में दो-पहिया वाहनों, चोरी, स्क्रेप, आत्मसमर्पण और निरस्त वाहनों का उपयोग।

माल की अंतर-राज्यीय जावक आपूर्ति करने के लिए ई-वे बिल (811072389191) तैयार किया था। वाहन पोर्टल/एम-परिवहन ऐप पर ई-वे बिल में उल्लिखित वाहन संख्या की जाँच करने पर पता चला कि वाहन की श्रेणी 'समर्पित वाहन' थी। इसके अलावा, लेन-देन को प्रेषक के जीएसटीआर-1 में प्रतिवेदन किया गया था। इस प्रकार, माल की संदिग्ध आवाजाही पर ₹ 0.04 करोड़ के आईटीसी के हस्तांतरित होने की संभावना है, जिसकी जाँच की जानी चाहिए।

### 2.11.3 क्रॉस-पैन विश्लेषण

सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 25(4) और 25(6) के अनुसार, कई राज्यों में जीएसटी पंजीकरण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक ही स्थायी खाता संख्या (पैन) के साथ कई जीएसटी पंजीकरण प्राप्त कर सकता है। क्रॉस-पैन शुल्क एक कर योग्य व्यक्ति को संदर्भित करता है जो एक पैन के तहत पंजीकरण वाले किसी अन्य व्यक्ति को माल और सेवाओं की आपूर्ति करता है। सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की अनुसूची 1(2) और धारा 25 के अनुसार, एक ही पैन वाले विभिन्न जीएसटी पंजीकरणों के बीच किसी भी आपूर्ति को बिना किसी प्रतिफल के किए जाने पर भी आपूर्ति के रूप में माना जाना चाहिए। सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 50(1) में यह प्रावधान है कि, प्रत्येक व्यक्ति जो कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, लेकिन कर का भुगतान अथवा कोई हिस्सा बकाया रहने पर ब्याज का भुगतान करेगा जो 18 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

लेखापरीक्षा ने पांच वृत्तों<sup>25</sup> से संबंधित छह करदाताओं की पहचान कर नमूना जांच की, जिन्होंने 2018-19 से 2021-22 के दौरान क्रॉस-पैन लेनदेन किए थे, ताकि उनके कर अनुपालन का पता लगाया जा सके जैसे कर देयता का निर्वहन, जीएसटी विवरणी में शामिल किए गए बीजक के लिए ई-वे बिल का बनाना, समान/समरूप बीजक के लिए कई ई-वे बिल का बनाना और आईटीसी का लाभ उठाना। देखी गई कमियों पर नीचे चर्चा की गई है:

#### • जीएसटीआर-1 में ई-वे बिल के लेन-देनों को दर्ज नहीं किया गया

लेखापरीक्षा में पाया गया कि, वृत्त-1, दुर्ग के अंतर्गत पंजीकृत एक करदाता (जीएसटीआईएन 22XXXXXXXXXXXXZA) ने 03 फरवरी 2020 को ई-वे बिल संख्या 871089160813 तैयार करके उसी पैन (जीएसटीआईएन 37XXXXXXXXXXXXZZ) वाले माल प्राप्तकर्ता को ₹ 1.76 करोड़ के कर योग्य मूल्य के माल की अंतर-राज्यीय बाह्य आपूर्ति की थी। आगे की जांच में पाया गया कि ई-वे बिल में संदर्भित बीजक को न तो जीएसटीआर-1 विवरणी में दर्ज किया गया है और न ही जीएसटीआर-3बी में ₹ 0.30 करोड़ का कर चुकाया गया है। इसलिए, वह ₹ 0.30 करोड़ का कर चुकाने के लिए उत्तरदायी है।

इंगित किये जाने पर (जून 2024), शासन ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2024) कि करदाता को ₹ 0.56 करोड़ (ब्याज और शास्ति सहित) का डीआरसी-07 जारी किया गया है।

बर्हिगमन सम्मेलन (दिसंबर 2024) के दौरान, सचिव ने कहा कि प्रकरण की अद्यतन स्थिति प्रस्तुत की जाएगी।

#### • माल की संदिग्ध आवाजाही पर आईटीसी का संभावित हस्तांतरित होना

वृत्त-9, रायपुर से संबंधित एक करदाता (जीएसटीआईएन 22XXXXXXXXXXXXZ5) ने 01 नवंबर 2021 को उत्पन्न ई-वे बिल संख्या 831187004552 का उपयोग करके उसी पैन (जीएसटीआईएन 23XXXXXXXXXXXXZ3) वाले माल प्राप्तकर्ता को अंतर-राज्यीय जावक आपूर्ति की थी। हालांकि, ई-वे बिल में उल्लेखित वाहनों का विवरण एनआईसी

<sup>25</sup> अंबिकापुर, वृत्त-2 (बिलासपुर), वृत्त-1 (दुर्ग), वृत्त-9 (रायपुर), राजनांदगांव।

पोर्टल जो वाहनों की आवाजाही को रिकॉर्ड करता है या उसी दिन किसी अन्य रिकॉर्ड में दर्ज नहीं पाया गया। इस प्रकार, माल की गैर-आवागमन की संभावना थी, जिसके लिए बीजक बनाया गया था और ई-वे बिल तैयार किया गया था। हालांकि, जैसा कि करदाता द्वारा दायर जीएसटीआर-1 में देखा गया; उनके द्वारा उक्त लेन-देन को जीएसटीआर-1 विवरणी में बताया गया और इस तरह संभवतः ₹ 0.15 करोड़ का आईटीसी हस्तांतरित किया गया, जिसकी जांच की जानी चाहिए। यह माल की वास्तविक आवाजाही के बिना आईटीसी के हस्तांतरित होने की संभावना की ओर भी इशारा करता है।

इंगित किये जाने पर (जून 2024), शासन ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2024) कि करदाता को ₹ 0.15 करोड़ (ब्याज और शास्ति सहित) का एसएमटी-10 जारी किया गया है।

बर्हिगमन सम्मेलन (दिसंबर 2024) के दौरान, सचिव ने कहा कि प्रकरण की अद्यतन स्थिति प्रस्तुत की जाएगी।

● **आईटीसी का अतिरिक्त लाभ लेना**

सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 16 के अनुसार, प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति, निर्धारित शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन तथा धारा 49 में निर्दिष्ट तरीके से, उसे दी गई किसी भी वस्तु या सेवा या दोनों की आपूर्ति पर लगाए गए आईटीसी लेने का हकदार होगा, जिसका उपयोग उसके व्यवसाय के दौरान या आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है या किया जाना है और उक्त राशि ऐसे व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जमा की जाएगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि तीन वृत्तों<sup>26</sup> के तीन करदाताओं ने जीएसटीआर-3बी विवरणी के अनुसार ₹ 29.18 करोड़ की आईटीसी का लाभ लिया। हालांकि, लेखापरीक्षा ने करदाताओं के जीएसटीआर-2ए में देखा कि उनके लिए उपलब्ध आईटीसी केवल ₹ 27.29 करोड़ थी। इस प्रकार, इन करदाताओं द्वारा ₹ 1.90 करोड़ की आईटीसी का लाभ लेना उपयुक्त नहीं था और इसे अधिनियम की धारा-50(3) के तहत ब्याज सहित वसूल किया जाना चाहिए। विवरण नीचे दी गई **तालिका-2.7** में दिया गया है:

तालिका 2.7-इनपुट टैक्स क्रेडिट का अतिरिक्त लाभ

(राशि ₹ में)

स. क्र.	जीएसटीआईएन	वर्ष	जीएसटीआर 2ए अनुसार उपलब्ध आईटीसी [जीएसटीआर 9 के 8(ए) अनुसार]	जीएसटीआर-3बी अनुसार ली गई आईटीसी [जीएसटीआर-9 के 8(बी+सी) अनुसार]	दावा की गई अयोग्य आईटीसी [जीएसटीआर 9 के 8(डी) अनुसार]
1	22XXXXXXXXXXXXZ7	2019-20	10,13,95,325	10,90,09,281	76,13,956
		2020-21	14,09,42,067	15,14,65,132	1,05,23,065
2	22XXXXXXXXXXXXZ7	2020-21	2,70,24,642	2,74,17,346	3,92,704
3	22XXXXXXXXXXXXZN	2020-21	35,22,552	39,49,537	4,26,985
योग			27,28,84,586	29,18,41,296	1,89,56,710

इंगित किये जाने पर (जून 2024), शासन ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2024) कि दो प्रकरणों में करदाताओं को एसएमटी-10 जारी कर दिया गया है और कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। हालांकि, एक करदाता से ₹ 6.15 लाख (ब्याज सहित) की राशि वसूल की गई है। शेष एक प्रकरण में उत्तर दिया गया कि करदाता को अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया गया है।

<sup>26</sup> अंबिकापुर, वृत्त सर्कल-2 (बिलासपुर) और वृत्त सर्कल-1 (दुर्ग)।

अनुशंसा क्रमांक 7: विभाग ई-वे बिल के सत्यापन और एक ही पैन के साथ कई पंजीकरण वाले करदाताओं के विवरणी की जांच के लिए दिशानिर्देश जारी कर सकता है।

#### 2.11.4 करदाताओं से ई-वे बिल अनब्लॉक करने के अनुरोधों पर की गई कार्यवाही

सीजीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 138 (ई) के अनुसार, किसी भी व्यक्ति (प्रेषक, माल प्राप्तकर्ता, परिवहनकर्ता, ई-कॉमर्स ऑपरेटर या कूरियर एजेंसी सहित) को फॉर्म जीएसटी ई-वे बिल-01 के भाग-ए में जानकारी प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसने आपूर्तिकर्ता या प्राप्तकर्ता के रूप में 01 दिसंबर 2019 से लगातार दो कर अवधि के लिए विवरणी प्रस्तुत नहीं किया है। सीजीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 138 (ई) के अनुसार आयुक्त को फॉर्म जीएसटी ई-वे बिल-05 में पंजीकृत व्यक्ति से आवेदन प्राप्त होने पर, पर्याप्त कारण दिखाए जाने और लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों पर, जीएसटी-ई-वे बिल-06 में आदेश द्वारा, जीएसटी-ई-वे बिल-01 के भाग ए में उक्त जानकारी प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा सकती है।

रायपुर आयुक्त कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों (08 दिसंबर 2023) के अनुसार दिसंबर 2020 और दिसंबर 2021 के दौरान करदाताओं द्वारा 21 अनब्लॉकिंग आवेदन दायर किए गए, जिनमें से 18 करदाताओं के आवेदन अनब्लॉकिंग के लिए लंबित थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 11 वृत्तों<sup>27</sup> के 15 करदाताओं ने दिसंबर 2020 में ई-वे बिल बनाने की सुविधाओं को अनब्लॉक करने के लिए आवेदन दायर किए थे, लेकिन उनके आवेदन कर अधिकारी के पास लंबित थे। रायपुर आयुक्त कार्यालय में लंबित आवेदनों के कारण उपलब्ध नहीं थे।

इंगित किये जाने पर (जून 2024) शासन की ओर से कोई उत्तर नहीं दिया गया।

बर्हिगमन सम्मेलन (दिसंबर 2024) के दौरान सचिव ने कहा कि प्रकरणों पर की गई कार्यवाही की जानकारी लेखापरीक्षा को दी जाएगी।

#### 2.11.5 ई-वे बिल के डेटा विश्लेषण में पाई गई टिप्पणियाँ (समग्र लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ)

ई-वे बिल से संबंधित केंद्रीय डेटाबेस विश्लेषण से 30 वृत्तों<sup>28</sup> के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 1,719 करदाताओं (मूल लेखापरीक्षा नमूने को छोड़कर) का जोखिम-आधारित नमूना चुना गया। लेखापरीक्षा ने केपीए के आधार पर 2018-19 से 2021-22 के दौरान बनाये ई-वे बिल पर डेटा का विश्लेषण किया। विभाग के साथ साझा की गई समग्र टिप्पणियों का विवरण नीचे दी गई तालिका-2.8 में दिया गया है

तालिका 2.8-समग्र लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

स. क्र.	समग्र टिप्पणियाँ की प्रकृति	करदाता की संख्या
1	कंपोजिट करदाता द्वारा अंतर राज्यीय ई-वे बिल बनाना	63
2	निर्धारित सीमा पार कर चुके कंपोजिट करदाता द्वारा ई-वे बिल बनाना	1
3	जीएसटी रिटर्न दाखिल न करने वाले करदाताओं द्वारा ई-वे बिल बनाना	293
4	निरस्त करदाता द्वारा ई-वे बिल बनाना	152
5	एक ही बीजक का उपयोग करके डुप्लीकेट ई-वे बिल बनाना	1,210
<b>योग</b>		<b>1,719</b>

<sup>27</sup> वृत्त-2 (बिलासपुर), वृत्त-2 और 3 (दुर्ग), वृत्त-2 (जगदलपुर), वृत्त-2 (रायगढ़), वृत्त-1, 2, 3 और 7 (रायपुर), धमतरी और जांजगीर।

<sup>28</sup> अंबिकापुर, भाटापारा जांजगीर, कवर्धा, महासमुंद, मनेंद्रगढ़, वृत्त-1 से 3 (बिलासपुर), सर्लसीई-1 से 4 (दुर्ग), वृत्त-1 और 2 (जगदलपुर), वृत्त-1 और 2 (कोरबा), वृत्त 1 और 2 (रायगढ़), वृत्त-1 से 9 (रायपुर), धमतरी और राजनांदगांव।

उपरोक्त टिप्पणियां विभाग को (सितंबर, 2023) और शासन को (जून 2024) भेजी गईं।

इंगित किये जाने पर (जून 2024) शासन ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2024) कि दुर्ग संभाग के अंतर्गत आने वाले वृत्तों से संबंधित सभी लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर कार्रवाई की जा रही है। हालांकि, अन्य संभागों से संबंधित वृत्तों का कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

बर्हिगमन सम्मेलन (दिसंबर 2024) के दौरान सचिव ने कहा कि अन्य संभागों द्वारा की गई कार्रवाई लेखापरीक्षा को भेजी जाएगी।

**अनुशंसा क्रमांक 8: करदाताओं द्वारा कर अनुपालन में कमियों का पता लगाने के लिए एनआईसी द्वारा तैयार ई-वे बिल की विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन का उपयोग विभाग कर सकता है और विवरणी की जांच में उपयोग के लिए क्षेत्राधिकार के प्राधिकारियों के साथ साझा कर सकता है।**

**ई-वे बिल प्रावधानों से संबंधित विभाग की निवारक/प्रवर्तन गतिविधियों की दक्षता और प्रभावशीलता पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष।**

## **2.12 विभाग की निवारक/प्रवर्तन गतिविधियाँ**

राज्य कर-जीएसटी विभाग के आयुक्त द्वारा जारी परिपत्र (मई 2018) के अनुसार, आयुक्त या उनके द्वारा इस संबंध में अधिकृत अधिकारी किसी भी अधिकारी को अंतर-राज्यीय और राज्यांतर्गत माल की आवाजाही के लिए ई-वे बिल का सत्यापन करने के लिए किसी भी वाहन को रोकने के लिए अधिकृत कर सकते हैं। कर चोरी की विशिष्ट सूचना प्राप्त होने पर आयुक्त या उनके द्वारा इस संबंध में अधिकृत अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद किसी भी अधिकारी द्वारा वाहन और उसमें शामिल माल का भौतिक सत्यापन भी किया जा सकता है।

किसी भी वाहन पर परिवहन किए जा रहे माल का राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक स्थान पर पारगमन के दौरान भौतिक सत्यापन हो जाने के बाद, उक्त वाहन या माल का राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में फिर से कोई भौतिक सत्यापन नहीं किया जाएगा, जब तक कि कर चोरी से संबंधित कोई विशिष्ट सूचना बाद में उपलब्ध नहीं करा दी जाती है।

इसके अलावा, उपरोक्त परिपत्र में परिवहन में माल के निरीक्षण के लिए वाहनों को रोकने और उल्लंघन करने वाले माल और वाहनों को रोकने, छोड़ने और जब्त करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 129 और 130, जो शास्ति से संबंधित है, ई-वे बिल और/या वाहनों के सत्यापन के संबंध में विभाग द्वारा की गई निवारक गतिविधियों पर लागू होगी।

दूसरे उद्देश्य के संदर्भ में, लेखापरीक्षा ने विभाग के ई-वे बिल संबंधित प्रतिरोधात्मक/प्रवर्तनात्मक कार्यों की जांच की, जिसमें विशेष रूप से निम्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया (i) संचालनात्मक तत्परता, (ii) कर चोरी रोकथाम उपायों की प्रभावशीलता, और (iii) ई-वे बिल संबंधित लेन-देन की निगरानी में विभागांतर्गत समन्वय।

यह देखा गया कि राज्य में ई-वे बिल से संबंधित प्रवर्तन गतिविधियों के लिए कोई समर्पित व्यवस्था नहीं थी। वर्ष 2018-19 से 2021-22 की अवधि के दौरान निवारक/प्रवर्तन कार्य जैसे वाहनों को रोकना तथा ई-वे बिल, बीजक, डिलीवरी बीजक इत्यादि का सत्यापन के लिए आवश्यकतानुसार मुख्यालय तथा क्षेत्रीय संरचनाओं के कार्यरत कर्मचारियों के साथ नामित निरीक्षण दलों द्वारा किए गए। आयुक्त, राज्य कर के निर्देशन में ई-वे बिल निगरानी कार्य का प्रभार एक अतिरिक्त आयुक्त को दिया गया है।

रायपुर आयुक्त कार्यालय में संधारित वर्ष 2018-19 से 2021-22 की अवधि से संबंधित अभिलेखों के सत्यापन पर निम्नलिखित कमियाँ/त्रुटियाँ पाई गईं।

### 2.12.1 विभाग की परिचालन संबंधी तैयारियां

रायपुर आयुक्त कार्यालय के अधिनस्थ निवारक इकाई के पास न तो ई-वे बिल से संबंधित प्रवर्तन गतिविधियों के लिए कोई समर्पित व्यवस्था है और न ही ई-वे बिल प्रवर्तन गतिविधियों से संबंधित कोई अलग से कर्मचारी हैं।

#### 2.12.1.1 मानव संसाधन की कमी

लेखापरीक्षा में पाया गया कि समर्पित व्यवस्था एवं कर्मचारियों की अनुपलब्धता के कारण ई-वे बिलों के सत्यापन के लिए कार्यपालक शाखाओं से मानव संसाधनों को तैनात किया गया।

#### 2.12.1.2 पर्याप्त गश्ती वाहनों की कमी

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ई-वे बिल सत्यापन के लिए कोई समर्पित सरकारी वाहन आवंटित नहीं किया गया था। ई-वे बिल निरीक्षण के लिए क्षेत्र कार्यालय और मुख्यालय से सरकारी वाहनों के साथ-साथ किराए के वाहनों का उपयोग किया जा रहा है।

यह देखा गया कि निवारक इकाई ने 2018-19 से 2020-21 के दौरान किराए के वाहनों की मांग की थी, हालांकि वर्ष 2021-22 में कोई मांग नहीं की गई।

#### 2.12.1.3 लक्ष्य और उपलब्धियां

लेखापरीक्षा में वाहन अवरोधों के माध्यम से ई-वे बिल के सत्यापन के लिए आयुक्त द्वारा निर्धारित लक्ष्यों और उनके समक्ष उपलब्धियों का विवरण मांगा गया। विभाग ने उत्तर दिया कि ई-वे बिल के सत्यापन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। ई-वे बिल सत्यापन अधिकारी/टीम को यादृच्छिक रूप से प्रतिनियुक्त करके किया गया और वे उन्हीं वाहनों को रोकते हैं जिन पर ई-वे बिल न होने का संदेह होता है।

#### 2.12.1.4 एमआईएस<sup>29</sup> प्रतिवेदन/डीजीएआरएम<sup>30</sup>-अन्य संस्थाओं की प्रतिवेदन का उपयोग

एनआईसी ई-वे बिल लेनदेन पर विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन तैयार करता है और केंद्र और राज्य संरचनाओं के तहत जीएसटी विभागों के साथ साझा करता है। लेखापरीक्षा ने अध्ययन किया कि ई-वे बिल के सत्यापन की योजना बनाने के लिए विभाग द्वारा इन प्रतिवेदनों का किस सीमा तक उपयोग किया गया था। परिणाम नीचे दिए गए हैं:

##### (अ) एनआईसी का एमआईएस:

- (i) यह देखा गया कि विश्लेषणात्मक प्रतिवेदनों तक पहुंच आयुक्त/अपर आयुक्तों/संयुक्त आयुक्तों/सहायक आयुक्तों/मुख्य आयुक्त को प्रदान की गई थी।
- (ii) विभाग न तो जोखिम भरे ई-वे बिल की पहचान के लिए एनआईसी/किसी अन्य समर्पित आईटी शाखा द्वारा विश्लेषणात्मक प्रतिवेदनों को उपयोग कर रहा था और न ही वाहनों को रोकने के विकल्प का उपयोग कर रहा था। हालांकि, एनआईसी की विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन या किसी अन्य एजेंसी के अनुसार जोखिम भरे ई-वे बिल (करदाता) का विवरण उसी संभाग/वृत्त के उप आयुक्त/सहायक आयुक्त के साथ उनके अवलोकन के लिए साझा किया जाता है।

##### (ब) डीजीएआरएम या अन्य संस्थाओं की प्रतिवेदन:

<sup>29</sup> एमआईएस: प्रबंधन सूचना प्रणाली।

<sup>30</sup> डीजीएआरएम: महानिदेशक: विश्लेषण और जोखिम प्रबंधन।

विभाग ने लेखापरीक्षा में शामिल अवधि के दौरान डीजीएआरएम या किसी अन्य संस्था की प्रतिवेदन से कोई विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन प्राप्त नहीं की।

इंगित किये जाने पर (जून 2024), शासन द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।

बर्हिगमन सम्मेलन (दिसंबर 2024) के दौरान, सचिव ने कहा कि सेटअप प्रगति पर है और आगे कहा कि वर्तमान में सभी अधिकारी विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन का उपयोग कर रहे हैं।

### **2.12.2 ई-वे बिल से संबंधित लेन-देन की निगरानी में विभागांगरगत समन्वय**

ई-वे बिल सीधे माल की आवाजाही से जुड़ा हुआ है और निवारक शाखा को ई-वे बिल से संबंधित प्रवर्तन कार्यों का प्रभार सौंपा गया है। एनआईसी ने विभिन्न विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन तैयार की हैं और आयुक्त कार्यालय में निवारक शाखा के पास एनआईसी पोर्टल के माध्यम से उन प्रतिवेदनों तक पहुंच है। ई-वे बिल लेन-देन पर कर देयता का भुगतान करदाताओं द्वारा आवधिक विवरणी के माध्यम से किया जाएगा और इस प्रकार क्षेत्राधिकार वाले प्राधिकारी, जैसे वृत्त अधिकारी विवरणी और मूल्यांकन की जांच के लिए उपयुक्त अधिकारी हैं। विभाग में निवारक शाखा और विभागांगरगत समन्वय द्वारा विश्लेषणात्मक प्रतिवेदनों के उपयोग की प्रभावशीलता सीमा की लेखापरीक्षा जांच से निम्नलिखित बातें सामने आईं:

#### **2.12.2.1 अपंजीकृत करदाताओं द्वारा माल की आवाजाही की निगरानी**

सीजीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 22 के अनुसार, प्रत्येक आपूर्तिकर्ता जिसका एक वित्तीय वर्ष में कुल टर्नओवर सेवाओं के आपूर्तिकर्ता के लिए ₹ 20 लाख और माल के आपूर्तिकर्ता के लिए ₹ 40 लाख से अधिक है, सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी होगा। सीजीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 16 के अनुसार, जहां, सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत किसी भी सर्वेक्षण, जांच, निरीक्षण, तलाशी या किसी अन्य कार्यवाही के बाद, सक्षम अधिकारी पाता है कि सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत पंजीकरण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति ऐसे पंजीकरण के लिए आवेदन करने में विफल रहा है, ऐसा अधिकारी उक्त व्यक्ति को अस्थायी आधार पर पंजीकृत कर सकता है और फॉर्म जीएसटी आरइजी-12 में आदेश जारी कर सकता है।

लेखापरीक्षा ने डेटा विश्लेषण के माध्यम से पाया कि राज्य में अपंजीकृत व्यक्तियों द्वारा या उनकी ओर से 2018-19 से 2021-22 की अवधि के दौरान बाह्य आपूर्ति के लिए ₹ 34.77 करोड़ के मूल्यांकन योग्य मूल्य के 25 ई-वे बिल तैयार किए गए थे। इनमें से प्रत्येक ई-वे बिल का मूल्यांकन योग्य मूल्य ₹ 40 लाख से अधिक था। इन ई-वे बिल के आंकड़ों को लेखापरीक्षा द्वारा विभाग को जांच एवं अपंजीकृत व्यक्तियों को कर के सीमा में लाने के लिए आवश्यक कार्यवाई के लिए (नवंबर 2023) भेजा गया था।

इंगित किये जाने पर (जून 2024), शासन द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

बर्हिगमन सम्मेलन (दिसंबर 2024) के दौरान, सचिव ने कहा कि प्रकरणों की जांच की जाएगी और उपयुक्त कार्यवाई की जाएगी।

#### **2.12.2.2 माल की गैर-परिवहन की निगरानी**

एनआईसी द्वारा बनाई गई विश्लेषणात्मक प्रतिवेदनों में से एक वाहनों की गैर-परिवहन प्रतिवेदन है, जिस पर महत्वपूर्ण वस्तुओं<sup>31</sup> के संबंध में ई-वे बिल तैयार किए गए थे (बी-1 प्रतिवेदन)।

चयनित पांच करदाताओं के प्रकरणों में लेखापरीक्षा ने पाया कि उन्होंने जून 2021, अगस्त 2021 और मार्च 2022 के महीनों के दौरान ₹ 16.33 करोड़ के कर योग्य मूल्य वाली बाह्य आपूर्ति के लिए 143 ई-वे बिल तैयार किए, जिसके विरुद्ध बी-1 प्रतिवेदन के अनुसार

<sup>31</sup> बिस्कुट, कोयला, खाद्य तेल, बिजली, जूते, लोहा और इस्पात, कपड़ा और तंबाकू।

वाहन की आवाजाही दर्ज नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा ने इन ई-वे बिल में उल्लिखित बीजकों को संबंधित जीएसटीआर-1 विवरणी के साथ सत्यापित किया और पाया कि सभी करदाताओं के संबंध में, सभी बीजक जीएसटीआर-1 विवरणी में दर्ज किए गए थे।

चूंकि, करदाताओं ने इन बीजकों को अपने जीएसटीआर-1 विवरणी में दर्ज किया था, इसलिए यह माल के प्राप्तकर्ताओं के जीएसटीआर-2ए विवरणी में स्वतः ही जमा हो गया होगा। इस प्रकार, एनआईसी की बी1 प्रतिवेदन को ध्यान में रखते हुए, माल की वास्तविक आवाजाही के बिना ₹ 2.94 करोड़ की अनियमित आईटीसी को माल प्राप्तकर्ताओं को हस्तांतरित करने की संभावना थी, जैसा कि नीचे तालिका-2.9 में दिया गया है:

तालिका 2.9—माल की आवाजाही के बिना आईटीसी हस्तांतरित करना

स. क्र.	जीएसटीआईएन	बी-1 प्रतिवेदन का माह	बीजको की संख्या	निर्धारण राशि	कर राशि	प्रेषित आईटीसी की राशि
1	22XXXXXXXXXXXXXZK	जून-21	101	11.15	2.01	2.01
2	22XXXXXXXXXXXXXZ5	जून-21	33	4.17	0.75	0.75
3	22XXXXXXXXXXXXXZS	जून-21	4	0.75	0.14	0.14
4	22XXXXXXXXXXXXXZS	अगस्त-21	2	0.13	0.02	0.02
5	22XXXXXXXXXXXXXZQ	मार्च-22	2	0.13	0.02	0.02
योग			142	16.33	2.94	2.94

(₹ करोड़ में)

(स्रोत: ई-वे बिल और जीएसटीएन कॉमन पोर्टल पर उपलब्ध डेटा/सूचना)

इंगित किये जाने पर (जून 2024), शासन की ओर से कोई उत्तर नहीं दिया गया।

बर्हिगमन सम्मेलन (दिसंबर 2024) के दौरान सचिव ने कहा कि प्रकरणों की जांच की जाएगी और उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

**एक उदाहरणात्मक प्रकरण नीचे दिया गया है:**

वृत्त-2, रायगढ़ के अंतर्गत पंजीकृत एक करदाता (जीएसटीआईएन 22XXXXXXXXXXXXXZK) ने जून 2021 के महीने में ₹ 11.15 करोड़ के कर योग्य मूल्य के माल की बाह्य आपूर्ति के लिए 101 ई-वे बिल बनाए थे। लेकिन, बी-1 प्रतिवेदन के अनुसार ई-वे बिल में उल्लिखित वाहनों की कोई आवाजाही नहीं थी। चूंकि, कोई वाहन आवाजाही नहीं थी, इसलिए यह संभावना बनती है कि उक्त करदाता द्वारा अपने जीएसटीआर-1 विवरणी में बीजक को दर्शाकर लगभग ₹ 2.01 करोड़ का आईटीसी प्राप्तकर्ताओं को हस्तांतरित कर दिया गया हो।

अनुशंसा क्रमांक 9: विभाग ऐसे प्रकरणों को रोकने के लिए एनआईसी ई-वे बिल तंत्र के विश्लेषणात्मक रिपोर्टिंग मॉड्यूल को जीएसटीएन कॉमन पोर्टल के साथ मैप करने पर विचार कर सकता है।

## 2.13 कर चोरी प्रतिरोधात्मक उपायों की प्रभावशीलता

### 2.13.1 वाहनों को रोककर जांच करने के लिए दिशा-निर्देश

विभाग ने मई 2018 में एक परिपत्र<sup>32</sup> जारी किया था, जिसमें माल के परिवहन के दौरान वाहनों को रोककर निरीक्षण करने और ई-वे बिल के सत्यापन की प्रक्रिया का विस्तृत विवरण दिया गया था। परिपत्र के अनुसार, जब किसी वाहन को रोका जाता है, तो सक्षम अधिकारी को वाहन के प्रभारी व्यक्ति का बयान फॉर्म जीएसटी एमओवी-01 में दर्ज करना

<sup>32</sup> परिपत्र सं. 06/2018 (सीटी/टेक/2018/4226) दिनांक 08 मई 2018।

होता है और भौतिक सत्यापन के लिए फॉर्म जीएसटी एमओवी-02 में आदेश जारी करना होता है। सक्षम अधिकारी, फॉर्म जीएसटी एमओवी-02 जारी होने के 24 घंटे के भीतर, सामान्य पोर्टल पर फॉर्म जीएसटी ई-वे बिल-03 के भाग-ए में एक प्रतिवेदन अपलोड करेगा। सक्षम अधिकारी फॉर्म जीएसटी एमओवी-04 में भौतिक सत्यापन/निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार करेगा और भौतिक सत्यापन के तीन दिनों के भीतर सामान्य पोर्टल पर फॉर्म जीएसटी ई-वे बिल-03 के भाग-बी में अंतिम निरीक्षण प्रतिवेदन दर्ज करेगा।

यदि निरीक्षण में कोई विसंगति नहीं पाई जाती है, तो फॉर्म जीएसटी एमओवी-05 में रिहाई आदेश जारी किया जाएगा और वाहन को आगे जाने की अनुमति दी जाएगी। यदि माल और वाहन को सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 129 के अंतर्गत रोके जाने की आवश्यकता होती है, तो सक्षम अधिकारी फॉर्म जीएसटी एमओवी-06 में जप्ति आदेश जारी करेगा और फॉर्म जीएसटी एमओवी-07 में नोटिस देगा और सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 129(1) के अंतर्गत देय कर और शास्ति निर्दिष्ट करते हुए वाहन के प्रभारी व्यक्ति को फॉर्म जीएसटी एमओवी-09 में मांग आदेश देगा। जहां प्रस्तावित कर और शास्ति फॉर्म जीएसटी एमओवी-06 जारी करने की तारीख से सात दिनों के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है, तो सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 130 के तहत माल और वाहन को जब्त करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

लेखापरीक्षा द्वारा विभाग के क्षेत्रीय संरचनाओं से निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन की सीमा को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। इसके लिए रायपुर आयुक्त से संबंधित 603 में से 50 दर्ज प्रकरणों को जांच के लिए चुने गए और पाए गए विचलन **परिशिष्ट-2.11** और नीचे **तालिका-2.10** में दिए गए हैं:

तालिका 2.10—रोकी गई वाहनों की जांच में देखी गई कमियां

स. क्र.	जांच में देखी गई कमियां का विवरण	दर्ज प्रकरणों एवं उनमें पाई गई कमियां की संख्या
1	जब वाहनों को रोका गया और ई-वे बिल से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे, तब जीएसटी-एमओवी-01 में वाहन के प्रभारी व्यक्ति का बयान दर्ज नहीं किया गया।	10
2	वाहन की भौतिक जांच के लिए आदेश जीएसटी-एमओवी-02 में जारी नहीं किया गया।	11
3	जीएसटी-एमओवी-04 में निरीक्षण प्रतिवेदन वाहन के प्रभारी व्यक्ति को प्रदान नहीं की गई।	13
4	जीएसटी-एमओवी-05 में माल वाहन के लिए रिहाई आदेश उपलब्ध नहीं थे।	10
5	अभिलेखों के प्रस्तुत नहीं करने या दोषपूर्ण अभिलेखों आदि के मामले में जीएसटी-एमओवी-06 में रोक का आदेश उपलब्ध नहीं थे।	10
6	माल की जांच के परिणामस्वरूप जीएसटी-एमओवी-07 में कारण बताओ नोटिस उपलब्ध नहीं थे।	10
7	जीएसटी-ई-वे बिल-03 (भाग-बी) में अंतिम निरीक्षण रिपोर्ट लंबित थी।	02

इंगित किये जाने पर (जून 2024), शासन ने एक प्रकरण में उत्तर दिया (अक्टूबर 2024) कि प्रारंभिक चरण में चूंकि कानून नया था और ऑनलाइन ई-वे बिल और भी नया था, इसलिए कुछ अनजाने प्रक्रियात्मक कमियां थीं, जिससे कोई राजस्व हानि नहीं हुई और दूसरे प्रकरण में उत्तर दिया कि जीएसटी एमओवी-01 से 09 की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि सीबीआईसी का परिपत्र 13 अप्रैल 2018 को जारी किया गया था और प्रकरण का

निपटारा परिपत्र से पहले ही कर दिया गया था। इसके अलावा अन्य प्रकरणों में कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया गया।

बर्हिगमन सम्मेलन (दिसंबर 2024) के दौरान, सचिव ने कहा कि वर्तमान में सभी अधिकारी वाहनों को रोकने के लिए सीबीआईसी और राज्य शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/परिपत्रों का पालन कर रहे हैं।

### 2.13.2 ई-वे बिल सत्यापन के दौरान एकत्र किए गए कर और जुर्माने की मांग जारी न करना

सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 129 (1) के अनुसार, जहां कोई व्यक्ति इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए किसी माल का परिवहन करता है, ऐसे सभी माल और वाहन, जो उक्त माल को ले जाने के लिए परिवहन के साधन के रूप में उपयोग किए जाते हैं और ऐसे माल और वाहन से संबंधित अभिलेख हिरासत में लिए जा सकते हैं या जब्त किए जा सकते हैं और हिरासत में लिए जाने या जब्त किए जाने के बाद, उन्हें छोड़ दिया जाएगा,—(अ) ऐसे माल<sup>33</sup> पर देय कर के सौ प्रतिशत के बराबर लागू कर और जुर्माने का भुगतान करने पर और छूट प्राप्त माल के प्रकरण में, माल के मूल्य के दो प्रतिशत या पच्चीस हजार रुपये के बराबर राशि का भुगतान करने पर, जो भी कम हो, जहां माल का मालिक ऐसे कर और जुर्माने के भुगतान के लिए आगे आता है।

विभाग द्वारा जारी परिपत्र<sup>34</sup> के अनुसार फॉर्म जीएसटी एमओवी-09 में आदेश जीएसटीएन कॉमन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा तथा कार्यवाही से उत्पन्न देयता को इलेक्ट्रॉनिक देयता रजिस्टर में शामिल किया जाएगा।

रायपुर आयुक्त कार्यालय से संबंधित 34 दर्ज प्रकरणों में लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित कमियां देखीं, जिनका विवरण तालिका-2.11 में दिया गया है।

तालिका 2.11—कमियों का विवरण

स. क्र.	जांच में देखी गई कमियां का विवरण	प्रकरणों की संख्या	समाहित राशि (₹ लाख में)		
			कर	शास्ति	योग
1	वाहनों की रोक के दौरान वसूले गए कर और शास्ति की समायोजन में देरी।	30	16.59	27.49	44.07
2	वाहन रोकने के दौरान वसूल की गई कर और शास्ति, के समायोजन को सुनिश्चित किए बिना ही वाहनों की रिहाई की गई।	2	0.98	0.98	1.96
3	रोके गये वाहनों पर कर एवं शास्ति का कम आरोपण	2	1.41	0.96	2.37
योग		34	18.98	29.43	48.40

विस्तृत अवलोकन नीचे दिए गए हैं:

### 2.13.2.1 रोके गये वाहनों पर एकत्र किए गए कर और शास्ति के समायोजन में देरी

लेखापरीक्षा ने पाया कि दर्ज किए गए 30 ई-वे बिल प्रकरणों में, विभाग ने वाहनों के अवरोधन के दौरान करदाताओं से एकत्र किए गए ₹ 44.07 लाख के कर और जुर्माने का

<sup>33</sup> 01 जनवरी 2022 से, देय राशि को देय कर के दो सौ प्रतिशत के बराबर शास्ति के रूप में संशोधित किया गया था।

<sup>34</sup> परिपत्र सं. 06/2018 (सीटी/टेक/2018/4226) दिनांक 08 मई 2018।

समायोजन सुनिश्चित किए बिना माल वाहनों को छोड़ दिया। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि कर और शास्ति विभाग द्वारा 8 से 1,981 दिनों की देरी से समायोजित किया गया था। इनका विवरण **परिशिष्ट-2.12** में दिया गया है।

यह देखा गया कि 30 प्रकरणों में से 11 में, लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने के बाद करदाताओं द्वारा डीआरसी-03 के माध्यम से अपने नकद बही खाते में भुगतान करके देनदारियों को समायोजित किया गया था और शेष 19 प्रकरणों में, कर और शास्ति देरी से समायोजित की गई।

इंगित किये जाने पर (जून 2024), शासन ने कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया।

बर्हिगमन सम्मेलन (दिसंबर 2024) के दौरान, सचिव ने कहा कि इसे भविष्य के लिए टीप किया जाएगा और कहा कि दर्ज किए गए शेष 553 प्रकरणों की कर और शास्ति के समायोजन के लिए जांच की जाएगी।

**एक उदाहरणात्मक प्रकरण नीचे दिया गया है:**

29 मई 2018 को सक्षम अधिकारी द्वारा एक वाहन को रोका गया और प्रपत्र जीएसटी एमओवी-09 में कर और शास्ति की मांग के लिए आदेश जारी किया गया (29 मई 2018) जिसमें वाहन प्रभारी व्यक्ति को ₹ 0.27 लाख का भुगतान करने का निर्देश दिया गया। यह देखा गया कि मांग 29 मई 2018 को जमा कर दी गई थी और उसी दिन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर (ईसीएल) में जमा कर दी गई थी। हालांकि, यह पाया गया कि, देयता को विभाग द्वारा समायोजन नहीं किया गया था और देयता को 17 अक्टूबर 2023 को उनके ईसीएल को डेबिट करके समायोजित किया दिया गया, अर्थात् लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने के बाद ईसीएल में 1,967 दिनों के बाद (अगस्त 2023) क्रेडिट किया। चूंकि ईसीएल में क्रेडिट की उपलब्धता को कर देयता के भुगतान के रूप में नहीं माना जा सकता है, जब तक कि इसे कर देयता के निर्वहन के लिए डेबिट नहीं किया जाता है, इसलिए 1,967 दिनों तक ₹ 0.27 लाख शासकीय खाते से बाहर रहे।

### **2.13.2.2 वाहनों को रोकने के दौरान वसूले गए कर और शास्ति का समायोजन सुनिश्चित किए बिना वाहनों को छोड़ना**

लेखापरीक्षा में पाया गया कि दर्ज किए गए दो ई-वे बिल प्रकरणों में, विभाग ने अन्य राज्यों के करदाताओं के माल वाहनों को रोकते समय ₹ 1.96 लाख का कर और शास्ति वसूल किया। यह देखा गया कि कर और शास्ति बीजक के माध्यम से जमा किया गया था और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्यों को पत्र जारी किए गए थे। हालांकि, कर और शास्ति के समायोजन की पुष्टि केवल एक प्रकरण के लिए उपलब्ध थी। चूंकि, बीजक के माध्यम से शासकीय खातों में जमा की गई राशि का उपयोग कर क्रेडिट के रूप में लिया जा सकता है, इसलिए विभाग को संबंधित राज्य से उनके समायोजन की पुष्टि करने की आवश्यकता है। इनका विवरण **परिशिष्ट-2.13** में दिया गया है।

बर्हिगमन सम्मेलन (दिसंबर 2024) के दौरान, सचिव ने कहा कि कर और शास्ति के समायोजन के लिए प्रकरणों की जांच की जाएगी।

### **2.13.2.3 ई-वे बिल सत्यापन के दौरान कर और शास्ति कम वसूलना**

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ई-वे बिल के तहत दर्ज दो प्रकरणों में विभाग ने उपयुक्त कर और शास्ति वसूल किये बिना ही मालवाहक वाहनों को छोड़ दिया। पहले प्रकरण में वाहन ई-वे बिल के बिना माल ले जा रहा था और दूसरे प्रकरण में प्रपत्र जीएसटी ई-वे बिल-01 के भाग-2-बी में वाहन संख्या अद्यतन नहीं थी। इसलिए, सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 129 (1) के तहत ₹ 2.82 लाख का कर और शास्ति लगाया और वसूला जाना चाहिए था, हालांकि विभाग ने केवल ₹ 0.45 लाख का कर और शास्ति लगाया और

वसूल किया, जिससे ₹ 2.37 लाख का कर और शास्ति कम वसूल किया गया। इनका विवरण **परिशिष्ट-2.14** में दिया गया है।

इंगित किये जाने पर (जून 2024), शासन ने एक प्रकरण में उत्तर दिया (अक्टूबर 2024) कि कर की कोई चोरी नहीं हुई थी। त्रुटि प्रक्रियात्मक और तकनीकी कारणों से हुई थी। दूसरे प्रकरण में, इसने उत्तर दिया कि 03.11.2020 को डीआरसी-03 के माध्यम से ₹ 25,000/- की राशि जमा की गई थी। उत्तर आश्वस्त करने वाला नहीं था क्योंकि पहले प्रकरण में वाहन के अवरोधन के समय परिवहन किए गए माल के लिए कोई ई-वे बिल नहीं था और दूसरे प्रकरण में एक अवैध ई-वे बिल था क्योंकि भाग-2-ब में वाहन संख्या अपडेट नहीं थी। इसलिए, धारा 129 के तहत कर और शास्ति लगाया जाना है जो इन प्रकरणों में नहीं किया गया था।

बर्हिगमन सम्मेलन (दिसंबर 2024) के दौरान, सचिव ने कहा कि प्रकरणों की जांच की जाएगी और उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

**अनुशंसा क्रमांक 10: विभाग दर्ज शेष प्रकरणों का सत्यापन कर सकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वाहनों की जांच के दौरान वसूल किया गया कर और शास्ति सही था और क्या उन्हें समायोजित किया गया था।**

## 2.14 निष्कर्ष

जीएसटी प्रणाली के तहत ई-वे बिल पर निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य सरकारी राजस्व के हितों की रक्षा में ई-वे बिल प्रणाली की प्रभावशीलता और ई-वे बिल प्रणाली से संबंधित प्रावधानों को लागू करने में निवारक/प्रवर्तन संरचनाओं की दक्षता को सत्यापित करना था।

ई-वे बिल प्रणाली में अपंजीकृत व्यक्तियों/नागरिकों के लिए पंजीयन की प्रक्रिया, इलेक्ट्रॉनिक रूप से ई-वे बिल बनाना और इसका सत्यापन, विस्तार, निरस्तीकरण, अस्वीकृति आदि शामिल हैं। 01 दिसंबर 2019 से ई-वे बिल कॉमन पोर्टल पर विवरणी न भरने वालों की ई-वे बिल बनाने की कार्य क्षमता को अवरुद्ध करना सक्षम किया गया था। एनआईसी ने ई-वे बिल पोर्टल के साथ वाहन डेटाबेस को एकीकृत किया था और फास्टैग डेटाबेस के साथ वाहनों की आवाजाही को ट्रैक किया था। एनआईसी 01 जनवरी 2021 से संबंधित वाहनों की आवाजाही का विवरण (मानचित्र में) भी प्रदान करता है, जो स्रोत और गंतव्य पिन कोड आदि के आधार पर सभी ई-वे बिल की प्रारंभ और गंतव्य को दर्शाता है।

उपरोक्त पहलुओं के बावजूद, मौजूदा ई-वे बिल प्रणाली में ई-वे बिल और जीएसटीएन पोर्टलों को आपसी इंटरलिंग से संबंधित पर्याप्त प्रणालीगत कमियां बनी रही हैं, जो प्रणाली द्वारा पता नहीं लगाई जा सकीं। इन कमियों के कारण अपात्र करदाता जीएसटी के सामान्य करदाता के दायरे में लाए बिना कंपोजिशन योजना के अंतर्गत बने रहे, निरस्त किए गए करदाताओं द्वारा ई-वे बिल तैयार किए गए/एक ही बीजक पर कई ई-वे बिल/जोखिम भरे वाहनों के माध्यम से किए गए लेनदेन के लिए ई-वे बिल/विवरणी न दाखिल करने वालों द्वारा ई-वे बिल/अंतर-राज्यीय बाह्य आपूर्ति के लिए कंपोजिशन करदाताओं द्वारा ई-वे बिल इत्यादि तैयार किए गए।

प्रणालीगत कमियों के अतिरिक्त, ठोस लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप कर देयता का निर्वहन न करने (20 प्रकरण), अपात्र आईटीसी का लाभ उठाने (चार प्रकरण), आईटीसी को गलत तरीके से हस्तांतरित करने (पांच प्रकरण) जैसे अनुपालन मुद्दों का पता चला, जिसमें ₹ 20.34 करोड़ के संभावित कर शामिल थे।

इसके अलावा, चिन्हित किये गए कपीए से संबंधित ई-वे बिल के डेटा विश्लेषण के माध्यम से ₹ 631.49 करोड़ के कर योग्य मूल्य वाले 1,719 प्रकरणों का भी केंद्रीय रूप से पता लगाया गया, जिनका राजस्व प्रभाव ₹ 108.10 करोड़ था और उन्हें आगे की सुधारात्मक कार्रवाई के लिए विभाग के साथ साझा किया गया है।

इस प्रकार, यद्यपि तंत्र को वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन नहीं करने की निगरानी के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन राजस्व प्रभाव वाले कमजोरियों/विचलन के प्रकरणों का लेखापरीक्षा के दौरान पता चला, जिस पर विभाग को ध्यान देने की आवश्यकता है।

निवारक तंत्र के संबंध में, ई-वे बिल सत्यापन के लिए कोई समर्पित सेटअप और अलग से कर्मचारी नहीं थे। ई-वे बिल सत्यापन करने के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य भी नहीं था। विवरणी में जांच में उपयोग करने के लिए करदाताओं के अधिकार क्षेत्र के अधिकारियों के साथ विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन साझा करने की प्रणाली में कमी पाई गई।

## 2.15 अनुशंसाओं का सारांश

लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर, विभाग निम्नलिखित अनुशंसाओं पर विचार कर सकता है:

1. **ई-वे बिल प्रणाली में आवश्यक सत्यापन नियंत्रण को शामिल करने की आवश्यकता है:**
  - अंतर-राज्यीय बाह्य आपूर्ति से ई-वे बिल बनाने से समग्र लेवी योजना करदाता को रोकना;
  - निरस्त किए गए करदाताओं द्वारा ई-वे बिल बनाने पर प्रतिबंध;
  - कई ई-वे बिल बनाने में समान/समरूप बीजक के उपयोग पर रोकथाम;
  - माल के परिवहन के लिए वाहन डेटाबेस के माध्यम से उपयुक्त वाहन विवरण के सत्यापन के बाद ही ई-वे बिल बनाना सुनिश्चित करना;
  - उन करदाताओं के लिए ई-वे बिल बनाने की सुविधाओं को अवरुद्ध करें जिन्होंने निर्धारित अवधि के लिए विवरणी दाखिल नहीं किया है।
2. **विभाग निम्न कार्य कर सकता है:**
  - सीबीआईसी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अभिलेखों को समय पर प्रस्तुत करने के लिए अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश करें;
  - ई-वे बिल के सत्यापन एवं एक ही पैन पर उनके पंजीकरण किये गये करदाताओं के विवरणियों की जांच हेतु दिशा-निर्देश जारी करें;
  - करदाताओं द्वारा कर अनुपालन में कमियों का पता लगाने के लिए एनआईसी द्वारा तैयार ई-वे बिल की विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन का उपयोग करे और विवरणी की जांच में उपयोग के लिए क्षेत्राधिकार अधिकारियों के साथ साझा करे;
  - माल की आवाजाही के बिना आईटीसी हस्तांतरित होने के प्रकरणों को रोकने के लिए जीएसटीएन सामान्य पोर्टल के साथ एनआईसी ई-वे बिल तंत्र के विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन मॉड्यूल की मैपिंग करने पर विचार करे;
  - वाहनों की अवरुधन के दौरान एकत्र किए गए कर और शास्ति सही थे और क्या उन्हें समायोजित किया गया था, यह सुनिश्चित करने के लिए दर्ज किए गए शेष प्रकरणों को सत्यापित करें।

# अध्याय 3

---

अनुपालन लेखापरीक्षा

---

विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

राज्य कर (जीएसटी) विभाग

3 “वस्तु एवं सेवा कर भुगतान एवं विवरणियों के दाखिल करने पर विभाग की निगरानी चरण-II” पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

3.1 प्रस्तावना

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के प्रारम्भ ने केंद्र एवं राज्यों द्वारा आरोपित एवं संग्रहित किए जाने वाले कई करों को प्रतिस्थापित कर दिया है। वस्तु एवं सेवा कर जो 01 जुलाई 2017 से प्रभावी हुआ, एक गंतव्य आधारित उपभोग कर है जो वस्तु या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर की गई प्रत्येक मूल्य वृद्धि पर आरोपित किया जाता है। केंद्र एवं राज्य एक ही कर आधार पर एक साथ जीएसटी आरोपित करते हैं। केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) और राज्य वस्तु एवं सेवा कर (सीजीजीएसटी)/केंद्र शासित प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर (यूटीजीएसटी) राज्यांतर्गत आपूर्ति पर आरोपित किया जाता है एवं अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) आरोपित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ वस्तु एवं सेवा कर (सीजीजीएसटी) अधिनियम 2017, की धारा 59, जीएसटी को स्व-निर्धारण आधारित कर के रूप में निर्धारित करती है जहां पर कर देयता की गणना और गणना किए गए कर की देयता का निर्वहन एवं विवरणी दाखिल करने की जिम्मेदारी करदाता पर होती है। जीएसटी विवरणी को सामान्य जीएसटी पोर्टल पर नियमित रूप से ऑनलाइन दाखिल करना अनिवार्य है, असफल रहने पर उचित प्रक्रियानुसार शास्ति देय होगा। यदि किसी विशेष कर अवधि के दौरान व्यवसाय की कोई भी कर देयता नहीं होने पर भी उसे अनिवार्य रूप से शून्य विवरणी दाखिल करना होगा। इसके अलावा सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 61 सह-पठित सीजीजीएसटी नियम 2017, के नियम 99, यह निर्धारित करती है कि उचित अधिकारी, करदाताओं द्वारा प्रस्तुत विवरणी एवं संबन्धित जानकारियों की जाँच कर सकता है, जाँच में पायी गई विसंगतियों के बारे में करदाताओं को सूचित कर सकता है एवं स्पष्टीकरण मांग सकता है।

यह विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा इस नए कर व्यवस्था में कर अनुपालन के लिए निर्धारित नियंत्रण तंत्र और राज्य कर विभाग छत्तीसगढ़ के निरीक्षण तंत्र के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए की गई।

3.2 संगठनात्मक संरचना

राज्य कर विभाग के सचिव, छत्तीसगढ़ सरकार में छत्तीसगढ़ राज्य कर विभाग के समग्र प्रभारी हैं। विभाग राज्य में जीएसटी के साथ साथ छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम<sup>1</sup> (वैट) का प्रशासन करता है जो मुख्यालय स्तर पर राज्य कर आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, मण्डल स्तर पर विशेष आयुक्त, संयुक्त आयुक्त एवं उपायुक्त और वृत्त स्तर पर राज्य कर सहायक आयुक्त, राज्य कर अधिकारी एवं अन्य सहायक कर्मचारी के समग्र नियंत्रण में है।

<sup>1</sup> कुछ निश्चित वस्तुओं जैसे पेट्रोलियम उत्पाद पर वैट अभी भी लागू है।

### 3.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

‘जीएसटी भुगतान एवं विवरणी दाखिल करने पर विभाग की निगरानी’ का लेखापरीक्षण निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ किया गया ताकि इस पर आश्वासन दिया जा सके कि:

- (i) क्या करदाताओं द्वारा नियमों और प्रक्रियाओं का विधिवत पालन किया जा रहा था; और
- (ii) क्या वृत्तों में की जानेवाली जाँच प्रक्रियाएं, आंतरिक लेखापरीक्षा एवं अन्य अनुपालन कार्य पर्याप्त एवं प्रभावी थे।

### 3.4 लेखापरीक्षा पद्धति एवं कार्यक्षेत्र

यह विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा मुख्य रूप से डेटा विश्लेषण के आधार पर संपादित की गई थी जिसमें अप्रैल 2018 से मार्च 2021 की अवधि से संबंधित जोखिम क्षेत्रों एवं, संभावित खतरों पर प्रकाश डाला गया था। डेटा विश्लेषण के माध्यम से इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी), करदेयता का निर्वहन, पंजीकरण एवं विवरणी दाखिल के कार्यक्षेत्र में 17 विचलनों के एक समूह की पहचान की गई थी। ऐसे विचलनों की जाँच एक केंद्रीकृत लेखापरीक्षा<sup>2</sup> (सीमित लेखापरीक्षा) के माध्यम से की गई जिसके अंतर्गत इन विचलनों को संबंधित राज्य कर विभागीय क्षेत्र संरचनाओं यानी वृत्तों को सूचित किया गया तथा पहचाने गए विचलनों पर क्षेत्राधिकार संरचनाओं द्वारा की गई कार्यवाही का पता लेखापरीक्षा द्वारा क्षेत्रीय दौरे किए बिना ही लगाया गया। केंद्रीकृत लेखापरीक्षा (सीमित लेखापरीक्षा) को विस्तृत लेखापरीक्षा से भी पूर्ण किया गया, जिसमें क्षेत्राधिकार क्षेत्र संरचनाओं के पास उपलब्ध अभिलेखों के सत्यापन के लिए क्षेत्रीय दौरे भी किए गए। करदाताओं से संबंधित डेटा/दस्तावेजों (जैसे पंजीकरण, कर भुगतान, विवरणी और अन्य विभागीय कार्य) की जाँच करने के लिए विवरणी से संबंधित जानकारी को राज्य कर विभाग के जीएसटीएन पोर्टल एप्लीकेसन बैंक एंड सिस्टम (बीओवेब) के माध्यम से एक्सेस यथासंभव प्राप्त किया गया। विस्तृत लेखापरीक्षा में संबंधित क्षेत्रीय संरचनाओं के माध्यम से करदाताओं से संबंधित ग्रेनुलर अभिलेख (जैसे बीजक, विविध लेनदार/देनदार का विवरण, वित्तीय अभिलेख आदि) तक पहुंचना भी शामिल था। इसके अलावा चयनित वृत्तों में वृत्तों के अनुपालन कार्य जैसे विवरणियों की जाँच की भी समीक्षा की गई।

विभाग द्वारा विवरणियों की जाँच एवं करदाताओं के अभिलेखों के सत्यापन की समीक्षा के लिए अप्रैल 2018 से मार्च 2021 तक की अवधि को आच्छादित किया गया जबकि चयनित वृत्तों के कार्यों की लेखापरीक्षा हेतु वर्ष 2020-21 तक की अवधि को आच्छादित किया गया।

प्रारम्भ में, सचिव, राज्य कर विभाग छत्तीसगढ़ के साथ दिनांक 19 जून 2023 को एक अंतर्गमन सम्मेलन आयोजित की गई थी जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों, लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र और नमूना चयन प्रक्रिया एवं लेखापरीक्षा नमूना पर चर्चा की गई। इसके अलावा क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रत्येक लेखापरीक्षा कार्य की शुरुआत में एक अंतर्गमन सम्मेलन आयोजित किया गया तथा समापन में एक बहिर्गमन सम्मेलन आयोजित किया गया। दिनांक 06 मई 2025 को बहिर्गमन सम्मेलन आयोजित की गई जिसमें सचिव, राज्य कर विभाग, शामिल हुए। इस विषय केन्द्रीत अनुपालन लेखापरीक्षा का प्रारूप प्रतिवेदन 17 दिसम्बर 2024 को विभाग को अग्रेषित किया गया था। विभाग का उत्तर 30 मई 2025 को प्राप्त हुआ जिसे संबंधित कंडिकाओं में उचित रूप से शामिल किया गया।

<sup>2</sup> केंद्रीकृत लेखापरीक्षा में करदाताओं के ग्रेनुलर अभिलेख जैसे कि उनके खाता पुस्तकों से संबंधित वित्तीय विवरण, बीजक, अनुबंध आदि शामिल नहीं थे।

### 3.5 लेखापरीक्षा नमूना

वास्तविक लेखापरीक्षा की प्रकृति एवं इसकी सीमा का निर्धारण करने हेतु योजना बनाने के लिए एक डेटा संचालित दृष्टिकोण अपनाया गया था।

इस विषय केन्द्रीत अनुपालन लेखापरीक्षा के प्रमुख तीन भाग निम्नानुसार थे:

#### (i) भाग I:— वृत्तों की लेखापरीक्षा

इस लेखापरीक्षा के अंतर्गत वृत्तों के निरीक्षण कार्यों के मूल्यांकन के लिए ऐसे दस वृत्तों का नमूना लिया गया था जिनमें वृत्तों के अधिकार क्षेत्र में विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए एक से अधिक प्रकरण चयनित किए गए थे।

#### (ii) भाग II:— केंद्रीकृत (सीमित) लेखापरीक्षा

विभाग की जाँच प्रक्रिया की पर्याप्तता और प्रभावशीलता के मूल्यांकन के लिए डेटा विश्लेषण के माध्यम से नियमों और विवरणियों के मध्य उच्च मूल्य अथवा उच्च जोखिम वाले विसंगतियों की पहचान करके केंद्रीकृत (सीमित) लेखापरीक्षा के लिए नमूना चुना गया। तदनुसार, इस विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के तहत केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के लिए 366 करदाताओं (641 प्रकरणों) का चयन किया गया था।

#### (iii) भाग III:— विस्तृत लेखापरीक्षा

विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए करदाताओं के नमूने का चयन जोखिम मापदण्डों जैसे अधिक आईटीसी, कर देयता में अंतर, छूट-प्राप्त टर्नओवर का कुल टर्नओवर से गैरानुपातिक होना और अनियमित आईटीसी वापसी एवं अदा न की गई कर देयता के आधार पर किया गया था। 70 करदाता<sup>4</sup> जो इस लेखापरीक्षा के लिए चयनित 22 वृत्तों<sup>5</sup> से संबन्धित हैं, में 90 प्रतिशत बड़े, मध्यम एवं छोटे कर का भुगतान किए बिना आईटीसी लिए हुए, आईटीसी में भिन्नता वाले, आईटीसी अनुपात, अविनिर्वाहित कर देयता वाले एवं 10 प्रतिशत यादृच्छिक स्तर के करदाता शामिल थे।

इस विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा हेतु वृत्तों की लेखापरीक्षा, केंद्रीकृत लेखापरीक्षा और विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए चयनित नमूनों का विस्तृत विवरण *परिशिष्ट-3.1 एवं 3.1(ए) से 3.1(सी)* में दिया गया है।

### 3.6 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड के स्रोतों सीजीजीएसटी अधिनियम और आईजीएसटी अधिनियम तथा इन अधिनियमों के तहत बनाए गए नियमों में निहित प्रावधानों में सन्निहित थे। महत्वपूर्ण प्रावधान *तालिका 3.1* में दिए गए हैं।

<sup>3</sup> स.आ. वृत्त-1, बिलासपुर, स.आ. वृत्त-2, बिलासपुर, स.आ. वृत्त-1, दुर्ग, स.आ. वृत्त-3, दुर्ग, स.आ. वृत्त-4, दुर्ग, स.आ. वृत्त-1, रायगढ़, स.आ. वृत्त-1, रायपुर, स.आ. वृत्त-4, रायपुर, स.आ. वृत्त-5, रायपुर, स.आ. वृत्त-8, रायपुर।

<sup>4</sup> बड़े करदाता-20, मध्यम करदाता-10, छोटे करदाता-05, कर अदा किए बिना आईटीसी का लाभ-08, आईटीसी में असंगती-08, आईटीसी अनुपात-08, अवियुक्त कर देयता-04 एवं यादृच्छिक-07=70 करदाता।

<sup>5</sup> स.आ. वृत्त-अम्बिकापुर, स.आ. वृत्त-1, बिलासपुर, स.आ. वृत्त-2, बिलासपुर, स.आ. वृत्त-3, बिलासपुर, स.आ. वृत्त-1, दुर्ग, स.आ. वृत्त-2, दुर्ग, स.आ. वृत्त-3, दुर्ग, स.आ. वृत्त-4, दुर्ग, स.आ. वृत्त-2, जगदलपुर, स.आ. वृत्त- जाजगीर, स.आ. वृत्त-2, कोरबा, स.आ. वृत्त-1, रायगढ़, स.आ. वृत्त-2, रायगढ़, स.आ. वृत्त-1, रायपुर, स.आ. वृत्त-2, रायपुर, स.आ. वृत्त-3, रायपुर, स.आ. वृत्त-4, रायपुर, स.आ. वृत्त-5, रायपुर, स.आ. वृत्त-6, रायपुर, स.आ. वृत्त-7, रायपुर, स.आ. वृत्त-8, रायपुर, स.आ. वृत्त-9, रायपुर।

तलिका 3.1—मानदंड का स्रोत

स. क्र.	विषय	अधिनियम और नियम
1.	आरोपण एवं संग्रहण	सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 9
2.	रिवर्स चार्ज मैकानिज्म	सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 9(3)
3.	आईटीसी का लाभ उठाना एवं उपयोग करना	सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 16 से 21 सीजीजीएसटी नियम, 2017 के तहत नियम 36 से 45
4.	पंजीकरण	सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 22 से 25 सीजीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 8 से 26
5.	आपूर्तियां	सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 7 एवं 8 सीजीजीएसटी नियम, अधिनियम, 2017 की अनुसूची 1, 2 और 3
6.	आपूर्ति का स्थान	आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 10 से 13
7.	आपूर्ति का समय	सीजीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 12 से 14
8.	आपूर्ति का मूल्यांकन	सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 15 सीजीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 27 से 35
9.	कर का भुगतान	सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 के अध्याय 10 के तहत धारा 49 से 53 सीजीजीएसटी नियम, 2017 के अध्याय 9 के तहत नियम 85 से 88अ
10.	जीएसटी विवरणियों का दाखिला	सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 के अध्याय 9 के तहत धारा 37 से 47 सीजीजीएसटी नियम, 2017 के अध्याय 8 के तहत नियम 59 से 68 तथा 80 सीजीजीएसटी नियम के भाग बी विवरणियों के निर्धारित प्रारूप
11.	शून्य-दर आपूर्ति	आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 16
12.	निर्धारण एवं लेखापरीक्षा कार्य	सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 के अध्याय 12 और 13 के तहत धाराएँ 59, 60, 61, 62, 65 और 66 सीजीजीएसटी नियम, 2017 के अध्याय 11 के तहत नियम 99 से 102

इसके अलावा जो विवरणियों को दाखिल करने, विभिन्न प्रकार की विवरणियों के दाखिल करने की प्रभावी तिथियों को अधिसूचित करने, विवरणियों के दाखिल करने की नियत तिथि को बढ़ाने, वस्तु एवं सेवाओं पर कर की दरें, कर का भुगतान, आईटीसी का लाभ उठाने एवं उपयोग करने, विवरणियों की जाँच एवं कर अनुपालन की निगरानी से संबन्धित केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी)/राज्य कर विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाएँ एवं परिपत्र और मानक संचालन प्रक्रियाएँ (एसओपी)<sup>6</sup> एवं परिपत्र<sup>7</sup> जिनमें विभागीय अधिकारियों के लिए विभिन्न पहलुओं से संबन्धित जैसे विवरणियों को दाखिल करना, विवरणियों की जाँच एवं पंजीयन रद्द करना इत्यादि से संबन्धित निर्देश भी लेखापरीक्षा मानदंड के भाग थे।

### 3.7 लेखापरीक्षा परिणाम

लेखापरीक्षा परिणामों को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- विवरणियों के दाखिले पर निगरानी-वृत्तों की लेखापरीक्षा
- केंद्रीकृत (सीमित) लेखापरीक्षा
- विस्तृत लेखापरीक्षा

<sup>6</sup> आदेश संख्या/वाणिज्यिक/टेक/832/2022/8726 दिनांक 30.09.2022।

<sup>7</sup> संख्या/129/48/2019-जीएसटी दिनांक 24 दिसम्बर 2019।

### 3.8 विवरणियों के दाखिले पर निगरानी-वृत्तों की लेखापरीक्षा

विवरणी एक निर्धारित अवधि के दौरान करदाता द्वारा की गई व्यावसायिक गतिविधियों से संबन्धित विशिष्ट विवरणों का एक कथन है। प्रत्येक करदाता कानूनी रूप से एक निश्चित अवधि के लिए कर देयता के दौरान एक पूर्ण एवं सही और निर्धारित समय में भुगतान किए गए करों की विवरणी को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है। स्व-मूल्यांकन व्यवस्था में करदाताओं द्वारा विवरणियों की निगरानी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि विवरणी ही करदाताओं एवं उनकी संबन्धित व्यावसायिक गतिविधियों के बारे में जानकारी का पहला तरीका है। जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3बी के दाखिले का समग्र रुझान निम्न प्रकार है:

तलिका 3.2—जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी का विवरणी दाखिल करने का रुझान

वित्तीय वर्ष	दाखिल की गई विवरणियों की संख्या		नियत तिथि तक दाखिल की गई विवरणियों की संख्या		नियत तिथि के बाद दाखिल की गई विवरणियों की संख्या		कुल दाखिल की गई विवरणियों की संख्या		दाखिला (प्रतिशत)		दाखिल की गई विवरणियों (प्रतिशत) के आधार पर नियत तिथि तक दाखिल करने वाले	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	जीएसटी आर 3बी	जीएसटी आर 1	जीएसटी आर 3बी	जीएसटी आर 1	जीएसटी आर 3बी	जीएसटी आर 1	जीएसटी आर 3बी	जीएसटी आर 1	जीएसटी आर 3बी	जीएसटी आर 1	जीएसटी आर 3बी	जीएसटी आर 1
2018-19	13,16,067	13,16,067	5,29,974	1	5,61,083	13,455	10,91,057	13,456	82.90	1.02	48.57	0.01
2019-20	13,90,985	13,90,985	5,82,746	3	5,90,463	43,603	11,73,209	43,606	84.34	3.13	49.67	0.01
2020-21	15,47,121	15,47,121	3,80,735	69,207	6,94,096	4,68,443	10,74,831	5,37,650	69.47	34.75	35.42	12.87

(स्रोत: राज्य कर विभाग, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत सूचनाएँ)

उपरोक्त आकड़ों से यह देखा जा सकता है कि जीएसटीआर 3बी विवरणी का दाखिला 2018-19 में 82.90 प्रतिशत से कम होकर 2020-21 में 69.47 प्रतिशत रह गया जबकि जीएसटीआर1 विवरणी का दाखिला 2018-19 में 01.02 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 34.75 प्रतिशत हो गया। इस अवधि में जीएसटीआर1 की उपलब्धता लेकिन जीएसटीआर 3बी के दाखिले की घटती प्रवृत्ति इंगित करती है कि करदाताओं ने व्यवसाय तो किया था परन्तु कर देयता का निर्वहन नहीं किया था जो कर के भुगतान में हुई चूक में महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाता है।

इसके अलावा नियत तिथि तक विवरणियों का दाखिला बहुत कम हुआ है। नियत तिथि तक जीएसटीआर 3बी विवरणी का दाखिला 2018-19 में 48.57 प्रतिशत से कम होकर 2020-21 में 35.42 प्रतिशत रह गया जबकि नियत तिथि तक जीएसटीआर 1 विवरणी का दाखिला 2018-19 में 0.01 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 12.87 प्रतिशत हो गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने (मई 2025) पर विभाग ने (जून 2025) कहा कि कोविड-19 और सहायता के लिए सीए/वकीलों की अनुपलब्धता के कारण जीएसटीआर 3बी और जीएसटीआर 1 के दाखिले में कमी आई।

#### 3.8.1 विलंब से विवरणी दाखिल करने वालों और दाखिल नहीं करने वालों पर कार्यवाई का अभाव

विवरणियों का दाखिला, कर के भुगतान से संबन्धित है क्योंकि दोनों ही कार्यों की नियत तिथि समान होती है, जिसका अर्थ है कि विवरणी दाखिल नहीं करने वालों के प्रकरण में कर/दंड का भुगतान नहीं करने का जोखिम रहता है।

सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 46 सह-पठित सीजीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 68 में यह प्रावधान है कि यदि कोई करदाता नियत तिथि के अंदर विवरणी फाइल करने में विफल हुआ तो उसे जीएसटीआर 3ए में एक नोटिस जारी की जाती है जिसमें उसे 15 दिनों के अंदर विवरणी दाखिल करना होता है। यदि करदाता जीएसटीआर 3ए के जारी होने के 15 दिनों के अंदर विवरणी दाखिल करने में विफल रहता है तो उचित अधिकारी उस समय उपलब्ध या एकत्र किए गए सभी प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए करदाता के कर की देयता का निर्धारण अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार कर सकता है और प्रारूप एएसएमटी 13 में कर निर्धारण आदेश जारी कर सकता है।

सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 50 यह निर्धारित करती है कि प्रत्येक करदाता जो इस अधिनियम के प्रावधानों या इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, परंतु निर्धारित अवधि के दौरान सरकार को कर या उसके कुछ भाग का भुगतान करने में विफल रहता है तो वह उस समयावधि के लिए जिसके लिए कर या उसके कुछ भाग का भुगतान नहीं किया है, अधिसूचित दर पर ब्याज का भुगतान करेगा।

लेखापरीक्षा ने यह पाया कि 10 वृत्त कार्यालयों में से दो वृत्त कार्यालयों स०आ०, वृत्त-4, दुर्ग एवं स०आ०, वृत्त-8, रायपुर ने 2020-21 के दौरान विवरणी दाखिल नहीं करने वालों अथवा विवरणी विलंब से दाखिल करने वालों से संबन्धित कोई भी जानकारी प्रदान नहीं की।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि चयनित 10 वृत्त कार्यालयों में से शेष आठ<sup>8</sup> में 2020-21 के दौरान 3,543, करदाताओं से संबन्धित विवरणी दाखिल नहीं करने वाले/देर से दाखिल करने वाले 3,648 प्रकरणों की पहचान की गई थी तथा उन सभी प्रकरणों में दाखिल नहीं/देर से दाखिल करने वालों को जीएसटीआर 3ए नोटिस जारी किया गया था। जीएसटीआर 3ए नोटिसों के जवाब में 3,648 प्रकरणों में से 2,825 प्रकरणों (77.44 प्रतिशत) में विवरणी दाखिल नहीं करने वाले/देर से दाखिल करने वाले करदाताओं ने विवरणी दाखिल कर दिया। विभाग ने शेष 823 प्रकरणों में से 643 प्रकरणों (78.13 प्रतिशत) में सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार कर निर्धारण (एएसएमटी 13) शुरू करते हुए ₹ 87.76 करोड़ की राशि का आकलन किया जिसमें से ₹ 72.13 करोड़ की राशि की वसूली की गई। 643 प्रकरणों में एएसएमटी 13 की कार्यवाही वापस ले ली गई क्योंकि संबन्धित करदाताओं द्वारा विवरणी दाखिल कर दी गई थी तथा कर की राशि ₹ 72.13 करोड़ के अतिरिक्त ब्याज की राशि ₹ 0.70 करोड़ एवं विलंब शुल्क की राशि ₹ 1.81 लाख का भुगतान कर दिया गया था तथा शेष पाँच प्रकरणों में विभाग द्वारा अंतरिम कुर्की का सहारा लिया गया शेष (823 घटाव 648) 175 प्रकरणों में एएसएमटी 13 की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। वृत्तानुसार विस्तृत विवरण (परिशिष्ट 3.2) में दर्शाया गया है।

आगे लेखापरीक्षा ने 2,825 प्रकरणों में से 750 (यादृच्छिक आधार पर चयनित) प्रकरणों की नमूना जाँच की (जनवरी 2024 से जून 2024) जिनमें करदाताओं ने विलंब से विवरणियाँ दाखिल की और चार<sup>9</sup> वृत्तों के 750 प्रकरणों में से 345 प्रकरणों में देखा गया कि सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 50 के अनुसार करों के विलंबित भुगतान के लिए करों की शुद्ध देयता पर ₹ 1.27 करोड़ ब्याज की राशि का भुगतान न तो संबन्धित करदाताओं द्वारा किया गया और न ही वृत्त अधिकारियों द्वारा इसे अधिरोपित किया गया (परिशिष्ट 3.3)।

<sup>8</sup> स.आ. वृत्त-1, बिलासपुर, स.आ. वृत्त-2, बिलासपुर, स.आ. वृत्त-1, दुर्ग, स.आ. वृत्त-3, दुर्ग, स.आ. वृत्त-1, रायगढ़, स.आ. वृत्त-1, रायपुर, स.आ. वृत्त-4, रायपुर, स.आ. वृत्त-5, रायपुर,।

<sup>9</sup> स.आ. वृत्त-3, दुर्ग, स.आ. वृत्त-1, रायगढ़, स.आ. वृत्त-1, रायपुर, और स.आ. वृत्त-5, रायपुर।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने (मई 2025) कहा कि 258 प्रकरणों में ₹ 0.73 करोड़ की वसूली कर ली गई है, 46 प्रकरणों में ₹ 10.33 लाख की वसूली हेतु उचित कार्यवाही करते हुए कारण बताओ नोटिस (एससीएन)/माँग आदेश/अंतिम कुर्की की नोटिस डीआरसी 01/डीआरसी 07<sup>10</sup>/डीआरसी 13<sup>11</sup> जारी कर दी गई है। 20 प्रकरणों में ब्याज की देयता अधिसूचना संख्या 51/2020 दिनांक 24 जून 2020 द्वारा विवरणियों के दाखिले की समय सीमा को बढ़ाने के कारण नहीं आती है। इस प्रकार, कुल प्रकरण एवं वसूली योग्य ब्याज की पुनः गणना की गई जो क्रमशः 325 प्रकरण एवं राशि ₹ 1.13 करोड़ है।

विभाग के उत्तर का पुनः आकलन करने पर जिन 20 प्रकरणों में विवरणियों के दाखिले की समय सीमा बढ़ा दी गई, को शामिल नहीं किया गया, स्वीकार योग्य है। अन्य 21 प्रकरणों में विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2025)।

### 3.8.2 विवरणियों की संवीक्षा की क्रियाविधि

सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 61 के अनुसार विवरणियों की सत्यता की पुष्टि हेतु करदाताओं द्वारा दाखिल विभिन्न विवरणियों की जाँच उचित अधिकारी द्वारा किया जाना है और विवरणियों में परिलक्षित विसंगतियों या अनियमितताओं पर उपयुक्त कार्यवाई की जानी है। इस उद्देश्य के लिए नामित उचित अधिकारी वृत्त क्षेत्राधिकार के प्रभारी राज्य कर अधिकारी हैं। इसके अलावा सीजीजीएसटी नियम, 2017 का नियम 99 अध्यादेशित करता है कि यदि कोई विसंगतियाँ संज्ञान में आती हैं तो करदाता को स्पष्टीकरण हेतु सूचित किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने चयनित 10 वृत्त कार्यालयों में से शेष आठ<sup>12</sup> में 2020-21 के दौरान पाया कि कुल 11,975 करदाताओं के 41,285 विवरणियों की समीक्षा की गई। वृत्त अधिकारियों के द्वारा 4,558 करदाताओं से संबन्धित विसंगतियाँ गौर की गईं। विभाग ने उन सभी 4,558 प्रकरणों में विसंगतियों को सूचित करते हुए एएसएमटी10 नोटिस जारी किया था। इन नोटिसों के जवाब में 825 प्रकरणों (18.10 प्रतिशत) में संबन्धित करदाताओं ने विसंगतियों को स्वीकार कर लिया था और कर की राशि ₹ 6.75 करोड़ का भुगतान किया था। इसके अलावा इस अवधि के दौरान 3,733 प्रकरणों में एससीएन जारी किए गए थे जिनमें से 1,622 प्रकरणों (43.45 प्रतिशत) में निर्धारण पूरा हो गया था जिसमें ₹ 166.36 करोड़ की राशि वसूली योग्य थी जिसमें से ₹ 59.97 करोड़ की राशि की वसूली की गई थी। शेष 2,111 प्रकरणों में वसूली की कार्यवाई जारी है। आठ वृत्त कार्यालयों में एएसएमटी10/एससीएन कर विवरण एवं स्वीकृति की स्थिति और करदाताओं से वसूली का व्यौरा **परिशिष्ट 3.4** में दिया गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने उत्तर दिया (मई 2025) कि 58 प्रकरणों में ₹ 2.57 करोड़ की वसूली की जा चुकी है, 31 प्रकरणों में आंशिक रूप से ₹ 0.67 करोड़ की राशि का समायोजन किया जा चुका है, 52 प्रकरणों में (31 प्रकरणों को सम्मिलित करते हुए) डीआरसी 13 जारी किया जा चुका है, 56 प्रकरणों में एससीएन जारी किए जा चुके हैं और 247 प्रकरणों में वसूली की माँग हेतु आवश्यक कार्यवाई की जा चुकी है। हालांकि, 1,698<sup>13</sup> प्रकरणों में विभाग का उत्तर प्रतीक्षित (जून 2025) है।

<sup>10</sup> डीआरसी-07 एएसएमटी-13 के पश्चात वसूली आदेश का सारांश।

<sup>11</sup> डीआरसी-13 सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 79(1)(सी) के तहत किसी चूककर्ता से देय कर की वसूली के लिए वृत्त अधिकारी द्वारा जारी अन्य व्यक्ति (बैंक) को नोटिस।

<sup>12</sup> स.आ. वृत्त-2, बिलासपुर, स.आ. वृत्त-1, दुर्ग, स.आ. वृत्त-4, दुर्ग, स.आ. वृत्त-1, रायगढ़, स.आ. वृत्त-1, रायपुर, स.आ. वृत्त-4, रायपुर, स.आ. वृत्त-5, रायपुर और स.आ. वृत्त-8, रायपुर।

<sup>13</sup> 2111 प्रकरण-58 प्रकरण, वसूली की गई-52 प्रकरण, डीआरसी-13 जारी-56 प्रकरण, एससीएन जारी-247 प्रकरण, वसूली की माँग=1698 प्रकरण।

### 3.8.3 पंजीयन रद्द करना

सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 29 सह-पठित सीजीजीएसटी नियम, 2017 का नियम 20 करदाता को कुछ परिस्थितियों जैसे व्यवसाय को बंद करना, पंजीकरण के लिए टर्नओवर का निर्धारित सीमा से नीचे आना, कारोबार का स्थानांतरण/विलय/संयोजन, पैन में परिवर्तन, निर्धारित समयावधि में व्यवसाय शुरू न करना और मालिक की मृत्यु, में पंजीयन रद्द कराने की अनुमति देता है। पंजीयन रद्द करने के लिए आवेदन करने वालों को "पंजीयन रद्द करने की आवश्यकता वाली घटना" के घटित होने पर" जीएसटी कॉमन पोर्टल पर आरईजी 16 में 30 दिनों की अवधि में पंजीयन रद्द करने का आवेदन करना चाहिए।

आगे उक्त अधिनियम की धारा 29(2), करदाताओं द्वारा अधिनियमों या नियमों के उल्लंघन, कोम्पोजीसन करदाताओं द्वारा लगातार तीन कर अवधि की विवरणियों का दाखिल नहीं करना, सामान्य करदाताओं द्वारा लगातार छह महीने की विवरणियों का दाखिल नहीं करना, पंजीकृत व्यक्ति द्वारा पंजीयन के दिनांक से छह महीने के अंदर व्यवसाय शुरू नहीं करना और धोखाधड़ी के माध्यम से या जानबूझकर गलत विवरण देकर अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त पंजीयन, आदि जैसे प्रकरणों के आधार पर वृत्त अधिकारियों को करदाताओं के पंजीयनों को स्वतः रद्द करने की अनुमति देती है।

लेखापरीक्षा ने पंजीयन रद्द करने में कमियाँ पाईं जिनकी चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में गई है।

#### (अ) जीएसटीआर 10 दाखिल नहीं करने वालों पर अपर्याप्त कार्यवाही

सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 45 के अनुसार पंजीयन रद्द होने की प्रभावी तिथि अथवा पंजीयन रद्द करने के आदेश की तिथि जो भी बाद में हो, से तीन महीने के अंदर अंतिम विवरणी (जीएसटीआर 10) दाखिल किया जाना है।

परिपत्र सं 129/48/2019-जीएसटी, दिनांक 24 दिसंबर 2019 के अनुसार, करदाता जिसने जीएसटीआर 10 दाखिल नहीं किया है, को जीएसटीआर 3ए नोटिस जारी किया जाना है। इसके बाद भी यदि करदाता नोटिस (जीएसटीआर 3ए) की प्राप्ति से 15 दिनों के अंदर अंतिम विवरणी दाखिल करने में विफल रहता है तो करदाता की कर देयता का निर्धारण करने के लिए सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 62 सह-पठित सीजीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 100 के तहत निर्धारण आदेश प्रारूप एसएमटी 13 में जारी करना होगा। अगर करदाता एसएमटी 13 आदेश जारी होने के 30 दिनों के अंदर अंतिम विवरणी दाखिल कर देता है तो उक्त आदेश वापस ले लिए गया माना जाएगा। हालांकि ब्याज और विलंब शुल्क के भुगतान की देयता फिर भी जारी रहेगी। यदि एसएमटी 13 आदेश जारी होने से 30 दिनों की वैधानिक अवधि के अंदर अंतिम विवरणी दाखिल नहीं की जाती है तो उचित अधिकारी अधिनियम की धारा 78 के तहत कार्यवाही शुरू कर सकता है एवं अधिनियम की धारा 79 के तहत वसूली कर सकता है।

लेखापरीक्षा ने (जनवरी 2024 से जून 2024 के दौरान) चयनित 10 वृत्त कार्यालयों में से नौ<sup>14</sup> में यह पाया कि 2,637 प्रकरणों में आरईजी-19 (पंजीयन रद्द करने के आदेश) जारी किए गए थे जिनमें 558 (21.16 प्रतिशत) प्रकरणों में करदाताओं ने जीएसटीआर 10 दाखिल कर दिया है, 34 (1.29 प्रतिशत) प्रकरणों में निर्धारण प्राधिकारी द्वारा सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार निर्धारण शुरू किया गया तथा पूरा किया गया, 166 (6.30 प्रतिशत) प्रकरणों में पंजीयन रद्द करने के आदेश को निरस्त किया गया। शेष 1,879 (71.25

<sup>14</sup> स.आ. वृत्त-1, बिलासपुर, स.आ. वृत्त-2, बिलासपुर, स.आ. वृत्त-1, दुर्ग, स.आ. वृत्त-4, दुर्ग, स.आ. वृत्त-1, रायगढ़, स.आ. वृत्त-1, रायपुर, स.आ. वृत्त-4, रायपुर, स.आ. वृत्त-5, रायपुर और स.आ. वृत्त-8, रायपुर।

प्रतिशत) पंजीयन रद्द किए हुए प्रकरणों में करदाताओं द्वारा जीएसटीआर 10 फाइल नहीं किया गया और सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 62 के अनुसार निर्धारण प्राधिकारी द्वारा सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार निर्धारण शुरू भी नहीं किया गया। वृत्तानुसार विवरण **परिशिष्ट 3.5** में दिया गया है।

विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2025)।

### (ब) पंजीयन रद्द करने में विलंब

करदाता के पंजीयन रद्द करने हेतु दिए हुए आवेदन की तिथि से या स्वतः संज्ञान लेकर पंजीयन रद्द करने के प्रकरण में आरइजी 17 के उत्तर की तिथि से 30 दिनों के अंदर प्रारूप आरइजी 19 में पंजीयन रद्द करने का आदेश जारी किया जाना है।

लेखापरीक्षा ने चयनित 10 वृत्त कार्यालयों में से चार<sup>15</sup> में पाया कि 1,192 प्रकरणों में से 447 (37.50 प्रतिशत) प्रकरणों में करदाताओं के अनुरोध पर पंजीयन रद्द करने का आदेश एक दिन से लेकर 874 दिनों के विलंब से जारी किया गया था। विलंब से पंजीयन रद्द करने से सरकारी खाते में कर, शास्ति एवं ब्याज के विलंब से वसूल हुआ (**परिशिष्ट 3.6**)।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर (जनवरी 2024 से जून 2024 के दौरान) विभाग ने उत्तर (मई 2025) दिया कि 2020-21 के दौरान कोविड-19 महामारी, और जीएसटी पोर्टल में तकनीकी समस्या के कारण नियत समय पर पंजीयन रद्द करने का आदेश जारी नहीं हो सका। इसके अलावा विभाग द्वारा यह भी कहा गया कि करदाताओं ने पंजीयन रद्द करने के आवेदन में स्टॉक शून्य दिखाया था परंतु उनके क्रेडिट लेजर में आईटीसी उपलब्ध था और विभाग द्वारा यह सुनिश्चित करते हुए कि करदाता के क्रेडिट लेजर में कोई भी आईटीसी उपलब्ध न हो, पंजीयन रद्द करने का आदेश, जारी किया गया।

**अनुशंसा क्रमांक 1: विभाग अविनिर्वाहित कर देयता की जाँच हेतु अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पंजीयन रद्द करने और उसपर की गई कार्यवाई की स्थिति की निगरानी कर सकता है।**

### 3.8.4 जनशक्ति प्रबंधन

विभाग की कुशल कार्यप्रणाली के लिए, इसके उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उचित जनशक्ति की योजना और उनका उचित परिनियोजन आवश्यक है।

2018-19 से 2020-21 के दौरान राज्य कर विभाग में न्यायनिर्णयन प्राधिकारी (उपायुक्त, सहायक आयुक्त, राज्य कर अधिकारी/सहायक राज्य कर अधिकारी) और अन्य सहायक कर्मचारी (अधीक्षक/कर सहायक आदि) से संबन्धित स्वीकृत एवं कार्यरत पदों का विवरण **तालिका 3.3** में दिया गया है।

तालिका 3.3—स्वीकृत पदों की संख्या और कार्यरत पदों का विवरण

वर्ष	पदों की संख्या	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत पदों की संख्या	खाली पदों की संख्या	खाली पदों की संख्या का प्रतिशत
2018-19	न्यायनिर्णयन प्राधिकारी	236	119	117	49.58
	सहायक कर्मचारी	1,627	1,175	452	27.78
2019-20	न्यायनिर्णयन प्राधिकारी	236	109	127	53.81
	सहायक कर्मचारी	1,627	1,138	489	30.05
2020-21	न्यायनिर्णयन प्राधिकारी	236	107	129	54.66
	सहायक कर्मचारी	1,627	1,138	489	30.05

(स्रोत: राज्य कर विभाग, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत सूचनाएँ)

<sup>15</sup> स.आ. वृत्त-1, बिलासपुर, स.आ. वृत्त-2, बिलासपुर, स.आ. वृत्त-1, दुर्ग और स.आ. वृत्त-8, रायपुर।

इस प्रकार, 2018-19 से 2020-21 के दौरान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी से संबन्धित खाली पद 49.58 प्रतिशत से 54.66 प्रतिशत के बीच रहा जबकि सहायक कर्मचारियों से संबन्धित खाली पद 27.78 प्रतिशत से 30.05 प्रतिशत के बीच था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर (दिसम्बर 2024) विभाग ने उत्तर (मई 2025) दिया कि नए पदों को स्वीकृत कर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को अग्रेषित किया जा रहा है।

विभाग के उत्तर में कार्यरत पदों के समक्ष खाली पदों के बारे में संबोधित नहीं किया गया।

### 3.8.5 कर प्राधिकारी द्वारा लेखापरीक्षा में विलंब/आंतरिक लेखापरीक्षा शुरू नहीं करना

सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 65 के अनुसार, आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी एक साधारण या विशेष आदेश द्वारा किसी पंजीकृत व्यक्ति की ऐसी अवधि, ऐसी आवृत्ति और ऐसी रीति जो निर्धारित की जाए, संपरीक्षा कर सकता है। सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 2(13) में परिभाषित "संपरीक्षा" से तात्पर्य किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा बनाए गए अथवा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों, विवरणियों और अन्य दस्तावेजों की परीक्षा से है जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों अथवा तत्समय लागू किसी अन्य विधि के अधीन घोषित टर्नओवर, निष्पादित कर भुगतान, दावा कृत प्रतिदाय और उपभोग किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट की शुद्धता की जाँच एवं इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुपालन का आंकलन करने हेतु किया जाता है।

विभाग द्वारा प्रस्तुत जानकारी से लेखापरीक्षा ने यह पाया कि 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान विभाग ने कोई संपरीक्षा नहीं किया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर (दिसम्बर 2024) सचिव ने उत्तर दिया (मई 2025) कि विभाग में उच्च जोखिम वाले करदाता जिसकी आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा संपरीक्षा की जाएगी, की विस्तृत जाँच हेतु नकली करदाता सेल (एनजीटीपी) मार्च 2024 में स्थापित की जा चुकी है।

अनुशंसा क्रमांक 2: विभाग प्रकरणों के कालवाधित होने से पहले एक निश्चित समयावधि में संपरीक्षा की प्रक्रिया को सुनिश्चित कर सकता है।

### 3.9 केंद्रीकृत/सीमित लेखापरीक्षा

#### जीएसटी विवरणियों में विसंगतियाँ

जीएसटी विवरणियों<sup>16</sup>/ऑकड़ों के बीच के विचलनों, विसंगतियों और भिन्नताओं की पहचान करने के उद्देश्य से जो सामान्य करदाताओं पर लागू होने वाले निर्धारित 13 जीएसटी विवरणियों में से सात<sup>17</sup> मूलभूत विवरणियों जो सामान्य करदाताओं पर लागू होते हैं, पर विचार किया गया था।

<sup>16</sup> 1. जीएसटीआर 1 2. जीएसटीआर 3बी 3. जीएसटीआर 4 (कंपोजीसन स्कीम के तहत करदाता) 4. जीएसटीआर 5 (अप्रवासी करयोग्य व्यक्ति) 5. जीएसटीआर 5ए (अप्रवासी ओआइडीएआर सेवा प्रदाता) 6. जीएसटीआर 6 (इनपुट सेवा वितरक) 7. जीएसटीआर 7 (टीडीएस काटनेवाले करदाता) 8. जीएसटीआर 8 (ई-कॉमर्स अपरेटर) 9. जीएसटीआर 9 (वार्षिक विवरणी) 10. जीएसटीआर 10 (अंतिम विवरणी) 11. जीएसटीआर 11 (यूआइएन वाले व्यक्ति जिन्होंने प्रतिदाय का दावा किया है) 12. सीएमपी 08 13. आईटीसी 04 (प्रिन्सिपल/जॉब वर्कर के द्वारा दाखिल किया जाने वाला विवरण जो जॉब वर्कर से निर्गत/प्राप्त माल का विस्तृत व्यौरा होता है)

<sup>17</sup> 1. जीएसटीआर 1 (वस्तु एवं सेवा कर की जावक आपूर्तियों के लिए मासिक विवरणी) 2. जीएसटीआर 3बी (मासिक सारांश विवरणी) 3. जीएसटीआर 6 (इनपुट सेवा वितरक) 4. जीएसटीआर 8 (ई-कॉमर्स अपरेटर) 5. जीएसटीआर 9 (वार्षिक विवरणी) 6. जीएसटीआर 9सी (वार्षिक विवरणी और लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के मध्य समायोजन विवरण) 7. जीएसटीआर 2ए (प्रणाली द्वारा स्वतः तैयार आवक आपूर्तियाँ)।

लेखापरीक्षा ने जीएसटीएन द्वारा उपलब्ध कराए गए अप्रैल 2018 से मार्च 2021 तक के जीएसटी विवरणी आँकड़ों का विश्लेषण किया। करदाताओं द्वारा दाखिल जीएसटी विवरणियों में नियम आधारित विचलनों और तार्किक विसंगतियों की पहचान, 17 लेखापरीक्षा आयामों के एक समूह पर की गई थी जिन्हें मुख्यतः दो क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है जैसे आईटीसी एवं कर भुगतान जैसे कि **तालिका 3.4** में दर्शाया गया है:

**तालिका 3.4—किए गए आँकड़ों के विश्लेषण का विवरण**

आयाम क्र.	प्रयुक्त कलन विधि	संभावित जोखिम	कार्यक्षेत्र
1	सभी संशोधनों के साथ जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी की तुलना जीएसटीआर 3बी की तालिका 4ए (5) (घरेलू आपूर्ति पर उपाजित) में लिए गए आईटीसी जिसमें तालिका 4बी(2) में रिवर्सल को ध्यान में रखते हुए लेकिन अगले वर्ष के जीएसटीआर-9 की तालिका 8सी में उपलब्ध आईटीसी और प्रतिबंधित क्रेडिट से की गई थी।	जीएसटीआर-2ए और जीएसटीआर-3बी के मध्य आईटीसी भिन्नता	आईटीसी
2	जीएसटीआर-2ए में उपलब्ध आईटीसी की तुलना जीएसटीआर-9 की तालिका 8ए से की गई थी जो जीएसटीआर-2ए (स्वतः भरा हुआ जिसे बदला नहीं जा सकता) में उपलब्ध आईटीसी को दर्शाता है लेकिन जीएसटीआर-2ए में उन प्रविष्टियों को शामिल नहीं करता है जिसमें आपूर्तिकर्ता करदाता ने नियत तिथि तक जीएसटीआर-1 दाखिल नहीं किया है और उस आईटीसी को भी शामिल नहीं करता है जिस अवधि में प्राप्तकर्ता करदाता कम्पोजिसन स्कीम में था।	आपूर्तिकर्ता करदाता के कर जमा किए बिना आईटीसी दिया गया	आईटीसी
3	2018-19 से 2020-21 की अवधि से संबन्धित जीएसटीआर-3बी जो अगले वर्ष अक्टूबर के बाद दाखिल किए गए, की तालिका 4 के माध्यम से लिया गया आईटीसी।	नियत अवधि के बाद दाखिल किए गए जीएसटीआर-3बी में लिया गया आईटीसी।	आईटीसी
4	प्राप्तकर्ता करदाता के जीएसटीआर-9 की तालिका 6जी या जीएसटीआर-3बी की तालिका 4(ए)4 में लिए गए आईटीसी की तुलना वितरक जीएसटीआईएन के जीएसटीआर-6 की तालिका 5ए, तालिका 8ए और तालिका 9ए के योग से की गई थी।	आईएसडी क्रेडिट का गलत लिया जाना।	आईटीसी
5	रिवर्स चार्ज मेकनिज्म (आरसीएम) के तहत जीएसटीआर-9 की तालिका 4जी में कर देयता के भुगतान की तुलना जीएसटीआर 9 की तालिका 6सी, 6डी एवं 6एफ में लिए गए आईटीसी से की गई थी। ऐसे प्रकरणों जिनमें जीएसटीआर-9 उपलब्ध नहीं था, जीएसटीआर 3बी की तालिका 3.1(डी) में आरसीएम के तहत भुगतान को जीएसटीआर-3बी तालिका 4(ए)(2) और 4(ए)3 में लिए गए आईटीसी से किया गया। जहां पर जीएसटीआर-9 और जीएसटीआर-3बी उपलब्ध थे वहाँ उनके अंतर में जो ज्यादा था उसे लिया गया।	जीएसटीआर-3बी / जीएसटीआर-9 में आरसीएम के तहत कर के कम भुगतान बनाम लिए गए आईटीसी	कर एवं ब्याज भुगतान
6	जीएसटीआर-9सी की तालिका 12एफ में धनात्मक राशि और भिन्नता के लिए तालिका 13 में दिये गए कारणों की जाँच	वार्षिक विवरणी और लेखा पुस्तकों में लिए गए आईटीसी में भिन्नता	वार्षिक विवरणी एवं वित्तीय विवरण
7	जीएसटीआर-9सी की तालिका 14टी में धनात्मक राशि और भिन्नता के लिए तालिका 15 में दिये गए कारणों की जाँच	वार्षिक विवरणी में लिए गए आईटीसी के साथ वित्तीय विवरण का मिलान	वार्षिक विवरणी एवं वित्तीय विवरण

आयाम क्र.	प्रयुक्त कलन विधि	संभावित जोखिम	कार्यक्षेत्र
8	अग्रिमों और संसोधनों पर विचार करते हुए, जीएसटीआर-1 (तालिकाएं 4 से 11) और जीएसटीआर-9 (तालिकाएं 4एन, 10 और 11) के बीच की कर देयता जो ज्यादा है, की तुलना जीएसटीआर-3बी की तालिकाएं 3.1(ए) और 3.1(बी) में किए गए कर भुगतान से किया गया। ऐसे प्रकरणों जिनमें जीएसटीआर-9 उपलब्ध नहीं था, जीएसटीआर-3बी में किए गए कर भुगतान की तुलना जीएसटीआर-1 की देयता से की गई।	अनिर्वाहित देनदारियाँ	कर एवं ब्याज भुगतान
9	जीएसटीआर-3बी की तालिका 3.1(ए)(बी) की तुलना ई-वे बिल में घोषित कर देयता से की गई और ऐसे प्रकरणों जिनमें जीएसटीआर-3बी, ई-वे बिल से कम था की पहचान की गई।	ई-वे बिल सत्यापन के आधार पर कर देयता का निग्रहण	कर एवं ब्याज भुगतान
10	जीएसटीआर-9सी की तालिका 9आर में ऋणात्मक राशि और भिन्नता के लिए तालिका 10 में दिये गए कारणों की जाँच	खाता पुस्तकों और विवरणियों में किए गए कर भुगतान में भिन्नता	वार्षिक विवरणी एवं वित्तीय विवरण
11	कम्पोजीसन लेवी योजना करदाता जिनका अखिल भारतीय आधार पर (केंद्र एवं राज्य क्षेत्राधिकार) व्यापार एक ही पैन के सभी जीएसटीआईएन के तहत 2018-19 में ₹ 1.0 करोड़ एवं 2019-20 में ₹ 1.5 करोड़ टर्नओवर की सीमा पार कर चुका हो, की पहचान की गई।	अपात्र कम्पोजीसन लेवी योजना करदाता	कर एवं ब्याज भुगतान
12	जब टीसीएस प्रावधान प्रभावी हुए तब 1 अक्टूबर 2018 से ई-कामर्स जीएसटीआर-8 प्रभावी हो गया। जीएसटीआर-8 में घोषित जीएसटीआईएन जो कम्पोजीसन लेवी योजना के तहत जीएसटीआर-4/सीएमपी-08 भी दाखिल कर रहे हैं।	कम्पोजीसन लेवी योजना वाले करदाता भी ई-कामर्स सुविधा का लाभ उठा रहे हैं।	कर एवं ब्याज भुगतान
13	करदाता जिन्होंने जीएसटीआर-3बी दाखिल नहीं किया लेकिन जीएसटीआर-1 दाखिल किया है या जहां पर जीएसटीआर-2ए उपलब्ध है, संकेत देता है कि करदाताओं द्वारा कर के निर्वाहन किये बिना व्यवसाय किया जा रहा है।	जीएसटीआर-3बी दाखिल नहीं किया गया लेकिन जीएसटीआर-1 उपलब्ध है।	कर एवं ब्याज भुगतान
14	जीएसटीआर-3बी में घोषित ब्याज की तुलना में जीएसटीआर-3बी के विलंबित दाखिले पर कर के भुगतान के नकद भाग पर ब्याज की गणना 18 प्रतिशत से की गई।	ब्याज का कम भुगतान	कर एवं ब्याज भुगतान
15	जीएसटीआर-3बी की तालिका 3.1(ए) की तुलना जीएसटीआर-2ए की तालिका 9 के कालम 6 से की गई। जिन प्रकरणों में जीएसटीआर-3बी की राशि जीएसटीआर-2ए से कम थी उनकी पहचान की गई।	टीडीएस विवरणियों की तुलना में कर योग्य आपूर्तियों की मात्रा की कम घोषणा	टर्नओवर की भिन्नता
16	वर्ष के प्रारम्भ में जीएसटीआर-9सी की तालिका 5बी में बिलरहित राजस्व से पूर्व वर्ष के जीएसटीआर-9सी की तालिका 5एच के बिलरहित राजस्व के बराबर होना चाहिए था। कोई भी भिन्नता टर्नओवर में की गई कमी को दर्शाता है।	बिलरहित राजस्व के आधार पर जीएसटीआर-9सी में कर योग्य टर्नओवर को कम करके घोषित करना।	टर्नओवर की भिन्नता
17	जीएसटीआर-9सी की तालिका 7जी में ऋणात्मक राशि और भिन्नता के लिए तालिका 8 में दिये गए कारणों की जाँच	जीएसटीआर-9सी की तालिका 7जी में घोषित कर योग्य टर्नओवर में भिन्नता।	टर्नओवर की भिन्नता

₹ 14,045.80 करोड़ की राशि के साथ डेटा विश्लेषण के द्वारा दर्शाए गए 641 विचलनों को **परिशिष्ट 3.7** में संक्षेपित किया गया है।

### 3.9.1 केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के परिणाम

लेखापरीक्षा की टिप्पणी के ऊपर विभाग से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर अनुपालन विचलन में अनुवादित 17 आयामों में से प्रत्येक का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

#### केंद्रीकृत लेखापरीक्षा सारांश

641 प्रकरणों के विचलनों/विसंगतियों में से विभाग ने सभी 641 कमियों (100 प्रतिशत) का उत्तर प्रस्तुत किया जिनमें 582 प्रकरण जिनमें ₹ 1,670.10 करोड़ कर का कम आरोपण एवं 59 प्रकरण जिनमें ₹ 12,375.70 करोड़ टर्नओवर में भिन्नता थी, शामिल थे (**परिशिष्ट-3.8(ए) और 3.8(बी) में कालम संख्या 2 और 3**)। कर के कम आरोपण वाले इन 582 प्रकरणों में से 177 प्रकरण (**परिशिष्ट-3.8(ए) में कालम संख्या 4, 6 और 8**) ₹ 273.32 करोड़ राशि की अनुपालन कमियों वाले थे जिन्हें विभाग द्वारा स्वीकार किया गया। इन 177 प्रकरणों में से 30 प्रकरणों में ₹ 2.46 करोड़ की राशि की वसूली की जा चुकी है (**परिशिष्ट-3.8(ए) की कालम संख्या 4 और 5, परिशिष्ट-3.9**)। 141 प्रकरणों में कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किए जा चुके हैं जिनमें ₹ 264.28 करोड़ की राशि (**परिशिष्ट-3.8(ए) की कालम संख्या 6 और 7, परिशिष्ट-3.10**) के विचलन थे। छह प्रकरणों में ₹ 6.58 करोड़ की राशि हेतु एसएमटी10 जारी किए गए थे (**परिशिष्ट-3.8(ए) की कालम संख्या 8 और 9, परिशिष्ट-3.11**)।

आईटीसी लेने, आपूर्तिकर्ता करदाता के कर का प्रेषण किए बिना आईटीसी लेने, अनिर्वहित कर देयता और जीएसटीआर 3बी दाखिल नहीं करने में अपेक्षाकृत उच्च दर पर अनुपालन कमियाँ देखी गईं।

340 प्रकरणों में से (**परिशिष्ट-3.8(ए) की कालम संख्या 12, 14 और 16**), जिनमें विभाग के उत्तर लेखापरीक्षा को स्वीकार्य थे; 39 प्रकरणों में करदाताओं द्वारा डेटा प्रविष्टि त्रुटियाँ की गईं (**परिशिष्ट-3.8(ए) की कालम संख्या 12**); 45 प्रकरणों में विभाग द्वारा सक्रिय कार्यवाई की गईं (**परिशिष्ट-3.8(ए) की कालम संख्या 14**) और 256 प्रकरणों में (**परिशिष्ट-3.8(ए) की कालम संख्या 16**) अन्य वैध स्पष्टीकरण थे।

विवरणियों की जाँच, उपलब्ध परिपत्रों, अधिसूचनाओं और जीएसटी काउंसिल द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर लेखापरीक्षा ने (**परिशिष्ट-3.8(ए) की कालम संख्या 18 और 19**) 56 प्रकरणों में क्वेरी को विलोपित कर दिया।

नौ प्रकरणों में (**परिशिष्ट-3.8(ए) की कालम संख्या 10**) विभाग के उत्तर बिना किसी प्रासंगिक स्पष्टीकरण के प्रदान किए गए थे।

इसी तरह, लेखापरीक्षा ने 59 प्रकरणों (**परिशिष्ट-3.8(बी) की कालम संख्या 6, 12, 14 और 16**) में टर्नओवर से संबंधित भिन्नताओं (**परिशिष्ट-3.8(बी)**) को देखा। इनमें से सात प्रकरणों में ₹ 6.58 करोड़ की राशि अनुपालन कमियाँ थी जिनके लिए विभाग (**परिशिष्ट-3.8(बी) की कालम संख्या 6, परिशिष्ट-3.10**) द्वारा एससीएन जारी किए गए हैं, चार प्रकरणों में करदाताओं (**परिशिष्ट-3.8(बी) की कालम संख्या 12**) द्वारा डेटा प्रविष्टि त्रुटियाँ की गई थीं, दो प्रकरणों में विभाग सक्रिय कार्यवाई (**परिशिष्ट-3.8(बी) की कालम संख्या 14**) किया था और 46 प्रकरणों में विभाग अन्य वैध स्पष्टीकरण (**परिशिष्ट-3.8(बी) की कालम संख्या 16**) प्रदान किया था।

कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणात्मक प्रकरण जिनमें वसूली की गई थी या एससीएन जारी किया गया था उनमें नीचे चर्चा किया गया है।

- (i) जीएसटीआर 2ए और जीएसटीआर 3बी के मध्य आईटीसी की भिन्नता (आयाम 1)

लेखापरीक्षा ने वृत्त-4, दुर्ग के एक प्रकरण में जिसका जीएसटीआईएन 22XXXXXXXXXX  
XX1Z8 था, पाया कि उसके जीएसटीआर 2ए में आईटीसी ₹ 4.70 करोड़ था और  
जीएसटीआर 3बी की तालिका 4ए(5) में लिया गया आईटीसी ₹ 37.34 करोड़ था।  
परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 2019-20 में लिए गए आईटीसी की राशि में ₹ 32.64 करोड़ की  
भिन्नता थी।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (जून 2023) विभाग ने (मई 2025) उत्तर दिया कि  
ब्याज और दंड सहित ₹ 63.87 करोड़ की माँग हेतु डीआरसी 07 अर्थात् मूल-आदेश  
(ओआईओ) जारी (अगस्त 2024) किया गया। इस बाबत आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी  
(जून 2025)।

**(ii) आपूर्तिकर्ता करदाता के कर का प्रेषण किए बिना आईटीसी हस्तांतरण  
करना (आयाम 2)**

लेखापरीक्षा ने वृत्त-2, बिलासपुर के एक प्रकरण में जिसका जीएसटीआईएन  
22XXXXXXXXXX1ZI था, पाया कि उसके जीएसटीआर 2ए में ₹ 60.55 करोड़  
आईटीसी उपलब्ध था और जीएसटीआर 9 की तालिका 8ए में ₹ 52.35 करोड़ आईटीसी  
परिलक्षित हो रहा था। परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 2019-20 में लिए गए आईटीसी की राशि  
में ₹ 8.21 करोड़ की भिन्नता थी।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (जून 2023) विभाग ने (मई 2025) उत्तर दिया कि  
₹ 2.94 करोड़ की माँग हेतु डीआरसी-07 अर्थात् (ओआईओ) जारी (अगस्त 2024) किया  
जाना, ब्याज और शास्ति को शामिल किये जाने की पुष्टि करता है। इस बाबत आगे की  
प्रगति प्रतीक्षित थी (जून 2025)।

**(iii) कट-आफ अवधि के बाद दाखिल जीएसटीआर 3बी में लिया गया  
आईटीसी (आयाम 3)**

लेखापरीक्षा ने वृत्त-1, कोरबा के एक प्रकरण में जिसका जीएसटीआईएन 22XXXXXXXXXX  
XXX1Z1 था, पाया कि अगले वर्ष के सितंबर के जीएसटीआर 3बी विवरणी के दाखिले  
की नियत तिथि के बाद करदाता द्वारा लिया गया आईटीसी ₹ 1.21 करोड़ था।  
परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 2019-20 में लिए गए आईटीसी की राशि में  
₹ 1.21 करोड़ की भिन्नता थी।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (जून 2023) विभाग ने (मई 2025) उत्तर दिया कि  
ब्याज और दंड सहित ₹ 2.79 करोड़ की माँग की पुष्टि करता हुआ डीआरसी 07  
(ओआईओ) जारी (अगस्त 2024) किया गया। इस बाबत आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी  
(जून 2025)।

**(iv) आईएसडी क्रेडिट का गलत लाभ लेना (आयाम 4)**

लेखापरीक्षा ने वृत्त-2 कोरबा के एक प्रकरण में जिसका जीएसटीआईएन 22XXXXXXXXXX  
XXX1ZM था, पाया कि जीएसटीआर 9 की तालिका 6जी में लिया गया आईटीसी  
₹ 0.20 करोड़ था और उसके जीएसटीआर 6 की तालिका (5ए+8ए+9ए) में आईएसडी  
द्वारा स्थानांतरित आईटीसी ₹ 0.05 करोड़ था। परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 2019-20 में लिए  
गए आईटीसी की राशि में ₹ 0.15 करोड़ की भिन्नता थी।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (जून 2023) विभाग ने (मई 2025) उत्तर दिया कि  
ब्याज और दंड सहित ₹ 0.27 करोड़ के लिए डीआरसी 07 (एससीएन) जारी (मई 2024)  
किया गया है। इस बाबत आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (जून 2025)।

**(v) जीएसटीआर-3बी/जीएसटीआर-9 में आरसीएम के तहत लिया गया  
आईटीसी बनाम कर का कम भुगतान (आयाम 5)**

लेखापरीक्षा ने वृत्त-5, रायपुर के एक प्रकरण में जिसका जीएसटीआईएन 22XXXXXXXXX XXX1Z1 था, पाया कि जीएसटीआर 9 की तालिका 4जी में लिया गया आईटीसी ₹ 1.12 करोड़ था और उसके जीएसटीआर 9 की तालिका 6सी, 6डी और 6एफ में लिया गया आईटीसी ₹ 6.30 करोड़ था। परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 2020-21 में लिए गए आईटीसी की राशि में ₹ 5.18 करोड़ की भिन्नता थी।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (जून 2023) विभाग ने (मई 2025) उत्तर दिया कि ब्याज और दंड सहित ₹ 14.23 करोड़ के लिए करदाता को डीआरसी-01 (एससीएन) जारी (दिसम्बर 2024) किया गया था। इस बाबत आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (जून 2025)।

**(vi) असमाधानित देनदारियाँ (आयाम 8)**

लेखापरीक्षा ने वृत्त-5, रायपुर के क्षेत्राधिकार वाले एक करदाता जिसका जीएसटीआईएन 22XXXXXXXXXXXX1ZA था, के प्रकरण में पाया कि जीएसटीआर 1 की तालिका 4 से 11 में कर देयता ₹ 19.05 करोड़ थी और उसके जीएसटीआर 3बी की तालिका 6.1 में भुगतान किया गया कर ₹ 13.40 करोड़ था। परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 2019-20 में कर देयता में ₹ 5.65 करोड़ की भिन्नता थी।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (सितम्बर 2023) विभाग ने (मई 2025) उत्तर दिया कि डीआरसी-13 जारी किया जा चुका है। इस बाबत आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (जून 2025)।

**(vii) ई-वे बिल के सत्यापन के आधार पर कर देयता का संकुचन (आयाम 9)**

लेखापरीक्षा ने वृत्त-1, रायगढ़ के एक प्रकरण में जिसका जीएसटीआईएन 22XXXXXXXXX XXXX1ZF था, पाया कि जीएसटीआर 3बी की तालिका 3.1(ए) और 3.1(बी) के अनुसार देय कर ₹ 13.78 करोड़ था और ई-वे बिल के अनुसार कर देनदारी ₹ 21.29 करोड़ थी। परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 2018-19 में कर देनदारी में ₹ 7.51 करोड़ की भिन्नता थी।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (जुलाई 2023) विभाग ने (मई 2025) उत्तर दिया कि ब्याज और दंड सहित ₹ 15.01 करोड़ की माँग हेतु डीआरसी 07 (ओआईओ) जारी (अप्रैल 2024) किया गया। इस बाबत आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (जून 2025)।

**(viii) कम्पोजीसन करदाता भी ई-कॉमर्स सुविधा का लाभ ले रहे हैं (आयाम 12)**

लेखापरीक्षा ने वृत्त-3<sup>18</sup>, रायपुर के एक प्रकरण में जिसका जीएसटीआईएन 22XXXXXXXXX XXXX1ZO था, पाया कि वित्त वर्ष 2020-21 कम्पोजीसन टर्नओवर ₹ 0.11 करोड़ था जबकि जीएसटीआर 9 में घोषित कुल राशि ₹ 0.32 करोड़ थी।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (जुलाई 2023) विभाग ने (मई 2025) उत्तर दिया कि डीआरसी 07 (ओआईओ) करदाता को जारी (फरवरी 2025) किया गया है। इस बाबत आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (जून 2025)।

**(ix) जीएसटीआर-3बी दाखिल नहीं किया गया परंतु जीएसटीआर-1 उपलब्ध था (आयाम 13)**

लेखापरीक्षा ने वृत्त-1, कोरबा के क्षेत्राधिकार वाले एक करदाता जिसका जीएसटीआईएन 22XXXXXXXXXXXX2ZQ था, के प्रकरण में पाया कि 2018-19 के दौरान उसने जीएसटीआर 3बी दाखिल नहीं किया है लेकिन जीएसटीआर 1 दाखिल किया है।

<sup>18</sup> वृत्तों के पुनर्गठन के कारण वर्तमान में करदाता वृत्त-10, रायपुर के अधिकार क्षेत्र में है।

जीएसटीआर 2ए उपलब्ध था। जीएसटीआर 3बी वह साधन है जिसके माध्यम से कर देयता का निर्वहन किया जाता है तथा आईटीसी का लाभ लिया जाता है। जीएसटीआर 1 एवं 2ए की उपलब्धता तथा जीएसटीआर 3बी का दाखिल नहीं किया जाना, यह संकेत देता है कि करदाता ने पूरी अवधि के दौरान व्यवसाय किया था परंतु कर देयता का निर्वहन नहीं किया था। अतः इस प्रकरण में आईटीसी के अनियमित हस्तांतरण से इंकार नहीं किया जा सकता।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (जुलाई 2023) विभाग ने (मई 2025) उत्तर दिया कि डीआरसी 13 जारी (जनवरी 2025) किया जा चुका है। इस बाबत आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (जून 2025)।

**(x) ब्याज का कम भुगतान (आयाम 14)**

लेखापरीक्षा ने वृत्त-1, कोरबा के एक प्रकरण में जिसका जीएसटीआईएन 22XXXXXX XXXX1ZI था, पाया कि वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान जीएसटीआर 3बी के विलंबित दाखिले के कारण ₹ 0.50 करोड़ ब्याज की राशि का कम भुगतान हुआ।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (जुलाई 2023) विभाग ने (मई 2025) उत्तर दिया कि डीआरसी 07 जारी किया गया है। इस बाबत आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (जून 2025)।

**(xi) टीडीएस विवरणियों की तुलना में करयोग्य आपूर्तियों की कम मात्रा की घोषणा (आयाम 15)**

लेखापरीक्षा ने वृत्त-3<sup>19</sup>, रायपुर के क्षेत्राधिकार वाले एक करदाता जिसका जीएसटीआईएन 22XXXXXXXXXX1ZV था, के प्रकरण में पाया कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए जीएसटीआर-7 के अनुसार टीडीएस/टीसीएस पर वसूली गई राशि ₹ 4.90 करोड़ थी जबकि जीएसटीआर 2ए के अनुसार वसूली गई शुद्ध टीडीएस की राशि ₹ 0.10 करोड़ थी। यद्यपि, जीएसटीआर 3बी के अनुसार करयोग्य आपूर्तियाँ शून्य थी जो करदाता द्वारा ₹ 4.90 करोड़ कम मूल्य की घोषणा को इंगित करता है।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (जुलाई 2023) विभाग ने (मई 2025) उत्तर दिया कि ब्याज और दंड सहित ₹ 9.16 करोड़ की राशि के लिए करदाता को डीआरसी 07 जारी (अगस्त 2024) किया गया है। इस बाबत आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (जून 2025)।

**(xii) जीएसटीआर-9सी में घोषित बिना बिल के राजस्व के आधार पर करयोग्य राशि का संकुचन (आयाम 16)**

लेखापरीक्षा ने वृत्त-2, रायपुर के क्षेत्राधिकार वाले एक करदाता जिसका जीएसटीआईएन 22XXXXXXXXXX1ZT था, के प्रकरण में पाया कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए वित्त वर्ष 2019-20 की समाप्ति पर बिना बिल का राजस्व ₹ 7.50 करोड़ था जबकि वित्त वर्ष 2020-21 की शुरुआत में बिना बिल का राजस्व शून्य था जिससे करदाता द्वारा ₹ 7.50 करोड़ की राशि का विचलन था।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (जून 2023) विभाग ने (मई 2025) उत्तर दिया कि ₹ 1.36 करोड़ की राशि के लिए करदाता को डीआरसी 07 जारी (जनवरी 2025) किया गया है। इस बाबत आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (जून 2025)।

**3.9.2 आंकड़ों की भिन्नताएँ/विचलनों पर लेखापरीक्षा को स्वीकार्य विभाग की प्रतिक्रियाएँ**

<sup>19</sup> वृत्तों के पुनर्गठन के कारण वर्तमान में करदाता वृत्त-10, रायपुर के अधिकार क्षेत्र में है।

विचलनों/विसंगतियों वाले प्रकरणों के ऊपर लेखापरीक्षा को स्वीकार्य विभाग की प्रतिक्रियाएँ जो डेटा प्रविष्टि त्रुटियों, लेखापरीक्षा के क्वेरी से पूर्व की गई कार्यवाही और अन्य वैध स्पष्टीकरण से संबन्धित थीं। इनका ब्यौरा **तालिका 3.5** में है।

तालिका 3.5—विचलन के ऊपर लेखापरीक्षा को स्वीकार्य विभाग की प्रतिक्रिया का विवरण

स. क्र.	विचलन	प्रकरणों की संख्या	प्रकरणों का प्रतिशत	शामिल राशि (₹ करोड़ में)
1	डेटा प्रविष्टि त्रुटियाँ	43	6.71	2,539.77
2	लेखापरीक्षा के क्वेरी से पूर्व की गई कार्यवाही	47	7.33	56.93
3	अन्य वैध स्पष्टीकरण	302	47.11	10,965.09
	<b>कुल</b>	<b>392</b>		<b>13,561.79</b>

### 3.9.2.1 स्पष्टीकरण के बिना अन्य प्रकरण

विभाग ने 641 प्रकरणों में से राशि ₹ 79.95 करोड़ के नौ प्रकरणों (1.40 प्रतिशत) में अपूर्ण उत्तर दिया। उत्तर अस्पष्ट था क्योंकि फर्म अस्तित्व में नहीं था, एनसीएलटी<sup>20</sup> में परिसमापन की प्रक्रिया चल रही है और वृत्त अधिकारियों की कार्यवाही भी चल रही है, टर्नओवर के आधार पर प्रकरण उपायुक्त को स्थानांतरित किया गया था इत्यादि। इन प्रकरणों का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 3.12** में दिया गया है।

विभाग का उत्तर (मई 2025) अस्पष्ट था क्योंकि उत्तर के समर्थन में अवैध परिपत्र प्रस्तुत किया गया जबकि कुछ प्रकरणों में एएसएमटी-10 इत्यादि जारी करने के उपरांत उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

**अनुशंसा क्रमांक 03: विभाग जीएसटीएन के परामर्श से डेटा प्रविष्टि त्रुटियों को रोकने, करदाता अनुपालन बढ़ाने और बेहतर जाँच की सुविधा हेतु जीएसटी विवरणियों में सत्यापन नियंत्रण लागू कर सकता है।** विभाग विसंगतियों का पता लगाने एवं समय पर कार्यवाही करने हेतु उपयुक्त एल्गोरिद्म का भी उपयोग कर सकता है।

### 3.10 जीएसटी विवरणियों की विस्तृत लेखापरीक्षा

अखिल राज्य डेटा विश्लेषण के माध्यम से जीएसटी विवरणियों में विसंगतियों/विचलनों की पहचान करने के अलावा इस विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के भाग के रूप में जीएसटी विवरणियों की एक विस्तृत लेखापरीक्षा की गई। इस भाग के लिए 70 करदाताओं (210 प्रकरण) का एक जोखिम आधारित नमूना चयनित किया गया था। संभावित जोखिम वाले क्षेत्रों, विसंगतियों/विचलनों एवं खतरों की पहचान के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली की शुरुआत में करदाताओं द्वारा दाखिल किए गए जीएसटी विवरणियों एवं वित्तीय विवरणों जो कि जीएसटीआर 9सी का एक भाग हैं, और बैंक-एंड सिस्टम में उपलब्ध अन्य अभिलेखों की एक डेस्क समीक्षा करनी थी। डेस्क समीक्षा, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) छत्तीसगढ़ के कार्यालय में की गई। पहचान किए गए जोखिमों के कारणों का पता लगाने के लिए एवं करदाताओं द्वारा किए गए अनुपालनों के मूल्यांकन के लिए डेस्क समीक्षा के परिणाम के आधार पर राज्य कर विभाग के क्षेत्र संरचनाओं में करदाताओं से संबन्धित जरूरी अभिलेख जैसे वित्तीय लेजर, बीजकों आदि की माँग कर विस्तृत लेखापरीक्षा की गई।

विभाग ने अपने परिसर में लेखापरीक्षा हेतु जीएसटी पोर्टल पर राज्य कर विभाग के (बीओ वेब) एप्लिकेशन के माध्यम से लेखापरीक्षा को एक्सेस प्रदान किया। लेखापरीक्षा के दलों

<sup>20</sup> एनसीएलटी- नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल

ने विवरणियों के सत्यापन हेतु करदाताओं के चयनित नमूनों की विभिन्न विवरणियों को डाउनलोड किया।

### कार्यक्षेत्र की सीमा (ग्रेनूलर अभिलेखों का अप्रस्तुतीकरण)

करदाताओं से संबन्धित विस्तृत (ग्रेनूलर) अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं करने के कारण लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र सीमित था। अभिलेखों की माँग और अनुवर्तन के बावजूद वृत्त कार्यालयों ने 70 चयनित करदाताओं में से 37 करदाताओं (52.86 प्रतिशत) (परिशिष्ट 3.1(सी) एवं 3.13) के विस्तृत अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किया जिनमें आईटीसी में भिन्नता और कर देयता ₹ 429.62 करोड़ की राशि को जोखिम-आधारित पद्धति के द्वारा खोजा गया था। फलस्वरूप, लेखापरीक्षा करदाताओं द्वारा दाखिल की गई विवरणियों में उपलब्ध जानकारी तक सीमित था। क्षेत्राधिकार-वार अप्रस्तुत अभिलेखों का विवरण तालिका 3.6 में दिया गया है।

तालिका 3.6-अभिलेखों का प्रस्तुत नहीं किया जाना

स. क्र.	क्षेत्राधिकार	करदाताओं का नमूना	अभिलेख / जवाब प्रस्तुत नहीं करने वाले करदाताओं की संख्या
1	स०आ०, वृत्त-8, रायपुर	8	5
2	स०आ०, वृत्त-2, बिलासपुर	3	1
3	स०आ०, वृत्त-9, रायपुर	6	5
4	स०आ०, वृत्त-3, दुर्ग	4	4
5	स०आ०, वृत्त-4, रायपुर	4	2
6	स०आ०, वृत्त-1, रायपुर	4	1
7	स०आ०, वृत्त-3, रायपुर	9	5
8	स०आ०, वृत्त-7, रायपुर	9	7
9	स०आ०, वृत्त-2, जगदलपुर	3	2
10	स०आ०, वृत्त-1, बिलासपुर	2	2
11	स०आ०, वृत्त-3, बिलासपुर	1	1
12	स०आ०, वृत्त-2, दुर्ग	1	1
13	स०आ०, वृत्त-अम्बिकापुर	2	1
14	अन्य	14	-
	<b>कुल</b>	<b>70</b>	<b>37</b>

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (दिसम्बर 2023 से जुलाई 2024) विभाग ने (मई 2025) उत्तर दिया कि सभी करदाताओं को जांच नोटिस या डीआरसी 01 जारी किया गया था। आगे का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2025)।

विभाग के उत्तर ने विस्तृत अभिलेखों की गैर-प्रस्तुति और दिए गए सुधारात्मक सुझाव को संबोधित नहीं किया।

विस्तृत लेखापरीक्षा के निष्कर्ष स्पष्ट अंतर के साथ ऐसे प्रकरणों से प्रकट हुए हैं, जिनमें विस्तृत अभिलेख प्रस्तुत किए गए या अन्य प्रकार से तीन उप-श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है जिनपर आगे की कंडिकाओं में चर्चा की गई है। लेखापरीक्षा ने 23 प्रकरणों में अनुपालन कमियाँ पाईं जिनमें ₹ 79.18 करोड़ का राजस्व निहितार्थ था। अपात्र या अत्यधिक आईटीसी का लिया जाना, आईटीसी का शून्य/कम रिवर्सल, कर का कम भुगतान और ब्याज का शून्य/कम भुगतान करना, मुख्य कारणात्मक कारक थे।

- विवरणियाँ
- आईटीसी का लाभ उठाना/उपयोग
- कर देयता का निर्वहन

### 3.11 विवरणियाँ

विवरणियों की विस्तृत लेखापरीक्षा में कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज का भुगतान नहीं किया जाना, डेटा प्रविष्टि त्रुटियों, जीएसटीआर 3बी दाखिल नहीं किया जाना, इत्यादि पाए गए, जो नीचे दिये गए हैं:

#### (ए) ब्याज का शून्य/कम भुगतान

सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 50 यह निर्धारित करती है कि इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है लेकिन निर्धारित अवधि में सरकार को कर अथवा उसके किसी भाग का भुगतान करने में विफल रहता है तो जिस अवधि के लिए कर अथवा उसका कोई भाग बकाया रहता है उस अवधि के लिए अधिसूचित दर पर ब्याज का भुगतान करेगा।

लेखापरीक्षा ने चयनित 210 प्रकरणों में से 18 प्रकरणों (8.57 प्रतिशत) में पाया कि करदाताओं ने अपनी विवरणी विलंब से दाखिल की थी जिसके कारण करदेयता का भुगतान विलंब से हुआ और ₹ 1.80 करोड़ ब्याज का भुगतान नहीं किया गया (परिशिष्ट 3.14)।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (दिसम्बर 2023 से जुलाई 2024), विभाग ने उत्तर दिया (मई 2025) कि एक प्रकरण में डीआरसी 01 जारी किया गया था, नौ प्रकरणों में डीआरसी 07 जारी किया गया, दो प्रकरण अपील में, पाँच प्रकरणों में विभाग के उत्तर की अभी भी प्रतीक्षा है और एक प्रकरण में विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ब्याज की गणना हेतु विभाग द्वारा गलत माह ध्यान में रखा गया। आगे का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2025)।

### 3.12 आईटीसी का लाभ/उपयोग

सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 16, करदाता को वस्तु/सेवाओं अथवा दोनों की किसी भी आपूर्ति पर आईटीसी का लाभ लेने की अनुमति प्रदान करती है जिसका उपयोग व्यवसाय के दौरान आगे करने का इरादा है।

अत्यधिक आईटीसी का लाभ लेने, आईटीसी का शून्य/कम वापसी (रिवर्सल) और असमायोजित आईटीसी से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्ष और विसंगतियाँ नीचे दी गई हैं:

#### (ए) अत्यधिक आईटीसी लिया जाना

##### I. ऐसे प्रकरण जहां ग्रेनुलर अभिलेख प्राप्त नहीं हुए

चयनित 210 प्रकरणों में से चार प्रकरणों में (1.90 प्रतिशत) लेखापरीक्षा ने पाया कि ग्रेनुलर अभिलेख प्रदान नहीं करने के कारण ₹ 20.38 करोड़ के आईटीसी लेने में पाई गई भिन्नताओं की विस्तृत जाँच नहीं की जा सकी (परिशिष्ट 3.15)।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (दिसम्बर 2023 से जुलाई 2024), विभाग ने उत्तर दिया (मई 2025) कि दो प्रकरणों में एएसएमटी 10 जारी किया गया था, एक प्रकरण में डीआरसी-01 जारी किया गया था और एक प्रकरण में विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2025)।

##### II. ऐसे प्रकरण जहां ग्रेनुलर अभिलेख प्राप्त हुए

चयनित 210 प्रकरणों में से पाँच प्रकरणों में (2.38 प्रतिशत) लेखापरीक्षा ने पाया कि करदाताओं ने ₹ 35.89 करोड़ अधिक आईटीसी लिया था (परिशिष्ट 3.16)।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (दिसम्बर 2023 से जुलाई 2024), विभाग ने उत्तर दिया (मई 2025) कि दो प्रकरणों में डीआरसी-01 जारी किया जा चुका है, एक प्रकरण में डीआरसी-07 जारी किया जा चुका है और अन्य दो प्रकरणों में विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2025)।

**विभाग द्वारा स्वीकार्य एक प्रकरण उदाहरणस्वरूप नीचे दिया गया है:**

वृत्त-1, बिलासपुर के अंतर्गत जीएसटीआईएन 22XXXXXXXXXX1Z8 वाले एक करदाता के प्रकरण में 2018-19 के लिए जीएसटीआर 2ए में आईटीसी की राशि ₹ 1.09 करोड़ थी परंतु उसी अवधि के लिए जीएसटीआर 3बी में ली गई आईटीसी की राशि ₹ 2.43 करोड़ थी। इस प्रकार, ₹ 1.34 करोड़ अधिक आईटीसी लिया गया।

**(बी) जीएसटीआर 9 में समायोजन पश्चात असमायोजित आईटीसी**

जीएसटीआर 2ए में उपलब्ध आईटीसी और जीएसटीआर 3बी में बाद की अवधियों में समायोजन पश्चात ली गई आईटीसी के अंतर को जीएसटीआर 9 की तालिका 8डी दर्शाती है। जीएसटीआर 9 की तालिका 8डी में ऋणात्मक राशि अत्यधिक आईटीसी लिए जाने को सूचित करती है।

**I. ऐसे प्रकरण जहां ग्रेनुलर अभिलेख प्राप्त नहीं हुए**

चयनित 210 प्रकरणों में से 30 प्रकरणों में (14.28 प्रतिशत) लेखापरीक्षा ने पाया कि जीएसटीआर 9 की तालिका 8ए (जीएसटीआर 2ए से प्राप्त राशि) और जीएसटीआर 9 की तालिका 8बी+8सी के मध्य लिए गए आईटीसी में ₹ 155.24 करोड़ की भिन्नता थी जिसकी विस्तृत जाँच ग्रेनुलर अभिलेखों की अप्रस्तुति के कारण नहीं की जा सकी (परिशिष्ट 3.17)।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (दिसम्बर 2023 से जुलाई 2024), विभाग ने उत्तर दिया (मई 2025) कि तीन प्रकरणों में एएसएमटी 10, आठ प्रकरणों में डीआरसी-01, पाँच प्रकरणों में डीआरसी-07, पाँच प्रकरणों में एपीएल-01 जारी किया गया था और नौ प्रकरणों में विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2025)।

**II. ऐसे प्रकरण जहां ग्रेनुलर अभिलेख प्राप्त हुए**

चयनित 210 प्रकरणों में से सात प्रकरणों में (3.33 प्रतिशत) लेखापरीक्षा ने पाया कि जीएसटीआर 9 की तालिका 8ए (जीएसटीआर 2ए से प्राप्त राशि) और जीएसटीआर 9 की तालिका 8बी+8सी के मध्य ₹ 7.61 करोड़ अधिक आईटीसी लिया गया (परिशिष्ट 3.18)।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (दिसम्बर 2023 से जुलाई 2024), विभाग ने उत्तर दिया (मई 2025) कि एक प्रकरण में डीआरसी-01 जारी किया जा चुका है, दो प्रकरणों में डीआरसी-07 जारी किया जा चुका है, एक प्रकरण प्रक्रियाधीन है और तीन प्रकरणों में विभाग के उत्तर की अभी भी प्रतीक्षा है। इस बावत आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (जून 2025)।

**विभाग द्वारा स्वीकार्य एक प्रकरण उदाहरणस्वरूप नीचे दिया गया है:**

वृत्त-1, बिलासपुर के अंतर्गत जीएसटीआईएन 22XXXXXXXXXX1Z8 वाले एक करदाता के प्रकरण में 2018-19 की अवधि के लिए जीएसटीआर 9 की तालिका 8ए (जीएसटीआर 2ए से प्राप्त राशि) में आईटीसी की राशि ₹ 1.09 करोड़ थी परंतु उसी अवधि के लिए जीएसटीआर 9 की तालिका 8बी+8सी में लिए गए आईटीसी की राशि ₹ 1.62 करोड़ थी। इस प्रकार, ₹ 53.37 लाख अधिक आईटीसी लिया गया।

**(सी) रिवर्स चार्ज मेकनिज्म के तहत अत्यधिक आईटीसी लिया जाना**

आईटीसी की उपलब्धता/उपयोगिता की सत्यता का विश्लेषण करने के लिए जीएसटीआर 3बी और वार्षिक विवरणी जीएसटीआर 9 से संबंधित आकड़ों के समूहों की तुलना यह जाँच करने के लिए की गई कि क्या आरसीएम पर जो आईटीसी लिया गया वह भुगतान किए गए कर के अनुरूप सीमित किया गया था। जीएसटीआर 3बी की तालिका 3.1(डी) में आरसीएम भुगतान की तुलना जीएसटीआर 9 की तालिका 6(सी), 6(डी) और 6(एफ) में लिए गए आईटीसी से करने की कार्यपद्धति अपनायी गई। ऐसे प्रकरणों जिनमें जीएसटीआर 9 उपलब्ध नहीं था, जीएसटीआर 3बी की तालिका 3.1(डी) में भुगतान किए गए कर के भाग की तुलना जीएसटीआर 3बी की तालिका 4ए(2) और 4ए(3) में उपलब्ध आईटीसी से करने, यह जाँच जीएसटीआर 3बी के अंतर्गत सीमित थी।

### I. ऐसे प्रकरण जहां ग्रेनुलर अभिलेख प्राप्त नहीं हुए

चयनित 210 प्रकरणों में से चार प्रकरणों में (1.90 प्रतिशत) लेखापरीक्षा ने पाया कि आरसीएम के तहत ₹ 0.31 करोड़ अधिक आईटीसी लिया गया जिसकी विस्तृत जाँच ग्रेनुलर अभिलेखों की अप्रस्तुति के कारण नहीं की जा सकी (परिशिष्ट 3.19)।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (दिसम्बर 2023 से जुलाई 2024), विभाग ने उत्तर दिया (मई 2025) कि चार प्रकरणों में क्रमशः डीआरसी-01, डीआरसी-07, एपीएल-01 और एएसएमटी 10 जारी किए जा चुके हैं। इस बावत आगे की कार्यवाई प्रतीक्षित थी (जून 2025)।

### II. ऐसे प्रकरण जहां ग्रेनुलर अभिलेख प्राप्त हुए

चयनित 210 प्रकरणों में से तीन प्रकरणों में (1.43 प्रतिशत) लेखापरीक्षा ने पाया कि करदाताओं ने आरसीएम के तहत ₹ 0.55 करोड़ अधिक आईटीसी लिया (परिशिष्ट 3.20)।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (दिसम्बर 2023 से जुलाई 2024), विभाग ने उत्तर दिया (मई 2025) कि एक प्रकरण में डीआरसी-07 जारी किया गया था, एक प्रकरण में एपीएल-01 और एक अन्य प्रकरण में विभाग के उत्तर की प्रतीक्षा थी (जून 2025)।

**विभाग द्वारा स्वीकार्य एक प्रकरण उदाहरणस्वरूप नीचे दिया गया है:**

वृत्त-1, बिलासपुर के अंतर्गत जीएसटीआईएन 22XXXXXXXXXX1ZX वाले एक करदाता के प्रकरण में 2018-19 की अवधि के लिए आरसीएम के तहत ली गई आईटीसी ₹ 1.04 करोड़ थी परंतु उसी अवधि के लिए आरसीएम के तहत किए गए कर का भुगतान ₹ 51.93 लाख था। इस प्रकार, आरसीएम के तहत ₹ 51.91 लाख अधिक आईटीसी लिया गया।

#### (डी) विवरणियों में असमायोजित इनपुट टैक्स क्रेडिट

आकड़ें जीएसटीआर 9 की तालिका 6जे से लिए गए थे जहां जीएसटीआर 9 (जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी) की तालिका 6ए में लिया गया आईटीसी, जीएसटीआर 9 की तालिका 6आई में उपलब्ध आईटीसी से ज्यादा था।

### I. ऐसे प्रकरण जहां ग्रेनुलर अभिलेख प्राप्त नहीं हुए

चयनित 210 प्रकरणों में से 17 प्रकरणों में (8.10 प्रतिशत) लेखापरीक्षा ने पाया कि जीएसटीआर 3बी और जीएसटीआर 9 में लिए गए आईटीसी के मध्य ₹ 168.22 करोड़ की भिन्नता थी जिसकी विस्तृत जाँच ग्रेनुलर अभिलेखों की अप्रस्तुति के कारण नहीं की जा सकी (परिशिष्ट 3.21)।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (दिसम्बर 2023 से जुलाई 2024), विभाग ने उत्तर दिया (मई 2025) कि छह प्रकरणों में डीआरसी-01 जारी किया जा चुका है, दो प्रकरणों में डीआरसी-07 जारी किया जा चुका है, छह प्रकरणों में एपीएल-01, एक प्रकरण में

एएसएमटी 10, एक प्रकरण में कारवाई प्रक्रियाधीन है और एक अन्य प्रकरण में विभाग के उत्तर की प्रतीक्षा थी (जून 2025)।

## II. ऐसे प्रकरण जहां ग्रेनुलर अभिलेख प्राप्त हुए

चयनित 210 प्रकरणों में से दो प्रकरणों में (0.95 प्रतिशत) लेखापरीक्षा ने पाया कि जीएसटीआर 3बी और जीएसटीआर 9 के मध्य ₹ 3.85 करोड़ अधिक आईटीसी लिया गया (परिशिष्ट 3.22)।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (दिसम्बर 2023 से जुलाई 2024), विभाग ने उत्तर दिया (मई 2025) कि एक प्रकरण में एएसएमटी-10 जारी किया जा चुका है और एक प्रकरण में एपीएल-01 जारी किया जा चुका है। इस बावत आगे की कार्यवाई प्रतीक्षित थी (जून 2025)।

**विभाग द्वारा स्वीकार्य एक प्रकरण उदाहरणस्वरूप नीचे दिया गया है:**

वृत्त-1, बिलासपुर के अंतर्गत जीएसटीआईएन 22XXXXXXXXXX1ZX वाले एक करदाता के प्रकरण में 2020-21 की अवधि के लिए जीएसटीआर 9 (जीएसटीआर 3बी की तालिका 4ए की राशि) की तालिका 6ए में घोषित आईटीसी ₹ 23.64 करोड़ था। परंतु उसी अवधि के लिए जीएसटीआर 9 की तालिका 6बी से 6एच में उपलब्ध आईटीसी ₹ 19.91 करोड़ था। इस प्रकार, ₹ 3.73 करोड़ अधिक आईटीसी लिया गया।

### (इ) छूट प्राप्त और गैर-जीएसटी आपूर्तियों के लिए आईटीसी का शून्य/कम रिवर्सल

सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 17(2) सह-पठित सीजीजीएसटी नियम, 2017 का नियम 42 और 43 कहती है कि जब किसी पंजीकृत करदाता द्वारा वस्तु या सेवाओं या दोनों का उपयोग आंशिक रूप से शून्य-दर आपूर्ति को शामिल करते हुए करयोग्य आपूर्ति के लिए और आंशिक रूप से छूट प्राप्त आपूर्ति के लिए किया जाता है तो क्रेडिट की राशि इनपुट कर के उस हिस्से तक सीमित होगी जो शून्य-दर आपूर्ति को शामिल करते हुए करयोग्य आपूर्ति के लिए देय है।

### एसे प्रकरण जहां ग्रेनुलर अभिलेख प्राप्त नहीं हुए

चयनित 210 प्रकरणों में से नौ प्रकरणों में (4.28 प्रतिशत) लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹ 23.54 करोड़ आईटीसी का शून्य/कम रिवर्सल किया गया जिसका लाभ निरंक दर/छूट प्राप्त आपूर्ति के लिए लिया गया था (परिशिष्ट 3.23 और 3.23(ए))।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (दिसम्बर 2023 से जुलाई 2024), विभाग ने उत्तर दिया (मई 2025) कि दो प्रकरणों में डीआरसी 07 जारी किया गया था, दो प्रकरणों में डीआरसी 01, दो प्रकरणों में एपीएल-01, एक प्रकरण प्रक्रियाधीन है और दो प्रकरणों में विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2025)।

### (एफ) जीएसटीआर 9सी की तालिका 12(एफ) के अनुसार असमायोजित आईटीसी

लेखापरीक्षा ने जीएसटीआर 9सी की तालिका 12एफ जो लेखा-पुस्तकों (तालिका 12डी) में गणना किए गए कुल आईटीसी और जीएसटीआर 9 में घोषित आईटीसी के बीच के अंतर को पकड़ता है, की जांच की। लेखापरीक्षा ने इन राशियों की जाँच संबंधित विवरणियों से की जिसके निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

## I. ऐसे प्रकरण जहां ग्रेनुलर अभिलेख प्राप्त नहीं हुए

चयनित 210 प्रकरणों में से नौ प्रकरणों में (4.28 प्रतिशत) लेखापरीक्षा ने पाया कि वार्षिक विवरणी और वित्तीय विवरण में लिए गए आईटीसी के मध्य ₹ 12.70 करोड़ की भिन्नता थी (परिशिष्ट 3.24)।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (मार्च 2024 से जुलाई 2024), विभाग ने उत्तर दिया (मई 2025) कि एक प्रकरण में डीआरसी-01, चार प्रकरणों में एपीएल-01, जारी किया गया था जबकि शेष चार प्रकरणों में विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2025)।

## II. ऐसे प्रकरण जहां ग्रेनुलर अभिलेख प्राप्त हुए

चयनित 210 प्रकरणों में से एक प्रकरण में (0.48 प्रतिशत) लेखापरीक्षा ने पाया कि वृत्त-अंबिकापुर के अंतर्गत जीएसटीआईएन 22XXXXXXXXXX1ZU वाले एक करदाता के प्रकरण में 2019-20 की अवधि के लिए उसकी वार्षिक विवरणी और वित्तीय विवरण में आईटीसी के मध्य ₹ 26.15 करोड़ भिन्नता थी (परिशिष्ट 3.24(ए))।

विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2025)।

### (जी) जीएसटीआर 9सी की तालिका 14टी के अनुसार असमायोजित आईटीसी

जीएसटीआर 9सी की तालिका 14टी किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा इनपुट्स, पूंजीगत वस्तुओं और सेवाओं पर किए गए खर्च की तुलना, लिए गए आईटीसी से करता है और तालिका 14टी में अपात्रता या अवरुद्ध क्रेडिट के कारण अत्यधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट की उपलब्धता को प्रमुखता से प्रदर्शित करता है।

### एसे प्रकरण जहां ग्रेनुलर अभिलेख प्राप्त नहीं हुए

चयनित 210 प्रकरणों में से एक प्रकरण में (0.48 प्रतिशत) लेखापरीक्षा ने पाया कि वृत्त-4, दुर्ग के अंतर्गत जीएसटीआईएन 22XXXXXXXXXX2ZF वाले एक करदाता के प्रकरण में 2018-19 की अवधि के लिए उसकी वार्षिक विवरणी और वित्तीय विवरण में आईटीसी के मध्य ₹ 3.16 लाख की भिन्नता थी।

विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2025)।

### (एच) 180 दिनों के अंदर देय मूल्य के भुगतान पर आईटीसी का शून्य-रिवर्सल

सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 16(2)(डी) के तहत बनाए गए नियमानुसार अगर कोई प्राप्तकर्ता, वस्तु या सेवा या दोनों के आपूर्तिकर्ता को उसके बीजक जारी करने के 180 दिनों के अंदर भुगतान करने में असफल रहता है तो उसके द्वारा लिए गए आईटीसी की राशि को उसके आउटपुट कर दायित्व में ब्याज के साथ जोड़ दिया जाएगा।

## I. ऐसे प्रकरण जहां ग्रेनुलर अभिलेख प्राप्त नहीं हुए

चयनित 210 प्रकरणों में से एक प्रकरण में (0.48 प्रतिशत) लेखापरीक्षा ने पाया कि वृत्त-7, रायपुर के अंतर्गत जीएसटीआईएन 22XXXXXXXXXX1Z4 वाले एक करदाता के प्रकरण में 2019-20 और 2020-21 की अवधि के लिए ₹ 7.09 लाख आईटीसी का शून्य/कम रिवर्सल किया गया जिसका लाभ सीजीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 37 का अनुपालन नहीं करते हुए लिया गया था।

विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2025)।

## II. ऐसे प्रकरण जहां ग्रेनुलर अभिलेख प्राप्त हुए

चयनित 210 प्रकरणों में से एक प्रकरण में (0.48 प्रतिशत) लेखापरीक्षा ने पाया कि वृत्त-3, रायपुर के अंतर्गत जीएसटीआईएन 22XXXXXXXXXX1Z7 वाले एक करदाता के प्रकरण में 2019-20 की अवधि के ₹ 1.78 करोड़ आईटीसी का शून्य/कम रिवर्सल किया गया जिसका लाभ सीजीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 37 का अनुपालन नहीं करते हुए लिया गया था।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (मार्च 2024), वृत्त कार्यालय ने उत्तर दिया कि लिया गया आईटीसी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अप्रयुक्त पड़ा था।

वृत्त कार्यालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संबंधित धारा और नियम यह निर्धारित करते हैं कि आईटीसी की उपयोगिता और बीजक का भुगतान 180 दिनों के अंदर होना चाहिए, चाहे आईटीसी का उपयोग नहीं किया गया हो फिर भी प्रक्रियात्मक जरूरत हेतु करदाता द्वारा उसका रिवर्सल कर दिया जाना चाहिए।

विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2025)।

### 3.13 कर देयता का निर्वहन

सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 9, भारत धारा है जो मानव उपभोग के लिए मादक शराब की आपूर्ति को छोड़कर, उक्त अधिनियम की धारा 15 के तहत निर्धारित मूल्य पर और प्रत्येक अधिनियम यानी सीजीएसटी अधिनियम और सीजीजीएसटी अधिनियम के तहत ऐसे दर पर जो 20 प्रतिशत से अधिक नहीं हो, वस्तु या सेवाओं या दोनों की राज्यातंगत सभी आपूर्तियों पर आरोपण एवं संग्रहण को अधिकृत करती है जिसे राज्य/केंद्र वस्तु एवं सेवा कर कहा जाता है। आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 5 के अनुसार वस्तु एवं सेवाओं की अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर अधिकतम 40 प्रतिशत की दर से आईजीएसटी के आरोपण एवं संग्रहण का अधिकार केंद्र सरकार में निहित है।

वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 की धारा 8 के तहत ऐसे वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की सभी अंतर्राज्यीय एवं राज्यातंगत की आपूर्तियों पर एक उपकर लगाया जाता है जो उक्त अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध हैं जैसे तंबाकू उत्पाद, मद्य पेय, सिगरेट, वाहन आदि। सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 9(3) एवं 9(4) और आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 5(3) एवं 5(4) में कुछ वस्तुओं या सेवाओं पर आरसीएम आधार पर कर आरोपित करने का प्रावधान है जिसमें आपूर्तिकर्ता के बजाय प्राप्तकर्ता कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है।

कर देनदारियों के निर्वहन से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्ष एवं भिन्नताएँ नीचे दी गई हैं:

#### (ए) आरसीएम को छोड़कर कर का कम भुगतान

दो विवरणियों, जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 9 (तालिका 4एन-तालिका 4जी+तालिका 10-तालिका 11) में प्रदान की गई राशियों में बड़ी राशि पर आधारित कर देनदारियों की तुलना जीएसटीआर 9 (तालिका 9+तालिका 14-तालिका 4जी) में किए गए कर के वास्तविक भुगतान से की गई।

#### I. ऐसे प्रकरण जहां ग्रेनुलर अभिलेख प्राप्त नहीं हुए

चयनित 210 प्रकरणों में से आठ प्रकरणों में (3.80 प्रतिशत) लेखापरीक्षा ने पाया कि कर देयता और आरसीएम के अलावा भुगतान किए गए कर में ₹ 3.16 करोड़ की भिन्नता थी (परिशिष्ट 3.25)।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (दिसम्बर 2023 से जुलाई 2024), विभाग ने उत्तर दिया (मई 2025) कि दो प्रकरणों में डीआरसी 07, दो प्रकरणों में डीआरसी 01, दो प्रकरणों एपीएल-01 जारी किए गए थे, एक प्रकरण में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है एवं शेष एक प्रकरण में विभाग का उत्तर प्रतीक्षित थी (जून 2025)।

#### II. ऐसे प्रकरण जहां ग्रेनुलर अभिलेख प्राप्त हुए

चयनित 210 प्रकरणों में से चार प्रकरणों में (1.90 प्रतिशत) लेखापरीक्षा ने कर देयता से संबंधित ₹ 3.35 करोड़ राशि के कम भुगतान की अनुपालन विसंगतियाँ पायीं (परिशिष्ट 3.26)।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (दिसम्बर 2023 से जुलाई 2024), विभाग ने उत्तर दिया (मई 2025) कि दो प्रकरणों में डीआरसी 07, जारी किया गया, एक प्रकरण में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है एवं शेष एक प्रकरण में विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2025)।

**उदाहरणस्वरूप एक प्रकरण नीचे दिया गया है:**

वृत्त-1, बिलासपुर के अंतर्गत जीएसटीआईएन 22XXXXXXXXXXXX1ZX वाले करदाता के पास वर्ष 2018-19 की अवधि के लिए ₹ 30.66 करोड़ की कर देयता (जीएसटीआर 9 की तालिका 4एन-4जी+10-11) और उसी अवधि के लिए ₹ 28.52 करोड़ के कर भुगतान (जीएसटीआर 9 की तालिका 9+तालिका 14-तालिका 4जी) के मध्य भिन्नता थी परिणामस्वरूप ₹ 2.14 करोड़ कर का कम भुगतान हुआ।

**(बी) जीएसटीआर 9सी की तालिका 5आर में वार्षिक विवरणियों एवं वित्तीय विवरणों के मध्य असमायोजित कुल टर्नओवर**

जीएसटीआर 9सी की तालिका 5आर, वार्षिक विवरणी जीएसटीआर 9 में घोषित कर भुगतान एवं लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण के मध्य समायोजन को दर्शाता है।

**ऐसे प्रकरण जहां ग्रेनुलर अभिलेख प्राप्त नहीं हुए**

चयनित 210 प्रकरणों में से तीन प्रकरणों में (1.43 प्रतिशत) लेखापरीक्षा ने पाया कि विवरणी जीएसटीआर 9सी की तालिका 5आर एवं लेखा पुस्तकों के मध्य कुल टर्नओवर में ₹ 79.98 करोड़ की भिन्नता थी **(परिशिष्ट 3.27)**।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (दिसम्बर 2023 से जुलाई 2024), विभाग ने उत्तर दिया (मई 2025) कि एक प्रकरण में डीआरसी 01 जारी किया गया था और शेष दो प्रकरणों में विभाग के उत्तर की प्रतीक्षा थी (जून 2025)।

**(सी) वार्षिक विवरणियों एवं वित्तीय विवरणों के मध्य असमायोजित कर योग्य टर्नओवर जीएसटीआर 9सी की तालिका 7जी**

जीएसटीआर 9सी की तालिका 7जी, वार्षिक विवरणी जीएसटीआर 9 में घोषित कर योग्य टर्नओवर एवं लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण के मध्य समायोजन को दर्शाता है।

**ऐसे प्रकरण जहां ग्रेनुलर अभिलेख प्राप्त नहीं हुए**

चयनित 210 प्रकरणों में से तीन प्रकरणों में (1.43 प्रतिशत) लेखापरीक्षा ने पाया कि विवरणी जीएसटीआर 9सी की तालिका 7जी एवं लेखा पुस्तकों के मध्य कर योग्य टर्नओवर में ₹ 8.15 करोड़ राशि की भिन्नता थी **(परिशिष्ट 3.28)**।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (दिसम्बर 2023 से जुलाई 2024), विभाग ने उत्तर दिया (मई 2025) कि एक प्रकरण में डीआरसी-01, एक प्रकरण में एपीएल-01 और एक प्रकरण में डीआरसी-13 जारी किए गए थे।

**(डी) वार्षिक विवरणियों एवं वित्तीय विवरणों के मध्य घोषित असमायोजित कर भुगतान (जीएसटीआर 9सी की तालिका 9आर)**

जीएसटीआर 9सी की तालिका 9आर, वार्षिक विवरणी जीएसटीआर 9 में घोषित कर भुगतान एवं लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण के मध्य समायोजन को दर्शाता है।

**ऐसे प्रकरण जहां ग्रेनुलर अभिलेख प्राप्त नहीं हुए**

चयनित 210 प्रकरणों में से चार प्रकरणों में (1.90 प्रतिशत) लेखापरीक्षा ने पाया कि जीएसटीआर 9सी की तालिका 9पी और 9क्यू एवं जीएसटीआर 9सी की तालिका 9आर में कर भुगतान में ₹ 3.25 करोड़ राशि की भिन्नता थी **(परिशिष्ट 3.29)**।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (दिसम्बर 2023 से जुलाई 2024), विभाग ने उत्तर दिया (मई 2025) कि दो प्रकरणों में डीआरसी 01 जारी किया गया था और शेष दो प्रकरणों में विभाग के उत्तर की प्रतीक्षा थी (जून 2025)।

**अनुशंसा क्रमांक 4: लेखापरीक्षा को ग्रेनूलर अभिलेख प्रदान करने हेतु राज्य कर विभाग के क्षेत्रीय संरचनाओं को आवश्यक निर्देश जारी करने की जरूरत है।**

### 3.14 निष्कर्ष

जीएसटी भुगतान एवं विवरणियों के दाखिले पर विभाग की निगरानी नामक विषय केंद्रित अनुपालन लेखापरीक्षा, अनुपालन की सीमा एवं कर भुगतान और विवरणियों के दाखिले की निगरानी एवं विभागीय निरीक्षण कार्यों में प्रणाली की पर्याप्तता का आकलन करने के उद्देश्य से की गई थी।

लेखापरीक्षा द्वारा पहचाने गए उच्च दर वाले 641 डेटा विसंगतियों वाले प्रकरणों में विभाग ने सभी में उत्तर प्रस्तुत किया। इनमें से 184 प्रकरण जो कुल का 28.71 प्रतिशत हैं, उनमें ₹ 297.36 करोड़ के राजस्व निहितार्थ के साथ अनुपालन कमियाँ सामने आईं। विभाग ₹ 2.46 करोड़ की वसूली कर चुका है। अधिक आईटीसी लिए जाने, आपूर्तिकर्ता के कर जमा नहीं करने के बावजूद आईटीसी लिए जाने, कर देयता का निर्वहन नहीं करने और जीएसटीआर 3बी का दाखिला नहीं करने से संबन्धित अनुपालन में कमियाँ तुलनात्मक रूप से अधिक दर में पाई गईं। जबकि आंकड़ा प्रविष्टि त्रुटियाँ 6.71 प्रतिशत प्रकरणों में विसंगतियों का कारण बनीं और 7.33 प्रतिशत प्रकरणों में विभाग ने सक्रिय कार्यवाही कर ली थी।

जीएसटी विवरणियों की विस्तृत लेखापरीक्षा ने भी गैर-अनुपालन की घटनाओं को निर्दिष्ट किया। प्रारम्भ में 210 करदाताओं के नमूने में से 37 प्रकरणों में आवश्यक अभिलेख जैसे वित्तीय विवरण, जीएसटीआर 2ए एवं अन्य अपेक्षित आधारभूत अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके चलते लेखापरीक्षा का दायरा काफी सीमित हो गया। ये प्रकरण लिए गए आईटीसी और किए गए कर भुगतान में पहचानी गई विसंगतियों के कारण ₹ 429.62 करोड़ राशि के संभावित जोखिम को दर्शाते हैं। 33 करदाताओं की विवरणियाँ/आधारभूत अभिलेखों की लेखापरीक्षा की गई और लेखापरीक्षा ने ₹ 79.18 करोड़ के राजस्व निहितार्थ के साथ 23 अनुपालन कमियाँ भी पायीं। विभाग ₹ 41.87 करोड़ राशि की वसूली कर चुका है। इनके मुख्य कारण अपात्र/अधिक आईटीसी का लेना, आईटीसी का शून्य/कम रिवर्सल, कर का कम भुगतान और ब्याज का शून्य/कम भुगतान थे।

ऐसे प्रकरणों में जिनमें उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया उनके समयबाधित होने से पहले विभाग को सुधारात्मक उपाय जरूर शुरू करने चाहिए। एक व्यवस्थित दृष्टिकोण से विभाग को विवरणियों के दाखिले करने, करदाता अनुपालन, पंजीयन निरस्तीकरण और त्रुटिकर्ताओं से बकाया की वसूली पर प्रभावी निगरानी स्थापित करने और उसे बनाए रखने के लिए वृत्तों में संस्थागत तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है।

### 3.15 अनुशंसाओं का सारांश

1. विभाग अनिर्वहित कर देयता की जाँच हेतु अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पंजीयन रद्द करने और उसपर की गई कार्यवाही की स्थिति की निगरानी कर सकता है।
2. विभाग प्रकरणों के कालबाधित होने से पहले एक निश्चित समयावधि में संपरीक्षा की प्रक्रिया को सुनिश्चित कर सकता है।

3. विभाग जीएसटीएन के परामर्श से डेटा प्रविष्टि त्रुटियों को रोकने, करदाता अनुपालन बढ़ाने और बेहतर जाँच की सुविधा हेतु जीएसटी विवरणियों में सत्यापन नियंत्रण लागू कर सकता है। विभाग विसंगतियों का पता लगाने हेतु उपयुक्त एल्गोरिद्म का भी उपयोग कर सकता है।
4. लेखापरीक्षा को ग्रेनूलर अभिलेख प्रदान करने के लिए राज्य कर विभाग को क्षेत्रीय संरचनाओं को आवश्यक निर्देश जारी करने की जरूरत है।

रायपुर  
दिनांक : 16 फरवरी 2026

  
(मो. फ़ैज़ान नैय्यर)  
महालेखाकार (लेखापरीक्षा)  
छत्तीसगढ़

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली  
दिनांक : 24 फरवरी 2026

  
(के. संजय मूर्ति)  
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

---

परिशिष्ट

---

**परिशिष्ट-2.1**  
(कंडिका क्रमांक 2.8 में संदर्भित)

**मुख्य समस्या क्षेत्र:**

- (1) अंतर-राज्यीय आपूर्ति के लिए ई-वे बिल बनाने वाले कंपोजिशन करदाता।
- (2) सीमा से अधिक बाह्य आपूर्ति के लिए ई-वे बिल बनाने वाले कंपोजिशन करदाता।
- (3) किसी भी वर्ष में ई-वे बिल द्वारा समर्थित केवल बाह्य आपूर्ति वाले करदाता।
- (4) किसी भी वर्ष में आवक आपूर्ति (ई-वे बिल समर्थित) की तुलना में असंगत बाह्य आपूर्ति करने वाले करदाता।
- (5) ऐसे करदाता जिन्होंने डुप्लिकेट बीजक का उपयोग करके ई-वे बिल तैयार किए थे।
- (6) निरंक विवरणी जमा करने वाले लोगों द्वारा ई-वे बिल बनाना।
- (7) विवरणी डिफॉल्टर्स (जमा नहीं करने वाले) द्वारा ई-वे बिल बनाना।
- (8) ऐसे करदाता जिन्होंने निरस्तीकरण की प्रभावी तिथि के बाद ई-वे बिल बनाये हैं।
- (9) ऐसे करदाता जिन्होंने ई-वे बिल तैयार किए हैं जिनका पंजीकरण बाद में निरस्त कर दिया गया था।
- (10) ऐसे करदाता जिन्होंने ई-वे बिल तैयार किया था और बाद में निरस्त कर दिया था।
- (11) ऐसे करदाता जिन्होंने ई-वे बिल तैयार किया था और बाद में प्राप्तकर्ताओं द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था।
- (12) ऐसे करदाता जिन्होंने किसी भी वर्ष में ई-वे बिल द्वारा समर्थित आवक की तुलना में बहिर्गामी पक्ष पर असंगत आपूर्ति तैयार की थी।
- (13) करदाताओं द्वारा ई-वे बिल का विस्तार।
- (14) जोखिम भरे वाहनों यानी दो पहिया वाहनों का उपयोग करके तैयार किए गए ई-वे बिल।
- (15) चोरी के वाहनों का उपयोग करके तैयार किए गए ई-वे बिल।
- (16) पंजीकरण के पहले छह महीनों में ई-वे बिल का उच्च मूल्य।
- (17) अमान्य पिन कोड का उपयोग करने वाले ई-वे बिल।
- (18) निलंबित, स्क्रेप, समर्पित और निरस्त किए गए वाहनों का उपयोग करके बनाये गये ई-वे बिल।
- (19) एमसीए की डिफॉल्टर सूची द्वारा बनाये गये ई-वे बिल।
- (20) आयकर डिफॉल्टरों द्वारा उत्पन्न ई-वे बिल।
- (21) डीजीएआरएम-पहचाने गए/अन्य एजेंसियों द्वारा पहचाने गए करदाताओं द्वारा बनाये गये ई-वे बिल।
- (22) डीजीएफटी-काली सूची निर्यातकों द्वारा बनाये गये ई-वे बिल।

परिशिष्ट-2.2

(कड़िका संख्या 2.10.1 में संदर्भित)

विसंगति की प्रकृति: अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने के कारण कार्यक्षेत्र सीमित होना

स. क्रमांक	वृत्त का नाम	जीएसटीआईएन	करदाता का नाम	करदाता का प्रकार	लेखापरीक्षा उद्देश्य के संबंध में ई-वे बिल की कुल संख्या	ई-वे बिल क्रमांक	प्रस्तुत न किए गए अभिलेखों की सूची	शासन का उत्तर
1	रायपुर-3	22XXXXXXXXXX1ZQ	साई एंटरप्राइजेज	सामान्य करदाता	1	891088786236	ई-वे बिल से संबंधित बीजक, ट्रक रसीद/लॉरी रसीद अभिलेख, भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन, वर्ष 2019-20 के लिए जीएसटीआर-2ए (मासिक) की प्रति, वर्ष 2019-20 के लिए खरीद, बिक्री, स्टॉक सूची विवरण के साथ लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2019-20 के लिए ई-वे बिल पोर्टल से आवक आपूर्ति के लिए बनाये ई-वे बिल (आवक) का विवरण।	कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया गया।
2	रायपुर-3	22XXXXXXXXXX1ZG	आदित्य स्टील एंड कंपनी	सामान्य करदाता	38	861020221460 एवं अन्य 37 ई-वे बिल	ई-वे बिल से संबंधित बीजक, ई-वे बिल से संबंधित वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।	
3	रायपुर-3	22XXXXXXXXXX1ZN	सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड	सामान्य करदाता	1	891079240121	ई-वे बिल से संबंधित बीजक और वाहन की आवाजाही का प्रमाण जैसे ट्रक रसीद अभिलेख, प्रेषक के व्यावसायिक परिसर का भौतिक सत्यापन, ई-वे बिल से संबंधित वर्ष की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।	
4	रायपुर-3	22XXXXXXXXXX3ZR	लार्सन एंड टुब्रो-कन्स्ट्रक्शन एंड माइनिंग ईक्विपमेंट एंड इंडस्ट्रियल मशीनरी बिजनेस	सामान्य करदाता	2	831009558252 एवं 221060665929	ई-वे बिल से संबंधित बीजक, ई-वे बिल से संबंधित वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, ट्रक/लॉरी रसीद अभिलेख जैसे ई-वे बिल से संबंधित वाहन की आवाजाही का प्रमाण।	
5	रायपुर-3	22XXXXXXXXXX1Z3	यूस एंटरप्राइजेज	कंपोजिशन	1	831024691404	ई-वे बिल से संबंधित बीजक, ई-वे बिल से संबंधित वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।	
6	रायपुर-3	22XXXXXXXXXX1ZC	श्री राम ट्रेडिंग	सामान्य करदाता	5	801078750385 एवं चार अन्य ई-वे बिल	ई-वे बिल से संबंधित बीजक और उपरोक्त ई-वे बिलों में वाहन की आवाजाही का प्रमाण जैसे ट्रक रसीद/लॉरी रसीद, ई-वे बिल से संबंधित वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।	
7	रायपुर-3	22XXXXXXXXXX1ZH	शिवालिक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड	सामान्य करदाता	1	891183695077	ई-वे बिल से संबंधित बीजक, ई-वे बिल से संबंधित वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, ट्रक रसीद/लॉरी रसीद की प्रतिलिपि या माल की आवाजाही के समर्थन में कोई अन्य अभिलेख, भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन।	

8	रायपुर-3	22XXXXXXXXXX1ZM	बेथानी ट्रेडर्स	सामान्य करदाता	1	851123098656	ई-वे बिल से संबंधित बीजक, खरीद, बिक्री और स्टॉक/इन्वेंट्री विवरण और वर्ष 2019-20 के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, ट्रक रसीद दस्तावेज जैसे उपरोक्त ई-वे बिल में वाहन की आवाजाही का प्रमाण।
9	रायपुर-3	22XXXXXXXXXX1ZM	दामोदर इन्फ्रास्ट्रक्चर	सामान्य करदाता	7	801078750385 एवं अन्य 6 ई-वे बिल	उपरोक्त ई-वे बिल में वाहन की आवाजाही का प्रमाण जैसे ट्रक रसीद अभिलेख, खरीद, बिक्री और स्टॉक/इन्वेंट्री विवरण और वर्ष 2020-21 के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
10	रायपुर-3	22XXXXXXXXXX1ZM	मध्यभारत फॉस्फेट प्राइवेट लिमिटेड	सामान्य करदाता	1	861016217262	ई-वे बिल से संबंधित बीजक, ई-वे बिल से संबंधित वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, ट्रक रसीद/लॉरी रसीद की प्रतिलिपि या माल की आवाजाही के समर्थन में कोई अन्य अभिलेख, व्यवसाय परिसर की भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन।
11	रायपुर-5	22XXXXXXXXXX1ZP	एमएस ए टू जेड एंटरप्राइजेज	सामान्य करदाता	1	841137960702	ई-वे बिल से संबंधित बीजक, ई-वे बिल से संबंधित वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, ट्रक रसीद/लॉरी रसीद की प्रतिलिपि या माल की आवाजाही के समर्थन में कोई अन्य अभिलेख।
12	रायपुर-5	22XXXXXXXXXX2ZL	एमएस दिशा एंटरप्राइजेज	कंपोजिशन	1	891063425903	ई-वे बिल से संबंधित बीजक, ई-वे बिल से संबंधित वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, पंजीकरण अवधि के दौरान बाह्य /आवक आपूर्ति का विवरण और कर ब्याज आदि।
13	रायपुर-5	22XXXXXXXXXX1ZV	बीएसफ इंडिया लिमिटेड	सामान्य करदाता	1	861062323542	ई-वे बिल से संबंधित बीजक, ई-वे बिल से संबंधित वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, ट्रक रसीद/लॉरी रसीद की प्रतिलिपि या माल की आवाजाही के समर्थन में कोई अन्य अभिलेख।
14	रायपुर-5	22XXXXXXXXXX1ZS	जेएसके इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	सामान्य करदाता	1	831183989831	ई-वे बिल से संबंधित बीजक, ई-वे बिल से संबंधित वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, ट्रक रसीद/लॉरी रसीद की प्रतिलिपि।
15	रायपुर-5	22XXXXXXXXXX1ZY	गैलेक्सी एंटरप्राइजेज	सामान्य करदाता	1	821097479186	ई-वे बिल से संबंधित बीजक, ई-वे बिल से संबंधित वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
16	रायपुर-5	22XXXXXXXXXX1Z8	भाग्य श्री सेल्स	सामान्य करदाता	1	661070397234	ई-वे बिल से संबंधित बीजक, ई-वे बिल से संबंधित वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, ट्रक रसीद की प्रतिलिपि, खरीद, बिक्री और स्टॉक/इन्वेंट्री विवरण और वर्ष 2019-20 के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
17	रायपुर-5	22XXXXXXXXXX1ZI	हिबिस्कस एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड	सामान्य करदाता	1	711228069949	ई-वे बिल से संबंधित बीजक, ट्रक रसीद/लॉरी रसीद की प्रति, खरीद बही खाता, बिक्री बही खाता और स्टॉक/इन्वेंट्री विवरण के साथ वर्ष 2021-22 के लिए वित्तीय विवरण (लेखापरीक्षा प्रतिवेदन), आवक और

							जावक आपूर्ति का विवरण (कर योग्य और गैर-कर योग्य) के साथ वर्ष 2021-22 के दौरान बनाये गये जावक और आवक ई-वे बिल।
18	रायपुर-5	22XXXXXXXXXX1Z9	जेएसके कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड	सामान्य करदाता	1	821017090545	ई-वे बिल से संबंधित बीजक, ट्रक रसीद/लॉरी रसीद की प्रतिलिपि, खरीदी बही खाता, बिक्री बही खाता और स्टॉक/इन्वेंट्री विवरण वर्ष 2018-19 के लिए वित्तीय विवरण (लेखापरीक्षा प्रतिवेदन) के साथ, आवक और जावक आपूर्ति का विवरण (कर योग्य और गैर-कर योग्य) वर्ष 2018-19 के दौरान बनाये जावक और आवक ई-वे बिल के साथ।
19	रायपुर-7	22XXXXXXXXXX1ZW	एडुसॉफ्ट इन्फ्रा ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड	सामान्य करदाता	1	811014721450	ई-वे बिल से संबंधित बीजक, ट्रक रसीद/लॉरी रसीद खरीदी बही खाता, बिक्री बही खाता और स्टॉक/इन्वेंट्री विवरण की प्रतिलिपि वर्ष 2018-19 के लिए वित्तीय विवरण (लेखापरीक्षा प्रतिवेदन) के साथ, वर्ष 2018-19 के दौरान करदाता द्वारा बनाये आवक और आवक ई-वे बिल के साथ आवक और जावक आपूर्ति (कर योग्य और गैर-कर योग्य) का विवरण।
20	रायपुर-7	22XXXXXXXXXX1ZM	वक्रांगी लिमिटेड	सामान्य करदाता	1	261346221025	ई-वे बिल से संबंधित बीजक, ई-वे बिल से संबंधित वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, ट्रक रसीद/लॉरी रसीद की प्रतिलिपि।
21	रायपुर-7	22XXXXXXXXXX2ZQ	अग्रवाल एंटरप्राइजेज	सामान्य करदाता	1	841176209231	ई-वे बिल से संबंधित बीजक, ई-वे बिल से संबंधित वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
22	रायपुर-8	22XXXXXXXXXX1Z7	यूरोस्टार इलेक्ट्रिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	सामान्य करदाता	1	801002968280	ई-वे बिल से संबंधित बीजक, वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटीआर-9, जीएसटीआर-2अ (सभी महीने) की प्रतियां, वर्ष 2018-19 के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, खरीद, बिक्री और स्टॉक/इन्वेंट्री विवरण, पंजीकरण की तारीख से पंजीकरण रद्द होने तक करदाता द्वारा दाखिल जीएसटीआर-1 की प्रति।
23	रायपुर-8	22XXXXXXXXXX2ZI	श्री रानी सती दादी इंटरप्राइजेज	सामान्य करदाता	1	811041999327	ई-वे बिल से संबंधित बीजक, वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटीआर-9, जीएसटीआर-2अ (सभी महीने) की प्रतियां, वर्ष 2018-19 के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, खरीद, बिक्री और स्टॉक/इन्वेंट्री विवरण, पंजीकरण की तारीख से पंजीकरण आदेश रद्द करने तक करदाता द्वारा दायर जीएसटीआर-1 की प्रति।
24	रायपुर-8	22XXXXXXXXXX1ZV	के सी ट्रेडर्स	सामान्य करदाता	1	811021264274	ई-वे बिल से संबंधित बीजक, ई-वे बिल से संबंधित वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, ट्रक रसीद/लॉरी रसीद की प्रतिलिपि, आवक और जावक आपूर्ति (कर योग्य और गैर-कर योग्य) का विवरण और वर्ष 2018-19 के दौरान बनाये जावक और आवक ई-वे बिल।

25	रायपुर-8	22XXXXXXXXXX1ZH	डिवाइन इंजीनियरिंग	सामान्य करदाता	1	681076017431	ई-वे बिल से संबंधित बीजक, ई-वे बिल से संबंधित वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, ट्रक रसीद/लॉरी रसीद की प्रतिलिपि, आवक और जावक आपूर्ति (कर योग्य और गैर-कर योग्य) का विवरण और वर्ष 2018-19 के दौरान बनाये जावक और आवक ई-वे बिल।
26	रायपुर-8	22XXXXXXXXXX1ZF	एमएस बीएल स्टील ट्रेडर्स	सामान्य करदाता	2	881038725033 एवं 841036508207	ई-वे बिल से संबंधित बीजक, ई-वे बिल से संबंधित वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, पंजीकरण की तारीख से पंजीकरण रद्द होने तक करदाता द्वारा दायर जीएसटीआर-1 की प्रति।
27	रायपुर-9	22XXXXXXXXXX3ZJ	ग्रेविटी फेरस प्राइवेट लिमिटेड	सामान्य करदाता	2	831018600333 एवं 881018602321	वर्ष 2018-19 के लिए वित्तीय विवरण (लेखापरीक्षा प्रतिवेदन) के साथ ई-वे बिल, क्रय बहीखाता, बिक्री बहीखाता और स्टॉक/इन्वेंट्री विवरण से संबंधित बीजक, ट्रक रसीद/लॉरी रसीद की प्रतिलिपि, वर्ष 2018-19 के दौरान बनाये आवक और जावक ई-वे बिल के साथ आवक और जावक आपूर्ति (कर योग्य और गैर-कर योग्य) का विवरण।
28	रायपुर-3	22XXXXXXXXXX1ZL	अरहम हैल्थ केयर	सामान्य करदाता	1	891129659657	वर्ष 2020-21 के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के साथ ई-वे बिल, खरीद, बिक्री और स्टॉक/इन्वेंट्री विवरण से संबंधित बीजक।
29	बिलासपुर-2	22XXXXXXXXXX1Z7	एमएस तिरुपति बिल्ड-कॉन प्राइवेट लिमिटेड	सामान्य करदाता	1	891194068002	वर्ष 2021-22 के लिए ई-वे बिल से संबंधित बीजक, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, खरीद, बिक्री विवरण के साथ बीजक, स्टॉक सूची और अन्य संबंधित अभिलेख, ट्रक रसीद की प्रति।
30	दुर्ग-1	22XXXXXXXXXX1ZA	भवानी इरेक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड	सामान्य करदाता	1	871089160813	वर्ष 2019-20 के लिए ई-वे बिल से संबंधित बीजक, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, खरीद, बिक्री बिल, स्टॉक सूची और अन्य संबंधित अभिलेख, ट्रक रसीद की प्रतिलिपि।
31	रायपुर-9	22XXXXXXXXXX1Z5	मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड.	सामान्य करदाता	1	831187004552	ई-वे बिल से संबंधित बीजक, ई-वे बिल से संबंधित वर्ष की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, ट्रक रसीद की प्रति।
32	राजनांदगांव	22XXXXXXXXXX1Z7	देसाई ब्रदर्स लिमिटेड राजनांदगांव ब्र	सामान्य करदाता	1	801169331680	वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए ई-वे बिल से संबंधित बीजक, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, खरीद, बिक्री विवरण के साथ बीजक, स्टॉक इन्वेंट्री और अन्य संबंधित अभिलेख, प्रेषक के व्यावसायिक परिसर की भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन, ट्रक रसीद की प्रति।

परिशिष्ट-2.3

(कंडिका संख्या 2.11.1.1 में संदर्भित)

विसंगति की प्रकृति: अपात्र करदाताओं का कंपोजिशन योजना के अंतर्गत बने रहना

(राशि ₹ में)

सं क्र०	वृत्त का नाम	जीएसटीआईएन	करदाता का नाम	करदाता का प्रकार	लेखापरीक्षा उद्देश्य के संबंध में ई-वे बिल की कुल संख्या	शासन का उत्तर
1	रायपुर-3	22XXXXXXXXXX1Z3	यूस एंटरप्राइजेज, रायपुर	कंपोजिशन	1	डीआरसी-07 राशि ₹ 16,94,088/- का दिनांक 25/04/2024 को जारी किया गया है।
2	रायपुर-5	22XXXXXXXXXX2ZL	मेसर्स दिशा एंटरप्राइजेज	कंपोजिशन	1	डीआरसी-03 के माध्यम से राशि ₹ 3,224/- दिनांक 10/08/2023 को जमा की गई है। इसके अलावा, करदाता एक कंपोजिट डीलर था और माल की वापसी के लिए ई-वे बिल तैयार किया गया था।

## परिशिष्ट-2.4

(कांडिका संख्या 2.11.1.2 में संदर्भित)

विसंगति की प्रकृति: निरस्त करदाताओं द्वारा ई-वे बिल बनाना

(राशि ₹ में)

सं क्र०	वृत्त	जीएसटीआईएन	करदाता का नाम	करदाता का प्रकार	नमूनाकृत ई-वे बिल	निर्धारित मूल्य	शासन का उत्तर
1	रायपुर-3	22XXXXXXXXXX1ZQ	साई एंटरप्राइजेज	सामान्य करदाता	1	7,40,480	डीआरसी -07 राशि ₹ 7,05,94,142/- का दिनांक 21/08/2024 को जारी किया गया है। वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
2	रायपुर-3	22XXXXXXXXXX1ZG	आदित्य स्टील एंड कंपनी	सामान्य करदाता	38	3,20,24,463	डीआरसी-07 राशि ₹ 3,36,20,865/- का दिनांक 29/04/2024 को जारी किया गया है।
3	रायपुर-3	22XXXXXXXXXX1ZC	श्री राम ट्रेडिंग	सामान्य करदाता	5	35,72,622	डीआरसी-07 राशि ₹ 2,74,69,113/- का दिनांक 27/08/2024 को जारी किया गया है।
4	रायपुर-3	22XXXXXXXXXX1ZM	दामोदर इन्फ्रास्ट्रक्चर	सामान्य करदाता	7	1,70,19,775	डीआरसी-07 राशि ₹ 12,02,328/- का दिनांक 21/08/2024 को जारी किया गया है।
5	रायपुर-5	22XXXXXXXXXX1ZP	एम एस ए टू जेड एंटरप्राइजेज	सामान्य करदाता	1	13,06,280	डीआरसी-01 राशि ₹ 2,39,97,145/- का दिनांक 11/07/2024 को जारी किया गया है।
6	रायपुर-5	22XXXXXXXXXX1ZI	हिबिस्कस एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड	सामान्य करदाता	1	2,03,674	एसएसएमटी-10 दिनांक 29.08.2024 को जारी किया गया है।
7	रायपुर-8	22XXXXXXXXXX1ZF	एमएस बीएल स्टील ट्रेडर्स	सामान्य करदाता	2	38,85,600	डीआरसी-07 राशि ₹ 2,91,97,326/- का दिनांक 30/04/2024 को जारी किया गया है।
<b>योग</b>					<b>55</b>	<b>5,87,52,894</b>	

परिशिष्ट-2.5

(कांडिका संख्या 2.11.1.3 में संदर्भित)

विसंगति की प्रकृति: समान/समरूप बीजक के आधार पर एकाधिक ई-वे बिल बनाना

(राशि ₹ में)

स.क्र.	वृत्त	जीएसटीआईएन	करदाता का नाम	करदाता का प्रकार	लेखापरीक्षा उद्देश्य के संबंध में ई-वे बिल की कुल संख्या (नमूनाकृत ई-वे बिल)	निर्धारित मूल्य	करदाता द्वारा सृजित अतिरिक्त ई-वे बिल की संख्या	अतिरिक्त ई-वे बिल का निर्धारित मूल्य	शासन का उत्तर
1	रायपुर-8	22XXXXXXXXXX1ZV	के सी ट्रेडर्स	सामान्य करदाता	1	6,52,452	1	6,52,452	प्रणाली में त्रुटि के कारण दो ई-वे बिल बनाये गये।
2	रायपुर-7	22XXXXXXXXXX1ZW	एडुसॉफ्ट इन्फ्रा ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड	सामान्य करदाता	1	8,04,268	1	8,04,268	करदाता को डीआरसी-05 जारी कर दिया गया है।
3	रायपुर-5	22XXXXXXXXXX1Z9	जेएसके कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड	सामान्य करदाता	1	14,93,780	1	14,93,780	करदाता को डीआरसी-05 जारी कर दिया गया है।
4	रायपुर-8	22XXXXXXXXXX1ZH	डिवाइन इंजीनियरिंग	सामान्य करदाता	1	6,08,300	1	6,08,300	डीआरसी-01 राशि ₹ 4,88,908/- का दिनांक 31/01/2024 को जारी किया गया है।
5	रायपुर-9	22XXXXXXXXXX3ZJ	ग्रेविटी फेरस प्राइवेट लिमिटेड	सामान्य करदाता	1	6,19,444	1	6,19,444	डीआरसी-01 राशि ₹ 3,30,553.20 का दिनांक 05/09/2024 को जारी किया गया है।
<b>योग</b>					<b>5</b>	<b>41,78,244</b>	<b>5</b>	<b>41,78,244</b>	

## परिशिष्ट-2.6

(कांडिका संख्या 2.11.1.5 में संदर्भित)

विसंगति की प्रकृति: शून्य विवरणी दाखिल करने वाले करदाताओं द्वारा ई-वे बिल बनाना

(राशि ₹ में)

सं क्र०	वृत्त	जीएसटीआईएन	करदाता का नाम	करदाता का प्रकार	कुल नमूनाकृत ई-वे बिल	निर्धारित मूल्य	शासन का उत्तर
1	रायपुर-3	22XXXXXXXXXX1ZN	सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड	सामान्य करदाता	1	93,267	डीआरसी-07 राशि ₹ 29,913/- का दिनांक 28/08/2024 को जारी किया गया है। वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
2	रायपुर-5	22XXXXXXXXXX1Z8	भाग्यश्री सेल्स	सामान्य करदाता	1	24,76,916	सहायक आयुक्त द्वारा ₹ 48,74,921/- का डीआरसी 07 जारी किया गया है। वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
3	रायपुर-5	22XXXXXXXXXX1ZI	हिबिस्कस एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड	सामान्य करदाता	1	2,03,674	एसएमटी-10 दिनांक 29/08/2024 को जारी किया गया है।
4	रायपुर-7	22XXXXXXXXXX1ZM	वक्रांगी लिमिटेड	सामान्य करदाता	1	2,35,800	डीआरसी-07 राशि ₹ 83,794/- का दिनांक 08/02/2024 को जारी किया गया है।
5	रायपुर-8	22XXXXXXXXXX1Z7	यूरोस्टार इलेक्ट्रिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	सामान्य करदाता	1	1,00,080	डीआरसी-07 राशि ₹ 47,745/- का दिनांक 30/04/2024 को जारी किया गया है।
6	रायपुर-8	22XXXXXXXXXX2ZI	श्री रानी सती दादी इंटरप्राइजेज	सामान्य करदाता	1	3,73,508	डीआरसी-01 राशि ₹ 73,485.42/- का दिनांक 05/09/2024 को जारी किया गया है।
7	रायपुर-8	22XXXXXXXXXX1ZV	के सी ट्रेडर्स	सामान्य करदाता	1	6,52,453	प्रणाली में त्रुटि के कारण 30/09/2018 को दो ई-वे बिल बनाये।
8	रायपुर-5	22XXXXXXXXXX2ZL	एमएस दिशा एंटरप्राइजेज	कंपोजिशन	1	4,09,296	करदाता एक कंपोजिशन डीलर था और माल की वापसी के लिए ई-वे बिल बनाये गये।
<b>योग</b>					<b>8</b>	<b>45,44,994</b>	

परिशिष्ट-2.7

(कांडिका संख्या 2.11.1.6 में संदर्भित)

विसंगति की प्रकृति: जीएसटी विवरणी दाखिल न करने वालों द्वारा ई-वे बिल बनाना

(राशि ₹ में)

सं क्र०	वृत्त	जीएसटीआईएन	करदाता का नाम	करदाता का प्रकार	कुल नमूनाकृत ई-वे बिल	निर्धारित मूल्य	शासन का उत्तर
1	रायपुर-3	22XXXXXXXXXX1Z3	यूएस एंटरप्राइजेज	कंपोजिशन	1	2,90,000	डीआरसी-07 राशि ₹ 16,94,088/- का दिनांक 25/04/2024 को जारी किया गया है।
2	रायपुर-3	22XXXXXXXXXX1ZC	श्री राम ट्रेडिंग	सामान्य करदाता	5	35,72,622	डीआरसी-07 राशि ₹ 2,74,69,113/- का दिनांक 27/08/2024 को जारी किया गया है।
3	रायपुर-3	22XXXXXXXXXX1ZM	बेथानी ट्रेडर्स	सामान्य करदाता	1	7,30,514	डीआरसी-07 राशि ₹ 69,54,962/- का दिनांक 23/08/2024 को जारी किया गया है।
4	रायपुर-3	22XXXXXXXXXX1ZG	आदित्य स्टील एंड कंपनी	सामान्य करदाता	38	3,20,24,463	डीआरसी-07 राशि ₹ 3,36,20,865/- का दिनांक 29/04/2024 को जारी किया गया है।
<b>योग</b>					<b>45</b>	<b>3,66,17,599</b>	

## परिशिष्ट-2.8

(कांडिका संख्या 2.11.2.1 में संदर्भित)

विसंगति की प्रकृति: केपीए द्वारा चिन्हित करदाताओं द्वारा कर देयता का निर्वहन न करना

(राशि ₹ में)

सं क्र०	वृत्त	जीएसटीआईएन	करदाता का नाम	करदाता का प्रकार	केपीए	लेखापरीक्षा उद्देश्य के संबंध में ई-वे बिल की कुल संख्या	निर्धारित मूल्य	समाहित राशि				शासन का उत्तर
								सीजीएसटी	सीजीजीएसटी	आईजीएसटी	कुल	
1	रायपुर-3	22XXXXXXXXXX1Z3	यूस एंटरप्राइजेज	कंपोजिशन	कंपोजिशन एवं गैर फाइलर	29	90,46,966	7,88,127	7,88,127	52,200	16,28,454	डीआरसी-07 राशि ₹ 16,94,088/- का दिनांक 25/04/2024 को जारी किया गया है।
2	रायपुर-5	22XXXXXXXXXX2ZL	एमएस दिशा एंटरप्राइजेज	कंपोजिशन	कंपोजिशन एवं गैर फाइलर	1	4,09,296	0	0	73,673	73,673	डीआरसी-03 के माध्यम से राशि ₹ 3,224/- दिनांक 10/08/2023 को जमा की गई है। इसके अलावा, करदाता एक कंपोजिशन डीलर था और माल की वापसी के लिए ई-वे बिल तैयार किया गया था।
3	रायपुर-3	22XXXXXXXXXX1ZC	श्री राम ट्रेडिंग	सामान्य करदाता	गैर फाइलर	86	6,38,94,980	0	0	1,15,01,095	1,15,01,095	डीआरसी-07 राशि ₹ 2,74,69,113/- का दिनांक 27/08/2024 को जारी किया गया है।
4	रायपुर-3	22XXXXXXXXXX1ZM	बेथनी ट्रेडर्स	सामान्य करदाता	गैर फाइलर	149	6,46,22,409	25,000	25,000	1,13,09,412	1,13,59,412	डीआरसी-07 राशि ₹ 69,54,962/- का दिनांक 23/08/2024 को जारी किया गया है।
5	रायपुर-3	22XXXXXXXXXX1ZQ	साई एंटरप्राइजेज	सामान्य करदाता	निरस्त करदाता	1	7,40,480	0	0	1,33,286	1,33,286	डीआरसी-07 राशि ₹ 7,05,94,142/- का दिनांक 21/08/2024 को जारी किया गया है। वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
6	रायपुर-3	22XXXXXXXXXX1ZG	आदित्य स्टील एंड कंपनी	सामान्य करदाता	निरस्त करदाता	176	12,79,64,665	62,98,455	62,98,455	1,04,95,494	2,30,92,404	डीआरसी-07 राशि ₹ 3,36,20,865/- का दिनांक

मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के राजस्व पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट

												29/04/2024 को जारी किया गया है।
7	रायपुर-8	22XXXXXXXXXX1ZF	एमएस बीएल स्टील ट्रेडर्स	सामान्य करदाता	निरस्त करदाता	189	6,23,64,103	1,30,906	1,30,906	1,09,63,724	1,12,25,536	डीआरसी-07 राशि ₹ 2,91,97,326/- का दिनांक 30/04/2024 को जारी किया गया है।
8	रायपुर-8	22XXXXXXXXXX1ZV	के सी ट्रेडर्स	सामान्य करदाता	एकाधिक ई-वे बिल	1	6,52,452	58,720	58,720	0	1,17,440	सिस्टम में त्रुटि के कारण 30/09/2018 को दो ई-वे बिल सृजन हुए।
9	रायपुर-7	22XXXXXXXXXX1ZW	एडुसॉफ्ट इन्फ्रा ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड	सामान्य करदाता	एकाधिक ई-वे बिल	1	8,04,268	0	0	1,01,972	1,01,972	करदाता को डीआरसी-05 जारी किया गया।
10	रायपुर-5	22XXXXXXXXXX1Z9	जेएसके कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड	सामान्य करदाता	एकाधिक ई-वे बिल	1	14,93,780	0	0	2,68,880	2,68,880	करदाता को डीआरसी-05 जारी किया गया।
11	रायपुर-8	22XXXXXXXXXX1ZH	डिवाइन इंजीनियरिंग	सामान्य करदाता	एकाधिक ई-वे बिल	1	6,08,300	0	0	1,09,494	1,09,494	डीआरसी-01 राशि ₹ 4,88,908/- का दिनांक 31/01/2024 को जारी किया गया है।
12	रायपुर-9	22XXXXXXXXXX3ZJ	ग्रेविटी फेरस प्राइवेट लिमिटेड	सामान्य करदाता	एकाधिक ई-वे बि	1	6,19,444	0	0	1,11,500	1,11,500	डीआरसी-01 राशि ₹ 3,30,553.20 का दिनांक 05/09/2024 को जारी किया गया है।
13	रायपुर-3	22XXXXXXXXXX1ZN	सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड	सामान्य करदाता	शून्य फाइलर	1	93,267	0	0	11,192	11,192	डीआरसी -07 राशि ₹ 29,913/- का दिनांक 28/08/2024 को जारी किया गया है। वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
14	रायपुर-5	22XXXXXXXXXX1Z8	भाग्यश्री सेल्स	सामान्य करदाता	शून्य फाइलर	1	24,76,916	0	0	4,45,845	4,45,845	सहायक आयुक्त द्वारा ₹ 48,74,921/- का डीआरसी 07 जारी किया गया है। वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
15	रायपुर-5	22XXXXXXXXXX1ZI	हिबिस्कस एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड	सामान्य करदाता	शून्य फाइलर	1	2,03,674	0	0	36,661	36,661	एसएमटी-10 दिनांक 29/08/2024 को जारी किया गया है।

16	रायपुर-8	22XXXXXXXXXX1Z7	यूरोस्टार इलेक्ट्रिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	सामान्य करदाता	शून्य फाइलर	1	1,00,080	0	0	18,014	18,014	डीआरसी-07 राशि ₹ 47,745/- का दिनांक 30/04/2024 को जारी किया गया है।
17	रायपुर-8	22XXXXXXXXXX2ZI	श्री रानी सती दादी इंटरप्राइजेज	सामान्य करदाता	शून्य फाइलर	1	3,73,508	0	0	18,675	18,675	डीआरसी-01 राशि ₹ 73,485.42 का दिनांक 05/09/2024 को जारी किया गया है।
18	रायपुर-9	22XXXXXXXXXX1ZL	अरहम हेल्थकेयर	सामान्य करदाता	जोखिम भरे वाहन	1	98,048	0	0	11,766	11,766	करदाता को एएसएमटी -10 जारी कर दिया गया है।
19	रायपुर-5	22XXXXXXXXXX1ZP	एमएस ए टू जेड एंटरप्राइजेज	सामान्य करदाता	जोखिम भरे वाहन	219	9,41,45,869	30,59,719	30,59,719	1,08,26,816	1,69,46,254	डीआरसी-01 राशि ₹ 2,39,97,145/- का दिनांक 11/07/2024 को जारी किया गया है।
20	रायपुर-3	22XXXXXXXXXX1ZH	शिवालिक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड.	सामान्य करदाता	जोखिम भरे वाहन	928	39,00,09,726	2,21,39,999	2,21,39,999	5,40,27,041	9,83,07,039	एएसएमटी-10 जारी कर दिया गया है।
<b>योग</b>						<b>1,789</b>	<b>82,07,22,231</b>	<b>3,25,00,926</b>	<b>3,25,00,926</b>	<b>11,05,16,740</b>	<b>17,55,18,592</b>	

परिशिष्ट-2.9

(कांडिका संख्या 2.11.2.2 में संदर्भित)

विसंगति की प्रकृति: केपीए द्वारा चिन्हित करदाताओं द्वारा अयोग्य आईटीसी का लाभ उठाना

(राशि ₹ में)

सं क्र०	वृत्त	जीएसटीआईएन	करदाता का नाम	करदाता का प्रकार	केपीए	वर्ष	जीएसटीआर -2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी (जीएसटीआर -9 के 8(ए) के अनुसार)	जीएसटीआर -3बी के अनुसार प्राप्त आईटीसी (जीएसटीआर -9 के 8(बी+सी) के अनुसार)	दावा किया गया अतिरिक्त आईटीसी (जीएसटी आर-9 के 8(डी) के अनुसार)	समाहित अयोग्य आईटीसी की राशि					शासन का उत्तर
										सीजीएसटी	सीजीजीएसटी	आईजीएसटी	ब्याज	कुल	
1	रायपुर-3	22XXXXXXXXXX3ZR	लार्सन एंड टुब्रो-कन्स्ट्रक्शन एंड माइनिंग इंविपमेंट एंड इंडस्ट्रियल मशीनरी बिजनस	सामान्य करदाता	जोखिम भरा करदाता	2018-19	6,68,05,192	8,45,10,814	1,77,05,622	7,28,596	7,28,596	2,03,96,683	0	2,18,53,875	वर्ष 2018-19 से संबंधित प्रकरण के लिए करदाता द्वारा डीआरसी-03 के माध्यम से ₹ 5,50,806 रुपये की अतिरिक्त आईटीसी को वापस कर दिया गया है। इसके अलावा, वर्ष 2019-20 के लिए एएसएमटी-12 जारी किया गया है।
						2019-20	6,09,83,798	6,51,32,051	41,48,253						
2	रायपुर-3	22XXXXXXXXXX1ZZ	स्टर्लिंग एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड	सामान्य करदाता	जोखिम भरा करदाता	2019-20	1,23,07,036	1,23,40,613	33,577	0	0	33,576	0	33,576	करदाता को डीआरसी-05 जारी कर दिया गया है।
3	रायपुर-3	22XXXXXXXXXX1ZN	सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड	सामान्य करदाता	शून्य रिटर्न दाखिल करने वाले	2019-20	74,96,148	1,03,84,534	28,88,386	11,54,888	11,54,888	5,78,609	0	28,88,385	डीआरसी -07 राशि ₹ 29,913/- का दिनांक 28/08/2024

					करदाता ओं द्वारा ई-वे बिल का सृजन										को जारी किया गया है। वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
4	रायपुर-7	22XXXXXXXX XX2ZQ	अग्रवाल एटरप्राइजेज	सामान्य करदाता	ई-वे बिल का सृजन के बाद प्राप्तकर्ता द्वारा रद्द/अस्वीकृत कर दिया गया	2021-22	2,33,47,675	2,36,68,065	3,20,390	1,63,198	1,63,198	(-6007	0	3,20,389	डीआरसी-01 राशि ₹ 5,95,284/- रूपये का जारी किया गया है।
<b>योग</b>							<b>17,09,39,849</b>	<b>19,60,36,077</b>	<b>2,50,96,228</b>	<b>20,46,682</b>	<b>20,46,682</b>	<b>2,10,02,861</b>	<b>0</b>	<b>2,50,96,225</b>	

परिशिष्ट-2.10

(कांडिका संख्या 2.11.2.3 में संदर्भित)

विसंगति की प्रकृति: जोखिमपूर्ण वाहनों के विरुद्ध ई-वे बिल बनाना-गलत आइटीसी का संभावित पारित होना

(राशि ₹ में)

सं० क्र०	वृत्त	जीएसटीआईएन	करदाता का नाम	करदाता का प्रकार	केपीए	लेखापरीक्षा ओबीएसके संबंध में ई-वे बिल की कुल संख्या (नमूनाकृत ई-वे बिल)	समाहित राशि					शासन का उत्तर
							सीजीएसटी	सीजीजीएसटी	आईजीएसटी	ब्याज	कुल	
1	रायपुर-5	22XXXXXXXXXX1ZV	बीएसएफ इंडिया लिमिटेड	सामान्य	जोखिम भरा वाहन	1	0	0	21,35,562	0	21,35,562	करदाता ने लेन-देन के समर्थन में बीजक/बिल्टी प्रस्तुत की है।
2	रायपुर-3	22XXXXXXXXXX1ZH	शिवालिक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड	सामान्य	जोखिम भरा वाहन	1	79,191	79,191	0	0	1,58,382	एसएमटी-10 जारी कर दिया गया है।
3	रायपुर-3	22XXXXXXXXXX1ZM	मध्यभारत फॉस्फेट प्राइवेट लिमिटेड	सामान्य	जोखिम भरा वाहन	1	0	0	6,062	0	6,062	डीआरसी-07 राशि ₹ 2,49,663/- का जारी किया गया है। वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
4	रायपुर-3	22XXXXXXXXXX1ZM	दामोदर इन्फ्रास्ट्रक्चर	सामान्य	जोखिम भरा वाहन	1	0	0	4,12,682	0	4,12,682	का डीआरसी-07 राशि ₹ 12,02,328/- का जारी किया गया है। वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
5	रायपुर-3	22XXXXXXXXXX1ZQ	साई एंटरप्राइजेज	सामान्य	जोखिम भरा वाहन	1	0	0	1,33,286	0	1,33,286	डीआरसी-07 राशि ₹ 7,05,94,142/- का दिनांक 21/08/2024 को जारी किया गया है।
<b>योग</b>						<b>5</b>	<b>79,191</b>	<b>79,191</b>	<b>26,87,592</b>	<b>0</b>	<b>28,45,974</b>	

## परिशिष्ट-2.11

(कड़िका संख्या 2.13.1 में संदर्भित)

विसंगतियों की प्रकृति: वाहनों के अवरोधन में विचलन पाया जाना

सं० क्र०	संदर्भ सं. (संदर्भ सं./आईआर सं./ पावती सं.)	प्रकरण संख्या	वाहन संख्या	निरीक्षण की तिथि	विसंगति का विवरण	शासन का उत्तर
1	112347	19	CG04JB1351	30/05/2018	एमओव्ही-01, एमओव्ही-02, एमओव्ही-04 फॉर्म उपलब्ध नहीं थे और ईडब्ल्यूबी-03 भाग बी लंबित था	कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया।
2	111473	35	CG07AW2815	01/05/2019	एमओव्ही-01, एमओव्ही-02 फॉर्म उपलब्ध नहीं है	प्रारंभिक चरण में चूंकि कानून नया था और ऑनलाइन ई-वे बिल भी नया था, इसलिए कुछ अनजाने प्रक्रियागत खामियां हुईं, जिनसे राजस्व की हानि नहीं हुई।
3	112387	3	HR55V8754	30/06/2018	एमओव्ही-02, एमओव्ही-04, एमओव्ही-05, एमओव्ही-06, एमओव्ही-07 फॉर्म उपलब्ध नहीं हैं	कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया।
4	374539	43	MH40N7279	02/11/2020	एमओव्ही-03, एमओव्ही-04, एमओव्ही-06, एमओव्ही-07 फॉर्म उपलब्ध नहीं थे और ईडब्ल्यूबी-03 भाग बी लंबित था	कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया।
5	110959	13	GJ03BV6195	20/05/2019	एमओव्ही-04 फॉर्म उपलब्ध नहीं है	कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया।
6	63315	15	CG15AC1156	27/01/2019	एमओव्ही-05 फॉर्म उपलब्ध नहीं है	कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया।
7	130376	26	NL03A2741	05/04/2018	एमओव्ही-01,02,04,05, 06,07 और 09 फॉर्म उपलब्ध नहीं हैं	यह परिपत्र 13 अप्रैल 2018 को जारी किया गया था, और प्रकरण का निपटारा परिपत्र से पहले ही कर दिया गया था, इसलिए जीएसटी एमओव्ही-01 से 09 की आवश्यकता नहीं थी।
8	111328	31	CG04DB3190	25/08/2018	एमओव्ही-04 फॉर्म उपलब्ध नहीं है	कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया।
9	1418	6	CG12S2342	02/05/2018	एमओव्ही-01 से एमओव्ही-07 फॉर्म उपलब्ध नहीं हैं	कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया।
10	31128	9	GJ03BV8292	03/12/2018	एमओव्ही-01 से एमओव्ही-07 फॉर्म उपलब्ध नहीं हैं	कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया।
11	213210	12	CG04MX0765	22/11/2019	एमओव्ही-01 से एमओव्ही-07 फॉर्म उपलब्ध नहीं हैं	कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया।
12	173109	22	CG10AQ6942	27/08/2019	एमओव्ही-01 से एमओव्ही-07 फॉर्म उपलब्ध नहीं हैं	कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया।
13	10158	23	GJ03BV5409	12/10/2018	एमओव्ही-01 से एमओव्ही-07 फॉर्म उपलब्ध नहीं हैं	कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया।
14	1453	24	CG04MC5586	07/05/2018	एमओव्ही-01 से एमओव्ही-07 फॉर्म उपलब्ध नहीं हैं	कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया।
15	128129	25	CG04JB2125	27/06/2019	एमओव्ही-01 से एमओव्ही-07 फॉर्म उपलब्ध नहीं हैं	कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया।

परिशिष्ट-2.12

(कांडिका संख्या 2.13.2.1 में संदर्भित)

विसंगति की प्रकृति: कर और शास्ति के समायोजन में विलंब

(राशि ₹ में)

सं० क्र०	प्रकरण संख्या	संदर्भ सं. (संदर्भ सं./आईआर सं./पावती सं.)	वाहन संख्या	निरीक्षण की तिथि	समाहित कर				शास्ति	कुल राशि	करदाता द्वारा केश लेजर में जमा (क्रेडिट) की तिथि	केश लेजर से समायोजन (डेबिट) की तिथि	समायोजन में देरी (दिनों में)	शासन का उत्तर
					सीजीएसटी	सीजीजीएसटी	आईजीएसटी	सेस						
1	1	111269	CG07BL5344	14/09/2018	13,176	13,176	0	0	26,352	52,704	14/09/2018	29/01/2019	137	कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया गया।
2	2	4874	CG04LS1662	10/08/2018	533	533	0	0	21,314	22,380	11/08/2018	11/09/2018	31	
3	3	112387	HR55V8754	30/06/2018	22,680	22,680	0	0	45,360	90,720	30/06/2018	02/01/2019	186	
4	4	110917	WB11C6973	07/05/2019	10,800	10,800	0	0	2,40,000	2,61,600	16/05/2019	21/06/2019	36	
5	5	98222	CG13AD5919	28/03/2019	2,415	2,415	0	0	4,830	9,660	28/03/2019	12/06/2019	76	
6	6	1418	CG12S2342	30/04/2018	26,730	26,730	0	0	53,460	1,06,920	02/05/2018	04/01/2019	247	
7	7	111482	CG18H1163	25/06/2018	5,302	5,302	0	15,180	93,180	1,18,964	25/06/2018	28/11/2018	156	
8	11	7706	CG18 H2711	20/09/2018	10,360	10,360	0	0	20,720	41,440	20/09/2018	28/09/2018	8	
9	13	110959	GJ03BV6195	20/05/2019	20,480	20,480	0	0	40,960	81,920	22/05/2019	22/06/2019	31	
10	16	57834	CG04JB1954	03/01/2019	11,143	11,143	0	0	22,286	44,572	04/01/2019	11/10/2023	1,741	
11	18	101193	CG04LW0186	04/04/2019	3,744	3,744	0	0	7,488	14,976	05/04/2019	21/09/2023	1,630	
12	19	112347	CG04JB1351	30/05/2018	34,768	34,768	0	0	79,536	1,49,072	03/06/2018	09/10/2018	128	
13	21	6436	CG08Y9654	05/09/2018	16,275	16,275	0	0	32,550	65,100	05/09/2018	28/09/2018	23	
14	24	1453	CG04MC5586	07/05/2018	40,149	40,149	0	0	80,298	1,60,596	07/05/2018	25/10/2019	536	
15	26	130376	NL03A2741	05/04/2018	1,12,542	1,12,542	0	0	2,25,084	4,50,168	09/04/2018	19/12/2018	254	
16	27	111904	CG04JD7783	26/06/2018	999	999	0	0	1,998	3,996	30/06/2018	13/09/2023	1,901	
17	28	110869	CG08B0594	03/05/2018	3,060	3,060	0	0	6,120	12,240	03/05/2018	07/06/2018	35	
18	29	45945	MH36F1624	29/05/2018	0	0	3,600	0	3,600	7,200	30/05/2018	26/10/2023	1,975	
19	30	129964	CG04 LX1899	04/07/2018	22,981	22,981	0	0	45,962	91,924	07/07/2018	26/9/2018, 3/1/2019	81 से 1,798	

												— 9/6/2023		
20	31	111328	CG04DB3190	25/08/2018	1,16,336	1,16,336	0	0	2,32,672	4,65,344	27/08/2018	29/12/2018	124	
21	33	1332	HR38R6380	24/04/2018	96,784	96,784	0	0	1,93,568	3,87,136	26/04/2018	29/10/2018	186	
22	34	130392	RJ11GB1007	19/06/2018	35,381	35,381	0	0	3,93,120	4,63,882	22/06/2018	26/09/2018	96	
23	35	111473	CG07AW2815	01/05/2019	31,459	31,459	0	0	2,23,260	2,86,178	10/05/2019	22/09/2023	1,596	
24	37	106081	MP20HB4675	04/01/2019	1,02,150	1,02,150	0	0	3,45,964	5,50,264	11/01/2019	09/10/2023	1,732	
25	38	45926	MH40AK0603	29/05/2018	6,746	6,746	0	0	13,492	26,984	29/05/2018	17/10/2023	1,967	
26	39	111903	CG04JD7783	26/06/2018	4,581	4,581	0	0	9,162	18,324	02/07/2018	26/09/2023	1,912	
27	40	106113	HR55P3954	10/07/2018	29,330	29,330	0	0	58,660	1,17,320	18/07/2018	12/10/2023	1,912	
28	45	110998	DL01LR4713	06/09/2018	20,498	20,498	0	0	40,996	81,992	07/09/2018	29/12/2018	113	
29	48	488659	GJ25U9810	29/12/2020	13,464	13,464	0	0	1,76,528	2,03,456	31/12/2020	06/07/2021	187	
30	49	1174	CG04LS2958	19/04/2018	0	0	10,129	0	10,129	20,258	20/04/2018	22/09/2023	1,981	
<b>योग</b>					<b>8,14,866</b>	<b>8,14,866</b>	<b>13,729</b>	<b>15,180</b>	<b>27,48,649</b>	<b>44,07,290</b>			<b>8 से 1,981</b>	

परिशिष्ट-2.13

(कांडिका संख्या 2.13.2.2 में संदर्भित)

विसंगति की प्रकृति: वाहन की जांच के दौरान वसूले गए कर और शास्ति की कटौती सुनिश्चित किए बिना वाहनों को छोड़ देना

(राशि ₹ में)

सं क्र०	संदर्भ सं. (संदर्भ सं. /आईआर सं./ पावती सं.)	वाहन संख्या	दिनांक	सम्मिलित कर				शास्ति	कुल राशि	शासन का उत्तर
				सीजीएसटी	सीजीजीएसटी	आईजीएसटी	सेस			
1	111442	CG17KK7767	22/05/2018	0	0	51,783	0	51,783	1,03,566	आपूर्तिकर्ता के अन्य राज्य में पंजीकृत होने के कारण डी.आर. सी.-07 जारी नहीं की गई। आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित क्षेत्राधिकारी को पत्र जारी किया गया है। दिनांक 24/05/2018 को बीजक के माध्यम से कर एवं शास्ति जमा किया गया है। डी. आर.सी.-03 की प्रति संलग्न है।
2	111238	CG08L3532	31/08/2018	0	0	46,529	0	46,529	93,058	आपूर्तिकर्ता के अन्य राज्य में पंजीकृत होने के कारण डी.आर. सी.-07 जारी नहीं किया गया। तथापि, आवश्यक कार्यवाही करने के लिए संबंधित क्षेत्राधिकार प्राधिकारी को पत्र जारी किया गया है। दिनांक 01/09/2018 को बीजक के माध्यम से कर एवं शास्ति जमा किया गया।
योग				0	0	98,312	0	98,312	1,96,624	

## परिशिष्ट-2.14

(कंडिका संख्या 2.13.2.3 में संदर्भित)

विसंगति की प्रकृति: रोके गए वाहनों पर कर और शास्ति का कम आरोपण

(राशि ₹ में)

सं क्र०	संदर्भ सं. (संदर्भ सं. /आईआर सं./ पावती सं.)	वाहन संख्या	दिनांक	देय कर	देय शास्ति	आरोपित कर	आरोपित शास्ति	कर का कम आरोपण	शास्ति का कम आरोपण	कुल कम आरोपण	शासन का उत्तर
1	24069	CG11AP6230	25/10/2018	49,699	49,699	0	20,000	49,699	29,699	79,398	कर की कोई चोरी नहीं हुई। यह त्रुटि प्रक्रियागत और तकनीकी कारणों से हुई।
2	374539	MH40N7279	02/11/2020	91,393	91,393	0	25,000	91,393	66,393	1,57,786	डीआरसी-03 के माध्यम से राशि ₹ 25,000/- दिनांक 03/11/2020 को जमा की गई।
योग				1,41,092	1,41,092	0	45,000	1,41,092	96,092	2,37,184	

परिशिष्ट-3.1

(कंडिका 3.5 (3) में संदर्भित)

विभिन्न प्रकार की लेखपरीक्षा के नमूनों के आवंटन को दर्शाने वाला विवरण

(ए) चयनित वृत्तों की लेखापरीक्षा के नमूनों का विवरण

स. कं.	वृत्त कार्यालय का नाम	विवरणी वर्ष
1	स.आ., वृत्त-1, रायपुर	2020-21
2	स.आ., वृत्त-4, रायपुर	2020-21
3	स.आ., वृत्त-5, रायपुर	2020-21
4	स.आ., वृत्त-8, रायपुर	2020-21
5	स.आ., वृत्त-1, बिलासपुर	2020-21
6	स.आ., वृत्त-2, बिलासपुर	2020-21
7	स.आ., वृत्त-1, दुर्ग	2020-21
8	स.आ., वृत्त-3, दुर्ग	2020-21
9	स.आ., वृत्त-4, दुर्ग	2020-21
10	स.आ., वृत्त-1, रायगढ़	2020-21

(बी) 366 करदाताओं के 641 प्रकरणों का केन्द्रीय लेखापरीक्षा नमूनाओं जिस पर लेखापरीक्षा द्वारा क्वेरी जारी की गई

(₹ लाख में)

स. कं.	वृत्त	जी.एस.टी.एन.	वर्ष	विचलन
1	स.आ., वृत्त अम्बिकापुर	22XXXXXXXXXX1ZK	2018-19	1,675.00
2	स.आ., वृत्त-2, बिलासपुर	22XXXXXXXXXX1ZI	2018-19	1,206.37
3	स.आ., वृत्त-2, बिलासपुर	22XXXXXXXXXX X1ZQ	2018-19	278.61
4	स.आ., वृत्त-2, बिलासपुर	22XXXXXXXXXX1Z3	2018-19	409.76
5	स.आ., वृत्त-3, बिलासपुर	22XXXXXXXXXX1Z4	2018-19	308.49
6	स.आ., वृत्त-3, बिलासपुर	22XXXXXXXXXX1ZW	2018-19	24.73
7	स.आ., वृत्त धमतरी	22XXXXXXXXXX1ZH	2018-19	14.19
8	स.आ., वृत्त-2, दुर्ग	22XXXXXXXXXX3Z5	2018-19	200.48
9	स.आ., वृत्त-2, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1Z7	2018-19	350.70
10	स.आ., वृत्त-3, दुर्ग	22XXXXXXXXXX2ZW	2018-19	419.46
11	स.आ., वृत्त-3, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1Z7	2018-19	466.98
12	स.आ., वृत्त-4, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1Z8	2018-19	99.49
13	स.आ., वृत्त-1, जगदलपुर	22XXXXXXXXXX2ZL	2018-19	4.12
14	स.आ., वृत्त-2, जगदलपुर	22XXXXXXXXXX1ZB	2018-19	410.33

15	स.आ., वृत्त कर्वधा	22XXXXXXXXXX1ZG	2018-19	497.69
16	स.आ., वृत्त-2, कोरबा	22XXXXXXXXXX1ZU	2018-19	13,212.74
17	स.आ., वृत्त-2, कोरबा	22XXXXXXXXXX1ZQ	2018-19	199.20
18	स.आ., वृत्त-1, रायगढ़	22XXXXXXXXXX2Z7	2018-19	64.78
19	स.आ., वृत्त-2, रायगढ़	22XXXXXXXXXX1ZK	2018-19	893.58
20	स.आ., वृत्त-2, रायपुर	22XXXXXXXXXX3ZT	2018-19	1,033.08
21	स.आ., वृत्त-3, रायपुर	22XXXXXXXXXX 1ZW	2018-19	193.64
22	स.आ., वृत्त-3, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZX	2018-19	442.79
23	स.आ., वृत्त-4, रायपुर	22XXXXXXXXXX1Z9	2018-19	9.58
24	स.आ., वृत्त-4, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZQ	2018-19	867.28
25	स.आ., वृत्त-4, रायपुर	22XXXXXXXXXX 2ZA	2018-19	1,229.73
26	स.आ., वृत्त-4, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZW	2018-19	465.85
27	स.आ., वृत्त-5, रायपुर	22XXXXXXXXXX1Z7	2018-19	103.60
28	स.आ., वृत्त-5, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZI	2018-19	539.41
29	स.आ., वृत्त-5, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZS	2018-19	848.90
30	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZY	2018-19	495.85
31	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXX1Z3	2018-19	1.58
32	स.आ., वृत्त-8, रायपुर	22XXXXXXXXXX2ZP	2018-19	1,047.35
33	स.आ., वृत्त-8, रायपुर	22XXXXXXXXXX1Z1	2018-19	0.91
34	स.आ., वृत्त-8, रायपुर	22XXXXXXXXXX1Z3	2018-19	568.08
35	स.आ., वृत्त-9, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZM	2018-19	379.13
36	स.आ., वृत्त-9, रायपुर	22XXXXXXXXXX1Z7	2018-19	385.10
37	स.आ., वृत्त राजनांदगांव	22XXXXXXXXXX1ZU	2018-19	1,513.26
38	स.आ., वृत्त-2, बिलासपुर	22XXXXXXXXXX1ZI	2019-20	182.18
39	स.आ., वृत्त-2, बिलासपुर	22XXXXXXXXXX1ZQ	2019-20	0.97
40	स.आ., वृत्त-3, बिलासपुर	22XXXXXXXXXX1Z4	2019-20	40.52
41	स.आ., वृत्त-3, बिलासपुर	22XXXXXXXXXX1ZW	2019-20	448.52
42	स.आ., वृत्त धमतरी	22XXXXXXXXXX1ZH	2019-20	3.31
43	स.आ., वृत्त-2, दुर्ग	22XXXXXXXXXX3Z5	2019-20	202.47
44	स.आ., वृत्त-3, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1Z2	2019-20	2,079.43

मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के राजस्व पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट

45	स.आ., वृत्त-4, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1Z8	2019-20	3,263.85
46	स.आ., वृत्त-2, जगदलपुर	22XXXXXXXXXX1ZB	2019-20	1.26
47	स.आ., वृत्त कर्वधा	22XXXXXXXXXX1ZG	2019-20	7.04
48	स.आ., वृत्त-2, कोरबा	22XXXXXXXXXX1ZU	2019-20	5,572.87
49	स.आ., वृत्त-2, कोरबा	22XXXXXXXXXX1ZQ	2019-20	207.77
50	स.आ., वृत्त-1, रायगढ़	22XXXXXXXXXX1ZG	2019-20	438.68
51	स.आ., वृत्त-1, रायगढ़	22XXXXXXXXXX1Z1	2019-20	562.56
52	स.आ., वृत्त-1, रायगढ़	22XXXXXXXXXX2Z7	2019-20	336.81
53	स.आ., वृत्त-2, रायगढ़	22XXXXXXXXXX1ZK	2019-20	293.39
54	स.आ., वृत्त-1, रायपुर	22XXXXXXXXXX2ZS	2019-20	499.15
55	स.आ., वृत्त-3, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZW	2019-20	115.64
56	स.आ., वृत्त-4, रायपुर	22XXXXXXXXXX1Z9	2019-20	1,346.98
57	स.आ., वृत्त-4, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZQ	2019-20	791.20
58	स.आ., वृत्त-5, रायपुर	22XXXXXXXXXX1Z7	2019-20	205.62
59	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZY	2019-20	234.31
60	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXX1Z3	2019-20	393.16
61	स.आ., वृत्त-8, रायपुर	22XXXXXXXXXX2ZP	2019-20	10.51
62	स.आ., वृत्त-8, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZH	2019-20	401.33
63	स.आ., वृत्त-8, रायपुर	22XXXXXXXXXX1Z1	2019-20	344.00
64	स.आ., वृत्त अंबिकापुर	22XXXXXXXXXX1ZK	2020-21	25.58
65	स.आ., वृत्त-2, बिलासपुर	22XXXXXXXXXX1ZI	2020-21	66.50
66	स.आ., वृत्त-2, बिलासपुर	22XXXXXXXXXX1ZQ	2020-21	69.03
67	स.आ., वृत्त-3, बिलासपुर	22XXXXXXXXXX1ZP	2020-21	737.07
68	स.आ., वृत्त धमतरी	22XXXXXXXXXX1ZH	2020-21	1,573.76
69	स.आ., वृत्त-2, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1Z7	2020-21	22.98
70	स.आ., वृत्त-4, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1Z8	2020-21	2.74
71	स.आ., वृत्त-1, जगदलपुर	22XXXXXXXXXX2ZL	2020-21	597.49
72	स.आ., वृत्त-2, जगदलपुर	22XXXXXXXXXX1ZB	2020-21	7.22
73	स.आ., वृत्त-3, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZW	2020-21	171.19
74	स.आ., वृत्त-5, रायपुर	22XXXXXXXXXX1Z7	2020-21	124.89

75	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZY	2020-21	43.97
76	स.आ., वृत्त-8, रायपुर	22XXXXXXXXXX2ZP	2020-21	41.18
77	स.आ., वृत्त-8, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZL	2020-21	2,877.79
78	स.आ., वृत्त-8, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZM	2020-21	2,130.42
79	स.आ., वृत्त अंबिकापुर	22XXXXXXXXXX1Z5	2018-19	0.24
80	स.आ., वृत्त भाटापारा	22XXXXXXXXXX1ZI	2018-19	354.60
81	स.आ., वृत्त भाटापारा	22XXXXXXXXXX1Z1	2018-19	945.68
82	स.आ., वृत्त-2, बिलासपुर	22XXXXXXXXXX1ZI	2018-19	432.20
83	स.आ., वृत्त-2, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1Z7	2018-19	520.27
84	स.आ., वृत्त-3, दुर्ग	22XXXXXXXXXX2ZW	2018-19	137.64
85	स.आ., वृत्त-3, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1Z7	2018-19	252.03
86	स.आ., वृत्त-3, दुर्ग	22XXXXXXXXXX2ZE	2018-19	857.51
87	स.आ., वृत्त-1, कोरबा	22XXXXXXXXXX1Z7	2018-19	7.27
88	स.आ., वृत्त-2, कोरबा	22XXXXXXXXXX1ZQ	2018-19	306.35
89	स.आ., वृत्त-2, कोरबा	22XXXXXXXXXX1ZK	2018-19	14.09
90	स.आ., वृत्त-2, कोरबा	22XXXXXXXXXX3ZI	2018-19	137.89
91	स.आ., वृत्त-2, रायगढ़	22XXXXXXXXXX1ZK	2018-19	478.85
92	स.आ., वृत्त-2, रायगढ़	22XXXXXXXXXX1ZI	2018-19	41.33
93	स.आ., वृत्त-3, रायपुर	22XXXXXXXXXX5ZY	2018-19	718.25
94	स.आ., वृत्त-5, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZS	2018-19	445.13
95	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZQ	2018-19	662.93
96	स.आ., वृत्त-9, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZA	2018-19	265.44
97	स.आ., वृत्त अंबिकापुर	22XXXXXXXXXX1Z5	2019-20	0.88
98	स.आ., वृत्त भाटापारा	22XXXXXXXXXX1ZI	2019-20	300.23
99	स.आ., वृत्त भाटापारा	22XXXXXXXXXX1Z1	2019-20	456.79
100	स.आ., वृत्त-2, बिलासपुर	22XXXXXXXXXX1ZI	2019-20	820.81
101	स.आ., वृत्त-2, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1Z7	2019-20	81.04
102	स.आ., वृत्त-3, दुर्ग	22XXXXXXXXXX2ZW	2019-20	293.42
103	स.आ., वृत्त-3, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1Z7	2019-20	310.62
104	स.आ., वृत्त-3, दुर्ग	22XXXXXXXXXX2ZE	2019-20	83.61

मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के राजस्व पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट

105	स.आ., वृत्त-1, कोरबा	22XXXXXXXXXX1Z7	2019-20	569.17
106	स.आ., वृत्त-2, कोरबा	22XXXXXXXXXX1ZQ	2019-20	261.64
107	स.आ., वृत्त-2, कोरबा	22XXXXXXXXXX1ZK	2019-20	1,017.52
108	स.आ., वृत्त-2, कोरबा	22XXXXXXXXXX3Z1	2019-20	522.61
109	स.आ., वृत्त-2, रायगढ़	22XXXXXXXXXX1ZK	2019-20	138.45
110	स.आ., वृत्त-2, रायगढ़	22XXXXXXXXXX1Z1	2019-20	676.37
111	स.आ., वृत्त-3, रायपुर	22XXXXXXXXXX2ZM	2019-20	1,428.26
112	स.आ., वृत्त-5, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZS	2019-20	0.03
113	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZQ	2019-20	6.51
114	स.आ., वृत्त-8, रायपुर	22XXXXXXXXXX2ZP	2019-20	1,547.17
115	स.आ., वृत्त-9, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZA	2019-20	472.29
116	स.आ., वृत्त अंबिकापुर	22XXXXXXXXXX1Z5	2020-21	547.77
117	स.आ., वृत्त भाटापारा	22AXXXXXXXXXXX1Z1	2020-21	77.55
118	स.आ., वृत्त भाटापारा	22XXXXXXXXXX1Z1	2020-21	296.66
119	स.आ., वृत्त-2, बिलासपुर	22XXXXXXXXXX1Z1	2020-21	295.60
120	स.आ., वृत्त-2, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1Z7	2020-21	106.97
121	स.आ., वृत्त-3, दुर्ग	22XXXXXXXXXX2ZW	2020-21	145.12
122	स.आ., वृत्त-3, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1Z7	2020-21	85.19
123	स.आ., वृत्त-1, कोरबा	22XXXXXXXXXX1Z7	2020-21	25.22
124	स.आ., वृत्त-2, कोरबा	22XXXXXXXXXX1ZK	2020-21	18.27
125	स.आ., वृत्त-2, रायगढ़	22XXXXXXXXXX1ZK	2020-21	102.71
126	स.आ., वृत्त-2, रायगढ़	22XXXXXXXXXX1Z1	2020-21	56.93
127	स.आ., वृत्त-5, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZS	2020-21	0.00
128	स.आ., वृत्त-8, रायपुर	22XXXXXXXXXX2ZP	2020-21	32.35
129	स.आ., वृत्त-9, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZA	2020-21	4.88
130	स.आ., वृत्त अंबिकापुर	22XXXXXXXXXX1ZX	2018-19	203.22
131	स.आ., वृत्त अंबिकापुर	22XXXXXXXXXX2ZB	2018-19	9.73
132	स.आ., वृत्त अंबिकापुर	22XXXXXXXXXX1ZB	2018-19	74.09
133	स.आ., वृत्त अंबिकापुर	22XXXXXXXXXX1ZS	2018-19	95.62
134	स.आ., वृत्त-1, बिलासपुर	22XXXXXXXXXX1ZA	2018-19	92.41

135	स.आ., वृत्त-2, बिलासपुर	22XXXXXXXXXX1Z1	2018-19	87.76
136	स.आ., वृत्त धमतरी	22XXXXXXXXXX1ZA	2018-19	76.03
137	स.आ., वृत्त-3, दुर्ग	22XXXXXXXXXX2ZW	2018-19	263.36
138	स.आ., वृत्त-1, जगदलपुर	22XXXXXXXXXX1Z6	2018-19	82.07
139	स.आ., वृत्त-2, जगदलपुर	22XXXXXXXXXX1ZQ	2018-19	63.86
140	स.आ., वृत्त-2, जगदलपुर	22XXXXXXXXXX1ZV	2018-19	89.39
141	स.आ., वृत्त-2, जगदलपुर	22XXXXXXXXXX1ZL	2018-19	21.88
142	स.आ., वृत्त जांजगीर	22XXXXXXXXXX1ZG	2018-19	156.21
143	स.आ., वृत्त कवर्धा	22XXXXXXXXXX1ZJ	2018-19	66.77
144	स.आ., वृत्त-2, कोरबा	22XXXXXXXXXX1ZR	2018-19	74.45
145	स.आ., वृत्त महासमुन्द	22XXXXXXXXXX1ZM	2018-19	42.26
146	स.आ., वृत्त-1, रायगढ़	22XXXXXXXXXX1ZY	2018-19	32.78
147	स.आ., वृत्त-1, रायगढ़	22XXXXXXXXXX2Z1	2018-19	221.66
148	स.आ., वृत्त-3, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZQ	2018-19	107.59
149	स.आ., वृत्त-3, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZM	2018-19	107.46
150	स.आ., वृत्त-3, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZT	2018-19	108.30
151	स.आ., वृत्त-3, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZY	2018-19	86.21
152	स.आ., वृत्त-5, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZL	2018-19	181.58
153	स.आ., वृत्त-8, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZB	2018-19	91.08
154	स.आ., वृत्त-8, रायपुर	22XXXXXXXXXX1Z9	2018-19	26.62
155	स.आ., वृत्त-9, रायपुर	22XXXXXXXXXX1Z0	2018-19	102.24
156	स.आ., वृत्त राजनांदगांव	22XXXXXXXXXX1Z4	2018-19	27.40
157	स.आ., वृत्त अंबिकापुर	22XXXXXXXXXX1ZX	2019-20	42.42
158	स.आ., वृत्त अंबिकापुर	22XXXXXXXXXX1ZS	2019-20	1.63
159	स.आ., वृत्त-1, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1ZH	2019-20	56.16
160	स.आ., वृत्त-3, दुर्ग	22XXXXXXXXXX2ZW	2019-20	2.55
161	स.आ., वृत्त-4, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1Z8	2019-20	112.00
162	स.आ., वृत्त-1, जगदलपुर	22XXXXXXXXXX1Z6	2019-20	0.00
163	स.आ., वृत्त-2, जगदलपुर	22XXXXXXXXXX1ZV	2019-20	24.07
164	स.आ., वृत्त-2, जगदलपुर	22XXXXXXXXXX1ZL	2019-20	46.61

मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के राजस्व पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट

165	स.आ., वृत्त-1, कोरबा	22XXXXXXXXXX1Z1	2019-20	120.64
166	स.आ., वृत्त-1, कोरबा	22XXXXXXXXXX1ZY	2019-20	65.11
167	स.आ., वृत्त-2, कोरबा	22XXXXXXXXXX1ZR	2019-20	93.14
168	स.आ., वृत्त महासमुन्द	22XXXXXXXXXX1ZM	2019-20	33.00
169	स.आ., वृत्त-1, रायगढ़	22XXXXXXXXXX1ZY	2019-20	35.13
170	स.आ., वृत्त-1, रायगढ़	22XXXXXXXXXX2Z1	2019-20	14.38
171	स.आ., वृत्त-4, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZY	2019-20	155.77
172	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXX1Z7	2019-20	68.80
173	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZN	2019-20	108.94
174	स.आ., वृत्त-8, रायपुर	22XXXXXXXXXX1Z9	2019-20	83.32
175	स.आ., वृत्त राजनांदगांव	22XXXXXXXXXX1Z4	2019-20	43.14
176	स.आ., वृत्त राजनांदगांव	22XXXXXXXXXX1ZI	2019-20	85.16
177	स.आ., वृत्त अंबिकापुर	22XXXXXXXXXX2ZB	2020-21	56.77
178	स.आ., वृत्त-1, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1ZH	2020-21	50.67
179	स.आ., वृत्त-1, जगदलपुर	22XXXXXXXXXX1Z6	2020-21	0.00
180	स.आ., वृत्त-1, कोरबा	22XXXXXXXXXX1Z1	2020-21	9.64
181	स.आ., वृत्त-3, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZT	2020-21	47.58
182	स.आ., वृत्त-8, रायपुर	22XXXXXXXXXX1Z9	2020-21	49.96
183	स.आ., वृत्त-3, रायपुर	22XXXXXXXXXX1Z1	2018-19	10.75
184	स.आ., वृत्त-3, रायपुर	22XXXXXXXXXX3ZW	2018-19	114.58
185	स.आ., वृत्त-6, रायपुर	22XXXXXXXXXX2ZW	2018-19	34.87
186	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXX1Z0	2018-19	10.03
187	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXX1Z3	2018-19	16.38
188	स.आ., वृत्त-8, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZX	2018-19	19.73
189	स.आ., वृत्त-9, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZY	2018-19	5.15
190	स.आ., वृत्त-2, बिलासपुर	22XXXXXXXXXX1ZI	2019-20	61.07
191	स.आ., वृत्त कर्वधा	22XXXXXXXXXX1Z7	2019-20	10.24
192	स.आ., वृत्त-2, कोरबा	22XXXXXXXXXX1ZM	2019-20	14.80
193	स.आ., वृत्त-3, रायपुर	22XXXXXXXXXX2ZX	2019-20	18.55
194	स.आ., वृत्त-3, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZB	2019-20	5.47

195	स.आ., वृत्त-3, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZO	2019-20	9.42
196	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXX1Z7	2019-20	30.22
197	स.आ., वृत्त-9, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZY	2019-20	6.87
198	स.आ., वृत्त कर्वधा	22XXXXXXXXXX1Z7	2020-21	9.86
199	स.आ., वृत्त-2, कोरबा	22XXXXXXXXXX1ZM	2020-21	1.18
200	स.आ., वृत्त-3, रायपुर	22AXXXXXXXXXXX1ZB	2020-21	6.50
201	स.आ., वृत्त-3, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZO	2020-21	3.24
202	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXX1Z7	2020-21	2.05
203	स.आ., वृत्त-9, रायपुर	22XXXXXXXXXX1Z2	2020-21	17.57
204	स.आ., वृत्त अंबिकापुर	22XXXXXXXXXX1Z0	2018-19	29.83
205	स.आ., वृत्त-2, बिलासपुर	22XXXXXXXXXX1ZY	2018-19	26.22
206	स.आ., वृत्त धमतरी	22XXXXXXXXXX1Z5	2018-19	35.52
207	स.आ., वृत्त धमतरी	22XXXXXXXXXX1Z7	2018-19	18.26
208	स.आ., वृत्त-1, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1ZB	2018-19	49.08
209	स.आ., वृत्त-1, जगदलपुर	22XXXXXXXXXX1ZB	2018-19	65.33
210	स.आ., वृत्त मनेन्द्रगढ़	22XXXXXXXXXX1Z5	2018-19	12.29
211	स.आ., वृत्त-3, रायपुर	22XXXXXXXXXX1Z3	2018-19	112.67
212	स.आ., वृत्त-5, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZL	2018-19	40.46
213	स.आ., वृत्त-9, रायपुर	22XXXXXXXXXXZM	2018-19	263.29
214	स.आ., वृत्त-9, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZE	2018-19	646.35
215	स.आ., वृत्त-9, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZM	2018-19	110.11
216	स.आ., वृत्त अंबिकापुर	22XXXXXXXXXX1Z0	2019-20	23.25
217	स.आ., वृत्त-1, बिलासपुर	22XXXXXXXXXX1ZL	2019-20	161.25
218	स.आ., वृत्त-2, बिलासपुर	22XXXXXXXXXX1ZY	2019-20	62.34
219	स.आ., वृत्त धमतरी	22XXXXXXXXXX1Z5	2019-20	28.16
220	स.आ., वृत्त धमतरी	22XXXXXXXXXX1Z7	2019-20	19.13
221	स.आ., वृत्त-3, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1ZN	2019-20	77.38
222	स.आ., वृत्त मनेन्द्रगढ़	22XXXXXXXXXX1Z5	2019-20	100.25
223	स.आ., वृत्त-1, रायपुर	22XXXXXXXXXX2ZI	2019-20	91.82
224	स.आ., वृत्त-5, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZG	2019-20	46.29

मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के राजस्व पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट

225	स.आ., वृत्त-8, रायपुर	22XXXXXXXXXXXX1ZG	2019-20	0.25
226	स.आ., वृत्त-9, रायपुर	22XXXXXXXXXXXX1ZE	2019-20	1,205.85
227	स.आ., वृत्त-9, रायपुर	22XXXXXXXXXXXX1ZM	2019-20	10.47
228	स.आ., वृत्त-9, रायपुर	22XXXXXXXXXXXX2ZF	2019-20	95.75
229	स.आ., वृत्त-1, बिलासपुर	22XXXXXXXXXXXX1ZL	2020-21	49.26
230	स.आ., वृत्त धमतरी	22XXXXXXXXXXXX1Z5	2020-21	22.92
231	स.आ., वृत्त धमतरी	22XXXXXXXXXXXX1Z7	2020-21	47.25
232	स.आ., वृत्त-3, दुर्ग	22XXXXXXXXXXXX1ZN	2020-21	2.29
233	स.आ., वृत्त-1, कोरबा	22XXXXXXXXXXXX1ZY	2020-21	49.84
234	स.आ., वृत्त मनेन्द्रगढ़	22XXXXXXXXXXXX1Z2	2020-21	51.64
235	स.आ., वृत्त मनेन्द्रगढ़	22XXXXXXXXXXXX1ZL	2020-21	65.08
236	स.आ., वृत्त मनेन्द्रगढ़	22XXXXXXXXXXXX1Z5	2020-21	32.19
237	स.आ., वृत्त-2, रायगढ़	22XXXXXXXXXXXX2Z6	2020-21	1,163.26
238	स.आ., वृत्त-5, रायपुर	22XXXXXXXXXXXX1Z1	2020-21	517.80
239	स.आ., वृत्त-5, रायपुर	22XXXXXXXXXXXX1ZG	2020-21	0.00
240	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXXXX1ZH	2020-21	45.91
241	स.आ., वृत्त-8, रायपुर	22XXXXXXXXXXXX1ZG	2020-21	56.21
242	स.आ., वृत्त-9, रायपुर	22XXXXXXXXXXXX2ZL	2020-21	47.92
243	स.आ., वृत्त-9, रायपुर	22XXXXXXXXXXXX1ZM	2020-21	15.93
244	स.आ., वृत्त-3, बिलासपुर	22XXXXXXXXXXXX1ZA	2018-19	2.06
245	स.आ., वृत्त धमतरी	22XXXXXXXXXXXX1ZZ	2018-19	101.40
246	स.आ., वृत्त-2, दुर्ग	22XXXXXXXXXXXX1ZH	2018-19	96.16
247	स.आ., वृत्त-2, कोरबा	22XXXXXXXXXXXX1Z7	2018-19	75.65
248	स.आ., वृत्त-3, रायपुर	22XXXXXXXXXXXX5ZY	2018-19	155.93
249	स.आ., वृत्त-4, रायपुर	22XXXXXXXXXXXX1ZE	2018-19	1,109.59
250	स.आ., वृत्त-8, रायपुर	22XXXXXXXXXXXX1ZI	2018-19	156.97
251	स.आ., वृत्त-3, बिलासपुर	22XXXXXXXXXXXX1Z0	2019-20	83.65
252	स.आ., वृत्त-9, रायपुर	22XXXXXXXXXXXX1ZI	2019-20	75.90
253	स.आ., वृत्त-3, बिलासपुर	22XXXXXXXXXXXX1ZA	2020-21	272.96
254	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXXXX1Z9	2020-21	559.19

255	स.आ., वृत्त-1, रायपुर	22XXXXXXXXXXXX1ZB	2018-19	193.69
256	स.आ., वृत्त-2, रायपुर	22XXXXXXXXXXXX1ZQ	2018-19	61.82
257	स.आ., वृत्त-2, रायपुर	22XXXXXXXXXXXX1ZY	2018-19	2.75
258	स.आ., वृत्त-3, रायपुर	22XXXXXXXXXXXX2ZX	2018-19	96.36
259	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXXXX1ZY	2018-19	402.25
260	स.आ., वृत्त-1, रायगढ़	22XXXXXXXXXXXX3ZI	2019-20	180.03
261	स.आ., वृत्त-1, रायगढ़	22XXXXXXXXXXXX1ZY	2019-20	473.28
262	स.आ., वृत्त-2, रायपुर	22XXXXXXXXXXXX1ZQ	2019-20	21.89
263	स.आ., वृत्त-2, रायपुर	22XXXXXXXXXXXX1ZY	2019-20	676.60
264	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXXXX1ZK	2019-20	143.54
265	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXXXX1ZY	2019-20	5.87
266	स.आ., वृत्त-9, रायपुर	22XXXXXXXXXXXX1ZI	2019-20	75.90
267	स.आ., वृत्त-3, रायपुर	22XXXXXXXXXXXX1ZI	2020-21	97.88
268	स.आ., वृत्त अंबिकापुर	22XXXXXXXXXXXX1ZS	2018-19	226.18
269	स.आ., वृत्त अंबिकापुर	22XXXXXXXXXXXX1ZA	2018-19	0.18
270	स.आ., वृत्त अंबिकापुर	22XXXXXXXXXXXX1Z5	2018-19	0.03
271	स.आ., वृत्त-1, दुर्ग	22XXXXXXXXXXXX1ZY	2018-19	21.29
272	स.आ., वृत्त-2, दुर्ग	22XXXXXXXXXXXX3Z5	2018-19	11.38
273	स.आ., वृत्त-2, दुर्ग	22XXXXXXXXXXXX1ZB	2018-19	792.07
274	स.आ., वृत्त-2, दुर्ग	2 XXXXXXXXXXXX1Z4	2018-19	625.51
275	स.आ., वृत्त-3, दुर्ग	22XXXXXXXXXXXX1ZC	2018-19	391.88
276	स.आ., वृत्त-3, दुर्ग	22XXXXXXXXXXXX1ZZ	2018-19	0.09
277	स.आ., वृत्त-4, दुर्ग	22XXXXXXXXXXXX1Z8	2018-19	44.19
278	स.आ., वृत्त-1, दुर्ग	22XXXXXXXXXXXX1ZH	2018-19	214.11
279	स.आ., वृत्त-1, जगदलपुर	22XXXXXXXXXXXX1ZI	2018-19	379.34
280	स.आ., वृत्त-1, कोरबा	22XXXXXXXXXXXX2ZQ	2018-19	795.36
281	स.आ., वृत्त-1, कोरबा	22XXXXXXXXXXXX1Z9	2018-19	39.03
282	स.आ., वृत्त-2, कोरबा	22XXXXXXXXXXXX1ZU	2018-19	6.01
283	स.आ., वृत्त-2, कोरबा	22XXXXXXXXXXXX1Z8	2018-19	202.71
284	स.आ., वृत्त-2, रायगढ़	22XXXXXXXXXXXX1ZF	2018-19	347.31

मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के राजस्व पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट

285	स.आ., वृत्त-1, रायपुर	22XXXXXXXXXX2Z8	2018-19	4.19
286	स.आ., वृत्त-2, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZF	2018-19	368.35
287	स.आ., वृत्त-3, रायपुर	22XXXXXXXXXX1Z7	2018-19	413.62
288	स.आ., वृत्त-3, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZJ	2018-19	0.48
289	स.आ., वृत्त-4, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZX	2018-19	24.54
290	स.आ., वृत्त-4, रायपुर	22XXXXXXXXXX1Z2	2018-19	5.33
291	स.आ., वृत्त-5, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZO	2018-19	54.80
292	स.आ., वृत्त-5, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZA	2018-19	0.13
293	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZI	2018-19	433.79
294	स.आ., वृत्त-8, रायपुर	22XXXXXXXXXX2ZP	2018-19	0.30
295	स.आ., वृत्त-9, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZJ	2018-19	12.06
296	स.आ., वृत्त राजनांदगांव	22XXXXXXXXXX1Z4	2018-19	0.04
297	स.आ., वृत्त-3, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZM	2018-19	66.72
298	स.आ., वृत्त अंबिकापुर	22XXXXXXXXXX1Z5	2019-20	3.40
299	स.आ., वृत्त-3, बिलासपुर	2XXXXXXXXXX1ZT	2019-20	129.35
300	स.आ., वृत्त-1, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1ZY	2019-20	12.71
301	स.आ., वृत्त-2, दुर्ग	22XXXXXXXXXX3Z5	2019-20	690.17
302	स.आ., वृत्त-2, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1Z4	2019-20	0.48
303	स.आ., वृत्त-3, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1ZZ	2019-20	350.73
304	स.आ., वृत्त-4, दुर्ग	2XXXXXXXXXX1Z8	2019-20	17.37
305	स.आ., वृत्त-1, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1ZH	2019-20	15.97
306	स.आ., वृत्त-1, कोरबा	22XXXXXXXXXX1Z9	2019-20	419.97
307	स.आ., वृत्त-2, कोरबा	22XXXXXXXXXX1ZU	2019-20	2.47
308	स.आ., वृत्त-2, कोरबा	22XXXXXXXXXX1Z8	2019-20	96.15
309	स.आ., वृत्त-2, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZF	2019-20	61.26
310	स.आ., वृत्त-2, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZK	2019-20	247.27
311	स.आ., वृत्त-3, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZJ	2019-20	544.91
312	स.आ., वृत्त-4, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZX	2019-20	1,891.29
313	स.आ., वृत्त-4, रायपुर	22XXXXXXXXXX1Z2	2019-20	490.37
314	स.आ., वृत्त-5, रायपुर	22XXXXXXXXXX2ZS	2019-20	591.29

315	स.आ., वृत्त-5, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZA	2019-20	565.13
316	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZI	2019-20	2.90
317	स.आ., वृत्त-8, रायपुर	22XXXXXXXXXX1Z4	2019-20	1,879.72
318	स.आ., वृत्त-8, रायपुर	22XXXXXXXXXX2ZP	2019-20	402.91
319	स.आ., वृत्त राजनांदगांव	22XXXXXXXXXX1Z4	2019-20	316.35
320	स.आ., वृत्त-4, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZG	2019-20	28.16
321	स.आ., वृत्त-3, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZM	2019-20	296.59
322	स.आ., वृत्त अंबिकापुर	22XXXXXXXXXX1ZS	2020-21	234.74
323	स.आ., वृत्त अंबिकापुर	22XXXXXXXXXX1ZA	2020-21	410.47
324	स.आ., वृत्त अंबिकापुर	22XXXXXXXXXX1Z5	2020-21	532.47
325	स.आ., वृत्त अंबिकापुर	22XXXXXXXXXX1ZE	2020-21	1,218.47
326	स.आ., वृत्त अंबिकापुर	22XXXXXXXXXX1Z4	2020-21	371.34
327	स.आ., वृत्त-3, बिलासपुर	22XXXXXXXXXX1ZT	2020-21	792.55
328	स.आ., वृत्त-1, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1ZY	2020-21	56.21
329	स.आ., वृत्त-2, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1Z1	2020-21	390.87
330	स.आ., वृत्त-2, दुर्ग	22XXXXXXXXXX3Z5	2020-21	0.01
331	स.आ., वृत्त-3, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1ZC	2020-21	324.58
332	स.आ., वृत्त-4, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1Z8	2020-21	624.24
333	स.आ., वृत्त-1, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1ZH	2020-21	276.52
334	स.आ., वृत्त-2, कोरबा	22XXXXXXXXXX1Z8	2020-21	122.32
335	स.आ., वृत्त-2, कोरबा	22XXXXXXXXXX1ZU	2020-21	392.16
336	स.आ., वृत्त महासमुन्द	22XXXXXXXXXX1ZB	2020-21	543.25
337	स.आ., वृत्त-2, रायगढ़	22XXXXXXXXXX1ZK	2020-21	572.54
338	स.आ., वृत्त-1, रायपुर	22XXXXXXXXXX2Z8	2020-21	351.66
339	स.आ., वृत्त-2, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZK	2020-21	308.33
340	स.आ., वृत्त-5, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZO	2020-21	407.30
341	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZI	2020-21	0.37
342	स.आ., वृत्त-8, रायपुर	22XXXXXXXXXX2ZV	2020-21	986.55
343	स.आ., वृत्त-8, रायपुर	22XXXXXXXXXX1Z4	2020-21	2,562.80
344	स.आ., वृत्त-9, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZX	2020-21	1,249.97

मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के राजस्व पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट

345	स.आ., वृत्त-9, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZJ	2020-21	505.51
346	स.आ., वृत्त जांजगीर	22XXXXXXXXXX1ZB	2020-21	307.26
347	स.आ., वृत्त-4, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZG	2020-21	302.23
348	स.आ., वृत्त-2, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1ZH	2018-19	238.79
349	स.आ., वृत्त-3, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1ZR	2018-19	209.49
350	स.आ., वृत्त-4, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1ZH	2018-19	11.43
351	स.आ., वृत्त-1, जगदलपुर	22XXXXXXXXXX1ZT	2018-19	90.89
352	स.आ., वृत्त-1, रायगढ़	22XXXXXXXXXX1ZF	2018-19	750.37
353	स.आ., वृत्त-2, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZA	2018-19	327.87
354	स.आ., वृत्त-3, रायपुर	22XXXXXXXXXX1Z2	2018-19	85.95
355	स.आ., वृत्त-3, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZG	2018-19	230.92
356	स.आ., वृत्त-3, रायपुर	22XXXXXXXXXX1Z3	2018-19	81.95
357	स.आ., वृत्त-3, रायपुर	22XXXXXXXXXX1Z4	2018-19	74.43
358	स.आ., वृत्त-4, रायपुर	22XXXXXXXXXX1Z6	2018-19	93.19
359	स.आ., वृत्त-5, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZK	2018-19	346.67
360	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXX1Z8	2018-19	274.91
361	स.आ., वृत्त-9, रायपुर	22XXXXXXXXXX1Z1	2018-19	24,955.39
362	स.आ., वृत्त-9, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZZ	2018-19	68.39
363	स.आ., वृत्त-9, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZG	2018-19	820.10
364	स.आ., वृत्त राजनांदगांव	22XXXXXXXXXX1Z3	2018-19	700.81
365	स.आ., वृत्त-1, बिलासपुर	22XXXXXXXXXX1Z6	2019-20	21.98
366	स.आ., वृत्त-1, बिलासपुर	22XXXXXXXXXX1ZR	2019-20	903.04
367	स.आ., वृत्त-3, बिलासपुर	22XXXXXXXXXX1ZS	2019-20	49.31
368	स.आ., वृत्त-2, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1ZH	2019-20	902.91
369	स.आ., वृत्त-4, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1ZH	2019-20	95.57
370	स.आ., वृत्त-1, रायगढ़	22XXXXXXXXXX1ZG	2019-20	341.28
371	स.आ., वृत्त-2, रायगढ़	22XXXXXXXXXX1Z0	2019-20	174.31
372	स.आ., वृत्त-2, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZL	2019-20	67.02
373	स.आ., वृत्त-2, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZA	2019-20	363.89
374	स.आ., वृत्त-2, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZT	2019-20	75.72

375	स.आ., वृत्त-3, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZH	2019-20	81.96
376	स.आ., वृत्त-3, रायपुर	22XXXXXXXXXX1Z2	2019-20	110.73
377	स.आ., वृत्त-4, रायपुर	22XXXXXXXXXX1Z0	2019-20	115.00
378	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXX1Z6	2019-20	145.12
379	स.आ., वृत्त-9, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZZ	2019-20	39.31
380	स.आ., वृत्त-9, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZG	2019-20	3.06
381	स.आ., वृत्त-1, बिलासपुर	22XXXXXXXXXX1Z6	2020-21	93.64
382	स.आ., वृत्त-1, बिलासपुर	22XXXXXXXXXX1ZR	2020-21	1,087.66
383	स.आ., वृत्त-3, बिलासपुर	22XXXXXXXXXX1ZS	2020-21	86.03
384	स.आ., वृत्त-2, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1ZH	2020-21	103.02
385	स.आ., वृत्त-3, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1ZM	2020-21	104.45
386	स.आ., वृत्त-2, कोरबा	22XXXXXXXXXX1ZM	2020-21	85.17
387	स.आ., वृत्त-1, रायगढ़	22XXXXXXXXXX1ZG	2020-21	17.36
388	स.आ., वृत्त-1, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZF	2020-21	309.49
389	स.आ., वृत्त-2, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZL	2020-21	74.75
390	स.आ., वृत्त-3, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZH	2020-21	50.71
391	स.आ., वृत्त-3, रायपुर	22XXXXXXXXXX1Z2	2020-21	107.97
392	स.आ., वृत्त-3, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZM	2020-21	113.59
393	स.आ., वृत्त-5, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZI	2020-21	614.43
394	स.आ., वृत्त-5, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZP	2020-21	167.09
395	स.आ., वृत्त-5, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZY	2020-21	123.47
396	स.आ., वृत्त-5, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZO	2020-21	277.56
397	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXX1Z8	2020-21	0.78
398	स.आ., वृत्त-9, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZZ	2020-21	40.83
399	स.आ., वृत्त-1, बिलासपुर	22XXXXXXXXXX1ZU	2018-19	300.00
400	स.आ., वृत्त-2, बिलासपुर	22XXXXXXXXXX1ZQ	2018-19	198.69
401	स.आ., वृत्त-3, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1ZK	2018-19	9.46
402	स.आ., वृत्त मनेन्द्रगढ़	22XXXXXXXXXX1ZV	2018-19	28.78
403	स.आ., वृत्त-3, रायपुर	22XXXXXXXXXX1Z8	2018-19	99.17
404	स.आ., वृत्त-4, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZJ	2018-19	167.79

मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के राजस्व पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट

405	स.आ., वृत्त-5, रायपुर	22XXXXXXXXXX1Z3	2018-19	171.25
406	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZG	2018-19	100.14
407	स.आ., वृत्त-3, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1ZK	2019-20	86.16
408	स.आ., वृत्त-1, कोरबा	22XXXXXXXXXX1Z7	2019-20	3,063.18
409	स.आ., वृत्त मनेन्द्रगढ़	22XXXXXXXXXX1ZV	2019-20	54.85
410	स.आ., वृत्त-5, रायपुर	22XXXXXXXXXX1Z3	2019-20	5.15
411	स.आ., वृत्त मनेन्द्रगढ़	22XXXXXXXXXX1ZV	2020-21	7.45
412	स.आ., वृत्त-1, रायगढ़	22XXXXXXXXXX1ZL	2020-21	96.73
413	स.आ., वृत्त-3, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1ZK	2018-19	337.24
414	स.आ., वृत्त-2, जगदलपुर	22XXXXXXXXXX1ZJ	2018-19	500.32
415	स.आ., वृत्त मनेन्द्रगढ़	22XXXXXXXXXX1Z5	2018-19	563.84
416	स.आ., वृत्त-6, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZM	2018-19	111.78
417	स.आ., वृत्त-2, बिलासपुर	22XXXXXXXXXX1ZN	2019-20	281.69
418	स.आ., वृत्त-3, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1ZK	2019-20	351.20
419	स.आ., वृत्त-2, जगदलपुर	22XXXXXXXXXX1ZJ	2019-20	746.49
420	स.आ., वृत्त कर्वधा	22XXXXXXXXXX1ZK	2019-20	515.02
421	स.आ., वृत्त-2, कोरबा	22XXXXXXXXXX1Z8	2019-20	364.54
422	स.आ., वृत्त-3, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZN	2019-20	352.96
423	स.आ., वृत्त-3, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZV	2019-20	489.56
424	स.आ., वृत्त-3, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZR	2019-20	897.87
425	स.आ., वृत्त-6, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZM	2019-20	58.68
426	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZI	2019-20	264.56
427	स.आ., वृत्त-2, बिलासपुर	22XXXXXXXXXX1ZZ	2020-21	672.31
428	स.आ., वृत्त-3, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1ZK	2020-21	85.30
429	स.आ., वृत्त कर्वधा	22XXXXXXXXXX1ZK	2020-21	408.17
430	स.आ., वृत्त-2, कोरबा	22XXXXXXXXXX1Z8	2020-21	228.21
431	स.आ., वृत्त-3, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZN	2020-21	167.75
432	स.आ., वृत्त-3, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZH	2020-21	306.14
433	स.आ., वृत्त-4, रायपुर	22XXXXXXXXXXAZN	2020-21	484.36
434	स.आ., वृत्त-6, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZM	2020-21	131.02

435	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZL	2020-21	305.80
436	स.आ., वृत्त-3, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1Z7	2018-19	242.09
437	स.आ., वृत्त-4, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1Z9	2018-19	2,064.87
438	स.आ., वृत्त-2, जगदलपुर	22XXXXXXXXXX2ZV	2018-19	3,341.75
439	स.आ., वृत्त जांजगीर	22XXXXXXXXXX3ZI	2018-19	556.96
440	स.आ., वृत्त-3, रायपुर	22XXXXXXXXXX1Z2	2018-19	309.64
441	स.आ., वृत्त-3, रायपुर	22XXXXXXXXXX6ZO	2018-19	7,057.58
442	स.आ., वृत्त-5, रायपुर	22XXXXXXXXXX1Z3	2018-19	1,890.59
443	स.आ., वृत्त-4, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1ZY	2019-20	2,771.98
444	स.आ., वृत्त-4, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1Z9	2019-20	2,033.91
445	स.आ., वृत्त-2, जगदलपुर	22XXXXXXXXXX2ZV	2019-20	512.25
446	स.आ., वृत्त-2, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZT	2019-20	148.76
447	स.आ., वृत्त-5, रायपुर	22XXXXXXXXXX1Z3	2019-20	1.07
448	स.आ., वृत्त-4, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1ZY	2020-21	24.97
449	स.आ., वृत्त-2, जगदलपुर	22XXXXXXXXXX2ZV	2020-21	4,387.86
450	स.आ., वृत्त-2, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZT	2020-21	749.99
451	स.आ., वृत्त-3, रायपुर	22XXXXXXXXXX1Z2	2020-21	160.03
452	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXX1Z2	2020-21	304.98
453	स.आ., वृत्त-2, बिलासपुर	22XXXXXXXXXX1ZV	2018-19	1,979.43
454	स.आ., वृत्त-4, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZO	2018-19	2,451.38
455	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZE	2018-19	2,531.86
456	स.आ., वृत्त-9, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZL	2018-19	37,857.28
457	स.आ., वृत्त-9, रायपुर	22XXXXXXXXXX3ZJ	2018-19	52,213.25
458	स.आ., वृत्त-9, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZP	2018-19	6,139.89
459	स.आ., वृत्त-2, बिलासपुर	22XXXXXXXXXX1ZV	2019-20	2,246.99
460	स.आ., वृत्त-4, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZO	2019-20	2,560.25
461	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZE	2019-20	3,315.93
462	स.आ., वृत्त-9, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZL	2019-20	30,758.84
463	स.आ., वृत्त-9, रायपुर	22XXXXXXXXXX3ZJ	2019-20	41,830.07
464	स.आ., वृत्त-2, बिलासपुर	22XXXXXXXXXX1ZV	2020-21	1,719.05

मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के राजस्व पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट

465	स.आ., वृत्त-1, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1ZP	2020-21	8,333.79
466	स.आ., वृत्त जांजगीर	22XXXXXXXXXX1Z4	2020-21	7,76,880.00
467	स.आ., वृत्त-4, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZO	2020-21	2,180.13
468	स.आ., वृत्त-4, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZP	2020-21	8,625.64
469	स.आ., वृत्त-5, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZU	2020-21	2,16,610.00
470	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXX 1ZE	2020-21	4,089.35
471	स.आ., वृत्त-9, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZP	2020-21	60.10
472	स.आ., वृत्त कर्वधा	22XXXXXXXXXX1ZM	2019-20	0.00
473	स.आ., वृत्त राजनांदगांव	22XXXXXXXXXX1Z7	2020-21	0.00
474	स.आ., वृत्त-6, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZB	2018-19	0.00
475	स.आ., वृत्त-1, बिलासपुर	22XXXXXXXXXX1ZQ	2019-20	19.62
476	स.आ., वृत्त-3, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZO	2020-21	0.00
477	स.आ., वृत्त-6, रायपुर	22XXXXXXXXXX1Z9	2020-21	0.00
478	स.आ., वृत्त-1, बिलासपुर	22XXXXXXXXXX1ZA	2020-21	22.65
479	स.आ., वृत्त भाटापारा	22XXXXXXXXXX2ZX	2018-19	16.46
480	स.आ., वृत्त-1, बिलासपुर	22XXXXXXXXXX1ZZ	2018-19	103.25
481	स.आ., वृत्त-2, बिलासपुर	22XXXXXXXXXX1ZS	2018-19	10.83
482	स.आ., वृत्त जांजगीर	22XXXXXXXXXX1ZS	2018-19	16.93
483	स.आ., वृत्त-1, कोरबा	22XXXXXXXXXX2ZQ	2018-19	795.36
484	स.आ., वृत्त-2, कोरबा	22XXXXXXXXXX2Z8	2018-19	19.33
485	स.आ., वृत्त-1, रायगढ़	22XXXXXXXXXX1ZB	2018-19	27.27
486	स.आ., वृत्त-4, रायपुर	22XXXXXXXXXX2ZJ	2018-19	23.04
487	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXX1Z3	2018-19	51.29
488	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXX1Z1	2018-19	56.19
489	स.आ., वृत्त-5, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZW	2019-20	159.72
490	स.आ., वृत्त-5, रायपुर	22XXXXXXXXXX2ZM	2019-20	36.23
491	स.आ., वृत्त-5, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZA	2019-20	242.47
492	स.आ., वृत्त भाटापारा	22XXXXXXXXXX1ZO	2019-20	27.31
493	स.आ., वृत्त भाटापारा	22XXXXXXXXXX2ZX	2019-20	32.82
494	स.आ., वृत्त-2, बिलासपुर	22XXXXXXXXXX1ZS	2019-20	24.37

495	स.आ., वृत्त-3, दुर्ग	22XXXXXXXXXX2ZD	2019-20	33.93
496	स.आ., वृत्त-3, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1ZE	2019-20	23.23
497	स.आ., वृत्त जांजगीर	22XXXXXXXXXX1ZS	2019-20	6.65
498	स.आ., वृत्त कर्वधा	22XXXXXXXXXX1ZN	2019-20	24.26
499	स.आ., वृत्त-2, कोरबा	22XXXXXXXXXX1ZA	2019-20	63.38
500	स.आ., वृत्त-1, रायगढ़	22XXXXXXXXXX1Z6	2019-20	20.45
501	स.आ., वृत्त-3, रायपुर	22XXXXXXXXXX1Z7	2019-20	38.84
502	स.आ., वृत्त-4, रायपुर	22XXXXXXXXXX1Z2	2019-20	495.70
503	स.आ., वृत्त-4, रायपुर	22XXXXXXXXXX2ZJ	2019-20	7.59
504	स.आ., वृत्त-8, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZK	2019-20	26.76
505	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXX1Z3	2019-20	8.16
506	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZA	2019-20	37.60
507	स.आ., वृत्त-8, रायपुर	22XXXXXXXXXX1Z4	2019-20	1,879.72
508	स.आ., वृत्त-8, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZC	2019-20	50.17
509	स.आ., वृत्त भाटापारा	22XXXXXXXXXX1Z0	2020-21	1.61
510	स.आ., वृत्त भाटापारा	22XXXXXXXXXX2ZX	2020-21	3.21
511	स.आ., वृत्त-3, बिलासपुर	22XXXXXXXXXX1ZS	2020-21	52.34
512	स.आ., वृत्त-1, कोरबा	22XXXXXXXXXX1Z1	2020-21	58.95
513	स.आ., वृत्त-2, कोरबा	22XXXXXXXXXX1Z1	2020-21	24.30
514	स.आ., वृत्त-1, रायगढ़	22XXXXXXXXXX1Z6	2020-21	18.32
515	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZA	2020-21	9.89
516	स.आ., वृत्त-8, रायपुर	22XXXXXXXXXX1Z4	2020-21	912.55
517	स.आ., वृत्त-8, रायपुर	22XXXXXXXXXX1Z0	2020-21	23.79
518	स.आ., वृत्त राजनांदगांव	22XXXXXXXXXX1ZF	2020-21	22.10
519	स.आ., वृत्त-1, बिलासपुर	22XXXXXXXXXX2ZC	2018-19	9.80
520	स.आ., वृत्त-2, बिलासपुर	22XXXXXXXXXX1Z5	2018-19	3.51
521	स.आ., वृत्त-3, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1ZU	2018-19	1.95
522	स.आ., वृत्त-3, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1ZN	2018-19	157.44
523	स.आ., वृत्त-4, दुर्ग	22XXXXXXXXXX2ZB	2018-19	21.28
524	स.आ., वृत्त-2, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1Z4	2018-19	17.50

मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के राजस्व पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट

525	स.आ., वृत्त-2, दुर्ग	22XXXXXXXXXXXX1ZG	2018-19	11.00
526	स.आ., वृत्त-2, दुर्ग	22XXXXXXXXXXXX1ZP	2018-19	15.06
527	स.आ., वृत्त-2, जगदलपुर	22XXXXXXXXXXXX1ZI	2018-19	46.88
528	स.आ., वृत्त कर्वधा	22XXXXXXXXXXXX2ZR	2018-19	19.13
529	स.आ., वृत्त कर्वधा	22XXXXXXXXXXXX1ZG	2018-19	18.21
530	स.आ., वृत्त-1, कोरबा	22XXXXXXXXXXXX1Z1	2018-19	17.50
531	स.आ., वृत्त-1, कोरबा	22XXXXXXXXXXXX2ZG	2018-19	15.19
532	स.आ., वृत्त-1, कोरबा	22XXXXXXXXXXXX1ZB	2018-19	81.83
533	स.आ., वृत्त-1, कोरबा	22XXXXXXXXXXXX1Z2	2018-19	5.36
534	स.आ., वृत्त-1, कोरबा	22XXXXXXXXXXXX1ZR	2018-19	5.81
535	स.आ., वृत्त-1, कोरबा	22XXXXXXXXXXXX1Z1	2018-19	0.00
536	स.आ., वृत्त-1, कोरबा	22XXXXXXXXXXXX1ZZ	2018-19	0.43
537	स.आ., वृत्त-2, कोरबा	22XXXXXXXXXXXX1ZJ	2018-19	19.35
538	स.आ., वृत्त-2, कोरबा	22XXXXXXXXXXXX1ZM	2018-19	8.45
539	स.आ., वृत्त-2, कोरबा	22XXXXXXXXXXXX3Z3	2018-19	1.59
540	स.आ., वृत्त-2, कोरबा	22XXXXXXXXXXXX1ZH	2018-19	23.22
541	स.आ., वृत्त-2, कोरबा	22XXXXXXXXXXXX1ZA	2018-19	2.45
542	स.आ., वृत्त-1, रायगढ़	22XXXXXXXXXXXX1Z0	2018-19	95.78
543	स.आ., वृत्त-2, रायगढ़	22XXXXXXXXXXXX1ZK	2018-19	31.18
544	स.आ., वृत्त-2, रायगढ़	22XXXXXXXXXXXX1ZA	2018-19	19.11
545	स.आ., वृत्त-2, रायगढ़	22XXXXXXXXXXXX1ZX	2018-19	18.73
546	स.आ., वृत्त-1, रायपुर	22XXXXXXXXXXXX2ZT	2018-19	13.67
547	स.आ., वृत्त-3, रायपुर	22XXXXXXXXXXXX1ZJ	2018-19	37.20
548	स.आ., वृत्त-4, रायपुर	22XXXXXXXXXXXX1ZD	2018-19	17.07
549	स.आ., वृत्त-5, रायपुर	22XXXXXXXXXXXX1ZL	2018-19	18.88
550	स.आ., वृत्त-5, रायपुर	22XXXXXXXXXXXX2ZH	2018-19	2.83
551	स.आ., वृत्त-5, रायपुर	22XXXXXXXXXXXX1ZG	2018-19	15.52
552	स.आ., वृत्त-5, रायपुर	22XXXXXXXXXXXX1ZP	2018-19	17.11
553	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXXXX2ZC	2018-19	82.82
554	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXXXX1ZG	2018-19	1.69

555	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZJ	2018-19	54.37
556	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZO	2018-19	18.90
557	स.आ., वृत्त-8, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZX	2018-19	20.33
558	स.आ., वृत्त-9, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZH	2018-19	4.88
559	स.आ., वृत्त-9, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZK	2018-19	9.04
560	स.आ., वृत्त-9, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZK	2018-19	13.33
561	स.आ., वृत्त-9, रायपुर	22XXXXXXXXXX1Z3	2018-19	15.08
562	स.आ., वृत्त-9, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZD	2018-19	10.65
563	स.आ., वृत्त-1, बिलासपुर	22XXXXXXXXXX2ZC	2019-20	5.14
564	स.आ., वृत्त-2, बिलासपुर	22XXXXXXXXXX1Z5	2019-20	25.00
565	स.आ., वृत्त-3, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1ZU	2019-20	16.66
566	स.आ., वृत्त-3, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1ZN	2019-20	48.51
567	स.आ., वृत्त-4, दुर्ग	22XXXXXXXXXX2ZB	2019-20	0.74
568	स.आ., वृत्त-2, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1Z4	2019-20	3.60
569	स.आ., वृत्त-2, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1ZG	2019-20	1.47
570	स.आ., वृत्त-2, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1ZP	2019-20	29.91
571	स.आ., वृत्त-2, जगदलपुर	22XXXXXXXXXX1ZI	2019-20	24.85
572	स.आ., वृत्त कर्वधा	22XXXXXXXXXX2ZR	2019-20	2.32
573	स.आ., वृत्त कर्वधा	22XXXXXXXXXX1ZG	2019-20	0.38
574	स.आ., वृत्त-1, कोरबा	22XXXXXXXXXX1Z1	2019-20	10.88
575	स.आ., वृत्त-1, कोरबा	22XXXXXXXXXX2ZG	2019-20	26.70
576	स.आ., वृत्त-1, कोरबा	22XXXXXXXXXX1ZB	2019-20	86.67
577	स.आ., वृत्त-1, कोरबा	22XXXXXXXXXX1Z2	2019-20	16.36
578	स.आ., वृत्त-1, कोरबा	22XXXXXXXXXX1ZR	2019-20	14.06
579	स.आ., वृत्त-1, कोरबा	22XXXXXXXXXX1Z1	2019-20	49.05
580	स.आ., वृत्त-1, कोरबा	22XXXXXXXXXX1ZZ	2019-20	0.77
581	स.आ., वृत्त-2, कोरबा	22XXXXXXXXXX1ZJ	2019-20	1.67
582	स.आ., वृत्त-2, कोरबा	22XXXXXXXXXX1ZM	2019-20	24.39
583	स.आ., वृत्त-2, कोरबा	22XXXXXXXXXX3Z3	2019-20	2.21
584	स.आ., वृत्त-2, कोरबा	22XXXXXXXXXX1ZH	2019-20	0.11

मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के राजस्व पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट

585	स.आ., वृत्त-2, कोरबा	22XXXXXXXXXXXX1ZA	2019-20	15.68
586	स.आ., वृत्त-1, रायगढ़	22XXXXXXXXXXXX1Z0	2019-20	156.46
587	स.आ., वृत्त-2, रायगढ़	22XXXXXXXXXXXX1ZK	2019-20	36.34
588	स.आ., वृत्त-2, रायगढ़	22XXXXXXXXXXXX1ZA	2019-20	16.71
589	स.आ., वृत्त-2, रायगढ़	22XXXXXXXXXXXX1ZX	2019-20	1.67
590	स.आ., वृत्त-1, रायपुर	22XXXXXXXXXXXX2ZT	2019-20	8.70
591	स.आ., वृत्त-4, रायपुर	22XXXXXXXXXXXX1ZD	2019-20	0.01
592	स.आ., वृत्त-5, रायपुर	22XXXXXXXXXXXX1ZL	2019-20	0.75
593	स.आ., वृत्त-5, रायपुर	22XXXXXXXXXXXX2ZH	2019-20	15.82
594	स.आ., वृत्त-5, रायपुर	22XXXXXXXXXXXX1ZG	2019-20	8.74
595	स.आ., वृत्त-5, रायपुर	22XXXXXXXXXXXX1ZP	2019-20	0.93
596	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXXXX1ZG	2019-20	20.75
597	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXXXX1ZO	2019-20	10.74
598	स.आ., वृत्त-8, रायपुर	22XXXXXXXXXXXX1ZX	2019-20	12.44
599	स.आ., वृत्त-9, रायपुर	22XXXXXXXXXXXX1ZH	2019-20	4.01
600	स.आ., वृत्त-9, रायपुर	22XXXXXXXXXXXX1ZK	2019-20	10.37
601	स.आ., वृत्त-9, रायपुर	22XXXXXXXXXXXX1ZK	2019-20	7.63
602	स.आ., वृत्त-9, रायपुर	22XXXXXXXXXXXX1Z3	2019-20	3.05
603	स.आ., वृत्त-9, रायपुर	22XXXXXXXXXXXX1ZD	2019-20	12.39
604	स.आ., वृत्त-1, बिलासपुर	22XXXXXXXXXXXX2ZC	2020-21	9.96
605	स.आ., वृत्त-2, बिलासपुर	22XXXXXXXXXXXX1Z5	2020-21	2.36
606	स.आ., वृत्त-2, बिलासपुर	22XXXXXXXXXXXX1ZK	2020-21	20.21
607	स.आ., वृत्त-3, दुर्ग	22XXXXXXXXXXXX1ZU	2020-21	7.31
608	स.आ., वृत्त-3, दुर्ग	22XXXXXXXXXXXX1ZN	2020-21	17.15
609	स.आ., वृत्त-4, दुर्ग	22XXXXXXXXXXXX2ZB	2020-21	2.63
610	स.आ., वृत्त-2, दुर्ग	22XXXXXXXXXXXX1Z4	2020-21	0.26
611	स.आ., वृत्त-2, दुर्ग	22XXXXXXXXXXXX1ZG	2020-21	18.35
612	स.आ., वृत्त-2, दुर्ग	22XXXXXXXXXXXX1ZP	2020-21	3.05
613	स.आ., वृत्त कर्वाधा	22XXXXXXXXXXXX2ZR	2020-21	3.87
614	स.आ., वृत्त कर्वाधा	22XXXXXXXXXXXX1ZG	2020-21	19.79

615	स.आ., वृत्त-1, कोरबा	22XXXXXXXXXX1Z1	2020-21	10.89
616	स.आ., वृत्त-1, कोरबा	22XXXXXXXXXX2ZG	2020-21	7.62
617	स.आ., वृत्त-1, कोरबा	22XXXXXXXXXX1ZB	2020-21	2.79
618	स.आ., वृत्त-1, कोरबा	22XXXXXXXXXX1Z2	2020-21	17.35
619	स.आ., वृत्त-1, कोरबा	22XXXXXXXXXX1ZR	2020-21	16.72
620	स.आ., वृत्त-1, कोरबा	22XXXXXXXXXX1Z1	2020-21	0.55
621	स.आ., वृत्त-1, कोरबा	22XXXXXXXXXX1ZZ	2020-21	19.05
622	स.आ., वृत्त-2, कोरबा	22XXXXXXXXXX1ZJ	2020-21	0.05
623	स.आ., वृत्त-2, कोरबा	22XXXXXXXXXX1ZM	2020-21	15.82
624	स.आ., वृत्त-2, कोरबा	22XXXXXXXXXX3Z3	2020-21	27.25
625	स.आ., वृत्त-2, कोरबा	22XXXXXXXXXX1ZA	2020-21	4.29
626	स.आ., वृत्त-1, रायगढ़	22XXXXXXXXXX1Z0	2020-21	108.89
627	स.आ., वृत्त-2, रायगढ़	22XXXXXXXXXX1ZK	2020-21	46.65
628	स.आ., वृत्त-2, रायगढ़	22XXXXXXXXXX1ZA	2020-21	3.74
629	स.आ., वृत्त-5, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZL	2020-21	25.43
630	स.आ., वृत्त-5, रायपुर	22XXXXXXXXXX2ZH	2020-21	8.70
631	स.आ., वृत्त-5, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZG	2020-21	2.53
632	स.आ., वृत्त-5, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZP	2020-21	0.93
633	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXX2ZC	2020-21	22.15
634	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZG	2020-21	0.20
635	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZO	2020-21	2.72
636	स.आ., वृत्त-8, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZX	2020-21	0.96
637	स.आ., वृत्त-9, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZH	2020-21	11.99
638	स.आ., वृत्त-9, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZK	2020-21	21.08
639	स.आ., वृत्त-9, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZK	2020-21	2.08
640	स.आ., वृत्त-9, रायपुर	22XXXXXXXXXX1Z3	2020-21	10.89
641	स.आ., वृत्त-9, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZD	2020-21	10.25

(सी) विस्तृत लेखापरीक्षा के संबंध में 70 करदाताओं जिनको लेखापरीक्षा टिप्पणी जारी की गई थी, का विवरण

सं.क्रं.	ईकाई का नाम	जीएसटीआईएन
1	स.आ., वृत्त-9, रायपुर	22XXXXXXXXXX1Z1
2	स.आ., वृत्त-9, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZS
3	स.आ., वृत्त-9, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZK
4	स.आ., वृत्त-9, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZG
5	स.आ., वृत्त-9, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZJ
6	स.आ., वृत्त-9, रायपुर	22XXXXXXXXXX1Z2
7	स.आ., वृत्त-8, रायपुर	22XXXXXXXXXX2ZS
8	स.आ., वृत्त-8, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZA
9	स.आ., वृत्त-8, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZX
10	स.आ., वृत्त-8, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZT
11	स.आ., वृत्त-8, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZT
12	स.आ., वृत्त-8, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZZ
13	स.आ., वृत्त-8, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZO
14	स.आ., वृत्त-8, रायपुर	22XXXXXXXXXX2ZU
15	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZT
16	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZR
17	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZW
18	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXX2ZP
19	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZZ
20	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZY
21	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXX1Z4
22	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXX1Z4
23	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZC
24	स.आ., वृत्त-6, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZY
25	स.आ., वृत्त-5, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZM
26	स.आ., वृत्त-5, रायपुर	22XXXXXXXXXXIZI
27	स.आ., वृत्त-4, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZZ
28	स.आ., वृत्त-4, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZL
29	स.आ., वृत्त-4, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZC
30	स.आ., वृत्त-4, रायपुर	22XXXXXXXXXX1Z6
31	स.आ., वृत्त-3, रायपुर	22XXXXXXXXXX2ZC

32	स.आ., वृत्त-3, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZX
33	स.आ., वृत्त-3, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZM
34	स.आ., वृत्त-3, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZD
35	स.आ., वृत्त-3, रायपुर	22XXXXXXXXXX2Z8
36	स.आ., वृत्त-3, रायपुर	22XXXXXXXXXX1Z7
37	स.आ., वृत्त-3, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZO
38	स.आ., वृत्त-3, रायपुर	22XXXXXXXXXX1Z7
39	स.आ., वृत्त-3, रायपुर	22XXXXXXXXXX2Z6
40	स.आ., वृत्त-2, रायपुर	22XXXXXXXXXX2ZJ
41	स.आ., वृत्त-1, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZR
42	स.आ., वृत्त-1, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZW
43	स.आ., वृत्त-1, रायपुर	22XXXXXXXXXX1Z3
44	स.आ., वृत्त-1, रायपुर	22XXXXXXXXXX1Z8
45	स.आ., वृत्त-2, रायगढ़	22XXXXXXXXXX1ZT
46	स.आ., वृत्त-2, रायगढ़	22XXXXXXXXXX1ZI
47	स.आ., वृत्त-1, रायगढ़	22XXXXXXXXXX1ZQ
48	स.आ., वृत्त-1, रायगढ़	22XXXXXXXXXX1ZW
49	स.आ., वृत्त-1, रायगढ़	22XXXXXXXXXX1Z4
50	स.आ., वृत्त-2, कोरबा	22XXXXXXXXXX1ZP
51	स.आ., वृत्त जांजगीर	22XXXXXXXXXX1ZB
52	स.आ., वृत्त-2, जगदलपुर	22XXXXXXXXXX1ZF
53	स.आ., वृत्त-2, जगदलपुर	22XXXXXXXXXX1ZP
54	स.आ., वृत्त-2, जगदलपुर	22XXXXXXXXXX1ZR
55	स.आ., वृत्त-4, दुर्ग	22XXXXXXXXXX2ZF
56	स.आ., वृत्त-4, दुर्ग	22XXXXXXXXXXIZO
57	स.आ., वृत्त-3, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1ZZ
58	स.आ., वृत्त-3, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1ZG
59	स.आ., वृत्त-3, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1ZK
60	स.आ., वृत्त-3, दुर्ग	22XXXXXXXXXXIZN
61	स.आ., वृत्त-2, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1ZM
62	स.आ., वृत्त-1, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1ZR
63	स.आ., वृत्त-3, बिलासपुर	22XXXXXXXXXX1ZN
64	स.आ., वृत्त-2, बिलासपुर	22XXXXXXXXXX1ZE
65	स.आ., वृत्त-2, बिलासपुर	22XXXXXXXXXX1ZA

66	स.आ., वृत्त-2, बिलासपुर	22XXXXXXXXXX9ZL
67	स.आ., वृत्त-1, बिलासपुर	22XXXXXXXXXX1ZX
68	स.आ., वृत्त-1, बिलासपुर	22XXXXXXXXXX1Z8
69	स.आ., वृत्त अंबिकापुर	22XXXXXXXXXX1ZU
70	स.आ., वृत्त अंबिकापुर	22XXXXXXXXXX1ZA

परिशिष्ट-3.2  
(कड़िका 3.8.1 में संदर्भित)

2020-21 के दौरान विवरणी दाखिल नहीं करने वालों/देर से दाखिल करने वालों का विवरण

(₹ लाख में)

स. कं.	वृत्त का नाम	विवरणी नहीं दाखिल करने वालों की संख्या	जेएसटी आर 3ए जारी किए गए प्रकरणों की संख्या	प्रकरण जिनमें जीएसटीआर 3ए के अनुसार विवरणियाँ दाखिल की गईं			प्रकरण जिनमें सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार निर्धारण शुरू किया गया ( एएसएमटी 13)				प्रकरणों की संख्या जिनमें करदाताओं द्वारा विवरणी दाखिल करने के कारण एएसएमटी 13 की कार्यवाही वापस लेनी पड़ी			प्रकरणों की संख्या जिनमें एएसएमटी 13 की कार्यवाही अभी भी लंबित है		प्रकरणों की संख्या जिनमें अनंतिम कुर्की करना पड़ा
				संख्या	ब्याज	विलंब शुल्क	संख्या	कार्यवाही पूर्ण	मूल्यांकन की राशि	वसूल की गई राशि	संख्या	ब्याज	विलंब शुल्क	संख्या	मूल्यांकन की राशि	
1	स.आ., वृत्त-1, बिलासपुर	1,387	1,387	1,214	0	0	173	173	1,180.00	1,180.00	173	0	0	0	0	0
2	स.आ., वृत्त-2, बिलासपुर	498	498	251	0	0	247	72	40.57	0	72	0	0	0	0	0
3	स.आ., वृत्त-1, दुर्ग	60	60	56	25.00	3.50	4	4	0.14	0.14	4	0	0.14	0	0	0
4	स.आ., वृत्त-3, दुर्ग	399	399	232	28.71	0.10	167	167	5,465.00	3,619.00	167	0	0	0	0	0
5	स.आ., वृत्त-1, रायगढ़	170	275	225	3.49	7.88	50	50	477.52	826.46	50	19.28	0.50	0	0	0
6	स.आ., वृत्त-1, रायपुर	395	395	326	0.88	2.51	69	69	423.56	423.56	69	1.14	1.17	0	0	0
7	स.आ., वृत्त-4, रायपुर	397	397	382	0	0	15	15	1,139.22	1,139.22	15	0	0	0	0	0
8	स.आ., वृत्त-5, रायपुर	237	237	139	0.06	0.03	98	93	50.09	24.90	93	49.47	0	0	0	5
सकल योग		3,543	3,648	2,825	58.14	14.02	823	643	8,776.10	7,213.28	643	69.89	1.81	0	0	5
करोड़ में पूर्णांक									87.76	72.13						

परिशिष्ट-3.3  
(कंडिका 3.8.1 में संदर्भित)

कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज का अनारोपण दर्शाने वाला विवरण (2020-21)

(₹ लाख में)

स. कं.	वृत्त का नाम	प्रकरणों की संख्या	नगद में कर भुगतान की राशि	विवरणियों के दाखिले का माह	विवरणी दाखिल करने की तिथि	विलंबित दिनों की संख्या	ब्याज की राशि जिसका भुगतान नहीं किया गया
1	स.आ., वृत्त-3, दुर्ग	200	10,731.13	अप्रैल 2020 से मार्च 2021	अगले माह की 20 वीं तारीख	6 से 377	113.27
2	स.आ., वृत्त-1, रायगढ़	41	372.20	सितम्बर 2020 से मार्च 2021	अगले माह की 20 वीं तारीख	3 से 113	7.03
3	स.आ., वृत्त-1, रायपुर	90	301.02	अप्रैल 2020 से मार्च 2021	अगले माह की 20 वीं तारीख	6 से 151	6.41
4	स.आ., वृत्त-5, रायपुर	14	2.55	अप्रैल 2020 से मार्च 2021	अगले माह की 18 वीं तारीख (कम्पोजीशन करदाता)	1 से 109	0.07
सकल योग		345	11,406.90			1 से 377	126.78
राशि करोड़ में			114.07				1.27

परिशिष्ट-3.4  
(कंडिका 3.8.2 में संदर्भित)

2020-21 के दौरान जारी किए गए एसएमटी 10/कारण बताओ सूचनाओं का विवरण

(₹ लाख में)

स. क्रं.	वृत्त का नाम	करदाताओं की संख्या जिनकी विवरणी की समीक्षा की गई	विवरणियों की संख्या जिनकी समीक्षा की गई	प्रकरणों की संख्या जिनमें एसएमटी 10 जारी किया गया	प्रकरणों की संख्या जिसमें विसंगतियाँ पाई गई	ऐसे प्रकरणों की संख्या जिनमें करदाताओं ने विसंगतियाँ स्वीकार की		प्रकरण की संख्या जिनमें कारण बताओ सूचनाएँ जारी की गई				कार्यवाही किया जाना है अथवा प्रक्रियाधीन प्रकरण
						संख्या	वसूली गई राशि	संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या जिनमें कार्यवाही पूर्ण	राशि	
1	स.आ., वृत्त -2, बिलासपुर	9,425	9,425	2,296	2,296	428	71.32	1,868	5,854.34	501	88.4	1,367
2	स.आ., वृत्त-1, दुर्ग	547	906	547	547	0	0	547	2,254.44	491	1,890.35	56
3	स.आ., वृत्त-4, दुर्ग	559	6,708	271	271	43	354.54	228	1,591.56	146	1,231.69	82
4	स.आ., वृत्त-1, रायगढ़	364	364	364	364	192	10.57	172	806.31	156	723.02	16
5	स.आ., वृत्त-1, रायपुर	344	8328	344	344	0	0	344	1,600.54	226	1,546.45	118
6	स.आ., वृत्त-4, रायपुर	302	1,0872	302	302	35	201.58	267	2,079.46	73	385.82	194
7	स.आ., वृत्त-5, रायपुर	172	4,128	172	172	117	37.04	55	420.3	24	130.16	31
8	स.आ., वृत्त-8, रायपुर	262	554	262	262	10	0	252	2,029.59	5	0.72	247
सकल योग		11,975	41,285	4,558	4,558	825	675.05	3,733	16,636.5	1,622	5,996.61	2,111
राशि करोड़ में							6.75		166.36		59.97	

परिशिष्ट-3.5

(कंडिका 3.8.3 (अ) में संदर्भित)

2020-21 के दौरान पंजीयन निरस्तीकरण और अंतिम विवरणी (जीएसटीआर 10) दाखिल नहीं किए जाने का विवरण

स.कं.	वृत्त का नाम	पंजीयन निरस्तीकरण बावत प्राप्त आवेदनों की संख्या	सामान्य करदाता के संबंध में स्वतः संज्ञान लेकर किए गए निरस्तीकरण की संख्या	प्रकरणों की संख्या जिनमें आरइजी-19 जारी किया गया ( सामान्य करदाता)	प्रकरणों की संख्या जिनमें आरइजी-20 आदेश पारित किया गया ( कार्यवाही बंद की गई)	करदाताओं की संख्या जिसने जीएसटीआर-10 दाखिल किया	ऐसे प्रकरणों की संख्या जिनमें धारा 62 के अंतर्गत मूल्यांकन पूर्ण हो गया	प्रकरणों की संख्या जिनमें पंजीयन निरस्तीकरण को पुनः स्थापित किया गया	जीएसटीआर-10 दाखिल नहीं करने वालों की संख्या
ए	बी	सी	डी	इ	एफ	जी	एच	आई	जे= इ-(एफ+जी+एच+आई)
1	स.आ., वृत्त-1, बिलासपुर	381	20	401	0	128	0	34	239
2	स.आ., वृत्त-2, बिलासपुर	230	327	557	0	71	0	0	486
3	स.आ., वृत्त-1, दुर्ग	275	358	623	10	84	0	0	539
4	स.आ., वृत्त-4, दुर्ग	81	119	200	0	50	0	44	106
5	स.आ., वृत्त-1, रायगढ़	50	145	175	20	57	7	42	69
6	स.आ., वृत्त-1, रायपुर	19	104	123	0	24	27	22	50
7	स.आ., वृत्त-4, रायपुर	61	46	107	0	40	0	11	56
8	स.आ., वृत्त-5, रायपुर	80	71	151	0	31	0	13	107
9	स.आ., वृत्त-8, रायपुर	135	165	300	0	73	0	0	227
<b>सकल योग</b>		<b>1,312</b>	<b>1,355</b>	<b>2,637</b>	<b>30</b>	<b>558</b>	<b>34</b>	<b>166</b>	<b>1,879</b>

## परिशिष्ट-3.6

(कंडिका 3.8.3 (ब) में संदर्भित)

## करदाताओं के आवेदनों पर विलंबित पंजीयन निरस्तीकरण का विवरण

स. कं.	वृत्त का नाम	पंजीयन निरस्तीकरण बावत करदाताओं से प्राप्त आवेदनों की संख्या	ऐसे प्रकरणों की संख्या जिनमें निरस्तीकरण आदेश विलंब से जारी किया गया	30 दिनों से ज्यादा विलंब की सीमा
1	स.आ., वृत्त-1, बिलासपुर	381	182	2 से 843
2	स.आ., वृत्त-2, बिलासपुर	288	132	1 से 874
3	स.आ., वृत्त-1, दुर्ग	375	42	1 से 404
4	स.आ., वृत्त-8, रायपुर	148	91	1 से 194
<b>योग</b>		<b>1,192</b>	<b>447</b>	<b>1 से 874</b>

परिशिष्ट-3.7

(कड़िका 3.9 में संदर्भित)

करदाताओं के आंकड़ों का विश्लेषण दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	मानक	प्रयोग में लाए गए एल्गोरिद्म	करदाताओं की संख्या	विचलन की संख्या	राशि
1	जीएसटीआर 3बी और जीएसटीआर 2ए के मध्य भिन्नता	जीएसटीआर 3बी टेबल 4ए(5) > जीएसटीआर 9 के समायोजन के साथ जीएसटीआर-2ए टेबल 3	45	78	573.37
2	आपूर्तिकर्ता करदाता द्वारा कर का प्रेषण किए बिना आईटीसी का लिया जाना	जीएसटीआर-9 टेबल 8ए,8डी < जीएसटीआर-2ए टेबल 3,4,5, और 6	20	51	173.61
3	सीमा अवधि के बाद जीएसटीआर-3बी पर आईटीसी का उपभोग किया जाना	जीएसटीआर-3बी टेबल 4	35	53	39.99
4	आईएसडी क्रेडिट का गलत उपभोग किया जाना	पाप्तकर्ताओं का जीएसटीआर-9 (टेबल 6जी-टेबल 7बी) >आईएसडी का जीएसटीआर-6 टेबल 5ए+8ए+9ए यदि 7बी शून्य अथवा नहीं है तो 7एच लिया जा सकता है	15	21	4.09
5	आरसीएम के तहत उपभोग आईटीसी बनाम जीएसटीआर-9/जीएसटीआर-3बी के अन्तर्गत कर का भुगतान	जीएसटीआर-3बी टेबल 3.1डी < जीएसटीआर-9 (टेबल 6सी, 6डी और 6एफ) अथवा जीएसटीआर-3बी टेबल 3.1डी < जीएसटीआर-3बी (टेबल 4ए(2)ओर 4ए(3))	25	40	54.99
6	वार्षिक रिटर्न और खाता पुस्तकों के मध्य उपभोग किए गए आईटीसी में अन्तर	जीएसटीआर-9सी टेबल 12 एफ	10	11	26.89
7	वित्तीय विवरण में व्यय के साथ वार्षिक रिटर्न में उपभोग की गई आईटीसी का मिलान	जीएसटीआर-9सी टेबल 14 टी	10	13	22.44
8	अनिर्वहित कर देयता	जीएसटीआर-1[टेबल 4+5+6+7+9(एमेनडेड वैल्यू-औरिजिनल वैल्यू)+टेबल 9(डी.एन-सी.एन)+टेबल 11ए-11बी] और जीएसटीआर-9(4एन-4जी+10-11) के मध्य ज्यादा देयता की तुलना जीएसटीआर-9 (टेबल 9+14-4जी) के कर भुगतान से किया गया। ऐसे प्रकरण जहां जीएसटीआर-9 उपलब्ध नहीं था, जीएसटीआर-3बी[टेबल 6.1-टेबल 3.1(डी)] में कर भुगतान की तुलना जीएसटीआर-1 में कर देयता से किया गया	44	80	292.50
9	कर योग्य मूल्य का संकुचन (ई-वेबिल)	जीएसटीआर-3बी टेबल 3.1(ए)+(बी) < ई-वेबिल में घोषित कर देयता	35	51	363.10
10	खाता पुस्तकों और वार्षिक रिटर्न के मध्य कर भुगतान का अन्तर	जीएसटीआर-9सी टेबल 9 आर (केवल ऋण मान)	10	14	43.88
11	निर्दिष्ट टर्नओवर के पार करने के बाद भी कम्पोजीशन लेवी में बना रहना	टैक्सपेयर टर्नओवर > 1.50 करोड़	02	02	0.00
12	कम्पोजीशन करदाता द्वारा ई-कामर्स सुविधा का लाभ लिया जाना	जीएसटीआर-8 के टेबल 3 में कर निर्धारण विरुद्ध जीएसटीआर-4 में कर निर्धारण	05	05	0.00
13	जीएसटीआर-1 दाखिल करने के पश्चात जीएसटीआर-3बी का दाखिल न किया जाना	जीएसटीआर-2ए अथवा जीएसटीआर-1 उपलब्ध परन्तु जीएसटीआर-3बी का फाइल नहीं किया जाना	30	40	54.86
14	ब्याज का कम भुगतान	जीएसटीआर-3बी (टेबल 6.1) - कैश कम्पोनेन्ट पर 18 प्रतिशत > ब्याज भुगतान	45	123	20.38
<b>टर्नओवर प्रकरणों</b>					
15	टीडीएस/टीसीएस घोषण के माध्यम से पहचाने गए कर योग्य मूल्य का संकुचन	जीएसटीआर-3बी टेबल 3.1(ए) < जीएसटीआर-2ए का टेबल 9	15	23	86.24
16	अनबिल्ड राजस्व के अन्तर के माध्यम से पहचाने गए कर मूल्य का संकुचन	संबंधित वर्ष का जीएसटीआर-9सी टेबल 5 एच -पिछले वर्ष का जीएसटीआर-9सी टेबल 5 बी	10	17	265.60
17	कर योग्य टर्नओर का कम दर्शाया जाना	जीएसटीआर-9सी टेबल 7जी (केवल ऋण मान)	10	19	12,023.86
<b>योग</b>			<b>366</b>	<b>641</b>	<b>14,045.80</b>

परिशिष्ट-3.8  
(कंडिका 3.9.1 में संदर्भित)

करदाताओं के आंकड़ों का विश्लेषण दर्शाने वाला विवरण

(ए) अनियमितताओं का सार

(₹ करोड़ में)

सं. कं.	लेखापरीक्षा मानक	प्राप्त उत्तर		कम्प्लायंस विचलन								विभागीय उत्तर जो लेखापरीक्षा द्वारा मान्य किया गया						लेखापरीक्षा द्वारा विलोपित	
				विभाग द्वारा मान्य किए गए प्रकरण जिस पर कार्यवाही किया जाना बाकी है						विभागीय उत्तर जो बिना स्पष्ट स्पष्टीकरण के प्रस्तुत किए गए		आंकड़े प्रविष्टि त्रुटि		लेखापरीक्षा प्रश्न के पूर्व कार्यवाही किया जाना		अन्य मान्य स्पष्टीकरण			
				वसूल की गई राशि		कारण बताओ नोटिस		एएसएमटी-10											
				संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	जीएसटीआर 3बी और जीएसटीआर 2ए के मध्य भिन्नता	78	573.37	0	0.00	28	132.80	1	0.67	1	4.99	2	17.32	11	33.54	34	368.31	1	15.74
2	आपूर्तिकर्ता करदाता द्वारा कर का प्रेषण किए बिना आईटीसी का लिया जाना	51	173.61	0	0.00	8	29.80	1	2.96	0	0.00	0	0.00	1	4.79	38	130.04	3	6.02
3	सीमा अवधि के बाद जीएसटीआर-3बी पर आईटीसी का उपभोग किया जाना	53	39.99	0	0.00	5	2.28	0	0.00	1	0.57	0	0.00	0	0.00	0	0.00	47	37.14
4	आईएसडी क्रेडिट का गलत उपभोग किया जाना	21	4.09	0	0.00	3	0.51	1	0.18	0	0.00	0	0.00	1	0.10	16	3.30	0	0.00
5	आरसीएम के तहत उपभोग आईटीसी बनाम जीएसटीआर-9/जीएसटीआर-3बी के अन्तर्गत कर का भुगतान	40	54.99	0	0.00	6	7.34	1	2.63	0	0.00	15	17.14	0	0.00	18	27.88	0	0.00
6	वार्षिक रिटर्न और खाता पुस्तकों के मध्य उपभोग किए गए आईटीसी में अन्तर	11	26.89	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	11.10	1	1.01	9	14.78	0	0.00

7	वित्तीय विवरण में व्यय के साथ वार्षिक रिटर्न में उपभोग की गई आईटीसी का मिलान	13	22.44	1	0.06	2	4.08	0	0.00	0	0.00	2	2.78	0	0.00	8	15.52	0	0.00
8	अनिर्वहित कर देयता	80	292.50	3	0.02	10	35.94	0	0.00	2	44.42	9	34.29	1	3.07	52	158.45	3	16.31
9	कर योग्य मूल्य का संकुचन (ई-वेबिल)	51	363.10	0	0.00	13	25.02	0	0.00	1	1.74	6	262.78	0	0.00	31	73.56	0	0.00
10	खाता पुस्तकों और वार्षिक रिटर्न के मध्य कर भुगतान का अन्तर	14	43.88	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	3.75	0	0.00	9	8.64	2	31.49
11	निर्दिष्ट टर्नओवर के पार करने के बाद भी कम्पोजीशन लेवी में बना रहना	02	---	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00
12	कम्पोजीशन करदाता द्वारा ई-कामर्स सुविधा का लाभ लिया जाना	05	---	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	0.00	0	0.00
13	जीएसटीआर-1 दाखिल करने के पश्चात जीएसटीआर-3बी का दाखिल न किया जाना	40	54.86	0	0.00	33	21.19	0	0.00	4	28.23	0	0.00	0	0.00	3	5.44	0	0.00
14	ब्याज का कम भुगतान	123	20.38	26	2.38	32	5.32	2	0.14	0	0.00	0	0.00	30	4.14	33	8.40	0	0.00
<b>योग</b>		<b>582</b>	<b>1,670.10</b>	<b>30</b>	<b>2.46</b>	<b>141</b>	<b>264.28</b>	<b>6</b>	<b>6.58</b>	<b>09</b>	<b>79.95</b>	<b>39</b>	<b>349.16</b>	<b>45</b>	<b>46.65</b>	<b>256</b>	<b>814.32</b>	<b>56</b>	<b>106.70</b>

## (बी) अनियमितताओं का सार (टर्नओवर प्रकरण)

(₹ करोड़ में)

सं.क्र.	लेखापरीक्षा मानक	प्राप्त उत्तर		कम्प्लायंस विचलन								विभागीय उत्तर जो लेखापरीक्षा द्वारा मान्य किया गया						लेखापरीक्षा द्वारा विलोपित	
				विभाग द्वारा मान्य किए गए प्रकरण जिस पर कार्यवाही किया जाना बाकी है				विभागीय उत्तर जो बिना स्पष्ट स्पष्टीकरण के प्रस्तुत किए गए				आंकड़े प्रविष्टि त्रुटि		लेखापरीक्षा प्रश्न के पूर्व कार्यवाही किया जाना		अन्य मान्य स्पष्टीकरण			
		वसूल की गई राशि		कारण बताओ नोटिस		एएसएमटी-10													
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
15	टीडीएस/टीसीएस घोषण के माध्यम से पहचाने गए कर योग्य मूल्य का संकुचन	23	86.24	0	0.00	4	12.63	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	10.28	17	63.33	0	0.00
16	अनबिल्ड राजस्व के अन्तर के माध्यम से पहचाने गए कर मूल्य का संकुचन	17	265.60	0	0.00	3	11.41	0	0.00	0	0.00	3	24.49	0	0.00	11	229.70	0	0.00
17	कर योग्य टर्नओवर का कम दर्शाया जाना	19	12,023.86	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2,166.12	0	0.00	18	9857.74	0	0.00
	<b>योग</b>	<b>59</b>	<b>12,375.70</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>7</b>	<b>24.04</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>4</b>	<b>2,190.61</b>	<b>2</b>	<b>10.28</b>	<b>46</b>	<b>10,150.77</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
	<b>सकल योग (3.8(ए)+3.8(बी))</b>	<b>641</b>	<b>14,045.80</b>	<b>30</b>	<b>2.46</b>	<b>148</b>	<b>288.32</b>	<b>6</b>	<b>6.58</b>	<b>09</b>	<b>79.95</b>	<b>43</b>	<b>2,539.77</b>	<b>47</b>	<b>56.93</b>	<b>302</b>	<b>10,965.09</b>	<b>56</b>	<b>106.70</b>

परिशिष्ट-3.9  
(कड़िका 3.9.1 में संदर्भित)

जिन प्रकरणों में लेखापरीक्षा के दौरान राशि की वसूली की गई, का विवरण

(₹ लाख में)

स.कं.	वृत्त का नाम	जीएसटीआईएन	लेखापरीक्षा आयाम की संख्या	वित्तीय वर्ष	भिन्नता की राशि	वसूल की गई राशि
1	स.आ., वृत्त-1, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZB	7	2018-19	193.69	5.84
2	स.आ., वृत्त-8, रायपुर	22XXXXXXXXXX2ZP	8	2018-19	0.30	0.59
3	स.आ., वृत्त राजनांदगांव	22XXXXXXXXXX1Z4	8	2018-19	0.04	0.04
4	स.आ., वृत्त राजनांदगांव	22XXXXXXXXXX1Z4	8	2019-20	316.35	1.24
5	स.आ., वृत्त-2, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1Z4	14	2018-19	17.50	12.00
6	स.आ., वृत्त-1, कोरबा	22XXXXXXXXXX1Z1	14	2018-19	17.50	12.51
7	स.आ., वृत्त-2, कोरबा	22XXXXXXXXXX1ZJ	14	2018-19	19.35	19.35
8	स.आ., वृत्त-4, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZD	14	2018-19	17.07	0.45
9	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXX2ZC	14	2018-19	82.82	80.69
10	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZO	14	2018-19	18.90	2.82
11	स.आ., वृत्त-9, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZK	14	2018-19	9.04	2.75
12	स.आ., वृत्त-9, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZK	14	2018-19	13.33	8.55
13	स.आ., वृत्त-3, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1ZU	14	2019-20	16.66	7.06
14	स.आ., वृत्त-4, दुर्ग	22XXXXXXXXXX2ZB	14	2019-20	0.74	0.01
15	स.आ., वृत्त-1, कोरबा	22XXXXXXXXXX1Z1	14	2019-20	10.88	14.44
16	स.आ., वृत्त-1, कोरबा	22XXXXXXXXXX1Z2	14	2019-20	16.36	11.71
17	स.आ., वृत्त-1, कोरबा	22XXXXXXXXXX1ZR	14	2019-20	14.06	10.04
18	स.आ., वृत्त-2, कोरबा	22XXXXXXXXXX1ZM	14	2019-20	24.39	18.36
19	स.आ., वृत्त-4, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZD	14	2019-20	0.01	0.15
20	स.आ., वृत्त-9, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZK	14	2019-20	10.37	0.67
21	स.आ., वृत्त-9, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZK	14	2019-20	7.63	5.16
22	स.आ., वृत्त-4, दुर्ग	22XXXXXXXXXX2ZB	14	2020-21	2.63	0.11

23	स.आ., वृत्त-1, कोरबा	22XXXXXXXXXX1Z1	14	2020-21	10.89	9.84
24	स.आ., वृत्त-2, कोरबा	22XXXXXXXXXX1ZJ	14	2020-21	0.05	0.06
25	स.आ., वृत्त-2, कोरबा	22XXXXXXXXXX1ZM	14	2020-21	15.82	11.03
26	स.आ., वृत्त-1, रायगढ़	22XXXXXXXXXX1Z0	14	2020-21	108.89	3.95
27	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZO	14	2020-21	2.72	0.83
28	स.आ., वृत्त-8, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZX	14	2020-21	0.96	1.02
29	स.आ., वृत्त-9, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZK	14	2020-21	21.08	3.17
30	स.आ., वृत्त-9, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZK	14	2020-21	2.08	1.53
<b>योग</b>					<b>972.11</b>	<b>245.97</b>

परिशिष्ट-3.10  
(कड़िका 3.9.1 में संदर्भित)

जिन प्रकरणों में लेखापरीक्षा के दौरान कारण बताओ सूचनाएँ जारी की गईं, को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

स.कं.	वृत्त का नाम	जीएसटीआईएन	लेखापरीक्षा आयाम की संख्या	वित्तीय वर्ष	भिन्नता की राशि
1	स.आ., वृत्त-2, बिलासपुर	22XXXXXXXXXX1Z1	1	2018-19	12.06
2	स.आ., वृत्त-3, बिलासपुर	22XXXXXXXXXX1Z4	1	2018-19	3.08
3	स.आ., वृत्त-3, बिलासपुर	22XXXXXXXXXX1ZW	1	2018-19	0.25
4	स.आ., वृत्त धमतरी	22XXXXXXXXXX1ZH	1	2018-19	0.14
5	स.आ., वृत्त-2, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1Z7	1	2018-19	3.51
6	स.आ., वृत्त-3, दुर्ग	22XXXXXXXXXX2ZW	1	2018-19	4.19
7	स.आ., वृत्त-3, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1Z7	1	2018-19	4.67
8	स.आ., वृत्त-4, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1Z8	1	2018-19	0.99
9	स.आ., वृत्त-1, रायगढ़	22XXXXXXXXXX2Z7	1	2018-19	0.65
10	स.आ., वृत्त-2, रायपुर	22XXXXXXXXXX3ZT	1	2018-19	10.33
11	स.आ., वृत्त-3, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZX	1	2018-19	4.43
12	स.आ., वृत्त-5, रायपुर	22XXXXXXXXXX1Z7	1	2018-19	1.04
13	स.आ., वृत्त-5, रायपुर	22XXXXXXXXXX1Z1	1	2018-19	5.39
14	स.आ., वृत्त-5, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZS	1	2018-19	8.49
15	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZY	1	2018-19	4.96
16	स.आ., वृत्त-2, बिलासपुर	22XXXXXXXXXX1Z1	1	2019-20	1.82
17	स.आ., वृत्त-3, बिलासपुर	22XXXXXXXXXX1Z4	1	2019-20	0.41
18	स.आ., वृत्त धमतरी	22XXXXXXXXXX1ZH	1	2019-20	0.03
19	स.आ., वृत्त-3, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1Z2	1	2019-20	20.79
20	स.आ., वृत्त-4, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1Z8	1	2019-20	32.64
21	स.आ., वृत्त-1, रायगढ़	22XXXXXXXXXX2Z7	1	2019-20	3.37
22	स.आ., वृत्त-2, रायगढ़	22XXXXXXXXXX1ZK	1	2019-20	2.93
23	स.आ., वृत्त-5, रायपुर	22XXXXXXXXXX1Z7	1	2019-20	2.06

24	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZY	1	2019-20	2.34
25	स.आ., वृत्त अंबिकापुर	22XXXXXXXXXX1ZK	1	2020-21	0.26
26	स.आ., वृत्त-2, बिलासपुर	22XXXXXXXXXX1ZQ	1	2020-21	0.69
27	स.आ., वृत्त-4, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1Z8	1	2020-21	0.03
28	स.आ., वृत्त-5, रायपुर	22XXXXXXXXXX1Z7	1	2020-21	1.25
29	स.आ., वृत्त-2, बिलासपुर	22XXXXXXXXXX1ZI	2	2018-19	4.32
30	स.आ., वृत्त-2, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1Z7	2	2018-19	5.21
31	स.आ., वृत्त-2, रायगढ़	22XXXXXXXXXX1ZI	2	2018-19	0.41
32	स.आ., वृत्त-2, बिलासपुर	22XXXXXXXXXX1ZI	2	2019-20	8.21
33	स.आ., वृत्त-3, दुर्ग	22XXXXXXXXXX2ZW	2	2019-20	2.93
34	स.आ., वृत्त-2, रायगढ़	22XXXXXXXXXX1ZK	2	2019-20	1.39
35	स.आ., वृत्त-2, रायगढ़	22XXXXXXXXXX1ZI	2	2019-20	6.76
36	स.आ., वृत्त-2, रायगढ़	22XXXXXXXXXX1ZI	2	2020-21	0.57
37	स.आ., वृत्त-1, कोरबा	22XXXXXXXXXX1ZI	3	2019-20	1.21
38	स.आ., वृत्त महासमुन्द	22XXXXXXXXXX1ZM	3	2019-20	0.33
39	स.आ., वृत्त-1, रायगढ़	22XXXXXXXXXX2Z1	3	2019-20	0.14
40	स.आ., वृत्त-1, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1ZH	3	2020-21	0.50
41	स.आ., वृत्त-1, कोरबा	22XXXXXXXXXX1ZI	3	2020-21	0.10
42	स.आ., वृत्त-6, रायपुर	22XXXXXXXXXX2ZW	4	2018-19	0.35
43	स.आ., वृत्त-2, कोरबा	22XXXXXXXXXX1ZM	4	2019-20	0.15
44	स.आ., वृत्त-2, कोरबा	22XXXXXXXXXX1ZM	4	2020-21	0.01
45	स.आ., वृत्त-2, बिलासपुर	22XXXXXXXXXX1ZY	5	2018-19	0.26
46	स.आ., वृत्त-2, बिलासपुर	22XXXXXXXXXX1ZY	5	2019-20	0.63
47	स.आ., वृत्त-3, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1ZN	5	2019-20	0.77
48	स.आ., वृत्त-3, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1ZN	5	2020-21	0.02
49	स.आ., वृत्त-5, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZI	5	2020-21	5.18
50	स.आ., वृत्त-9, रायपुर	22XXXXXXXXXX2ZL	5	2020-21	0.48
51	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZY	7	2018-19	4.02

मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के राजस्व पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट

52	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZY	7	2019-20	0.06
53	स.आ., वृत्त-3, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1ZC	8	2018-19	3.92
54	स.आ., वृत्त-1, कोरबा	22XXXXXXXXXX1Z9	8	2018-19	0.39
55	स.आ., वृत्त-3, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZJ	8	2018-19	0.00
56	स.आ., वृत्त-5, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZO	8	2018-19	0.55
57	स.आ., वृत्त-5, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZA	8	2018-19	0.00
58	स.आ., वृत्त-1, कोरबा	22XXXXXXXXXX1Z9	8	2019-20	4.20
59	स.आ., वृत्त-3, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZJ	8	2019-20	5.45
60	स.आ., वृत्त-5, रायपुर	22XXXXXXXXXX2ZS	8	2019-20	5.91
61	स.आ., वृत्त-5, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZA	8	2019-20	5.65
62	स.आ., वृत्त-8, रायपुर	22XXXXXXXXXX2ZV	8	2020-21	9.87
63	स.आ., वृत्त-1, रायगढ़	22XXXXXXXXXX1ZF	9	2018-19	7.51
64	स.आ., वृत्त-3, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZG	9	2018-19	2.31
65	स.आ., वृत्त-3, रायपुर	22XXXXXXXXXX1Z3	9	2018-19	0.82
66	स.आ., वृत्त-3, रायपुर	22XXXXXXXXXX1Z4	9	2018-19	0.74
67	स.आ., वृत्त-5, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZK	9	2018-19	3.47
68	स.आ., वृत्त-3, बिलासपुर	22XXXXXXXXXX1ZS	9	2019-20	0.49
69	स.आ., वृत्त-4, रायपुर	22XXXXXXXXXX1Z0	9	2019-20	1.15
70	स.आ., वृत्त-3, बिलासपुर	22XXXXXXXXXX1ZS	9	2020-21	0.86
71	स.आ., वृत्त-2, कोरबा	22XXXXXXXXXX1ZM	9	2020-21	0.85
72	स.आ., वृत्त-3, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZM	9	2020-21	1.14
73	स.आ., वृत्त-5, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZP	9	2020-21	1.67
74	स.आ., वृत्त-5, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZY	9	2020-21	1.23
75	स.आ., वृत्त-5, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZO	9	2020-21	2.78
76	स.आ., वृत्त-3, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZK	15	2018-19	3.37
77	स.आ., वृत्त-3, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZK	15	2019-20	3.51
78	स.आ., वृत्त-3, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZV	15	2019-20	4.90
79	स.आ., वृत्त-3, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1ZK	15	2020-21	0.85

80	स.आ., वृत्त-3, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1Z7	16	2018-19	2.42
81	स.आ., वृत्त-2, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZT	16	2019-20	1.49
82	स.आ., वृत्त-2, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZT	16	2020-21	7.50
83	स.आ., वृत्त-3, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZO	12	2020-21	0.00
84	स.आ., वृत्त भाटापारा	22XXXXXXXXXX2ZX	13	2018-19	0.16
85	स.आ., वृत्त-1, बिलासपुर	22XXXXXXXXXX1ZZ	13	2018-19	1.03
86	स.आ., वृत्त-2, बिलासपुर	22XXXXXXXXXX1ZS	13	2018-19	0.11
87	स.आ., वृत्त जांजगीर	22XXXXXXXXXX1ZS	13	2018-19	0.17
88	स.आ., वृत्त-1, कोरबा	22XXXXXXXXXX2ZQ	13	2018-19	7.96
89	स.आ., वृत्त-2, कोरबा	22XXXXXXXXXX2Z8	13	2018-19	0.19
90	स.आ., वृत्त-1, रायगढ़	22XXXXXXXXXX1ZB	13	2018-19	0.27
91	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXX1Z3	13	2018-19	0.51
92	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXX1Z1	13	2018-19	0.56
93	स.आ., वृत्त-5, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZW	13	2019-20	1.60
94	स.आ., वृत्त-5, रायपुर	22XXXXXXXXXX2ZM	13	2019-20	0.36
95	स.आ., वृत्त-5, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZA	13	2019-20	2.42
96	स.आ., वृत्त भाटापारा	22XXXXXXXXXX1Z0	13	2019-20	0.27
97	स.आ., वृत्त भाटापारा	22XXXXXXXXXX2ZX	13	2019-20	0.33
98	स.आ., वृत्त-2, बिलासपुर	22XXXXXXXXXX1ZS	13	2019-20	0.24
99	स.आ., वृत्त-3, दुर्ग	22XXXXXXXXXX2ZD	13	2019-20	0.34
100	स.आ., वृत्त-3, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1ZE	13	2019-20	0.23
101	स.आ., वृत्त जांजगीर	22XXXXXXXXXX1ZS	13	2019-20	0.07
102	स.आ., वृत्त-2, कोरबा	22XXXXXXXXXX1ZA	13	2019-20	0.63
103	स.आ., वृत्त-1, रायगढ़	22XXXXXXXXXX1Z6	13	2019-20	0.20
104	स.आ., वृत्त-3, रायपुर	22XXXXXXXXXX1Z7	13	2019-20	0.39
105	स.आ., वृत्त-8, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZK	13	2019-20	0.27
106	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXX1Z3	13	2019-20	0.08
107	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZA	13	2019-20	0.38

मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के राजस्व पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट

108	स.आ., वृत्त-8, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZC	13	2019-20	0.51
109	स.आ., वृत्त भाटापारा	22XXXXXXXXXX1Z0	13	2020-21	0.02
110	स.आ., वृत्त भाटापारा	22XXXXXXXXXX2ZX	13	2020-21	0.03
111	स.आ., वृत्त-3, बिलासपुर	22XXXXXXXXXX1ZS	13	2020-21	0.52
112	स.आ., वृत्त-1, कोरबा	22XXXXXXXXXX1Z1	13	2020-21	0.59
113	स.आ., वृत्त-1, रायगढ़	22XXXXXXXXXX1Z6	13	2020-21	0.18
114	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZA	13	2020-21	0.10
115	स.आ., वृत्त-8, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZO	13	2020-21	0.24
116	स.आ., वृत्त राजनांदगांव	22XXXXXXXXXX1ZF	13	2020-21	0.22
117	स.आ., वृत्त-2, जगदलपुर	22XXXXXXXXXX1ZI	14	2018-19	0.47
118	स.आ., वृत्त-1, कोरबा	22XXXXXXXXXX1ZZ	14	2018-19	0.00
119	स.आ., वृत्त-1, रायपुर	22XXXXXXXXXX2ZT	14	2018-19	0.14
120	स.आ., वृत्त-3, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZJ	14	2018-19	0.37
121	स.आ., वृत्त-5, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZP	14	2018-19	0.17
122	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZG	14	2018-19	0.02
123	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZJ	14	2018-19	0.53
124	स.आ., वृत्त-8, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZX	14	2018-19	0.20
125	स.आ., वृत्त-9, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZD	14	2018-19	0.11
126	स.आ., वृत्त-2, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1ZP	14	2019-20	0.30
127	स.आ., वृत्त-2, जगदलपुर	22XXXXXXXXXX1ZI	14	2019-20	0.25
128	स.आ., वृत्त-1, कोरबा	22XXXXXXXXXX2ZG	14	2019-20	0.27
129	स.आ., वृत्त-1, कोरबा	22XXXXXXXXXX1Z1	14	2019-20	0.50
130	स.आ., वृत्त-1, कोरबा	22XXXXXXXXXX1ZZ	14	2019-20	0.01
131	स.आ., वृत्त-2, कोरबा	22XXXXXXXXXX1ZA	14	2019-20	0.16
132	स.आ., वृत्त-1, रायपुर	22XXXXXXXXXX2ZT	14	2019-20	0.09
133	स.आ., वृत्त-5, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZP	14	2019-20	0.01
134	स.आ., वृत्त-8, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZX	14	2019-20	0.12
135	स.आ., वृत्त-9, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZD	14	2019-20	0.12

136	स.आ., वृत्त-3, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1ZU	14	2020-21	0.07
137	स.आ., वृत्त-2, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1ZP	14	2020-21	0.03
138	स.आ., वृत्त-1, कोरबा	22XXXXXXXXXX2ZG	14	2020-21	0.08
139	स.आ., वृत्त-1, कोरबा	22XXXXXXXXXX1Z2	14	2020-21	0.17
140	स.आ., वृत्त-1, कोरबा	22XXXXXXXXXX1ZR	14	2020-21	0.17
141	स.आ., वृत्त-1, कोरबा	22XXXXXXXXXX1Z1	14	2020-21	0.01
142	स.आ., वृत्त-1, कोरबा	22XXXXXXXXXX1ZZ	14	2020-21	0.19
143	स.आ., वृत्त-2, कोरबा	22XXXXXXXXXX3Z3	14	2020-21	0.27
144	स.आ., वृत्त-2, कोरबा	22XXXXXXXXXX1ZA	14	2020-21	0.04
145	स.आ., वृत्त-5, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZP	14	2020-21	0.01
146	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXX2ZC	14	2020-21	0.22
147	स.आ., वृत्त-9, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZH	14	2020-21	0.12
148	स.आ., वृत्त-9, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZD	14	2020-21	0.10
<b>योग</b>					<b>288.32</b>

परिशिष्ट-3.11  
(कड़िका 3.9.1 में संदर्भित)

जिन प्रकरणों में करदाताओं को एएसएमटी-10 सूचनाएँ जारी की गई, को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

स. कं.	वृत्त का नाम	जीएसटीआईएन	लेखापरीक्षा आयाम की संख्या	वित्तीय वर्ष	भिन्नता की राशि
1	स.आ., वृत्त-2, बिलासपुर	22XXXXXXXXXX1ZI	1	2020-21	0.67
2	स.आ., वृत्त-2, बिलासपुर	22XXXXXXXXXX1ZI	2	2020-21	2.96
3	स.आ., वृत्त-9, रायपुर	22XXXXXXXXXX1Z2	4	2020-21	0.18
4	स.आ., वृत्त-9, रायपुर	22XXXXXXXXXX2ZM	5	2018-19	2.63
5	स.आ., वृत्त-9, रायपुर	22XXXXXXXXXX1Z3	14	2019-20	0.03
6	स.आ., वृत्त-9, रायपुर	22XXXXXXXXXX1Z3	14	2020-21	0.11
<b>योग</b>					<b>6.58</b>

परिशिष्ट-3.12  
(कंडिका 3.9.2.1 में संदर्भित)

ऐसे प्रकरणों का विवरण जिनमें उत्तरों में कोई विशिष्ट स्पष्टीकरण नहीं दिया गया

(₹ करोड़ में)

स. कं.	वृत्त का नाम	जीएसटीआईएन	लेखापरीक्षा आयाम की संख्या	वित्तीय वर्ष	भिन्नता की राशि	विभागीय उत्तर	टीप
1	स.आ., वृत्त-1, रायपुर	22XXXXXXXXXX2ZS	1	2019-20	4.99	प्रकरण उपायुक्त को स्थानान्तरित किया गया है। प्रकरण प्रक्रियाधीन है।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
2	स.आ., वृत्त अंबिकापुर	22XXXXXXXXXX2ZB	3	2020-21	0.57	एसएमटी-10 दिनांक 19/10/2023 को जारी किया गया। करदाता द्वारा उत्तर 30.05.2024 को प्रदाय किया गया। स्पष्टीकरण संलग्न है।	अमान्य नोटिफिकेशन की प्रति प्रदान की गई। आईटीसी का उपभोग नवम्बर 2021 के पश्चात किया गया था। अतः विशिष्ट उत्तर आईटीसी के उपभोग से संबंधित प्रदाय नहीं की गई।
3	स.आ., वृत्त-8, रायपुर	22XXXXXXXXXX1Z4	8	2019-20	18.80	एसएमटी-10 दिनांक 08/09/2023 को जारी किया गया। फर्म आस्तित्व में नहीं था। करदाता द्वारा जीएसटीआर-1 अक्टूबर 2019 से फरवरी 2021 के मध्य दाखिल किया गया। जीएसटीआर 2ए डेटा पोर्टल पर उपलब्ध नहीं था। डेटा के उपलब्ध न होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई।	उत्तर मौन है कि क्या एसएमटी-10 जारी होने के पश्चात विधिवत प्रक्रियाओं का पालन किया गया था।
4	स.आ., वृत्त-8, रायपुर	22XXXXXXXXXX1Z4	8	2020-21	25.62		
5	स.आ., वृत्त-8, रायपुर	22XXXXXXXXXX1Z4	13	2019-20	18.80		
6	स.आ., वृत्त-8, रायपुर	22XXXXXXXXXX1Z4	13	2020-21	9.12		
7	स.आ., वृत्त-2, रायगढ़	22XXXXXXXXXX1Z0	9	2019-20	1.74	कर की राशि ₹ 1.74 करोड़ की मांग डीआरसी-07 द्वारा दिनांक 17/07/2020 को जारी की गई थी। फर्म आस्तित्व में नहीं है अतः राशि अवसूलनीय है।	उत्तर मौन है कि क्या डीआरसी-07 जारी होने के पश्चात विधिवत प्रक्रियाओं का पालन किया गया था।
8	स.आ., वृत्त-4, रायपुर	22XXXXXXXXXX2ZJ	13	2018-19	0.23	करदाता द्वारा राशि ₹ 17 लाख का भुगतान किया गया। एनसीएलटी के तहत दिवालियान की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है। वृत्त अधिकारी की प्रक्रिया भी प्रक्रियाधीन है।	राशि ₹ 17 लाख की वसूली का दिनांक एवं मदवार राशि न ही प्रतिवेदित न संसूचित की गई। शेष राशि की वसूली अपेक्षित है।
9	स.आ., वृत्त-4, रायपुर	22XXXXXXXXXX2ZJ	13	2019-20	0.08		
<b>योग</b>					<b>79.95</b>		

परिशिष्ट-3.13  
(कांडिका 3.10 में संदर्भित)

ऐसे प्रकरणों की संख्या जिनमें विस्तृत लेखापरीक्षा वर्ष 2018-21 हेतु करदाता द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए, को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

स. कं.	वृत्त का नाम	जीएसटीआईएन	अवधि	अप्रस्तुत अभिलेख	विभाग का उत्तर	संलिप्त आईटीसी की राशि	यूडीएल राशि
1	स.आ., वृत्त-8, रायपुर	22XXXXXXXXXX2ZU	2018-19 से 2020-21	1. क्रय बीजक, क्रय लेजर, डेबिट/क्रेडिट नोट, जीएसटीआर-2ए 2. विक्रय बीजक-जुलाई 2018, डेबिट/क्रेडिट नोट 3. वस्तु/सेवाओं के आयात का रजिस्टर 4. क्रेडिट एवं डेबिट नोट 5. लेखापरीक्षित वार्षिक रिपोर्ट/3 सीडी रिपोर्ट, क्रय, विक्रय/सेवाओं के करार की प्रति, वस्तु के व्यापार से संबंधित अभिलेख, 6. विविध क्रेडिटर्स/डेबटर्स के लेजर 7. जाब वर्क रजिस्टर/चयनित माह के चालान 8. जीएसटीआर-6 आईएसडी रिवर्सल से प्राप्ति।	विभाग द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर प्रदान नहीं किया गया।	89.26	0
2	स.आ., वृत्त-8, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZX	2018-19 से 2020-21	1. क्रय बीजक, क्रय लेजर, डेबिट/क्रेडिट नोट, जीएसटीआर-2ए 2. विक्रय बीजक-जुलाई 2018, विक्रय लेजर, डेबिट/क्रेडिट नोट 3. वस्तु/सेवाओं के आयात का रजिस्टर 4. क्रेडिट एवं डेबिट नोट 5. लेखापरीक्षित वार्षिक रिपोर्ट/3 सीडी रिपोर्ट, क्रय, विक्रय/सेवाओं के करार की प्रति, वस्तु के व्यापार से संबंधित अभिलेख, 6. विविध क्रेडिटर्स/डेबटर्स के लेजर 7. जाब वर्क रजिस्टर/चयनित माह के चालान 8. जीएसटीआर-6 आईएसडी रिवर्सल से प्राप्ति।	विभाग द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर प्रदान नहीं किया गया।	0.08	0
3	स.आ., वृत्त-8, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZT	2018-19 से 2020-21	1. क्रय बीजक, क्रय लेजर, डेबिट/क्रेडिट नोट, जीएसटीआर-2ए 2. विक्रय बीजक-जुलाई 2018, विक्रय लेजर, डेबिट/क्रेडिट नोट 3. वस्तु/सेवाओं के आयात का रजिस्टर 4. क्रेडिट एवं डेबिट नोट 5. लेखापरीक्षित वार्षिक रिपोर्ट/3 सीडी रिपोर्ट, क्रय, विक्रय/सेवाओं के करार की प्रति, वस्तु के व्यापार से संबंधित अभिलेख, 6. विविध क्रेडिटर्स/डेबटर्स के लेजर 7. जाब वर्क रजिस्टर/चयनित माह के चालान 8. जीएसटीआर-6 आईएसडी रिवर्सल से प्राप्ति।	विभाग द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर प्रदान नहीं किया गया।	0.11	0
4	स.आ., वृत्त-8, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZT	2018-19 से 2020-21	1. क्रय बीजक, क्रय लेजर, डेबिट/क्रेडिट नोट, जीएसटीआर-2ए 2. विक्रय बीजक-जुलाई 2018, विक्रय लेजर, डेबिट/क्रेडिट नोट 3. वस्तु/सेवाओं के आयात का रजिस्टर 4. क्रेडिट एवं डेबिट नोट 5. लेखापरीक्षित वार्षिक रिपोर्ट/3 सीडी रिपोर्ट, क्रय, विक्रय/सेवाओं के करार की प्रति, वस्तु के व्यापार से संबंधित अभिलेख, 6. विविध क्रेडिटर्स/डेबटर्स के लेजर 7. जाब वर्क रजिस्टर/चयनित माह के चालान 8. जीएसटीआर-6 आईएसडी रिवर्सल से प्राप्ति।	विभाग द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर प्रदान नहीं किया गया।	0.10	0
5	स.आ., वृत्त-8, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZO	2019-20 से 2020-21	1. क्रय बीजक, क्रय लेजर, डेबिट/क्रेडिट नोट, जीएसटीआर-2ए 2. विक्रय बीजक-जुलाई 2018, विक्रय लेजर, डेबिट/क्रेडिट नोट 3. वस्तु/सेवाओं के आयात का रजिस्टर 4. क्रेडिट एवं डेबिट नोट 5. लेखापरीक्षित वार्षिक रिपोर्ट/3 सीडी रिपोर्ट, क्रय, विक्रय/सेवाओं के करार की प्रति, वस्तु के व्यापार से संबंधित अभिलेख, 6. विविध क्रेडिटर्स/डेबटर्स के लेजर 7. जाब वर्क रजिस्टर/चयनित माह के चालान 8. जीएसटीआर-6 आईएसडी रिवर्सल से प्राप्ति।	विभाग द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर प्रदान नहीं किया गया।	0	0











मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के राजस्व पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट

36	स.आ., वृत्त-3, बिलासपुर	22XXXXXXXXXX1ZN	2018-19	1. क्रय बीजक, क्रय लेजर, डेबिट/क्रेडिट नोट, जीएसटीआर-2ए 2. विक्रय बीजक, विक्रय लेजर, डेबिट/क्रेडिट नोट 3. वस्तु/सेवाओं के आयात का रजिस्टर 4. क्रेडिट एवं डेबिट नोट 5. लेखापरीक्षित वार्षिक रिपोर्ट/3 सीडी रिपोर्ट, क्रय, विक्रय/सेवाओं के करार की प्रति, वस्तु के व्यापार से संबंधित अभिलेख, 6. विविध क्रेडिटर्स/डेबिटर्स के लेजर 7. जाब वर्क रजिस्टर/चयनित माह के चालान 8. जीएसटीआर-6 आईएसडी रिवर्सल से प्राप्त और कोई समायोजन (9सी 5ओ की सूची)/संशोधन वित्तीय वर्ष के दौरान किया गया हो।	विभाग द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर प्रदान नहीं किया गया।	0.01	0
37	स.आ., वृत्त-2, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1ZM	2020-21	1. क्रय बीजक, क्रय लेजर, डेबिट/क्रेडिट नोट, जीएसटीआर-2ए 2. विक्रय बीजक, विक्रय लेजर, डेबिट/क्रेडिट नोट 3. वस्तु/सेवाओं के आयात का रजिस्टर 4. क्रेडिट एवं डेबिट नोट 5. लेखापरीक्षित वार्षिक रिपोर्ट/3 सीडी रिपोर्ट, क्रय, विक्रय/सेवाओं के करार की प्रति, वस्तु के व्यापार से संबंधित अभिलेख, 6. विविध क्रेडिटर्स/डेबिटर्स के लेजर 7. जाब वर्क रजिस्टर/चयनित माह के चालान 8. जीएसटीआर-6 आईएसडी रिवर्सल से प्राप्त और कोई समायोजन (9सी 5ओ की सूची)/संशोधन वित्तीय वर्ष के दौरान किया गया हो।	विभाग द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर प्रदान नहीं किया गया।	0.01	0
<b>योग</b>						<b>422.25</b>	<b>7.37</b>

परिशिष्ट-3.14  
(कांडिका 3.11(ए) में संदर्भित)

ऐसे प्रकरणों की संख्या जिनमें करदाता द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया गया, को दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

स. कं.	वृत्त का नाम	जीएसटीआईएन	अवधि	रिटर्न दाखिल करने में विलंबित दिनों की संख्या	देय ब्याज	ब्याज भुगतान	ब्याज का कम अथवा नहीं भुगतान	विभाग का उत्तर
1	स.आ., वृत्त-2, बिलासपुर	22XXXXXXXXXX9ZL	2019-20	1	25.68	0.00	25.68	विभाग ने उत्तर में कहा कि जीएसटीआर 3बी को 21/05/2018 को फाईल किया गया, देय रिटर्न फाइल करने की तिथि 22/05/2018 (नो.सं. 23/2018 सीटी 18 मई 2018)
2	स.आ., वृत्त-8, रायपुर	22XXXXXXXXXX2ZU	2019-20	1	0.04	0.00	0.04	विभाग ने उत्तर में कहा कि करदाता को डीआरसी-07 जारी किया गया।
3	स.आ., वृत्त-3, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1ZZ	2018-19	398 से 699	27.37	0.00	27.37	विभाग ने उत्तर में कहा कि करदाता को डीआरसी-07 जारी किया गया।
4	स.आ., वृत्त-9, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZS	2018-19	1 से 19	0.00	0.00	0.00	विभाग ने उत्तर में कहा कि करदाता को डीआरसी-07 जारी किया गया। वसूली की कार्यवाही प्रक्रिया में है।
5	स.आ., वृत्त-3, दुर्ग	22XXXXXXXXXXZG	2018-19	1 से 37	42.39	12.57	29.82	विभाग ने उत्तर में कहा कि करदाता को डीआरसी-07 राशि ₹ 1.71 करोड़ जारी किया गया। वसूली की कार्यवाही प्रक्रिया में है।
6	स.आ., वृत्त-9, रायपुर	22XXXXXXXXXX1Z1	2018-19	26 से 98	199.08	118.27	80.81	विभाग ने उत्तर में कहा कि करदाता को डीआरसी-07 जारी किया गया।
7	स.आ., वृत्त-3, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1ZK	2018-19	9 से 87	0.07	0.00	0.07	विभाग ने उत्तर में कहा कि करदाता को डीआरसी-07 जारी किया गया।
8	स.आ., वृत्त-3, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1ZK	2020-21	31 से 36	0.67	0.00	0.67	विभाग ने उत्तर में कहा कि करदाता को डीआरसी-07 जारी किया गया।
9	स.आ., वृत्त-1, रायगढ़	22XXXXXXXXXX1Z4	2018-19	4 से 80	0.96	0.00	0.96	विभाग द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर प्रदान नहीं किया गया।

मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के राजस्व पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट

10	स.आ., वृत्त-1, रायगढ़	22XXXXXXXXXX1Z4	2019-20	1 से 132	12.13	8.03	4.10	विभाग द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर प्रदान नहीं किया गया।
11	स.आ., वृत्त-1, रायगढ़	22XXXXXXXXXX1Z4	2020-21	3 से 51	0.81	0.62	0.19	विभाग द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर प्रदान नहीं किया गया।
12	स.आ., वृत्त-1, रायगढ़	22XXXXXXXXXX1ZW	2020-21	5	0.11	0.08	0.03	विभाग द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर प्रदान नहीं किया गया।
13	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZR	2018-19	1	0.01	0.00	0.01	विभाग ने उत्तर में कहा कि करदाता को डीआरसी-07 जारी किया गया। उपरोक्त आदेश के विरुद्ध करदाता द्वारा अपील दाखिल किया गया।
14	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZR	2020-21	7	0.00	0.00	0.00	विभाग ने उत्तर में कहा कि करदाता को डीआरसी-01 जारी किया गया। वसूली की कार्यवाही जारी है।
15	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZT	2019-20	1	0.03	0.00	0.03	विभाग ने उत्तर में कहा कि करदाता को डीआरसी-07 जारी किया गया। प्रकरण अपील में लंबित है।
16	स.आ., वृत्त-3, रायपुर	22AXXXXXXXXXX2Z6	2020-21	61 से 114	3.21	0.03	3.18	विभाग के ब्याज के संबंध में उत्तर में कहा कि डीआरसी-03 की राशि ₹ 18,039/- जमा की गई है, साक्ष्य नहीं होने के कारण उत्तर को आंशिक रूप से मान्य किया गया। और लेट फीस के संबंध में विभाग द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया और करदाता द्वारा लेट फीस की राशि ₹ 14,700/- का भुगतान नहीं किया गया।
17	स.आ., वृत्त-1, बिलासपुर	22XXXXXXXXXX1Z8	2018-19	521	0.72	0.00	0.72	विभाग ने उत्तर में कहा कि करदाता को डीआरसी-07 जारी किया गया। वसूली की कार्यवाही जारी है।
18	स.आ., वृत्त-1, बिलासपुर	22XXXXXXXXXX1Z8	2019-20	13 से 400	6.00	0.00	6.00	विभाग ने उत्तर में कहा कि करदाता को डीआरसी-07 जारी किया गया। वसूली की कार्यवाही जारी है।
<b>योग</b>					<b>319.28</b>	<b>139.60</b>	<b>179.68</b>	

## परिशिष्ट-3.15

(कंडिका 3.12(ए)(1) में संदर्भित)

अवधि 2018-21 के दौरान अधिक आगत कर क्रेडिट का उपभोग दर्शाने वाला विवरण  
(प्रोनुलर अभिलेख अप्राप्त)

(₹ करोड़ में)

स. कं.	वृत्त का नाम	जीएसटीआईएन	अवधि	जीएसटीआर 3बी में क्लेम की गई आईटीसी ( टेबल 4ए(5)+4डी+ जीएसटीआर 9 का 8सी)	जीएसटीआर 2ए में उपलब्ध आईटीसी	अधिक आईटीसी	विभाग का उत्तर
1	स.आ., वृत्त-9, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZG	2019-20	186.21	180.75	5.46	विभाग ने उत्तर में कहा कि करदाता को एएसएमटी-10 जारी किया गया।
2	स.आ., वृत्त-9, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZG	2020-21	219.48	215.24	4.24	विभाग ने उत्तर में कहा कि करदाता को एएसएमटी-10 जारी किया गया।
3	स.आ., वृत्त-1, रायगढ़	22XXXXXXXXXX1Z4	2019-20	42.47	36.84	5.63	विभाग द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया।
4	स.आ., वृत्त-3, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZD	2020-21	9.65	4.60	5.05	विभाग ने उत्तर में कहा कि करदाता को डीआरसी-01 जारी किया गया।
योग				457.81	437.43	20.38	

परिशिष्ट-3.16

(कंडिका 3.12(ए)(II) में संदर्भित)

अवधि 2018 से 21 के दौरान अधिक आगत कर क्रेडिट का उपभोग दर्शाने वाला विवरण  
(ग्रेनुलर अभिलेख प्राप्त)

(₹ करोड़ में)

स.क्रं.	वृत्त का नाम	जीएसटीआईएन	अवधि	जीएसटीआर 3बी में क्लेम की गई आईटीसी (टेबल 4ए(5)+ 4डी+ जीएसटीआर 9 का 8सी)	जीएसटीआर 2ए में उपलब्ध आईटीसी	अधिक आइटीसी	विभाग का उत्तर
1	स.आ., वृत्त अंबिकापुर	22XXXXXXXXXX1ZU	2019-20	529.80	503.51	26.29	विभाग द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया।
2	स.आ., वृत्त-3, रायपुर	22XXXXXXXXXX1Z7	2020-21	0.19	0.18	0.01	विभाग ने उत्तर में कहा कि करदाता को डीआरसी-01 जारी किया गया।
3	स.आ., वृत्त-1, बिलासपुर	22XXXXXXXXXX1ZX	2020-21	25.28	17.14	8.14	विभाग द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया।
4	स.आ., वृत्त-1, बिलासपुर	22XXXXXXXXXX1Z8	2018-19	2.43	1.09	1.34	विभाग ने उत्तर में कहा कि करदाता को डीआरसी-07 जारी किया गया।
5	स.आ., वृत्त-1, बिलासपुर	22XXXXXXXXXX1Z8	2020-21	1.31	1.20	0.11	विभाग ने उत्तर में कहा कि करदाता को डीआरसी-01 जारी किया गया।
योग				559.01	523.12	35.89	

## परिशिष्ट-3.17

(कंडिका 3.12(बी)(1) में संदर्भित)

अवधि 2018 से 21 के दौरान जीएसटीआर-9 के टेबल 8डी में असंगत आगत कर क्रेडिट दर्शाने वाला विवरण  
(ग्रेनुलर अभिलेख अप्राप्त)

(₹ करोड़ में)

स. कं.	वृत्त का नाम	जीएसटीआईएन	अवधि	जीएसटीआर-9 के टेबल 8ए में उपलब्ध आईटीसी	जीएसटीआर-9 के टेबल 8बी+8सी में उपभोग की गई आईटीसी	जीएसटीआर-9 का टेबल 8डी (ऋण मानक)	विभाग का उत्तर
1	स.आ., वृत्त-8, रायपुर	22XXXXXXXXXX2ZU	2019-20	25.08	87.92	62.84	विभाग द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया।
2	स.आ., वृत्त-8, रायपुर	22XXXXXXXXXX2ZU	2020-21	26.75	53.17	26.42	विभाग द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया।
3	स.आ., वृत्त-8, रायपुर	22XXXXXXXXXXIZX	2020-21	8.32	8.40	0.08	विभाग ने उत्तर में कहा कि करदाता को डीआरसी-01 जारी किया गया।
4	स.आ., वृत्त-8, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZT	2020-21	0.95	1.05	0.10	विभाग ने उत्तर में कहा कि करदाता को एसएमटी-10 जारी किया गया।
5	स.आ., वृत्त-8, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZA	2018-19	13.59	14.29	0.70	विभाग ने उत्तर में कहा कि करदाता को डीआरसी-07 जारी किया गया।
6	स.आ., वृत्त-8, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZA	2020-21	2.32	3.27	0.95	विभाग द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया।
7	स.आ., वृत्त-2, बिलासपुर	22XXXXXXXXXX1ZE	2020-21	53.47	63.31	9.84	विभाग ने उत्तर में कहा कि करदाता को डीआरसी-01 जारी किया गया।
8	स.आ., वृत्त-5, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZM	2018-19	0.72	1.64	0.92	विभाग ने उत्तर में कहा कि करदाता को डीआरसी-07 जारी किया गया। प्रकरण अपील में लंबित है।
9	स.आ., वृत्त-5, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZM	2020-21	1.04	1.22	0.18	विभाग ने उत्तर में कहा कि करदाता को डीआरसी-01 जारी किया गया।
10	स.आ., वृत्त-9, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZS	2018-19	2.92	3.68	0.76	विभाग ने उत्तर में कहा कि करदाता को एसएमटी-10 जारी किया गया।
11	स.आ., वृत्त-9, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZS	2020-21	0.84	0.84	0.00	विभाग ने उत्तर में कहा कि करदाता को एसएमटी-10 जारी किया गया।

मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के राजस्व पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट

12	स.आ., वृत्त-9, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZK	2020-21	0.15	0.19	0.04	विभाग द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया।
13	स.आ., वृत्त-3, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1ZN	2018-19	6.02	6.20	0.18	विभाग द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया।
14	स.आ., वृत्त-3, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1ZN	2019-20	3.85	4.12	0.27	विभाग ने उत्तर में कहा कि करदाता को डीआरसी-07 जारी किया गया।
15	स.आ., वृत्त-3, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1ZN	2020-21	3.32	3.62	0.30	विभाग ने उत्तर में कहा कि करदाता को डीआरसी-01 जारी किया गया।
16	स.आ., वृत्त-3, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1ZZ	2018-19	0.49	0.67	0.18	विभाग ने उत्तर में कहा कि करदाता को डीआरसी-07 जारी किया गया।
17	स.आ., वृत्त-3, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1ZZ	2019-20	0.38	0.99	0.61	विभाग ने उत्तर में कहा कि करदाता को डीआरसी-07 जारी किया गया।
18	स.आ., वृत्त-3, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1ZK	2019-20	4.81	4.93	0.12	विभाग ने उत्तर में कहा कि करदाता को डीआरसी-07 जारी किया गया।
19	स.आ., वृत्त-3, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1ZK	2020-21	4.91	4.99	0.08	विभाग ने उत्तर में कहा कि करदाता को डीआरसी-01 जारी किया गया।
20	स.आ., वृत्त-4, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZZ	2018-19	35.25	37.52	2.27	विभाग ने उत्तर में कहा कि करदाता को डीआरसी-07 जारी किया गया।
21	स.आ., वृत्त-4, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZZ	2019-20	39.15	47.83	8.68	विभाग ने उत्तर में कहा कि करदाता को डीआरसी-07 जारी किया गया। आगे प्रकरण अपील में लंबित है।
22	स.आ., वृत्त-4, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZZ	2020-21	43.72	52.55	8.83	विभाग ने उत्तर में कहा कि करदाता को डीआरसी-07 जारी किया गया। आगे प्रकरण अपील में लंबित है।
23	स.आ., वृत्त-1, रायगढ़	22XXXXXXXXXX1Z4	2018-19	17.51	18.27	0.76	विभाग द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया।
24	स.आ., वृत्त-2, जगदलपुर	22XXXXXXXXXX1ZR	2020-21	155.26	155.70	0.44	विभाग द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया।
25	स.आ., वृत्त-2, जगदलपुर	22XXXXXXXXXX1ZF	2019-20	10.88	12.21	1.33	विभाग द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया।
26	स.आ., वृत्त-2, जगदलपुर	22XXXXXXXXXX1ZF	2020-21	6.01	9.76	3.75	विभाग द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया।
27	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXX2ZP	2019-20	26.48	30.76	4.28	विभाग ने उत्तर में कहा कि करदाता को डीआरसी-07 जारी किया गया। वर्तमान में प्रकरण अपील में है।
28	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXX2ZP	2020-21	28.17	40.82	12.65	विभाग ने उत्तर में कहा कि करदाता को डीआरसी-01 जारी किया गया।

29	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZR	2018-19	2.29	2.40	0.11	विभाग ने उत्तर में कहा कि करदाता को डीआरसी-07 जारी किया गया। वर्तमान में प्रकरण अपील में है।
30	स.आ., वृत्त-3, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZX	2019-20	68.54	76.11	7.57	विभाग ने उत्तर में कहा कि करदाता को डीआरसी-01 जारी किया गया।
योग				<b>593.19</b>	<b>748.43</b>	<b>155.24</b>	

परिशिष्ट-3.18

(कंडिका 3.12(बी)(II) में संदर्भित)

अवधि 2018 से 21 के दौरान जीएसटीआर-9 के टेबल 8डी में असंगत आगत कर क्रेडिट का उपभोग दर्शाने वाला विवरण  
(प्रेनुलर अभिलेख प्राप्त)

(₹ करोड़ में)

स.कं.	वृत्त का नाम	जीएसटीआईएन	अवधि	जीएसटीआर-9 के टेबल 8ए में उपलब्ध आईटीसी	जीएसटीआर-9 के टेबल 8बी+8सी में उपभोग की गई आईटीसी	जीएसटीआर-9 का टेबल 8डी (ऋण मानक)	विभाग का उत्तर
1	स.आ., वृत्त-8, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZT	2019-20	1.22	1.24	0.02	विभाग ने उत्तर में कहा कि करदाता को डीआरसी-07 दिनांक 22/08/2024 को जारी किया गया।
2	स.आ., वृत्त-8, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZT	2020-21	1.18	1.26	0.08	विभाग ने उत्तर में कहा कि डीआरसी-01 दिनांक 29/11/2024 को जारी किया गया।
3	स.आ., वृत्त-, रायगढ़	22XXXXXXXXXX1ZQ	2019-20	15.37	15.48	0.11	उत्तर अप्राप्त।
4	स.आ., वृत्त-1, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZR	2020-21	2.52	4.02	1.50	विभाग ने उत्तर में कहा कि करदाता को प्रकरण में कार्यवाही चल रही है।
5	स.आ., वृत्त-1, बिलासपुर	22XXXXXXXXXX1ZX	2018-19	34.70	35.67	0.97	उत्तर अप्राप्त।
6	स.आ., वृत्त-1, बिलासपुर	22XXXXXXXXXX1ZX	2020-21	17.15	21.55	4.40	उत्तर अप्राप्त।
7	स.आ., वृत्त-1, बिलासपुर	22XXXXXXXXXX1Z8	2018-19	1.09	1.62	0.53	लेखपरीक्षा के संदर्भ में, विभाग ने उत्तर में कहा कि करदाता को डीआरसी-07 राशि ₹ 1.35 करोड़ की जारी की गई।
<b>योग</b>				<b>73.23</b>	<b>80.84</b>	<b>7.61</b>	

## परिशिष्ट-3.19

(कंडिका 3.12(सी)(1) में संदर्भित)

अवधि 2018-21 के दौरान आरसीएम में अधिक आगत कर क्रेडिट दर्शाने वाला विवरण  
(ग्रेनुलर अभिलेख अप्राप्त)

(₹ करोड़ में)

स.क्रं.	वृत्त का नाम	जीएसटीआईएन	अवधि	जीएसटीआर-9 में आरसीएम के अन्तर्गत आईटीसी की क्लेम (जीएसटीआर-9 टेबल 6सी+6डी+6एफ)/(जीएसटीआर-3बी 4ए(2)+4ए(3))	आरसीएम के अन्तर्गत कर का भुगतान (जीएसटीआर 3बी के टेबल 3.1(डी))	आरसीएम के अन्तर्गत अधिक आईटीसी	विभाग का उत्तर
1	स.आ., वृत्त-8, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZA	2018-19	0.02	0.02	0.00	विभाग ने उत्तर में कहा कि डीआरसी-07 दिनांक 30/04/2024 को जारी किया गया।
2	स.आ., वृत्त-9, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZG	2019-20	3.14	2.88	0.26	विभाग ने उत्तर में कहा कि एसएमटी-10 दिनांक 14/03/2024 को जारी किया गया।
3	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZT	2019-20	1.73	1.69	0.04	विभाग ने उत्तर में कहा डीआरसी-07 दिनांक 29/08/2024 को राशि ₹ 12.33 करोड़ की जारी की गई। करदाता द्वारा राशि ₹ 66.43 करोड़ जमा किया गया और एपीएल-01 दाखिल किया। वर्तमान में प्रकरण लंबित है।
4	स.आ., वृत्त-3, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZM	2020-21	0.97	0.96	0.01	विभाग ने उत्तर में कहा डीआरसी-01 जारी किया गया है।
योग				5.86	5.55	0.31	

परिशिष्ट-3.20

(कंडिका 3.12(सी)(II) में संदर्भित)

अवधि 2018 से 21 के दौरान आरसीएम में अधिक आगत कर क्रेडिट दर्शाने वाला विवरण  
(ग्रेनुलर अभिलेख प्राप्त)

(₹ करोड़ में)

स.क्रं.	वृत्त का नाम	जीएसटीआईएन	अवधि	जीएसटीआर-9 में आरसीएम के अन्तर्गत आईटीसी की क्लेम (जीएसटीआर-9 टेबल 6सी+6डी+ 6एफ)/(जीएसटीआर-3बी 4ए(2)+4ए(3))	आरसीएम के अन्तर्गत कर का भुगतान (जीएसटीआर 3बी के टेबल 3.1(डी))	आरसीएम के अन्तर्गत अधिक आईटीसी	विभाग का उत्तर
1	स.आ., वृत्त-2, बिलासपुर	22XXXXXXXXXX1ZA	2018-19	0.28	0.26	0.02	विभाग ने उत्तर में कहा डीआरसी-07 मांग की राशि ₹ 24.52 करोड़ दिनांक 24.04.2024 को जारी की गई। एपीएल-02 दिनांक 29.09.2024 को जारी की गई।
2	स.आ., वृत्त-1, बिलासपुर	22XXXXXXXXXX1ZX	2018-19	1.04	0.52	0.52	विभाग द्वारा कोई अंतिम उत्तर प्रदान नहीं किया गया। जबकि, सहायक आयुक्त द्वारा कहा गया कि करदाता को डीआरसी-07 राशि ₹ 7.55 करोड़ की जारी की गई।
3	स.आ., वृत्त-3, बिलासपुर	22XXXXXXXXXX1ZN	2018-19	0.01	0.00	0.01	विभाग द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर प्रदान नहीं किया गया। जबकि सहायक आयुक्त के द्वारा उत्तर दिया गया कि अनियमितता जीएसटीआर-3बी में मिस-स्टेटमेंट के कारण था, जहां कुछ इनवार्ड सप्लाय ₹ 54,711/- सीजीएसटी एवं सीजीजीएसटी में पृथक पृथक दिखाया गया गया त्रुटिपूर्ण रूप से माह जून 2018 के जीएसटीआर-3बी आरसीएम के टेबल 4(ए)(3) में दर्शाया गया जबकि जीएसटीआर-3बी टेबल 4(ए)(5) में दर्शाना था और इसे जीएसटीआर-9 में सुधारा नहीं गया।
योग				1.33	0.78	0.55	

## परिशिष्ट-3.21

(कंडिका 3.12(डी)(1) में संदर्भित)

अवधि 2018-21 के दौरान जीएसटीआर-9 के टेबल 6जे में असमायोजित आगत कर क्रेडिट दर्शाने वाला विवरण  
(ग्रेनुलर अभिलेख अप्राप्त)

(₹ करोड़ में)

स. कं.	वृत्त का नाम	जीएसटीआईएन	अवधि	जीएसटीआर-9 के टेबल 6ए में उपलब्ध आईटीसी	जीएसटीआर-9 के टेबल 6 आई में उपभोग की गई आईटीसी	जीएसटीआर-9 के टेबल 6जे (ऋण मानक)	विभाग का उत्तर
1	स.आ., वृत्त-2, बिलासपुर	22XXXXXXXXXX9ZL	2020-21	1,168.86	1,013.95	154.91	विभाग ने उत्तर में कहा कि डीआरसी-01 दिनांक 29/11/2024 को जारी किया गया।
2	स.आ., वृत्त-9, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZG	2020-21	206.41	204.24	2.17	विभाग ने उत्तर में कहा कि एसएमटी-10 दिनांक 22/07/2024 को जारी किया गया।
3	स.आ., वृत्त-3, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1ZK	2018-19	3.64	3.57	0.07	विभाग ने उत्तर में कहा कि करदाता को डीआरसी-01 दिनांक 05/01/2024 को जारी किया गया। मांग की राशि ₹ 42.07 लाख हेतु दिनांक 30/04/2024 को करदाता को डीआरसी-07 जारी की गई।
4	स.आ., वृत्त-3, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1ZK	2019-20	5.63	5.52	0.11	विभाग ने उत्तर में कहा कि मांग की राशि ₹ 1.40 करोड़ हेतु दिनांक 30/04/2024 को करदाता को डीआरसी-07 जारी की गयी।
5	स.आ., वृत्त-3, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1ZK	2020-21	5.64	5.46	0.18	विभाग ने उत्तर में कहा कि करदाता को डीआरसी-01 दिनांक 09/10/2024 को जारी किया गया।
6	स.आ., वृत्त-4, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZZ	2018-19	30.11	30.03	0.08	विभाग ने अपने उत्तर में कहा कि करदाता ने डीआरसी-07 के विरुद्ध अपील दाखिल किया है।
7	स.आ., वृत्त-4, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZZ	2020-21	44.40	43.75	0.65	विभाग ने उत्तर में कहा कि करदाता को डीआरसी-01 जारी किया गया।
8	स.आ., वृत्त-1, रायगढ़	22XXXXXXXXXX1Z4	2020-21	27.58	27.51	0.07	विभाग द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर प्रदान नहीं किया गया।
9	स.आ., वृत्त-4, दुर्ग	22XXXXXXXXXX2ZF	2020-21	19.84	19.58	0.26	विभाग ने उत्तर में कहा कि करदाता को डीआरसी-01 जारी किया गया।
10	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZJ	2018-19	189.46	189.44	0.02	विभाग ने उत्तर में कहा कि करदाता को मांग की राशि ₹ 5.88 लाख डीआरसी-08 द्वारा दिनांक 24/05/2025 को

							जारी किया गया। करदाता द्वारा राशि ₹ 2.66 लाख जमा कर एपीएल-01 दाखिल किया गया। वर्तमान में प्रकरण लंबित है।
11	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZJ	2019-20	182.11	182.08	0.03	विभाग ने उत्तर में कहा कि करदाता को मांग की राशि ₹ 1.11 लाख डीआरसी-07 द्वारा दिनांक 28/08/2024 को जारी किया गया। करदाता द्वारा राशि ₹ 0.42 लाख जमा कर एपीएल-01 दाखिल किया गया। वर्तमान में प्रकरण लंबित है।
12	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZC	2020-21	12.26	12.25	0.01	विभाग ने उत्तर में कहा कि करदाता को मांग की राशि ₹ 26.56 लाख डीआरसी-01 द्वारा दिनांक 29/11/2024 को जारी किया गया। वर्तमान में प्रकरण लंबित है।
13	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZR	2018-19	2.41	2.41	0.00	विभाग ने उत्तर में कहा कि करदाता को मांग की राशि ₹ 1.58 करोड़ डीआरसी-07 द्वारा दिनांक 29.04.2024 को जारी किया गया। करदाता द्वारा एपीएल-01 दिनांक 24.07.2024 को दाखिल किया गया। वर्तमान में प्रकरण लंबित है।
14	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZR	2019-20	1.80	1.80	0.00	विभाग ने उत्तर में कहा कि करदाता को मांग की राशि ₹ 1.23 करोड़ डीआरसी-07 द्वारा दिनांक 28/08/2024 को जारी किया गया। करदाता द्वारा राशि ₹ 5.98 लाख जमा कर एपीएल-01 दिनांक 14.11.2024 को दाखिल किया गया। वर्तमान में प्रकरण लंबित है।
15	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZT	2019-20	25.25	20.47	4.78	विभाग ने उत्तर में कहा कि करदाता को मांग की राशि ₹ 12.32 करोड़ डीआरसी-07 द्वारा दिनांक 29/08/2024 को जारी किया गया। करदाता द्वारा राशि ₹ 66.43 लाख जमा कर एपीएल-01 दिनांक 29/11/2024 को दाखिल किया गया। वर्तमान में प्रकरण लंबित है।
16	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZT	2020-21	13.43	13.8	0.35	विभाग ने उत्तर में कहा कि करदाता को मांग की राशि ₹ 68.60 लाख डीआरसी-01 द्वारा दिनांक 28/11/2024 को जारी किया गया। वर्तमान में प्रकरण लंबित है।
17	स.आ., वृत्त-3, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZD	2020-21	9.56	5.03	4.53	विभाग ने अपने उत्तर में कहा कि डीआरसी-01 जारी किया गया।
<b>योग</b>				<b>1,948.39</b>	<b>1,780.17</b>	<b>168.22</b>	

## परिशिष्ट-3.22

(कंडिका 3.12(डी)(II) में संदर्भित)

अवधि 2018 से 21 के दौरान जीएसटीआर-9 के टेबल 6जे में असमायोजित आगत कर क्रेडिट दर्शाने वाला विवरण  
(प्रेनुलर अभिलेख प्राप्त)

(₹ करोड़ में)

स.क्रं.	वृत्त का नाम	जीएसटीआईएन	अवधि	जीएसटीआर-9 के टेबल 6ए में उपलब्ध आईटीसी	जीएसटीआर-9 के टेबल 6आर्ट में उपभोग की गई आईटीसी	जीएसटीआर-9 के टेबल 6जे (ऋण मानक)	विभाग का उत्तर
1	स.आ., वृत्त-2, बिलासपुर	22XXXXXXXXXX1ZA	2018-19	12.86	12.74	0.12	सहायक आयुक्त द्वारा उत्तर दिया गया कि करदाता को एएसएमटी-10, डीआरसी-01 दिनांक 23/01/2024 को तथा डीआरसी-07 दिनांक 15/04/2024 को जारी किया गया। आगे, प्रकिया एपीएल-01 में जारी रहेगा। विभाग द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया।
2	स.आ., वृत्त-1, बिलासपुर	22XXXXXXXXXX1ZX	2020-21	23.64	19.91	3.73	आडिट प्रश्न के संदर्भ में विभाग ने उत्तर दिया कि करदाता को वर्ष 2020-21 हेतु एएसएमटी-10 जारी किया गया। विभाग द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया।
योग				36.50	32.65	3.85	

परिशिष्ट-3.23

(कांडिका 3.12(इ) में संदर्भित)

नियम 42 के तहत अवधि 2018 से 21 के दौरान निरंक/छूट आपूर्ति के संदर्भ में कम/निरंक आगत कर क्रेडिट रिवर्सल को दर्शाने वाला विवरण (ग्रैनुलर अभिलेख अप्राप्त)

(₹ करोड़ में)

स. कं.	वृत्त का नाम	जीएसटीआईएन	अवधि	छूट प्राप्त टर्नओवर	कुल टर्नओवर	इनपुट और इनपुट सर्विसेस पर उपभोग किया गया आईटीसी	आईटीसी जो रिवर्स किए गए	लेखापरीक्षा द्वारा गणना किया गया रिवर्सल	कम/नहीं रिवर्सल जो लेखापरीक्षा द्वारा गणना किया गया	विभाग का उत्तर
1	स.आ., वृत्त-1, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZR	2019-20	7.46	34.56	7.26	0.00	1.56	1.56	आडिट प्रश्न के संदर्भ में सहायक आयुक्त द्वारा उत्तर में कहा गया कि सीजीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 42 के अर्न्तत करदाता द्वारा कॉमन इनपुट राशि ₹ 45.64 लाख में से आईटीसी की राशि ₹ 9.85 लाख को रिवर्स डीआरसी-03 दिनांक 06/08/2024 द्वारा किया गया। विभाग ने उत्तर में कहा कि प्रकरण प्रगति पर है।
2	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZT	2018-19	630.41	800.66	22.99	3.19	18.10	14.91	विभाग ने अपने उत्तर में कहा कि डीआरसी-01 दिनांक 31/01/2024 तथा डीआरसी-07 राशि ₹ 28.88 करोड़ दिनांक 15/04/2024 को जारी किया गया। मांग नोटिस के विरुद्ध करदाता द्वारा राशि ₹ 1.34 करोड़ जमा कर एपीएल-01 दिनांक 31/07/2024 को दाखिल किया गया। प्रकरण लंबित है।
3	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZT	2019-20	0.75	178.58	22.46	0.01	0.09	0.08	विभाग ने उत्तर में कहा कि डीआरसी-01 दिनांक 30/05/2024 का जारी किया गया तथा डीआरसी-07 राशि ₹ 12.33 करोड़ दिनांक 29/08/2024 को जारी किया गया। नोटिस के विरुद्ध करदाता द्वारा राशि ₹ 66.43 लाख जमा किया गया और एपीएल-01 दिनांक 29/11/2024 को दाखिल किया गया। वर्तमान में प्रकरण लंबित है।

4	स.आ., रायपुर	वृत्त-3, 22XXXXXXXXXX1ZM	2020-21	36.49	50.07	10.22	0.53	7.45	6.92	विभाग ने उत्तर में कहा कि डीआरसी-01 करदाता को जारी किया गया।
5	स.आ., रायपुर	वृत्त-3, 22XXXXXXXXXX2ZC	2020-21	1.24	85.48	3.94	0.00	0.06	0.06	विभाग ने उत्तर में कहा कि करदाता को मांग की राशि ₹ 39.22 लाख डीआरसी-01 दिनांक 29/11/2024 को जारी किया गया।
<b>योग</b>				<b>676.35</b>	<b>1149.35</b>	<b>66.87</b>	<b>3.73</b>	<b>27.26</b>	<b>23.53</b>	

परिशिष्ट-3.23(अ)  
(कांडिका 3.12(इ) में संदर्भित)

नियम 43 के तहत अवधि 2018 से 21 के दौरान निरंक/छूट आपूर्ति के संदर्भ में कम/निरंक आगत कर क्रेडिट रिवर्सल को दर्शाने वाला विवरण  
(ग्रेनुलर अभिलेख अप्राप्त)

(राशि ₹ में)

स. कं.	वृत्त का नाम	जीएसटीआईएन	अवधि	छूट प्राप्त टर्नओवर	कुल टर्नओवर	इनपुट और इनपुट सर्विसेस पर उपभोग किया गया आईटीसी	आईटीसी जो रिवर्स किए गए	लेखापरीक्षा द्वारा गणना किया गया रिवर्सल	कम/नहीं रिवर्सल जो लेखापरीक्षा द्वारा गणना किया गया	विभाग का उत्तर
1	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZC	2019-20	10,34,53,631	3,89,66,20,615	5,20,778	0	13,827	13,827	विभाग ने उत्तर में कहा कि करदाता को मांग राशि ₹ 2.75 करोड़ हेतु डीआरसी-07 दिनांक 30/08/2024 को जारी किया गया।
2	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZC	2020-21	8,02,55,928	1,94,65,88,029	33,489	0	1,381	1,381	विभाग ने उत्तर में कहा कि करदाता को डीआरसी-07 दिनांक 28/02/2025 को जारी किया गया है।
3	स.आ., वृत्त-3, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZM	2019-20	47,69,691	85,13,62,126	70,046	0	392	392	विभाग द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया।
4	स.आ., वृत्त-3, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZM	2020-21	36,48,96,692	50,07,33,165	84,339	0	61,459	61,459	विभाग द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया।
योग				55,33,75,942	7,19,53,03,935	7,08,652	0	77,059	77,059	

## परिशिष्ट-3.24

(कंडिका 3.12(एफ)(1) में संदर्भित)

अवधि 2018 से 21 के दौरान जीएसटीआर 9सी के टेबल 12 एफ में असमायोजित आगत कर क्रेडिट दर्शाने वाला विवरण  
(ग्रेनुलर अभिलेख अप्राप्त)

(₹ करोड़ में)

स.क्रं.	वृत्त का नाम	जीएसटीआईएन	अवधि	जीएसटीआर 9सी का टेबल 12 डी	जीएसटीआर 9सी का टेबल 12 ई	जीएसटीआर 9सी का टेबल 12 एफ	विभाग का उत्तर
1	स.आ., वृत्त-8, रायपुर	22XXXXXXXXXXXX1ZT	2020-21	0.90	0.90	0.00	विभाग द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर प्रदान नहीं किया गया।
2	स.आ., वृत्त-5, रायपुर	22XXXXXXXXXXXX1ZM	2018-19	1.16	1.19	0.03	विभाग ने उत्तर में कहा कि मांग राशि ₹ 16.29 लाख हेतु डीआरसी-07 दिनांक 29/04/2024 को जारी की गई। वर्तमान में करदाता ने अपील 28/07/2024 को दाखिल किया है।
3	स.आ., वृत्त-3, दुर्ग	22XXXXXXXXXXXX1ZK	2020-21	5.33	5.36	0.03	विभाग ने उत्तर में कहा कि डीआरसी-01 दिनांक 29/11/2024 को जारी किया गया।
4	स.आ., वृत्त-2, जगदलपुर	22XXXXXXXXXXXX1ZF	2019-20	11.56	11.57	0.01	विभाग द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर प्रदान नहीं किया गया।
5	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXXXX1ZR	2018-19	2.04	2.41	0.37	विभाग ने उत्तर में कहा कि डीआरसी-01 दिनांक 16/12/2023 तथा मांग राशि ₹ 1.58 करोड़ हेतु डीआरसी-07 दिनांक 29/04/2024 को जारी की गई। मांग के विरुद्ध करदाता द्वारा एपीएल-01 दिनांक 24/07/2024 को दाखिल किया गया। वर्तमान में प्रकरण लंबित है।
6	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXXXX1ZT	2018-19	12.43	24.33	11.90	विभाग ने उत्तर में कहा कि डीआरसी-01 दिनांक 31/01/2024 तथा मांग राशि ₹ 28.88 करोड़ हेतु डीआरसी-07 दिनांक 15/04/2024 को जारी की गई। मांग के विरुद्ध करदाता द्वारा राशि ₹ 1.34 करोड़ जमा कर एपीएल-01 दिनांक

							31/07/2024 को दाखिल किया गया। वर्तमान में प्रकरण लंबित है।
7	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZT	2019-20	24.89	25.24	0.35	विभाग ने उत्तर में कहा कि एसएमटी-10 दिनांक 17/05/2024 को जारी किया गया, डीआरसी-01 दिनांक 30/05/2024 तथा मांग राशि ₹ 12.33 करोड़ हेतु डीआरसी-07 दिनांक 29/08/2024 को जारी की गई। मांग के विरुद्ध करदाता द्वारा राशि ₹ 66.43 लाख जमा कर एपीएल-01 दिनांक 29/11/2024 को दाखिल किया गया। वर्तमान में प्रकरण लंबित है।
8	स.आ., वृत्त-2, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1ZM	2018-19	12.53	12.54	0.01	विभाग द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर प्रदान नहीं किया गया।
9	स.आ., वृत्त-2, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1ZM	2020-21	15.64	15.64	0.00	विभाग द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर प्रदान नहीं किया गया।
<b>योग</b>				<b>86.48</b>	<b>99.18</b>	<b>12.70</b>	

## परिशिष्ट-3.24(अ)

(कांडिका 3.12(एफ)(II) में संदर्भित)

अवधि 2018 से 21 के दौरान जीएसटीआर 9सी के टेबल 12 एफ में असमायोजित आगत कर क्रेडिट दर्शाने वाला विवरण  
(ग्रेनुलर अभिलेख प्राप्त)

(₹ करोड़ में)

स. कं.	वृत्त का नाम	जीएसटीआईएन	अवधि	जीएसटीआर 9सी का टेबल 12 डी	जीएसटीआर 9सी का टेबल 12 ई	जीएसटीआर 9सी का टेबल 12 एफ	विभाग का उत्तर
1	स.आ., वृत्त अंबिकापुर	22XXXXXXXXXX1ZU	2019-20	488.31	514.46	26.15	विभाग द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर प्रदान नहीं किया गया।
योग				488.31	514.46	26.15	

परिशिष्ट-3.25

(कांडिका 3.13(ए)(1) में संदर्भित)

अवधि 2018-21 के दौरान कर का कम/नहीं भुगतान दर्शाने वाला विवरण  
(प्रोनुलर अभिलेख अप्राप्त)

(₹ करोड़ में)

स. कं.	वृत्त का नाम	जीएसटीआईएन	अवधि	जीएसटीआर 1 देनदारी	जीएसटीआर 9 देनदारी	जीएसटीआर 1 अथवा जीएसटीआर 9 के मध्य अधिक देनदारी	जीएसटीआर 9 भुगतान	अन्तर	विभाग का उत्तर
1	स.आ., वृत्त-8, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZA	2018-19	12.63	12.63	12.63	11.14	1.49	विभाग ने उत्तर में कहा कि एसएमटी-10 दिनांक 05/01/2024, डीआरसी-01 दिनांक 31/01/2024 तथा डीआरसी-07 दिनांक 30/04/2024 को जारी किया गया। प्रकरण सुधार आदेश दिनांक 13/09/2024 के अनुसार नस्तीबद्ध किया गया।
2	स.आ., वृत्त-3, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1ZZ	2018-19	1.64	1.47	1.64	1.47	0.17	विभाग ने उत्तर में कहा कि डीआरसी-07 राशि ₹ 1.55 करोड़ हेतु दिनांक 15/04/2024 को जारी किया गया।
3	स.आ., वृत्त-3, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1ZZ	2020-21	0.07	0.21	0.21	0.07	0.14	विभाग ने उत्तर में कहा कि एसएमटी-10 दिनांक 14/10/2024 और डीआरसी-01 दिनांक 18/11/2024 को जारी किया गया।
4	स.आ., वृत्त-4, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZZ	2018-19	59.30	57.37	59.30	58.15	1.15	विभाग ने उत्तर में कहा कि करदाता को एसएमटी-10, डीआरसी-01 तथा डीआरसी-07 को जारी किया गया। करदाता द्वारा अपील दिनांक 26/07/2024 को दाखिल किया गया।
5	स.आ., वृत्त-1, रायगढ़	22XXXXXXXXXX1ZW	2018-19	0.06	0.11	0.11	0.06	0.05	विभाग द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर प्रदान नहीं किया गया।
6	स.आ., वृत्त-4, दुर्ग	22XXXXXXXXXX2ZF	2020-21	13.75	14.17	14.17	14.04	0.13	विभाग ने अपने उत्तर में कहा कि करदाता को डीआरसी-01 दिनांक 26/12/2024 को जारी किया गया।
7	स.आ., वृत्त-1, रायपुर	22XXXXXXXXXX1Z3	2020-21	0.26	0.07	0.26	0.23	0.03	विभाग द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर प्रदान नहीं किया गया।
8	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZC	2019-20	19.49	19.49	19.49	19.49	0.00	विभाग ने उत्तर में कहा कि करदाता को डीआरसी-07 राशि ₹ 2.76 करोड़ की जारी की गई। करदाता द्वारा अपील दिनांक 28/11/2024 को दाखिल किया गया। वर्तमान में प्रकरण लंबित है।
योग				107.20	105.52	107.81	104.65	3.16	

## परिशिष्ट-3.26

(कंडिका 3.13(ए)(II) में संदर्भित)

अवधि 2018-21 के दौरान कर का कम/नहीं भुगतान दर्शाने वाला विवरण  
(ग्रेनुलर अभिलेख प्राप्त)

(₹ करोड़ में)

स. कं.	वृत्त का नाम	जीएसटीआईएन	अवधि	जीएसटीआर 1 देनदारी	जीएसटीआर 9 देनदारी	जीएसटीआर 1 अथवा जीएसटीआर 9 के मध्य अधिक देनदारी	जीएसटीआर 9 भुगतान	अन्तर	विभाग का उत्तर
1	स.आ., वृत्त-4, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1ZO	2019-20	13.53	13.53	13.53	12.84	0.69	शासन ने उत्तर में कहा कि डीआरसी-07 दिनांक 30/08/2024 को जारी किया गया। वसूली की कार्यवाही प्रक्रिया में है।
2	स.आ., वृत्त-1, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZW	2018-19	2.22	2.31	2.31	2.28	0.03	विभाग द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर प्रदान नहीं किया गया। प्रकरण प्रक्रियाधीन है।
3	स.आ., वृत्त-3, रायपुर	22XXXXXXXXXX2ZC	2020-21	13.69	13.44	13.69	13.20	0.49	विभाग ने उत्तर में कहा कि मांग की राशि ₹ 39.22 लाख हेतु डीआरसी-07 द्वारा दिनांक 28/02/2025 को जारी किया गया।
4	स.आ., वृत्त-1, बिलासपुर	22XXXXXXXXXX1ZX	2018-19	15.58	30.66	30.66	28.52	2.14	विभाग द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर प्रदान नहीं किया गया।
योग				45.02	59.94	60.19	56.84	3.35	

परिशिष्ट-3.27

(कंडिका 3.13(बी) में संदर्भित)

अवधि 2018-21 के दौरान जीएसटीआर 9सी के टेबल 5 आर में असमायोजित कुल टर्नओवर दर्शाने वाला विवरण  
(ग्रेनुलर अभिलेख अप्राप्त)

(₹ करोड़ में)

स.क्रं.	वृत्त का नाम	जीएसटीआईएन	अवधि	जीएसटीआर 9सी के टेबल 5पी	जीएसटीआर 9सी के टेबल 5क्यू	जीएसटीआर 9सी के टेबल 5आर (ऋण मानक)	विभाग का उत्तर
1	स.आ., वृत्त-2, जगदलपुर	22XXXXXXXXXX1ZR	2019-20	3,275.14	3,274.01	1.13	सहायक आयुक्त ने उत्तर दिया कि अन्तर का कारण ब्याज आय है जो जीएसटी के तहत छूट प्राप्त आय है। विभाग द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया।
2	स.आ., वृत्त-2, जगदलपुर	22XXXXXXXXXX1ZR	2020-21	3,743.09	3,742.19	0.90	विभाग द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर प्रदान नहीं किया गया।
3	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZR	2020-21	498.07	420.12	77.95	विभाग ने अपने उत्तर में कहा कि मांग की राशि ₹ 21.75 लाख हेतु डीआरसी-01 दिनांक 27/11/2024 को जारी किया गया।
योग				7,516.30	7,436.32	79.98	

## परिशिष्ट-3.28

(कंडिका 3.13(सी) में संदर्भित)

अवधि 2018-21 के दौरान जीएसटीआर 9सी के टेबल 7 जी में असमायोजित कर योग्य टर्नओवर दर्शाने वाला विवरण  
(ग्रैनुलर अभिलेख अप्राप्त)

(₹ करोड़ में)

स.क्रं.	वृत्त का नाम	जीएसटीआईएन	अवधि	जीएसटीआर 9सी के टेबल 7ई	जीएसटीआर 9सी के टेबल 7एफ	जीएसटीआर 9सी के टेबल 7जी (ऋण मानक)	विभाग का उत्तर
1	स.आ., वृत्त-3, दुर्ग	22XXXXXXXXXX1ZK	2018-19	28.69	28.35	0.34	विभाग ने उत्तर में कहा कि मांग की राशि ₹ 2.16 करोड़ दिनांक 30/04/2024 को जारी की गई और डीआरसी-13 दिनांक 26/05/2025 को जारी की गई।
2	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXX2ZP	2019-20	199.69	196.99	2.7	विभाग ने उत्तर में कहा कि करदाता को मांग की राशि ₹ 75.56 करोड़ हेतु डीआरसी-07 दिनांक 27/08/2024 को जारी की गई। करदाता ने राशि ₹ 37.66 करोड़ जमा किया। आगे, करदाता ने एपीएल-01 दाखिल किया।
3	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZR	2020-21	34.71	29.6	5.11	विभाग ने उत्तर में कहा कि करदाता को मांग की राशि ₹ 21.75 लाख हेतु डीआरसी-01 दिनांक 27/11/2024 को जारी की गई।
योग				263.09	254.94	8.15	

परिशिष्ट-3.29

(कंडिका 3.13(डी) में संदर्भित)

अवधि 2018-21 के दौरान जीएसटीआर 9सी के टेबल 9 आर में असमायोजित कर भुगतान दर्शाने वाला विवरण  
(ग्रेनुलर अभिलेख अप्राप्त)

(₹ करोड़ में)

स.क्रं.	वृत्त का नाम	जीएसटीआईएन	अवधि	जीएसटीआर 9सी के टेबल 9पी	जीएसटीआर 9सी के टेबल 9क्यू	जीएसटीआर 9सी के टेबल 9आर (ऋण मानक)	विभाग का उत्तर
1	स.आ., वृत्त-2, जगदलपुर	22XXXXXXXXXX1ZF	2019-20	12.92	12.91	0.01	विभाग द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर प्रदान नहीं किया गया।
2	स.आ., वृत्त-2, जगदलपुर	22XXXXXXXXXX1ZF	2020-21	4.81	4.81	0.00	विभाग द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर प्रदान नहीं किया गया।
3	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXX2ZP	2020-21	20.58	18.26	2.32	विभाग ने उत्तर में कहा कि करदाता को डीआरसी-01 दिनांक 10/10/2024 को जारी किया गया।
4	स.आ., वृत्त-7, रायपुर	22XXXXXXXXXX1ZR	2020-21	6.25	5.33	0.92	विभाग ने उत्तर में कहा कि करदाता को मांग राशि ₹ 2.15 लाख डीआरसी-01 दिनांक 10/10/2024 द्वारा जारी किया गया।
योग				44.56	41.31	3.25	

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
[www.cag.gov.in](http://www.cag.gov.in)

<https://cag.gov.in/ag/chhattisgarh/en>

